सप्तम माला, खंड 14, अंक 26, सोमवार, 23 मार्च, 1981/ 2 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 14 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

विषय-सूची

अंक 26, सोमवार, 23 मार्च, 1981/2 चैत्र, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—31
* तारांकित प्रश्न संख्या : 473, 474, 477, से 479, 481 और 482	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	31—197
तारांकित प्रश्न संख्या : 475, 476, 480 और 483 से 494	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4543 से 4600, 4602 से 4639 और 4641 से 4742	
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	198—200
सभा पटल पर रखे गए पत्र	200—204
प्राक्कलन समिति छठा प्रतिवेदन	204
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति आठवां प्रतिवेदन	204
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	204—216
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को एक पीठ स्थापित करने की मांग के समर्थन में वकीलों और अन्य व्यक्तियों द्वारा हाल में किया गया आंदोलन	
श्री जगपाल सिंह	204

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री पी० शिवशंकर 208

श्रीमती मोहसिना किदवई 210

श्री मूलचंद डागा 212

श्री मंगल राम प्रेमी 214

श्री धनिक लाल मंडल 215

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति 216—217

नियम 377 के अधीन मामले 217—224

(एक) हिसार, हरियाणा में डकैती, लूटमार और हत्या की घटनाएं

श्री मनीराम बागड़ी 217

(दो) चक्रधरपुर और हाबड़ा के बीच एक नई तीव्र गति की गाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री अजित कुमार साहा 217

(तीन) हावड़ा स्थित इंडियन रेयन अर्थ्स फैक्टरी में रोजगार की ठेका प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री बी० के० नायर 218

(चार) जाली दस्तावेजों की मदद से तिहाड़ जेल से कैदियों की कथित रिहाई

श्री जगदीश टाइटलर 219

(पांच) मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में पीने के पानी आदि की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही

डा० बसंत कुमार पंडित 220

(छः) केरल में धान की फसल को कीड़ा लगने की बीमारी की समाप्ति के लिए अनुसंधान की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन 220

(सात) राजस्थान के एक न्यायाधीश का कथित अपहरण

प्रो० मधु दंडवते 221

(आठ) आंध्र प्रदेश में भारतीय रूई निगम द्वारा सुवेन रूई की खरीद जारी रखने की आवश्यकता

प्रो० एन० जी० रंगा 222

(नौ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा कैपिटल यूनिटों की योजना को समाप्त करने का समाचार

श्री जार्ज फर्नान्डीस 222

(दस) भारतीय समुद्र तल में पिण्डों की परत का पाया जाना

श्री के० पी० सिंह देव 222

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 225—240
विचार करने का प्रस्ताव

श्री जैल सिंह 225

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 225

खंड 2, 3 और 1

पास करने का प्रस्ताव

श्री जैल सिंह 233

श्री रामावतार शास्त्री 235

श्री हरिकेश बहादुर 237

श्री एन० के० शेजवलकर 238

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक 240—248
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव

श्री भीष्म नारायण सिंह 240

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी 241

डा० कर्ण सिंह 242

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी 243

श्री दिग्विजय सिंह 244

[दानों की मांगें, 1981-82 248—300

वाणिज्य मंत्रालय

श्री सुबोध सेन 248

श्री जगन्नाथ राव 268
श्री पी० अंकिनीडू प्रसाद राव 272
श्री राम विलास पासवान 277
श्री गंगाधर एस० कुचन 283
श्री सी० डी० पटेल 286
श्री सी० पलानी अप्पन 290
श्री कमलनाथ झा 293
श्री खुर्शीद आलम खान 296

लोक-सभा

सोमवार, 23 मार्च, 1981/2 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ! आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू के बलिदान की 50वीं बरसी है। स्वतन्त्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वाले इन तीनों तथा अन्य शहीदों की याद करते हुए उनके सम्मान में सभा के सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्य थोडी देर मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"केयर" आई० एन० सी० के साथ समझौता

*47. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और/अथवा राज्य सरकारों ने "केयर" को किये जाने वाले भुगतान की मात्रा और/अथवा दर तथा केयर को सौंपे जाने वाली धनराशि के बारे में "केयर इन्क" के साथ कोई समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो "केयर इन्क" को किये जाने वाले भुगतान और/अथवा सौंपी गई धनराशि सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या "केयर" में गतिविधियों के वित्तीय पहलुओं और "केयर" को रुपयों में और/अथवा विदेशी मुद्रा में अदा की गई अथवा सौंपी गई भारत सरकार की निधि के बारे में भारत के कानूनों के अन्तर्गत "केयर इन्क" द्वारा बही खाते तथा वित्तीय लेखे रखा जाना आवश्यक है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) भारत में केयर के कार्य 6 मार्च, 1950 के भारत-केयर करार द्वारा नियन्त्रित हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष केयर के साथ परामर्श से व्यवस्थाओं की एक सूची बनाई जाती है, जिसमें राज्य सरकारों को उपलब्ध कुल खाद्य सहायता तथा उस पर देय प्रशासनिक खर्च के सम्बन्ध में ब्यौरा दिया होता है। केयर द्वारा 1974-75 से 1978-79 तक दिए गए खाद्य पदार्थों तथा केयर को अदा किए गए प्रशासनिक खर्च का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है।

(ग) 6 मार्च, 1950 के भारत केयर करार में लेखे रखने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। तो भी, केयर अपने वित्तीय विनियमों के अनुसार भारत में अपने कार्यों के लेखे रखता है।

परिशिष्ट

केयर को भुगतान की गई प्रशासनिक खर्च की भुगतान तथा केयर द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों की मात्रा 1973-75 से 1974-79 तक

वर्ष	प्रशासनिक खर्च रुपये	दिए गए खाद्य पदार्थ किलोग्राम
1974-75	18,738,004	152,656,000
1975-76	27,023,801	282,821,000
1976-77	25,778,091	229,640,000
1977-78	21,247,451	259,082,000
1978-79	54,264,849	280,105,000

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपना प्रश्न पूछने के पहले मैं अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं। यह प्रश्न जैसा कि आप इसके शब्दों में भी देख सकते हैं, वित्त मन्त्रालय को सम्बोधित किया गया था, जो इस प्रश्न से सम्बन्धित मामले से स्पष्टतः सम्बद्ध है। मैं नहीं जानता कि इस प्रश्न को क्यों और कैसे शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय को अन्तरित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा देखते हैं कि वे ठीक प्रकार से उत्तर दे पाते हैं अथवा नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पीछा छुड़ाने का यह आसान तरीका है। यदि मैं वित्त सम्बन्धी प्रश्न पूछूंगा, तो वे कहेंगे, कि इस मामले पर अन्य मन्त्रालय द्वारा कार्यवाही की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी योग्यता को जानता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त यह प्रश्न को उपयुक्त मन्त्रालय को भेजने का मामला है । महोदय इस विवरण में जो सभा पटल पर रखा गया है यह बताया गया है कि भारत में 'केयर' के कार्य 6 मार्च, 1950 के भारत 'केयर' करार द्वारा नियन्त्रित हैं और यहाँ यह बात स्वीकार की गई है कि इस करार में 'केयर' द्वारा लेखे रखे जाने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। स्वीकार की गई बातों मे से एक बात यह भी है । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सच नहीं है कि उस करार में—मेरे पास वास्तविक करार की एक फोटोस्टेट प्रति है—खण्ड 2-क के अधीन इस बात का साफ-साफ उल्लेख है कि 'केयर' दानकर्त्ता की ओर से डिलीवर किए जाने वाले अमुक-अमुक पदार्थों से सम्बन्धित भेजी गई रकम के बदले में, केवल भारत से बाहर, व्यक्तियों द्वारा और संगठनों द्वारा किए गए भुगतानों पर माल भेजेगा । करार के इस खण्ड से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी स्थिति में 'केयर' को, जो कुछ इसे भारत से बाहर से और गैर भारतीय स्रोतों से प्राप्त होता है, के अतिरिक्त किसी भी रूप में कोई धनराशि अथवा दान लेने की अनुमति नहीं होगी । अतः मेरा पहला प्रश्न यह है कि वे राज्य सरकारें जो 'केयर' सम्बन्धी खर्चों के निमित्त प्रति वर्ष पर्याप्त धनराशि बजट में रख रही हैं, उनकी बजट में रखी गई ये धनराशियां किस प्रकार करार के इस सुस्पष्ट प्रावधान के अनुकूल हैं कि 'केयर' द्वारा किसी भी प्रकार की कोई धनराशि, भारत के बाहर से प्राप्त धन के अतिरिक्त, प्राप्त नहीं की जाएगी ? क्या करार बदल दिया गया है ? यदि हां, तो यह कब बदला गया है, इसमें कब संशोधन किया गया ? क्या इस प्रकार का कोई संशोधन कभी सभा के समक्ष रखा गया है ? विभिन्नि राज्य सरकारों द्वारा यह 2 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्रतिवर्ष किसके प्राधिकार से 'केयर' को दी जा रही है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह सच है कि करार में कोई ऐसा खण्ड नहीं था, जिसमें राज्य सरकारों को प्रशासनिक प्रभारों के लिए भुगतान करना अपेक्षित हो। वर्ष 1968 में पहली बार 'केयर' प्राधिकारियों ने इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय से और 1971 में समाज कल्याण मन्त्रालय से अनुरोध किया था उन्होंने यह बताया कि 'केयर' एक स्वयं से भी नाम न कमाने वाला संगठन है और जब तक कि अमरीका और भारत, दोनों देशों में लाभ प्राप्त करने वाले देशों द्वारा प्रशासनिक प्रभारों का वहन नहीं किया जाता, तब तक उनके लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वे कार्य करते रहें और सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से भारत सरकार ने उच्चतम स्तर पर यह निर्णय लिया था कि प्रशासनिक प्रभार सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा वहन किए जाएंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो करार बदला अथवा संशोधित नहीं किया गया है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : नहीं, नहीं ।

श्री इन्दजीत गुप्त : मैं नहीं जानता कि कानूनी स्थिति क्या है । इसकी कहीं जांच करनी होगी । न्यायालयों में मामले चल रहे हैं और कई रोचक बातों का पता चला है, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रश्न काल में उन्हें मैं नहीं बता सकता । मैं आपसे इसके लिये कोई अन्य अवसर प्रदान करने का

अनुरोध करता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह धन के समायोजन से सम्बन्धित बात है और दिल्ली-न्यायालय में भी ऐसे मामले चल रहे हैं।

दूसरी बात, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने अभी-अभी जो उत्तर दिया है, और जो विवरण सभापटल पर रखा गया है, उससे मुझे,पता चला है कि यहाँ यह भ्रामक है। 'केयर' को अदा किये गए प्रशासनिक प्रभार का वर्ष, 1974-75 से 1978-79 तक की अवधि का विवरण दर्शाया गया है और यह विवरण रुपयों में दर्शाया गया है और इस विवरण के अनुसार किसी एक विशेष वर्ष में प्रशासनिक प्रभारों के रूप में भुगतान की गई राशि 1.8 करोड़ रुपये से 2.7 करोड़ रुपये के बीच-घटती बढ़ती रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि, यह बात सदन को भ्रमित कर रही है। 'केयर' संगठन 'प्रोग्राम प्लान्स' प्रकाशित करता है। प्रोग्राम प्लान्स से मुझे पता चला है कि उन्होंनें यह खुद कहा है—

> "कि भारत सरकार 'केयर' से खाद्य पदार्थों की खरीद के अन्तर्गत प्रोसेसिंग और तैयारी करने, पत्तन निकासी, स्थानीय प्रबन्ध स्रोतों सरकारी कर्मचारियों के वेतन, केयर-प्रशासनिक प्रबन्ध के वेतन के भुगतान, अन्तर्देशीय परिवहन आदि के प्रबन्ध आदि पर निवेश करती है।"

ये शीर्षक यहां दिये गए हैं। इनके अनुसार यह राशि वर्ष 1971 में 19.90 करोड़ - 199 लाख डालर, और 1972 में 250 लाख डालर और 1973 मे 219 लाख डालर थी। यहां दिये गए ये आंकडे प्रशासनिक प्रभारों से सम्बन्धित हैं। मैं नहीं जानता कि इन्होंने इसमें से किस भाग का हवाला दिया है। इन्होंने ये आकड़े रुपयों में दिए हैं। 'केयर' को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वास्तव में जितनी धन राशि का भुगतान किया जा रहा है, उन लाखों डालरों का यह अल्पांश भी नहीं है, जिसके बारे में मंत्री जी कहते हैं कि यह प्रशासनिक आदेश के अनुसार किया गया है, जो मूल करार का उल्लंघन है। ये भ्रामक आंकड़े क्यों दिए गए हैं ? कुल धनराशि यह नहीं है, जिसका नकद भुगतान किया जा रहा है। 200 लाख डालर की धनराशि का प्रतिवर्ष भुगतान किया जा रहा है।

श्री एस० बी० चव्हाण : सदन को जो सूचना दी गई है वह उन प्रशासनिक प्रभारों से सम्बन्धित है जिनकी 'केयर' प्रधिकारियों ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से मांग की थी। उन्हीं आंकड़ों को संकलित किया गया है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई भिन्न सूचना है, तो निश्चित रूप से मैं उसे देखना चाहूंगा और उसका जायजा लूंगा सचाई तो यह है कि भ्रम में डालने की कोई गुंजाइश नहीं है। सभा को गलत आंकड़े सप्लाई नहीं किए गए हैं। ये आँकड़े स्वयं 'केयर' प्राधिकारियों ने दिए हैं। उन्हीं के आधार पर जानकारी दी गई है। मैं पुन: इनको देखने और अपने को सन्तुष्ट करने के लिए तैयार हूं। वास्तव में ऐसी कोई विरोधात्मक स्थिति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने प्रशासनिक प्रभारों के बारे में कभी नहीं पूछा। मैंने तो यह पूछा

था कि 'केयर' को भारत में राज्य सरकारों द्वारा और अन्य प्राधिकरणों द्वारा जितनी धनराशि का भुगतान किया गया है, उसका विवरण क्या है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इन्हें केवल उन मे प्रभारों के बारे में समझा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने प्रशासनिक प्रभारों के बारे में कभी नहीं पूछा।

विदेशी मुद्रा को उनके द्वारा अपने देश में भेजा जाना जारी है। उन्होने 11 लाख डालर यह कहते हुए अपने देश में भेज दिए कि वे यह राशि न्यूयार्क में अपने प्रशासनिक मुख्यालय के खर्चों के लिए भेज रहे हैं। यह धनराशि भारत में प्रशासनिक खर्चे के लिए नहीं रखी गई। इस तरह एक भ्रांति पैदा कर दी गई है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। यह एक निपट धर्मार्थ संगठन है और ऐसा ही वे दावा करते हैं, लेकिन असल में इनका काम एक व्यापारिक संगठन की तरह चल रहा है और ये भारत से अपने देश में विदेशी मुद्रा भेजे जा रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक सरकारी जानकारी का सम्बन्ध है, वह हमने आपको दे दी है। उन्हें केवल प्रशासनिक प्रचारों सम्बन्धी राशि दी जा रही है और इनके अतिरिक्त उन्हें कोई धनराशि नहीं दी जा रही है और 1964-65 से 1979-80 तक 'केयर' ने कुल 59.8 लाख डालर अमरीका भेजे हैं हमारे पास तो यही जानकारी है।

श्री नीरेन घोष : हमें तो यही बताया गया है कि 'केयर' एक धर्मार्थ संगठन है जो भारत में भारत के गरीब लोगों के हित में काम कर रहा है। यह बात तो मैंने अभी सुनी है मुझे तो यह सूचना है कि 'केयर' ने अमरीका को 3 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भेजी है। क्या यह काम भारत सरकार की सलाह-मशविरा से किया है। क्या उन्हें ऐसा करने का अधिकार है? किस समझौते के अन्तर्गत उन्होंने 3 करोड़ रुपये की धनराशि भेंजी है। क्या भारत सरकार (सी० ए० आर० ई०) की गतिविधियों के बारे में जांच कराएगी।

श्री एस० बी० चह्वाण : किसी जांच का कोई प्रश्न नहीं है। यह सरकार की स्वीकृति से हुआ है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या देश को इससे कोई लाभ मिला है? क्या मन्त्री महोदय की बात सुने बिना कोई सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि मन्त्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं?

श्री एस० बी० चह्वाण : सभा पटल पर रखा गया विवरण इस बात पर पूर्णत: स्पष्ट है कि हमको प्राप्त हुए खाद्यान्न और गैरखाद्यान्न वस्तुओं की मात्रा कितनी है और हमने कितनी प्रशासी मूल्य चुकाया है।

जहां तक उसमें मेरी राय का सम्बन्ध है, यहां इस तरह की जानकारी दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता जिससे सदन गुमराह हो ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने यह बात अनुभव नहीं की है कि उन्होंने अपना पक्ष कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है ?

फ्लोर मिलों को गेहूं का आवंटन

*474. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्लोर मिलों को गेहूं का कोटा किस आधार पर दिया जाता है;

(ख) गत वर्ष के दौरान कितना गेहूं दिया गया और उसमें से कितना गेहू पीसा गया;

(ग) हाल ही में बाजार में गेहूं, आटे, सूजी और मैदा की कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निमाण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग, केन्द्रीय भण्डार में गेहूं की उपलब्धता और अतीत में इसके उठान की प्रवृत्ति के आधार पर मिलों के लिए कोटा निर्धारित किया जाता है ।

(ख) 1980 के दौरान रोलर आटा मिलों को 36.37 लाख मीटरी टन गेहूं सप्लाई किया गया था । इस समय इस विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त मात्रा में से 29.96 लाख मीटरी टन के गेहूं के उत्पाद तैयार किए गये थे । अपवर्तन की ठीक-ठीक मात्रा ज्ञात नहीं है ।

(ग) मांग में वृद्धि से सम्बद्ध, अतीत में उठान के आधार पर राज्यों की आटा मिलों के लिए गेहूं के कोटे को युक्तियुक्त करने से मामूली दबाव पड़ा था । 1979-80 के दौरान चल रही सूखे की स्थिति से इन उत्पादों के लिए अतिरिक्त मांग पैदा हुई थी ।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने रोलर आटा मिलों के आवंटन को फरवरी, 1981 के लिए किये गये आवंटन की तुलना में मार्च, और अप्रैल, 1981 में 10,000 मीटरी टन तक बढ़ा दिया है ।

श्री नरसिंह मकवाना : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में मैदे की ज्यादा खपत होते हुए भी उसको सबसे कम कोटा मिलता है । पिछले वर्षों में गुजरात को कांडला से गेहूं दिया गया था और वह बहुत खराब तथा सड़ा हुआ होने की वजह से नहीं उठाया गया था, इसलिए 1978-79 के वक्त में गुजरात ने कम गेहूं उठाया था । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि उसको ध्यान में रखते हुए अब गुजरात का कोटा बढ़ाने के लिए सरकार सोच रही है या नहीं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिचाई मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : गुजरात को सबसे कम तो नहीं दिया गया है। जितना गुजरात सरकार का पहले सालों में खर्चा हो रहा है, उसके हिसाब से जितनी मिल्स की कंज़म्पशन हुई, टोटल यूटिलाइजेशन हुई माहवार, उसी तरीके से हमने दिया है। गुजरात का महीने का गेहूं का टोटल एलोकेशन 14 साढ़े 14 हजार टन है। गुजरात की एलोकेशन में हमने कमी जरूर की क्योंकि हमारा स्टाक कम हो गया था। कोई खास दिक्कत हमने गुजरात की महसूस नहीं की है। जो सुझाव माननीय मेम्बर ने दिया है, गुजरात गवर्नमेंट की अगर आगे मांग हुई तो उस पर विचार करेंगे।

श्री नरसिंह मकवाना: गुजरात की साढ़े 3 करोड़ की बस्ती है और वहां पर 13 फ्लोर मिल हैं, उसको 505 मीट्रिक टन गेहूं प्रति माह दिया जाता है। हरियाणा में 1 करोड़ 5 लाख की आबादी है और 8 फैक्टरीज हैं, उसको 14 सौ टन ज्यादा दिया जाता है। इसी तरह से चंडीगढ़ में भी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का भेदभाव क्यों रखा जाता है। इस भेदभाव की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बड़ी फैक्टरियों को ज्यादा दिया जाता है, छोटी को नहीं दिया जाता है, यह शिकायत बहुत गंम्भीर है और इसे दूर करने के लिए सरकार कोई कदम उठाना चाहती है या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हरियाणा में तो, क्योंकि सारा गेहूं खाने वाला इलाका है, हरियाणा का करीब 14 हजार टन गेहूं का महीने का एलोकेशन है। गुजरात को उसके मुकाबले में 14.5 हजार टन दिया जाता है। हालाकि हरियाणा सारा गेहूं खाने वाला इलाका है और गुजरात में तो मोटा अनाज और चावल भी खाते हैं।

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, फ्लोर मिल्ज़, बड़ी आटा मिलें, कैसा आटा सप्लाई करती हैं। वह पता चल जायेगा रेलवे कैन्टीन जो रोटी हमें देती है, उससे रेलवे कैन्टीन की रोटी खा लेने से पता चल जायेगा कि भारत की बड़ी-बड़ी आटा मिलें कैसा आटा सप्लाई करती हैं। क्या मन्त्री महोदय ने कभी जायजा लिया है कि जो गेहूं आटा मिलों को सप्लाई किया जाता है, उसमें फारेन मैटीरियल्ज -- गन्दी चीजें—कितनी मिलाई जाती हैं, उनका परसेन्टेज क्या रहता है ? क्या उन्होंने रेन्डम सरवे करने के लिए किसी भी बोरी को निकालकर बायोलोजिकल टेस्ट और फ़िज़िकल टैस्ट करवाया है, या करवाने का सोच रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : लोग घर की चक्की भूल गये हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : एफ़०सी०आई० जितना अनाज खरीदती है, उसके लिए परसेंटेज मुकर्रर है। अगर उससे ज्यादा कोई मिलावट होती है, तो अनाज खरीदा नहीं जाता है। (व्यवधान) एफ़ सी० आई० तो स्टेट गवर्नमेंट को देती है। आगे तकसीम करना स्टेट गवर्नमेंटस का काम है, मिलों को वे देती हैं। वे एफ़० सी० आई० के गोदामों से लेकर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के जरिये तकसीम करती हैं। अगर मिलों के लेवल पर कोई मिलावट होती है,.....

एक माननीय सदस्य : दिल्ली में क्या होता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : दिल्ली में अगर मिल के लेवल पर मिलावट होती है, अगर माननीय सदस्य उसके बारे में शिकायत करेंगे, तो हम देखेंगे । (व्यवधान) मिलावट करना तो जुर्म है । अगर स्टेट में किसी लेवल पर मिलावट होती है, तो यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि उनके खिलाफ कार्यवाही करे ।

एक माननीय सदस्य : रेलों के बारे में क्या कहना है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : रेलवे में मिलावट नहीं होती है ।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : मन्त्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि आटा मिलों के लिए कोटे का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग, केन्द्रिय पूल और राज्य में खपत के रुझान के आधार पर किया जाता है । पंजाब गेहूं उत्पादक क्षेत्र है पंजाब का मुख्य भोजन गेहूं है । लेकिन गेहूं पंजाब से दूर ले जाया जाता है और जब पंजाब राज्य सरकार द्वारा इसकी मांग की जाती है तो यह उसको उपलब्ध नहीं कराया जाता है । क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि पंजाब राज्य सरकार द्वारा कुल कितने गेहूं की मांग की गई अथवा उसकी कुल आवश्यकता कितनी है और पूरे वर्ष के दौरान उसे कितनी सप्लाई की गई थी ?

दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं; कि आटा मिलें बाजार में जाकर स्वतंत्र रूप से गेहूं की खरीद नहीं कर सकती । केवल भारतीय खाद्य निगम ही पंजाब को गेहूं की सप्लाई करता है । इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्र से मांग की गई पजाब राज्य की कुल आवश्यकता कितनी है और गत वर्ष के दौरान उसे कितनी मात्रा में गेहूं की सप्लाई की गई ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस समय हम सार्वजनिक वितरण तथा आटा मिलों, दोनों के लिए पंजाब को लगभग 22 हजार टन गेहूं दे रहे हैं । जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सवाल है, हमने समुचित रूप से पंजाब सरकार की सारी मांग पूरी की है । लेकिन आटा मिलों के लिए हमने सोचा कि मांग बहुत ज्यादा थी । हमने गत तीन वर्षों के दौरान की मिलों की खपत की संगणना की और उनके उपयोग के आधार पर, और मिलों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं । उस आधार पर उनके पिछले उपयोग के आधार पर, हमें सभी राज्यों के लिए गेहूं का आवंटन कर रहें हैं । पंजाब को अपना उचित भाग मिल रहा है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उसे 5000 टन प्रतिमास दिया जाता है और आटा मिलों के लिए उसे 17,000 टन गेहूं प्रतिमास दिया जाता है । लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब एक गेहूं उत्पादक राज्य है और पंजाब को हमारे गोदामों से गेहूं लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पंजाब सारे देश को सप्लाई कर रहा है । पंजाब में गेहूं की भरमार है । इसलिए, पंजाब की मंडियों में खुले रूप में गेहूं उपलब्ध होने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : ये दुतरफा बात होती है। कभी हम देते हैं और कभी हम लेते हैं।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : यह सच है कि वे पंजाब में उनको गेहूं खरीदने की अनुमति नहीं देते क्योंकि वहां जो भी गेहूं होता है उसे बाहर ले जाया जाता है.....।

अध्यक्ष महोदय : अब दूसरे प्रश्न पर विचार करना है। यह सब ठीक है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या यह सही है कि उचित दर की दूकानों पर राशन के लिए दिया जाने वाला गेहूं और मैदा बनाने के लिए मिलों को दिया जाने वाला गेहूं एक ही दर पर दिया जाता है और क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि सस्ते दामों पर मिलों द्वारा लिए गए गेहूं से निर्मित मैदा उन खाद्य पदार्थों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज्यादा दामों पर बाजार में बेचे जाते हैं जैसे मिठाई इत्यादि ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि यह मैदा के लिए दिया जाने वाला गेहूं उचित दर की दुकानों से राशन के लिए दिए जाने वाले गेहूं में मिला दिया जाय और मैदा के लिए सस्ते गेहूं का दिया जाना बन्द किया जाय ?

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि अभी सरकार ने फैसला किया है कि मिलों को जो गेहूं दिया जाएगा पहली अप्रैल से उस का भाव राशन में मिलने वाले गेहूं की निस्बत 10 रूपये ज्यादा होगा, वह 155 रूपये क्विंटल होगा जबकि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए 145 रुपये क्विंटल का भाव होगा।

जम्मू तथा कश्मीर में ऐतिहासिक इमारतें

*477. **श्री पी० नामग्याल :** क्या शिक्षा एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व के सैकड़ों वर्ष पुरानी इमारतें (एक) जम्मू जिले की साम्बा तहसील के बुपनेरगढ़, दीरगढ़ और माहौरगढ़ के गांव; (दो) ऊधमपुर जिले और गांव बेली तहसील का मन्दिर (तीन) ऊधमपुर जिले की चेनानी तहसील के गांव कोटली पेन का जालंदरा देवी का मन्दिर, अवहेलना के कारण खराब हालत में है ; और

(ख) क्या सरकार का इन इमारतों की जांच करवाने और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के माध्यम से इनको अनुरक्षण कराने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सरकार के पास प्राप्य सूचना के अनुसार ये स्मारक राज्य सरकार के अधीन होने चाहिए और जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि इनमें से कुछ स्मारक राष्ट्रीयमहत्व के हैं तब तक इन स्मारतों की देख-रेख राज्य सरकार को करनी चाहिए। इस संदर्भ में सरकार स्थानीय अधिकारियों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

श्री पी० नामग्याल : श्रीमन् किसी स्मारक विशेष को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं ?

आपने कहा है कि सरकार स्थानीय अधिकारियों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि वे अधिकारी केन्द्रीय सरकार के हैं अथवा राज्य सरकार के हैं ?

श्रीमती शीला कौल : प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम केवल उन्हीं प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारको को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किए जाने के लिए विचार किया जाता है जो 100 वर्ष से ज्यादा समय पुराने हैं और जो पुरातत्व की दृष्टि से ऐतिहासिक और शिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं और उत्तर पूर्वी सर्किल के पुरातत्व अधीक्षक को इस कार्य की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है और जैसे ही हमें उसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी, हम इस बारे में कुछ कर सकेंगे ।

श्री पी० नामग्याल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कश्मीर सरकार ने प्राचीन स्मारकों को खास तौर पर डोगरा काल के उन स्मारकों को नष्ट कर रही है जो 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं जैसे चश्मा साही और श्रीनगर का निशात-बाग और क्या इस धारणा की जानकारी है कि राज्य विधान सभा भवन, जो डोगरा नरेश का भूतपूर्व महल था तथा अन्य दूसरी इमारतें, कुछ लोगों के अनुसार, कश्मीर सरकार के एजेंटों द्वारा आग की भेट चढ़ा दी गई हैं ? इनकी तथा ऐसे ही स्मारकों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती शीला कौल : जो कुछ यहां कहा गया है, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है ।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री नामग्याल ने जम्मू और कश्मीर में पुरातत्व विरासत की हो रही अनियंत्रित तबाही की ओर ध्यान आकर्षित किया है । भारत के अन्य राज्यों की तरह जम्मू और कश्मीर पुरातत्व की दृष्टि से—लद्दाख में, घाटी में और जम्मू में अत्यंत समृद्ध है । लेकिन, गत चार या पांछ वर्षों से अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक जानबूझ कर नष्ट कर दिए गए हैं । आपको याद होगा कि निशात बाग में एक छतरी थी जो शहाजहां के समय में बनवाई गई थी और ऐसा लगता है कि वर्तमान मुगल इसे पसन्द नहीं करते । इसलिए एक दिन उन्होंने कहा , आप उस छतरी को हटा दीजिये । यह एक आघात पहुंचाने वाली बात है । इसी तरह शेरगढ़ी महल को जो कि स्वयं में एक स्मारक था यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यह मेरी परिवारिक सम्पत्ति थी; ऐसी बात नहीं थी; इसे स्वतंत्रता से पूर्व ही राज्य को दे दिया गया; यह एक स्मारक था; उस महल की कुट्टी (पपिये माशे) की छतें अद्वितीय थी—जला

दिया गया। हम अनुभव करते हैं कि वहां इस प्राचीन स्मारकों को नष्ट करने की जानबूझ कर नीति अपनायी जा रही है और मंत्री महोदया कहती हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। क्या मैं मत्री जी, से सरकार से आदरपूर्वक यह बात पूछ सकता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री इस समस्या के बारे में जानती हैं, और यह बात देखने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है कि जो कुछ जम्मू और कश्मीर राज्य में बाकी बचा है उसे भी नष्ट न कर दिया जाएं।

श्रीमति शीला कौल : इन सभी स्मारकों को राज्य के अधीन समझा जाता है

डा० कर्ण सिह : महोदया यह सच नहीं है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : डा० कर्णसिह द्वारा रखे गए प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में सरकार को जानकारी हासिल करनी होगी। जहां तक जानकारी का सम्बन्ध है, न तो पुरातत्व अधीक्षक ने हमें इस बारे में बताया है, न जम्मू और काश्मीर सरकार ने कोई बात बताई है। (व्यवधान) निश्चित ही हम संभावित रूप से यह बात नहीं कह सकते कि इस प्राचीन स्मारक की किसी भी सम्पत्ति की बर्बादी के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार जिम्मेदार थी अथवा नहीं, जब तक कि हमें इस बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिल जाती। निश्चय ही हम जानकारी प्राप्त करेंगे; हम सारे मामले की जांच करवाना चाहेंगे।

डा० कर्णसिह : क्या आप महानिदेशक, पुरातत्व को स्थिति का सर्वेक्षण करने और उसकी रिपोर्ट आपको देने हेतू खास तौर पर जम्मू और कश्मीर भेजेगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : सर्वप्रथम, हमें रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए। हमें इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि हमें रिपोर्ट मिल जाती है और हम यह पाते है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है तो निश्चित ही वहां महानिदेशक को भेजा जा सकता है।

सूखे से प्रभावित जिले

*478. **श्री आर के० महालगी** : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में विभिन्न राज्यों में सूखे से प्रभावित जिलों के नाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : 1980-81 में विभिन्न राज्यों में सूखे से प्रभावित जिलों के नामों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1980 में विभिन्न राज्यों में सूखे से प्रभावित जिलों के नाम (राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापनों के आधार पर)

राज्य का नाम	मानसून से पहले	मानसून के बाद
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	1. श्री काकुलम	
	2. बिजयानगरम	
	3. विसाखापटनम	
	4. दक्षिण गोदावरी	
	5. पश्चिम गोदावरी	
	6. कृष्णा	
	7. गुन्टूर	
	8. प्राकासम	1. प्राकासम
	9. निलौर	2. निलौर
	10. कुर्नूल	3. कुर्नूल
	11. अननथापुर	4. अननथापुर
	12. कुड्डापाह	5. कुड्डापाह
	13. चित्तूर	6. चित्तूर
	14. रंगारेड्डी	7. रंगारेड्डी
	15. हैदराबाद	
	16. निजामाबाद	8. निजामाबाद
	17. मेडक	9. मेडक
	18. महबूबनगर	10. महबूबनगर
	19. नलगोण्डा	11. नलगोण्डा
	20. वारंगल	12. वारंगल
	21. खमम	
	22. करीमनगर	13. करीमनगर
	23. अदीलाबाद	14. अदीलाबाद

1		2	3
2.	बिहार	1. हजारी बाग	शून्य
		2. धनबाद	—
		3. गिरीदीह	—
		4. पलामु	—
		5. राची	—
		6. सिंहभूम	—
		7. पटना	—
		8. नालंदा	—
		9. गया	—
		10. नवादा	—
		11. भोजपुर	—
		12. रोहतास	—
		13. औरंगाबाद	—
		14. मुंगेर	—
		15. भागलपुर	—
		16. दक्षिण परगना	—
		17. पुर्निया	—
		18. कटिहारी	—
		19. बेगूसराय	—
		20. दरभंगा	—
		21. समस्तीपुर	—
		22. सिवान	—
		23. सरण	—
		24. वैशाली	—
3.	गुजरात	1. पंचमहल	शून्य
		2. बनस्कान्था	
		3. साबरकान्था	

1	2	3
	4. कच्छ	
	5. अहमदाबाद	
	6. बड़ौदा	
	7. मेहसाना	
	8. भारुच	
	9. कैरा	
	10. राजकोट	
	11. सुरेन्द्रनगर	
	12. भावनगर	
	13. जामनगर	
	14. जूनागढ़	
4. हिमाचल प्रदेश	1. बिलासपुर	शून्य
	2. चम्बा	
	3. हमीरपुर	
	4. कांगड़ा	
	5. किन्नौर	
	6. कुल्लू	
	7. मण्डी	
	8. शिमला	
	9. सिरपुर	
	10. सोलन	
	11. ऊन	
5. हरियाणा	शून्य	1. नारनौल
		2. भिवानी
		3. हिसार
		4. रोहतक
6. कर्नाटक	शून्य	1. बीजापुर
		2. कोलार

1	2	3
		3. रायचूर
		4. मान्दया
		5. मैसूर
		6. बंगलौर
		7. बीदर
		8. गुलबर्गा
		9. तुमकूर
		10. चित्रदुर्गा
		11. बेलगाम
		12. धारवाड़
		13. बेल्लारी
		14. हसन
		15. चिकमगलूर
7. मध्य प्रदेश	1. रायपुर	शून्य
	2. दुर्ग	—
	3. राजनन्दगांव	—
	4. बस्तर	
	5. बिलासपुर	—
	6. सरगूजा	—
	7. रायगढ़	—
	8. सिधि	—
	9. शहडोल	—
	10. सतना	—
	11. रेवा	—
	12. जबलपुर	—
	13. माण्डला	—
	14. सिवनी	—
	15. छिन्दवाड़ा	—

1	2	3
	16. बालाघाट	—
	17. नरसिंहपुर	
	18. दमोह	—
	19. पन्ना	—
	20. टिकमगढ़	—
	21. सागर	—
	22. छत्तरपुर	—
	23. राजगढ़	—
	24. रायसेन	—
	25. विदिशा	—
	26. भोपाल	—
	27. सेहोर	—
	28. बेतुल	—
	29. होशंगाबाद	—
	30. दतिया	—
	31. गूना	—
	32. शिवपुरी	—
	33. ग्वालियर	—
	34. भिण्ड	—
	35. मुरेना	—
	36. शाजापुर	—
	37. मन्दसौर	—
	38. रतलाम	—
	39. उज्जैन	—
	40. देवास	—
	41. खरगोन	—
	42. खण्डवा	—
	43. इन्दौर	—
	44. झाबुआ	—

1	2	3
8. महाराष्ट्र	शून्य	1. अहमदनगर
		2. सतारा
		3. सांगली
		4. शोलापुर
		5. नान्डेड
		6. औरंगाबाद
		7. बीड़
		8. उस्मानाबाद
		9. परफनी
		10. धूले
		11. जलगांव
		12. नागपुर
		13. अकोला
		14. वरधा
		15. अमरावती
		16. बखन्द्रपुर
		17. बुल्डाना
		18. यवतमाल
9. उड़ीसा :	1. बालासोर	कुछ नहीं
	2. बोलंगीर	—
	3. कटक	—
	4. धन्कानल	—
	5. गंजम	—
	6. कालान्दी	—
	7. क्योन्जार	—
	8. कोरापुट	—
	9. मयुरभंज	—
	10. फुलबनी	—

1	2	3
	11. पुरी	—
	12. सम्बलपुर	—
	13. सुन्दरगढ़	—
10. राजस्थान	1. अजमेर	1. अजमेर
	2. अलवर	2. अलवर
	3. बान्सवाड़ा	3. बान्सवाड़ा
	4. बाड़मेर	4. बाड़मेर
	5. भरतपुर	5. भरतपुर
	6. भीलवाड़ा	6. भीलवाड़ा
	7. बीकानेर	7. बीकानेर
	8. चितौड़गढ़	8. चितौड़गढ़
	9. बून्दी	9. बून्दी
	10. चुरू	10. चुरू
	11. डूंगड़पुर	11. डूंगड़पुर
	12. गंगानगर	12. गंगानगर
	13. जयपुर	13. जयपुर
	14. जैसलमेर	14. जैसलमेर
	15. जालोर	15. जालोर
	16. झालावाड़	16. झालावाड़
	17. झुन्झुनु	17. झुन्झुनु
	18. जोधपुर	18. जोधपुर
	19. कोटा	19. कोटा
	20. नागौड़	20. नागौड़
	21. पाली	21. पाली
	22. सवाई माधोपुर	22. सवाई माधोपुर
	23. सीकर	23. सीकर
	24. सिरोही	24. सिरोही
	25. टोन्क	25. टोन्क
	26. उदयपुर	26. उदयपुर

1	2	3
11. उत्तर प्रदेश :	मेरठ प्रभाग :	शून्य
	1. सहानपुर	—
	2. मुजफ्फरनगर	—
	3. गाजियाबाद	—
	4. मेरठ	
	5. बुलन्दशहर	—
	6. बिजनोर	—
	आगरा प्रभाग :	
	7. अलीगढ़	—
	8. मथुरा	—
	9. आगरा	—
	10. मैनपुरी	—
	11. एटा	—
	रोहेलखण्ड प्रभाग :	
	12. बरेली	—
	13. बदायूं	—
	14. शाहजहांपुर	—
	15. पिलीभीत	—
	16. मुरादाबाद	—
	17. रामपुर	—
	इलाहाबाद प्रभाग :	
	18. फरुखाबाद	—
	19. इटावा	—
	20. कानपुर	—
	21. फतहपुर	—
	23. इलाहाबाद	—

1	2	3
	झांसी प्रभाग :	
	23. बान्दा	—
	24. हमीरपुर	—
	25. झासी	—
	26. ललितपुर	—
	27. जालौन	—
	वाराणसी प्रभाग :	
	28. वाराणसी	—
	29. मिर्जापुर	—
	30. जौनपुर	—
	31. गाजीपुर	—
	32. बलिया	—
	गोरखपुर प्रभाग :	
	33. गोरखपुर	—
	34. बस्ती	—
	35. आजमगढ़	—
	36. दैवरिया	—
	कमाऊ प्रभाग :	
	37. नैनीताल	—
	38. अल्मोड़ा	—
	39. पिथौरागढ़	—
	गढ़वाल प्रभाग :	
	40. चमोली	—
	41. उत्तरकाशी	—
	42. गढ़वाल	—
	43. टेहरी गढ़वाल	—
	44. देहरादून	—
	लखनऊ प्रभाग :	
	45. लखनऊ	—

1	2	3
	46. उन्नाव	—
	47. राय बरेली	—
	48. सीतपुर	—
	49. हारदोई	—
	50. खीरी	—
	फैजाबाद प्रभाग :	
	51. फैजाबाद	—
	52. गोन्डा	—
	53. बहराइच	—
	54. सुलतानपुर	—
	55. प्रतापगढ़	—
	56. बाराबंकी	—
12. तामिल नाडु*	शून्य	1. मदुराई
		2. थंजावूर
		3. रामनाथपुरम
		4. तिरुचिरापल्ली
		5. साउथ अर्काट
		6. चेंगलपट्टु
		7. नार्थ अर्काट
		8. पेरियार
		9. सलेम
		10. धर्मापुरी
		11. पुदुकोटाई

श्री आर० के० महालगी : वर्ष 1980-81 में पूरे देश में मानसून से पूर्व, 210 जिले सूखे से प्रभावित हुए थे और मानसून के बाद 120 जिले सूखे से प्रभावित हुए थे। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सहायता मांगी है और कितनी ? कृपया इस वर्ष के दौरान इन राज्यों को नकद राशि तथा वस्तु के रूप में, दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दें और कितनी सहायता शीघ्र दिए जाने की सम्भावना है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : माननीय सदस्य ने

*टेलेक्स मैसेज पर आधारित

केवल जिलों के नाम जानने चाहे थे । अब, वह मुझसे चाहते हैं कि मैं सहायता के बारे में ब्यौरा दूं···(व्यवधान)

श्री आर० के० महालगी : श्रीमन् यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न होता है । अन्यथा केवल नामों के बारे में पूछने का क्या लाभ है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मूल प्रश्न यही है । उन्होंने केवल नाम जानने चाहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने कोई अधिक जानकारी मांगी होती तो वह इसे उपलब्ध कराते । माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट करना चाहिए था ।

श्री आर० के० महालगी : कृपया अपना दूसरा प्रश्न पूंछें । यदि मैं यह जानता होता तो मैंने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी होती और मैं इसे अतारांकित प्रश्न के रूप में अनुमति देता । यह तारांकित प्रश्न के लिए बहुत लम्बा है ।

श्री आर० के० महालगी : दी गई सूची से यह सदन 1980-81 के दौरान देश में सूखे की स्थिति का परिमाण जान सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के सूखे की स्थिति को सदा के लिए समाप्त करने के लिए कोई व्यापक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ···(व्यवधान)मेरा विशिष्ट वाक्यांश सुनें । कुछ जिलों अथवा कुछ जिलों के कुछ हिस्सों में सदैव विद्यमान रहने वाली ऐसी सूखे तथा कमी की स्थितियों को सदा के लिए समाप्त करने के लिए क्या कोई व्यापक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हाँ, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा जानना चाहता हूं और इस पर कितना व्यय होगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है ।

श्री आर० के० महालगी : जी नहीं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह सिंचाई के बारे में हमारी सभी योजनायें जानना चाहते हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें इसका उत्तर भेज दें ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि वह कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो मैं उन्हें उत्तर भेज दूंगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, इन्होंने जो वक्तव्य में जिलों के नाम दिए हैं, मैं बिहार के बारे में पूछना चाहता हूं —24 जिलों के नाम हैं, कुल 32 जिले बिहार में हैं, 24 जिले मानसून से पहले सुखा-पीड़ित थे और इसमें एक जिले का नाम है···

श्रीमती कृष्णा साही : शास्त्री जी, बिहार में 33 जिले हैं ।

श्री रामवातार शास्त्री : अब मेरी जो जानकारी है, मुझे बोलने दीजिए, आप 33 जोड़िएगा । अध्यक्ष जी, इसमें अंग्रेजी में लिखा है "एस परगना" और हिन्दी में दक्षिण परगना, मैं कहना चाहता हूं कि इस नाम का वहाँ कोई जिला नहीं है । इस "एस" के मायने ट्रान्सलेटर ने साउथ लिया है, जब कि संथाल परगना है और साउथ परगना यानी दक्षिण परगना वहां नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह बंगाल में है ।

श्री रामावतार शास्त्री : तो मैं यह जानना चाहता हूं कि...

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक करवा दें ।

श्री रामावतार शास्त्री : मन्त्री महोदय बिहार के हैं, उनको जानना चाहिए था कि दक्षिण परगना कोई जिला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर जुर्माना कर देते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जिले सुखा-पीड़ित हैं, वे आगे पीड़ित न रहे, इस बारे में आपने कोई योजना बनाई है ? अगर बनाई है तो मेहरबानी करके बता दीजिए, कि वह क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, अंग्रेजी में तो मेरे पास एस परगना लिखा हुआ है । मैं समझता हूं कि यह संथाल परगना है और हिन्दी का मतलब शास्त्री जी निकाल लें—ये शास्त्री हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, हिन्दी में लिखा हुआ है—दक्षिण परगना ।

अध्यक्ष महोदय : अशुद्धि ठीक करवा देंगे । इसको "अस्पष्ट" कर देंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह अस्पष्ट बोले हैं । मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, जितनी जगहें अकाल से बार-बार पीड़ित होती है, उनके लिए हमारी मुस्तकिल राहत पहुंचाने के लिए तो योजनाएं हैं, । उनमें सबसे बड़ी बात तो सिंचाई की होती है । सिंचाई के साधन अगर पूरे हो जायें, तो यह अकाल से मुसीबत काफी हद तक दूर हो जायेगी जो कि हर साल होती है। बाकी जो अकाल से ज्यादा तकलीफ होती है, उसमें पीने के पानी की होती है । हजारों गांव हर स्टेट के अन्दर जहां अकाल पड़ता है, वे अमुमन ऐसे हैं, जहां पीने के पानी की सुविधाएं नहीं होती हैं । उसके लिए हमने सन् 1979 में जब अकाल पड़ा और उसके बाद बहुत सी जगहों पर दूसरे साल में भी चल रहा है, वहां इस बात की ज्यादा कोशिश की गई है कि जिस गांव में पीने का पानी नहीं मिलता है, वहां पर कूएं खुदवाकर या पहले के कूओं को गहरा करवा कर, बोरिंग करवाकर, यह बन्दोबस्त किया जाए जहां अकाल पड़े वहां पीने का पानी तो जरूर लोगों को मिले । उस के लिए बहुत ज्यादा तादाद में रिग्ज मुहिया की हैं और हर स्टेट को दी हैं । इस समय भी जहां-जहां अकाल पड़ा हुआ है या सूखा पड़ा हुआ है, वहां से पूछताछ कर के रिग्ज पहुंचा रहे हैं, डी० जी० एस० एण्ड डी० के जरिये सुप्लाई हो रही हैं । हम यह भी चाहते हैं कि हर तहसील और ताल्लुका लेविल पर अनाज का भण्डार बने, ताकि कभी सूखा पड़ जाय तो अनाज की किल्लत महसूस न हो और लोगों को ठीक तरह से राहत पहुंचती रहे। इस के लिए प्रधान मन्त्री जी ने 12 प्वाइन्ट्स का प्रोग्राम दिया था जो तमाम स्टेट्स को भी भेजा गया था, जिस के मुताबिक

काम करने से यदि किसी समय सूखा पड़ जाय या फ्लड आ जाय या किसी तरह की दूसरी नागहानि मुसीबत आ जाती है तो लोगों को कम तकलीफ होगी, मवेशियों के लिये चारे का बन्दोबस्त, इन्सानों के लिये खाने का बन्दोबस्त और पीने का पानी का इन्तजाम हो सकता है। खेती में सिंचाई का पूरा बन्दोबस्त हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि लोगों को अकाल की स्थिति में तकलीफ न हो।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं जानना चाहता हूं कि सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए मापदण्ड क्या है ? महाराष्ट्र के विदर्भ में 8 जिले हैं और सभी लोगों को जानकारी है कि पूरा विदर्भ सूखा-ग्रस्त है लेकिन विदर्भ के 7 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, भण्डारा जिले को छोड़ दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं—भण्डारा के साथ यह अन्याय क्यों किया गया है ?

भण्डारा के दोनों एम० पीज ने भी आनरेबिल मिनिस्टर से इस सम्बन्ध में निवेदन किया है कि भण्डारा को भी सूखाग्रस्त घोषित किया जाय। इस समय वहां इरिगेशन की कोई सहूलियत नहीं है, पीने का पानी की कोई सहूलियत नहीं है ?

अध्यक्ष-महोदय : भण्डारा से वाकई भण्डारा करवायेंगे, क्या ?

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जो इन्फर्मेशन मैंने दी है वह स्टेट गवर्नमेंट से आई हुई रिपोर्ट के आधार पर है। अगर कोई जिला रह गया है तो हम राज्य सरकार से पूछताछ करेंगे और अगर इस जिले···

श्री विलास मुत्तेमवार : आप का मापदण्ड क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जहां फसल खराब हो जाय, सूखा पड़ जाय और स्टेट गवर्नमेंट यह देखे कि उस जगह राहत पहुंचाने की जरूरत है तो हर स्टेट की डिस्पोजल पर एक मार्जिन मनी होती है, जिस को 7वें फाइनेन्स कमीशन ने मुकर्रिर किया था। कहीं पर 2 करोड़ रुपये हैं, कहीं 9 करोड़ है, कहीं 10 करोड़ है, स्टेट की आबादी के हिसाब से जहां आमतौर पर फेमीन-कण्डीशन होती रहती हैं उनके लिए मुकर्रिर किया गया था। हर साल 1 अप्रैल, को बजट पास होने के बाद यह रकम स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर भारत सरकार से पूछे बगैर राज्य सरकारें वे राहत काम अपने आप कर सकें। इसके अलावा अगर ज्यादा तंकलीफ होती है तो भारत सरकार उनको मजीद मदद देती है। स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट आने के बाद सेण्ट्रल टीम भेजी जाती है जो इस बात का अन्दाजा लगाती है कि सूखे से कितनी तकलीफ हुई है। उस के आधार पर हाई लेवल कमेटी के पास सिफारिश की जाती है और उसके बाद ज्यादा रकम और मदद दी जाती है।

'ड्रिप' सिंचाई प्रौद्योगिकी

*479. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकार ने 'ड्रिप' सिंचाई प्रौद्योगिकी का विकास किया है ;

(ख) क्या इसे किसानों के खेतों में आरम्भ कर दिया गया है ;

(ग) इस योजना की प्रति एकड लागत क्या है ? और

(घ) यह किस फसल के लिए उपयोगी हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां श्रीमान । केन्द्रीय मरुभूमि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के परिचालन अनुसंधान कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए किसानों के खेतों में "ड्रिप" सिचाई प्रणाली अपनायी गई है। तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय ने भी "ड्रिप" सिंचाई प्रणाली की उपयोगिता का प्रदर्शन किया है ।

(ग) शाकीय फसलों के लिए उपकरण लगाने की लागत रु० 15,000-18,000 (बिना पम्प सैट) के बीच प्रति हैक्टर

—गन्ने की फसल के लिए उपकरण लगाने की लागत करीब रु० 6000-8000 प्रति हैक्टर है ।

—केले, अंगूर तथा पपीते के लिए उपकरण लगाने की लागत करीब रु० 4000-5000 प्रति हैक्टर है ।

—प्रारम्भिक जांचों से पता चला है कि निवेश लागत को फसल पर निर्भर करते हुए एक से पांच वर्ष के भीतर पूरा किया जा सकता है ।

(घ) यह प्रणाली ऐसी फसलों के लिए उपयोगी पायी गयी है जैसा कि टमाटर, फूलगोभी, बैंगन, भिण्डी, लाल मिर्च, बन्दगोभी, शलगम, लौकी, टिण्डा, तोरी, तरबूजा, खरबूजा, आलू तथा शुष्क, क्षेत्रों में जहां पानी कम है तथा आमतौर पर कम गुणवत्ता युक्त है, मक्का भी ।

—खजूर, बेर और कपास की फसलों में जांच के तौर पर सिंचाई के लिए लवणीय जल का प्रयोग करते हुए भी परीक्षण किये जा रहे हैं जिनके परिणाम अनुकूल हैं ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह प्रणाली अंगूर वाटिका, फल वाटिका, संतरों के बगानों तथा सेवों के बागानों में प्रयुक्त की गई है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जैसा मैंने अर्ज किया है इस के लिये जोधपुर के रिसर्च इंस्टीच्यूट में और तमिलनाडू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में तजुर्बे किये जा रहें हैं । अभी तक जो तजुर्बे हुए हैं

वे ज्यादातर सब्जी की फसलों पर हुए हैं, अब हम इन तजुर्बों को दूसरी फसलों पर भी कर रहे है। इस में सन्देह नहीं है कि यह तरीका बहुत ही लाभदायक है और इस में पानी की बहुत बचत होती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी दें कि थोड़ा सा ज्यादा रुपया खर्च कर के अगर खेती में ड्रिप-इरिगेशन सिस्टम लगा दिया जाय तो 2 साल से 5 साल के अन्दर वह सारा रुपया वसूल हो जाता है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसानों द्वारा ड्रिप सिंचाई प्रणाली शुरू किये जाने पर उन्हें कोई राजसहायता दी जायेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : उस के लिए विचार कर रहे हैं। हम चाहते हूं कि हम इस लायक हो जांए कि सारा ब्यौरा किसानों को दे सकें कि आयन्दा किस हिसाब से उन को सब्सीडी दी जाए। बाकी जितने और छोटे फारमर्स के लिए, मार्जीनल फारमर्स के लिए सुविधाएं हैं, सब्सीडी हैं, वे सब तो इस में भी मिल सकती है।

यमुना पार कालोनी में प्लाट धारियों से विकास शुल्क वसूल किया जाना

*481. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना पार कालोनियों में खाली पड़े प्लाट धारियों से विकास शुल्क वसूल किया है परन्तु प्लाट धारियों को उस पर निर्माण करने की अनुमति नहीं दी है ;

(ख) क्या यह निर्णय लिया गया है कि रिक्त पड़े सभी प्लाट अधिगृहीत किए जायेंगे और केवल 30 जून, 1977 से पूर्व बनाए गए अनधिकृत निर्माण भी नियमित किये जा सकेंगें ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या यह उन व्यक्तियों के प्रति भेदभाव पूर्ण नहीं है जिन्होंने निर्माण की स्वीकृति के लिए एक दर्शक से अधिक तक की प्रतिक्षा की है ; और

(ङ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्रधिकरण ने सूचित किया है कि इसके 1978 में प्रकाशित नोटिस के प्रत्युत्तर में यमुना पार कालोनियों के कुछ प्लाट धारकों ने विकास प्रभार जमा कर दिये थे। अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण की नीति के अनुसार क्रमश 30-6-1977 तथा 16-2-77 तक वहां बनी रिहायशी तथा वाणिज्यक संरचना को विन्यास नक्शे में फिट करने के बाद, सड़कों तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं के लिए स्पष्ट स्थान रख कर उन्हें नियमित किया जाना है। इन अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण नक्शों को अन्तिम रूप दिया जाने के बाद निर्माण की

अनुमति देने का प्रश्न उठेगा । ऐसे कोई विशेष अनुदेश नहीं हैं कि सभी रिक्त प्लाट अधिगृहीत कर लिए जाएगें । तथापि, अनाधिकृत कालोनियों के ऐसे रिक्त प्लाट जिसकी स्कूल, पार्क, विपणन केन्द्र, आदि आदि जैसी समाजिक सुविधाओं के प्रावधान हेतु आवश्यकता होगी उनको अधिगृहीत कर लिया जाएगा ।

(घ) जी, नहीं । क्योंकि अनाधिकृत निर्माण का कही अन्त तो होता ही है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रकाशित नोटिस के अनुसार यमुना पार की कालोनियों के कुछ प्लाट धारकों ने विकास प्रभार जमा किया था । जब उन्हें प्लाट नहीं देना है, तो आप ने विकास प्रभार क्यों लिया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : यमुना पार की जो अनआथोराइज्ड कालोनियां हैं, उनकों रेगुलेराइज्ड करने के लिए सम्मानित सदस्य को जानकारी होगी कि सन् 1977 में ऐसा निर्णय हुआ था कि 16-2-1977 और 30-6-1977 तक, जो अनआथोराइज्ड कालोनीज होंगी, कमर्शियल और रेजीडेंशियल डेट्स मैंन अलग-अलग इनके लिए बताई हैं, उनको रेगुलराज्ड करने के लिए भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी थी और उनके मुताबिक जो ले-आउट प्लान्स में फिट इन होंगीं, तो उनको रेगुलेराइज कर दिया जाएगा । यह एक एक्सपेक्ट हुआ । यह ठीक है कि डी० डी० ए० ने एक नोटिस 1978 में पब्लिश किया था और उसी के मुताबिक 5 रुपये पर स्केवयर मीटर डेवलपमेंट चार्जेज के रूप में लिया गया था । यह बात ठीक है । बात यह है कि डेवलमेंट चार्जेज जो लिये जाते हैं, वे सिर्फ 5 रुपये ही नहीं हैं । पूरे डेवलपमेंट चार्जेज जब आप देखगें तो वे करीब 42, 43 रुपये प्रति स्कवेयर मीटर पड़ते हैं । 5 रुपये प्रति स्कवेयर मीटर तो इसलिए लिये गये कि सर्वे का काम करा लें, जो वेकेन्टस प्लाट्स हैं और वेकेन्टस प्लाटों को इसलिए डिस्पोज आफ़ नही किया जाता है कि जब कालोनी रेगुलेराईज्ड हो, चाहे वह ट्रान्स यमुना एरिया में हो या कहीं भी हो, वहां पर बेसिक एमीनीटीज नहीं हैं, कम्युनिटी हाल, शोपिंग सेन्टर नहीं है, तो पहले प्राथमिकता दी जाती है, उस वेकेन्टस लैंड को लेकर, कम्युनिटी सेन्टर के लिए, स्कूल के लिए और इन सब बातों के लिए और उसके बाद जो शेष बचे, तो उनको दूसरे लोगों को दिया जाता है । 5 रुपये प्रति स्कवेयर मीटर तो कुछ लोगों से वेकेन्ट प्लाटों से सर्वे के लिए लिया गया था, जिसके बारे में आपने प्रश्न पूछा है ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 1978 वालों से भी विकास शुल्क लिया जबकि ये 3-6-77 तक के प्लाट वालो को अनुमति दे रहे हैं । जिन लोगों ने 1978 में आपके पास पैसा जमा कराया और आपने उनसे विकास शुल्क लिया तो वह आपने क्यों लिया जबकि आप 1977 तक के लोगों को ही अनुमति दे रहें हैं । यह आपने 1978 वालो से क्यों लिया ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मान्यवर, सम्मानीय सदस्य को अभी मैंने बताने की कोशिश की थी लेकिन मेरा ख्याल है कि वे उसको ठीक तरह से समझे नहीं। एक अनअथोराइज्ड कालोनी को अथोराइज्ड करने की बात है और दूसरी वेकेन्ट प्लाट में सर्वे कराने के लिए शुल्क देने की बात है जिसके बारे में मैंने अभी बताया और जिसकी कि मैं अभी चर्चा कर रहा हूं । 1978 में जो शुल्क लिया गया था वह 65 प्लाट जो खाली जमीन थी, उसके लिए सर्वे कराने के लिए शुल्क लिया गया । इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में कोई मेल नहीं खाता । अगर आप इनसे भी 1977 वाली बात चाहते हैं तो पूरी दिल्ली में 112 अनअथोराइज्ड कालोनीज है जिनको कि मास्टर प्लान में सुधार करके ही रेगुलेराइजड किया जा सकता है । मैंने बताया है कि इनसे सर्वे कराने के लिए शुल्क लिया गया, यह शुल्क अनअथोराइज्ड कालोनीज को अथोराइज्ड करने या रेगुलराइज करने के लिए नहीं लिया था । यह नोटिफिकेशन आपके ही राज में 1978 में हुआ था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि जमना पार के कुछ इलाके 1977 और उससे पहले के बने हुए थे लेकिन उनमें हाल ही में दिल्ली डवलपमेंट अथोरिटी की तरफ से मकान तोड़े गये हैं ? क्या मन्त्री महोदय ने इस मामले की जांच की है ? क्या वह दिल्ली डवलपमेंट अथारिटी को निर्देश देंगे कि जब तक सारे मामले पर विचार कर कोई अन्तिम फैसला नहीं कर लिया जाता तब तक किसी को उजाड़ा न जाये ? अगर सरकार बसा नहीं सकती है तो उजाड़ना क्यों चाहती है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : वाजपेयी जी का पूरक प्रश्न इससे नहीं उठता है । वे इसके लिए अगर अलग से प्रश्न करें तो मैं उत्तर दूगा । वैसे जैसा कि मैंने इस सदन में भी कहा है कि सरकार इस तरह के सवालों पर माननीय दृष्टिकोण रख कर चलती है और हमेशा ही मानवीय दृष्टिकोण रखा जायेगा ।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, दिल्ली में ऐसी कुछ कालोनियां हैं जो निगम तथा दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा अनुमोदित की गई है । लेकिन हाल ही में निगम ने मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में विशेषकर कुछ कालोनियों को अपने नियंत्रण में लिया है और डी० डी० ए० ने उन्हें इसका प्रधिकार दिया है । यह हुआ है कि कुछ लोगों को, जो आवास भूमि का अनुमोदन कराने के लिए गए हैं, यह बताया गया है कि वे मूल अलाटी से विक्रय पत्र लायें । इसका आशय यह है कि जिन लोगों ने यह 20 वर्ष पहले खरीदी थी और अब उन्होंने अपने पंजीकृत पत्र के साथ नक्शे प्रस्तुत किये हैं तो सरकार उन्हें कह रही है कि वे मूल व्यक्ति से, जो 20 वर्ष पूर्व इस भूमि का मालिक था, पत्र लायें । और वास्तविक मालिक निपटान पत्र देने के लिये 100 रुपये से 200 रुपये प्रति वर्गगज की मांग कर रहे हैं मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या एक विशेष नया नियम बनाया गया है अथवा क्या यह प्राधिकारियों द्वारा मनगढ़न्त रूप से लिया गया है ताकि वे इन गरीब लोगों से कुछ राशि ले सकें ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : महोदय, मुझे इस अनपूरक प्रश्न के लिए पृथक सूचना की जरूरत है क्योंकि मुख्य प्रश्न यमना पार क्षेत्र के बारे में है न कि पूरी दिल्ली के लिये है।

श्री जगदीश टाईटलर : लेकिन यह अनधिकृत कालोनी के बारे में है जिसको आपने अधिकृत कर दिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं इसका किस प्रकार उत्तर दे सकता हूं ? वह अपने निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक पृथक सूचना के जरिए इस प्रश्न को पूछें।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या वह बतायेंगे कि यह सर्वे की बात कितने अर्से तक चलती रहेगी और इन कालोनीज को रेगुलराइज करने में कितना समय लगेगा ? खाली सर्वे की बात करके या रेगुलराइज की बात कर के लोगों को डी० डी० ए० के अफसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

हमेशा इनके गले पर तलवार लटकती रहती है। अतः माननीय मन्त्री जी पूरी तरह से बताएं कि यह काम कालोनीज को रेगुलाइज करने का कब तक समाप्त होगा ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर कार्यवाही हो रही है। हाल ही में लैफ्टिनेंट गवर्नर, जो डी० डी० ए० के चेयरमेंन भी होते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। 112 में से 53 कालोनीज के ड्राफ्ट प्लान तैयार हुए हैं। यही लेटेस्ट सूचना आपके माध्यम से माननीय सदस्य को देना चाहता हूं।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि यह कार्य कब तक समाप्त होगा ?

राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में इलैक्ट्रानिक एक्सचेन्ज

*482. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में अब चल रहा इलैक्ट्रानिक एक्सचेन्ज दूर संचार अनुसंधान केन्द्र में आयोजकों की आशा के अनुरूप सिद्ध हुआ है;

(ख) अन्य कार्यरत एक्सचेन्जों के कार्यकरण की तुलना में इस एक्सचेन्जों से क्या अनुभव प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या सरकार को इस अनुभव से देश में ऐसे और एक्सचेन्ज चलाने का प्रोत्साहन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में ऐसे कितने एक्सचेन्ज स्थापित किये जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एन० विजय पाटिल) : (क) जी हां काफी हद तक, जैसा कि अब तक किए गए परीक्षणों एवं प्रयोगों से सिद्ध होता है।

(ख) अब तक के अनुभव से इस बात की पुष्टि हुई है कि हमारे जालकार्य में इलैक्ट्रानिक एक्सचेन्जों की संस्थापना करने में कठिनाई दुर्लभ्य नहीं होगी तथा अतिरिक्त उपभोक्ता सुविधायें भी इलैक्ट्रो मेकेनिकल प्रणाली की तुलना में आसानी से प्रदान की जा सकेगी।

(ग) अनुभव ने सरकार को देश में इलैक्ट्रानिक एक्सचेन्जों के चालू करने की दशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

(घ) देश में विभिन्न स्थानों पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों हेतु विस्तृत आबंटन इस प्रकार के पर्याप्त मात्रा में उपस्कर उपलब्ध होने की स्थिति स्पष्ट होने पर तैयार किया जाएगा।

श्री के० पी० सिंह देव : मेरे प्रश्न के भाग (ख) और (घ) के लिये दिये गये उत्तर से, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बंगलोर, रायबरेली और पालघाट एक्कों सहित देश में उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 2.5 लाख लाइनों की है जबकि वर्तमान मांग प्रति वर्ष 5 लाख लाइनों से अधिक की है। लगभग 7.5 टेलिफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची है जो 1990 तक बढ़कर 12 लाख कनेक्शनों की हो जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का विचार इस अन्तर को किस प्रकार कम करने का है चाहे वह व्यापक आयात द्वारा हो अथवा निकट भविष्य में बुदनी और भुवनेश्वर में कारखानों की स्थापना द्वारा हो।

श्री सी० एम० स्टीफन (संचार मंत्री) : महोदय, इस प्रश्न का मूल प्रश्न से सीधा सम्बन्ध है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, यह सच है कि यह बार-बार कहा गया है कि दूरसंचार पद्धति की मुख्य समस्या जहाँ एक ओर टेलिफोन कनेक्शनों की बढ़ती हुई मांग है वहां दूसरी ओर इस मांग को पूरा करने की क्षमता का न होना है। इसे बारम्बार बताया गया है। प्रतीक्षा सूची की स्थिति 7 लाख टेलिफोन कनक्शनों की नहीं है अपितु यह 4 लाख से कम कनेक्शनों की है। लेकिन इसमें वृद्धि हो रही है। हमारा विचार 1985 से पूर्व लगभग 14 लाख व्यक्तियों को टेलिफोन कनेक्शन देने का है और इसके बावजूद भी प्रतीक्षा-सूची में उस समय लगभग 7.5 लाख व्यक्ति होंगे। अतः इस मांग में वृद्धि हो रही है और हमारी अधिष्ठापित क्षमता 2 लाख लाइनों की भी नहीं है। इन सबको मिलाकर यह 2 लाख से कम है। हमारा विचार इस समस्या को दो तरीकों से हल करने का है। एक तरीका यथासंभव व्यापक आयात के लिए व्यवस्था करने का है। लेकिन कुछ बाधायें है कि यदि हम बड़े पैमाने पर आयात भी करें तो इस प्रतिष्ठापन से कुछ समस्या उत्पन्न होगी।

श्री मनीराम बागड़ी : इनके जवाब से कोई फायदा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, माननीय सदस्य आउट आफ आर्डर हो गये हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : टेलीफोन के मामले में नहीं।

श्री सी० एम० स्टीफन : अत: हम बड़े व्यापक पैमाने पर लगभग 2 लाख तक इनके आयात का प्रबंध कर रहे हैं। इलेक्ट्रानिक टेलिफोन एक्सचेंजों को चालू करने के लिये भी हम आयात हेतु व्यवस्था कर रहे हैं और यह पद्धति शुरू हो चुकी है। जहां एक ओर उत्पादन क्षमता निर्मित की जा रही है, वहां दूसरी ओर क्रास बार की दो लाख लाइनों के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता होगी जो रायबरेली में उत्पादन शुरू कर देगी और हमारी योजना के अनुसार उत्पादन 1983 तक प्रारम्भ हो जाएगा। इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपकरणों का निर्माण करने वाली अन्य दो योजनाओं को स्वीकार कर लिया गया है जिनकी प्रति वर्ष दस लाख लाइनों की उत्पादन क्षमता होगी। इन सब को मिलकर हमारी आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी। लेकिन इसमें कुछ वर्ष लगेंगे। हम आशा करते हैं कि वर्ष 1984-85 इलेक्ट्रानिक उत्पादन शुरू हो जायेगा। क्रासबार उत्पादन दो वर्ष की अवधि के अन्दर शुरू हो जायेगा। लेकिन इस बीच एकमात्र तरीका बड़े पैमाने पर आयात की व्यवस्था करने का है जिसका हम बढ़ती हुई मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

भुवनेश्वर के बारे में यह एक ऐसा शहर है जिसकी आवश्यकताओं पर भी अन्य शहरों के साथ-साथ विचार किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये रोजगार प्रधान पाठयक्रम

*475. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार प्रधान पाठयक्रम चलाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है और उनको दिये जाने वाले व्यवसायिक प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) शायद माननीय सदस्य औपचारिक शिक्षा को संगत और रोजगारोन्मुख बनाने की आवश्यकता का उल्लेख कर रहे हैं। इस संदर्भ में सरकार ने स्कूल पाठ्यचर्या को इस तरह से तैयार किया है कि कक्षा 10 तक तो

समाज के लिए उपयोगी उत्पादक कार्य संबंधी पाठ्यक्रम सुलभ कराए जा सकें और उसके बाद कक्षा 11 और 12 में व्यवसायिक पाठयक्रम प्रदान किए जा सकें। ये पाठ्यक्रम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सभी स्कूली बच्चों के लिए हैं।

(ख) इन कार्यक्रमों के लिए आवंटन राज्य योजनाओं में किया गया है जिन्हें अभी हाल ही अंतिम रूप दिया गया है किन्तु कार्यक्रम वार ब्यौरे राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाने हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में एम० फिल० पाठ्यक्रम का समाप्त किया जाना

*476. श्री केशोराव पारधी
श्री तारिक अनवर } : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में एम० फिल० पाठ्यक्रमों को समाप्त किए जाने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है;

(ख) उन विभागों के नाम क्या हैं, जिनमें पी० एच० डी० करने के लिए एम० फिल० होने की कोई शर्त नहीं हैं; और

(ग) एम० फिल० की शर्त समाप्त करने के बाद पी० एच० डी० में प्रवेश के लिए क्या न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) संबंधित विभागों के नाम निम्नलिखित हैं :—

चिकित्सा विज्ञान संकाय :

1. एनेटोमी, फिजिओलाजी तथा बायोकेमिस्ट्री विभाग।
2. फारमाकोलाजी, पैथोलाजी; माइक्रोबायोलाजी तथा फोरेनसिक मेडिसिन विभाग।
3. मेडिसन, प्रिवेंटिव तथा सोश्यल मेडिसिन पीडिऐट्रिक्स तथा साइकाइट्री विभाग।
4. सर्जरी, ओटलोरिगोलाजी, ओपथालमोलाजी, ओपथोपीडइक्स तथा ऐनिस्थीजिओलाजी विभाग।
5. डिपार्टमेंट आफ औबस्टेटिक्स तथा गाइनिकोलाजी, रेडिओलाजी, डरमेटोलाजी तथा विनिरओलाजी विभाग।
6. आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग।
7. यूनानी चिकित्सा विभाग।

प्रौद्योगिकी संकाय :

1. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी विभाग।

2. मैकेनिकल इंजीनियरी विभाग ।

3. सिविल इंजीनियरी विभाग ।

4. स्थापत्य तथा योजना विभाग ।

विधि संकाय :

1. विधि विभाग ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पंजीकृत समितियों से सामान की खरीद

*480. श्री निहाल सिंह : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण उद्योग की वस्तुएं बनाने वाले संगठनों को खादी सगठनों की तरह मान्यता न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या आयोग ने यह नियम बना लिया है कि सामान केवल उन्हीं संगठनों और सोसाइटियों से खरीदा जाये जो किसी न किसी रूप में इससे सम्बन्धित हैं अथवा सीधे माल के उत्पादनकर्ताओं या चरिटेबल सोसाइटियों से खरीदा जाए ताकि प्राइवेट बिचौलियों द्वारा कमाये जाने वाले कमीशन को रोका जा सके और इस कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण उद्योग की वस्तुएं बनाने वाली संस्थाओं तथा सहकारी सोसायटियों को मान्यता प्रदान करता है ।

आयोग इन मान्यताप्राप्त संस्थाओं तथा सहकारी सोसायटियों से ग्रामीण उद्योग की वस्तुएं खरीदता है । तथापि, हस्तशिल्प की वस्तुएं जो ग्रामीण उद्योग तथा खादी की वस्तुओं की पूरक हैं, अन्य संभाव्य स्रोतों से खरीदी जाती हैं क्योंकि इन्हें खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में तैयार नहीं किया जाता है ।

सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति

*483. श्री ई० बालानंदन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के दौरान कितने सेवानिवृत्त व्यक्तियों को डाक-तार विभाग में पुनः नौकरी दी गई है; और

(ख) सेवानिवृत्त के बाद भी इन व्यक्तियों को फिर नौकरी देने के क्या कारण है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) 1980 के दौरान दो कर्मचारियों, सर्वश्री पी० पी० जान जूनियर इंजीनियर तथा एस० एल० राजन को पुनः रोजगार

दिया गया । सेवा के दौरान श्री जानसमुद्रवर्ती संचार तथा कोचीन रेडियों के संचालन के पूर्ण ज्ञाता थे । चूंकि तटवर्ती बेतार सेवाओं के व्यापक विस्तार तथा द्वीप सेवाओं को लक्षद्वीप तक बढा देने का कार्य प्रगति पर था तथा इस कार्य हेतु कोई अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध नहीं था अतः जनहित में तारीख 7-4-80 में एक वर्ष की अवधि के लिए श्री जान को पुनः सेवा में लिया गया। इस बीच किसी अन्य कर्मचारी के प्रशिक्षित हो जाने की आशा है । सचिव डाक-तार बोर्ड के बतौर कार्य कर रहे भारतीय डाक-सेवा के एक अधिकारी श्री एस० एल० राजन वार्धन्य निवर्तन आयु प्राप्त होने पर 31-1-80 को सेवा निवृत्त हो गए थे । उन्हें जनहित में तारीख 1-2-80 से 31-3-80 तक दो माह की अवधि के लिए पुनः सेवा में लिया गया ।

उड़ीसा को लेवी चीनी की सप्लाई

*484. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उड़ीसा को महाराष्ट्र रेकों द्वारा लेवी चीनी की सप्लाई की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) क्योंकि उड़ीसा चीनी के मामले में एक कमी वाला राज्य है इसलिए भारतीय खाद्य निगम को महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों से उसे लेवी चीनी की पर्याप्त मात्रा भेजनी पड़ती है । उड़ीसा सरकार से रेकों द्वारा उस राज्य को लेवी चीनी सप्लाई करने के लिए कभी-कभी अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

(ख) परिचालन सम्बन्धी दबावों के कारण सभी अबंटित चीनी को रेकों द्वारा महाराष्ट्र से उड़ीसा भेजना सम्भव नहीं है । तथापि, भेजी जाने वाली मात्रा और राज्य भर में गंतव्य स्थानों के फैलाव को ध्यान में रखते हुए, वैगनों में थोड़ी-थोड़ी मात्रा भेजने के अलावा, यथा सम्भव रेकों द्वारा चीनी भेजने की व्यवस्था की जाती है ।

गुजरात राज्य में माइक्रोवेव चेनल की स्थापना करना

*485. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय उपग्रह "इन्सैट" को छोड़ने के बाद गुजरात राज्य में माइक्रोवेव चैनलों की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे राज्य में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार होगा ; और

(ग) क्या माइक्रोवेव चैनल की स्थापना मानव चालित टेलीफोन एक्सचेन्जों के स्थान पर की जाएगी ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय

*486. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्येक में छात्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें केवल स्थानान्तरणीय पदों वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए ही स्थान आरक्षित होते हैं ;

(ग) क्या उन विद्यालयों में प्रवेश न मिलने पर दिल्ली में स्थायी रूप से रहने वाले कर्मचारियों के बच्चों को निगम के विद्यालयों अथवा अधिक खर्च वाले पब्लिक स्कूलों में जाना पड़ता है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के सम्बन्ध में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार का विचार दिल्ली में पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है जिससे कि दिल्ली में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के अधिकांश कर्मचारियों के बच्चों को उन विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त हो सके ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) दिल्ली में तेरह केन्द्रीय विद्यालय (सेंट्रल स्कूल) हैं। इन विद्यालयों में भर्ती कुल छात्रों की संख्या 12-3-1981 को इस प्रकार थी ।

विद्यालय के नाम	भर्ती छात्र
1. केन्द्रीय विद्यालय, ऐन्ड्रयूजगंज	2,109
2. केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली छावनी	3,326
3. केन्द्रीय विद्यालय, गोल मार्केट	1,3>5
4. केन्द्रीय विद्यालय, आई० आई० टी० होज खास	2,735
5. केन्द्रीय विद्यालय, आई० एन० ए० कालोनी	1,025
6. केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी	1,681

1	2
7. केन्द्रीय विद्यालय, झरोदा कलां	758
8. केन्द्रीय विद्यालय, लारेन्स रोड	828
9. केन्द्रीय विद्यालय, मस्जिद मोठ	850
10. केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर-दो, आर० के० पुरम	1,826
11. केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर-आठ, आर० के० पुरम	1,737
12. केन्द्रीय विद्यालय, टैगौर गार्डन	2,004
13. विशेष केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी	128

(ख) से (ङ) यद्यपि केन्द्रीय विद्यालय केवल स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ही सुरक्षित नहीं है लेकिन ऐसे छात्रों को केन्द्रीय विद्यालयों मे दाखिले के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

केन्द्रीय विद्यालय योजना ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को अबिच्छिन्न रूप से शिक्षा देने के लिए हैं जिनका एक भाषा क्षेत्र से दूसरे भाषा क्षेत्र में बार-बार तबादला होता रहता है। विद्यालयों में शिक्षा के समान माध्यम और समान पाठ्यक्रमों को अपनाकर अविच्छिन्न शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, यह योजना मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लाभ के लिए नहीं है जिनका स्थानान्तरण नहीं होता और जो राज्य सरकारों, सघ शासित क्षेत्रों तथा निजी संगठनों द्वारा स्थापित स्कूलों की सुविधाओं का लाभ उठाते है।

केरल में टेलीफोन आपरेटरों और कार्यालय सहायकों की संख्या में कमी

*487. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टेलीफोन आपरेटरों और कार्यालय सहायको की संख्या मे कमी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो आपरेटरों और कार्यालय सहायकों की संख्या में कितनी कमी की गई है ;

(ग) कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के क्या कारण हैं, और

(घ) कितने स्वीकृत पद अभी खाली पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां सिर्फ टेलीफोन आपरेटर।

(ख) टेलीफोन आपरेटर —139

कार्यालय सहायक —शून्य

(ग) सीधी डायलिंग प्रारम्भ करने तथा हस्तचल एक्सचेन्जों का स्वचलीकरण होने के कारण परियात में कमी की वजह से ऐसा करना पड़ा।

(घ) टेलीफोन आपरेटर —55
कार्यालय सहायक —72

इन रिक्त पदों हेतु भर्ती का कार्य पूरा हो चुका है, किन्तु प्रत्याशी अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और कुछ मामलों में प्रत्याशी प्रशिक्षण पर जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

"डैडली टाक्सिन इनसेंटेड सुपारी" शीर्षक समाचार

488. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 एवं 18 दिसम्बर, 1980 के नई दिल्ली के सभी समाचार-पत्रों में "डैडली टाक्सिन इनसेंटेड सुपारी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के खाद्य प्रोद्योगिकविदों और वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने विभिन्न खाद्य उत्पादों में "माइकोटाक्सिन" विष का खतरा बताया है; और

(ग) सरकार ने जनता की रक्षा के लिए पूर्वोपाय के रूप में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार पत्र की रिपोर्ट से पता लगता है कि सर्वेक्षण कार्य को विज्ञान प्रोद्योगिकी विभाग ने शुरू किया था । तथापि विज्ञान और प्रोद्योगिक विभाग ने सूचित किया है कि उक्त विभाग के पास इस प्रश्न के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

और अधिक जानकारी कृषि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु से एकत्रित की जा रही है और यथसम्भव सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

कनाट सर्कस, नई दिल्ली में भूमिगत पार्किंग स्थल

*489. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कनाट सर्कस, नई दिल्ली में भूमिगत पार्किंग स्थल की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर बनाया जाएगा, इस पर कुल कितना व्यय होगा तथा अनुमानतः इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा और कुल कितनी मोटर गाड़िया खड़ी करने की क्षमता होगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि वे इस प्रकार के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा इस भूमिगत पार्किंग को कनाट सर्कस क्षेत्र में रीगल थियेटर के सामने रेडियल रोड़ सं० 1 और 2 के मध्य बनाने का प्रस्ताव है इस परियोजना की लागत लगभग 4.00 करोड़ रुपये बताई गई है। जिसमें लगभग 1000 कारों की क्षमता होगी और इसके अक्तूबर, 1982 में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

अमालापुरम मंडलीय क्षेत्र में डाक सामान के लाने-ले-जाने के लिए सरकारी परिवहन का प्रयोग

*490. श्री कुसम कृष्ण मूर्ति : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के डाकघरों के अमालापुरम मंडलीय क्षेत्र में डाक समान के लाने-ले-जाने के लिए कोई मोटर गाड़ियों की व्यवस्था नहीं की गई है लेकिन इस प्रयोजन के लिए सरकारी परिवहन वाहनों का उपयोग किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : आंध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के डाक घरों के अमालापुरम मण्डलीय क्षेत्र में डाक सामान के लाने-ले-जाने के लिए किसी भी विभागीय डाक मोटर गाड़ियों की व्यवस्था नहीं की गई है। अमालापुरम शहर के बीचों-बीच और पूरे मण्डलीय क्षेत्र में डाक आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों द्वारा लाई ले जायी जाती है।

(ग) किसी विशेष मार्ग और किसी एक विशेष क्षेत्र में विभागीय डाक मोटर सेवा चालू करने के लिए केवल उसकी लागत पर ही ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि नगर में और एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाक लाने-ले-जाने हेतु एक पूरी गाड़ी के औचित्य के लिए डाक के पर्याप्त भार का होना भी आवश्यक होता है। जहां तक अमालापुरम नगर मण्डलीय क्षेत्र का सम्बन्ध है ये शर्तें पूरी नहीं होती।

"केयर इन्क" के अधिकारियों और दायित्वों के बारे में अमरीका सरकार से समझौता

*491. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने "केयर इन्क" जैसी स्वैच्छिक एजेंसियों के अधिकारी और दायित्वों के बारे में और भारत में उन की गतिविधियों अथवा कार्यचालन के बारे में और ऐसी एजेंन्सियों द्वारा किये गये व्यय और/अथवा दायित्वों के बारे में अमरीका सरकार के साथ कोई समझौता अथवा समझौते किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केयर 1950 के भारत-केयर करार के अन्तर्गत काम करता है तथा संयुक्त राज्य अम-

रीका से अन्य स्वयंसेवी एजेंसियों 1968 के भारत अमरीका करार के अन्तर्गत काम करती है। राज्य सरकारों द्वारा प्रति-वर्ष केयर के साथ परामर्श से व्यवस्थाओं की एक सूची बनाई जाती है, जिसमें राज्य सरकारें को उपलब्ध कुल खाद्य सहायता तथा उस पर देय प्रशासनिक खर्च के सम्बन्ध में ब्योरा दिया होता है।

दिल्ली में यमुना-पार की बस्ती में दिल्ली विकास प्राधिकरण का नकली कार्यालय

*492. श्री राम विलास पासवान
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में यमुना-पार की बस्ती में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक नकली कार्यालय के अस्तित्व का हाल में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा और इसका काम करने का तरीका क्या है तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार ने ऐसे कार्यालय (कार्यालयों) के कार्यकरण के बारे में सामान्य जनता को सावधान करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस आयुक्त ने बताया है कि इस संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत एक मामला कल्याणपुरी, पुलिस स्टेशन दिल्ली में दर्ज किया गया है जिसकी जांच-पड़ताल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। उन्होंने आगे बताया है कि दोषी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो निर्माण कार्य के लिए श्रमिकों की सप्लाई किया करता था, को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है और इस मामले की छानबीन प्रगति पर है।

दूर संचार उपकरणों के उत्पादन की सुविधाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

*493. श्री भक्त राम जैन
श्रीमती संयोगिता राणे : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार उपकरणों के लिए उत्पादन की सुविधाओं हेतु विश्व बैंक ने ऋण देने की अपनी इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की शर्तें क्या हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ जो विश्व बैंक से सम्बद्ध है, एक ऋण पर बातचीत की गई है, परन्तु औपचारिक करारों पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं। इस बात-चीत के अनुसार

ऋण पर ब्याज नहीं देना होगा परन्तु लिये गए ऋण की मूल राशि एवं समय-समय पर शेष राशि पर प्रति वर्ष 1% के 3/4 के बराबर सेवा शुल्क देना होगा। ऋण की मूल राशि 50 वर्षों में लौटानी होगी और इसमें अर्ध वार्षिक किश्तों में 10 वर्ष की आरम्भिक अवधि की छूट होगी जो 15 मई, 1991 से आरम्भ होगी तथा 15 नवम्बर 2030 को समाप्त होगी। ऋण का ग्रहीता भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) होगा तथा उससे लाभ उठाने वाले डाक-तार परियोजनाओं के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग लि०, हिन्दुस्तान केबुल्स लि०, हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर लि० तथा डाक-तार विभाग होंगे। भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० पालघाट फैक्ट्री, हिन्दुस्तान केबुल्स लि० की हैदराबाद स्थित नई केबुल फैक्ट्री तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० की होसूर स्थित इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर फैक्ट्री को अतिरिक्त उत्पादन सुविधाओं में इस ऋण से धन लगाया जायेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि का विकास

* 494. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों के दौरान भूमि के हस्तांतरण पर लगाई गई पाबन्दी वाले कुल क्षेत्र में से अब तक कितना क्षेत्र विकसित किया गया है और कितना क्षेत्र विकसित किया जा रहा है;

(ख) शहर नियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्या योजनाएं हैं;

(ग) भूमि किस औसत मूल्य पर अधिगृहीत की गई थी और बाद में आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किस दर पर बेची गई ; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि की बिक्री से अब तक कुल कितना लाभ कमाया है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डेरा इस्माईल खान सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्य

4543. श्री के० प्रधानी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेरा ईस्माईल खान सहकारी गृह निर्माण समिति के उपनियमों के अन्तर्गत केवल वे व्यक्ति ही भूखण्ड (प्लाट) के आवंटन के अधिकारी हैं ; जो डेरा इस्माईल खान से उजाड़ दिए गए थे ;

(ख) क्या डेरा इस्माईल खान से विस्थापित व्यक्तियों से अन्यत्र व्यक्तियों (गैर-डेरावालाओं) को भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है और उनके नाम में पंजीकरण हो चुका है ;

(ग) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है और उनकी पंजीकरण तारीख क्या है ;

(घ) क्या पंजीकार के कार्यालय में शेयरधारियों ने कतिपय शिकायतें दर्ज करवाई थीं; और

(ङ) यदि हाँ, तो उन शिकायतों पर पंजीकार ने क्या कार्यवाही की हैं?

संसदीयकार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) समिति की पंजीकृत उपनियमावली के अनुसार, कोई भी व्यक्ति समिति की सदस्यता के लिए पात्र है बशर्ते कि "वह दिल्ली संघ राज्य का वास्तविक वासी हो तथा डेरा इस्माईल खां — जो अब पाकिस्तान में है, से निर्धारित तारीख से पहले विधिवत पंजीकृत विस्थापित व्यक्ति हो।"

(ख) और (ग) समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनानुसार, ऐसे कोई आवंटन नहीं किए गए हैं।

(घ) जी, हाँ।

(ङ)सहकारी समितियों के पंजीकार ने दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अन्तर्गत जांच पड़ताल आरम्भ की है।

प्रबंधक, खादी भवन के टेलीफोन बिल

4544. **श्रीमति विद्यावती चतुर्वदी** : क्या ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी भवन, नई दिल्ली के विकास प्रबंधक के कार्यालय और आवासीय टेलिफोन के संबंध में 1980 में टेलिफोन बिल कितनी धनराशि का था ; और

(ख) क्या टेलिफोनों पर होने वाले खर्च को कम करने के लिऐ समुचित निदेश जारी करने का सरकार का विचार है?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) खादी भवन नई दिल्ली के प्रबंधक के कार्यालय में दो टेलिफोन तथा आवास पर एक टेलिफोन लगाया गया है। उनके कार्यालय में लगाए गए टेलिफोनों में से एक टेलिफोन के दो एक्शटेंशन है— एक लेखा विभाग में तथा दूसरा बिक्री विभाग में है। जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक इन टेलिफोनों के बारे में निम्नलिखित धनराशि के बिल प्राप्त हुए थे :—

टेलीफोनों की श्रेणी	धनराशि (रुपए में)
कार्यालय	30,234,85
आवासीय	5,003,25

(ख) सरकार प्रशासनिक व्यय में किफायत, जिसमें टेलिफोनों का प्रयोग में किफायत भी शामिल है, करने के लिए सभी सम्बधितों को समय-समय पर निर्देश जारी करती रही है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने भी इसी प्रकार के निर्देश जारी किए हैं।

उचित दर की दुकानों को चीनी का कोटा

4545. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगातार यह मांग की जा रही है कि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों को दिये जाने वाले चीनी के कोटे में असमानता को दूर किया जाये : और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लेवी चीनी के वितरण में कोई विषमता नहीं है । प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, तमिलनाडु और मेघालय को छोड़कर कुछेक ऐसे राज्यों, जहां वितरण की मात्रा समान नहीं है, में भी ऐसी विषयमताओं को दूर करने के बारे में कोई मांग नहीं की गई है । प्रत्येक राज्य में लेवी चीनी का वितरण स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

मेल ओवरसियरों और कैश ओवरसियरों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

4546. **श्री सुबोध सेन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा संवर्ग हैं जिस अपने निर्धारित मुख्यालय से 8 किलोमीटर से दूर ड्यूटी पर जाने पर भी सामान्य यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता है;

(ख) सामान्य नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के भुगतान के मामले में डाक विभाग के मेल ओवरसियरों और कैश ओवरसियरों को ही अलग रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस भेद-भाव को दूर करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (ख) जी हां ।

(ख) और (ग) डाक-तार विभाग के डाक/रोकड़ ओवरसियरों का एक निश्चित कार्यक्षेत्र है । चूंकि उनसे अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र के अन्दर तीव्र दौरा करने की अपेक्षा की जाती है इसलिए वे अपने हलके के भीतर की गई यात्रा के सम्बन्ध में अपने द्वारा किये गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं । वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति के अलावा बाहरी स्टेशनों पर रात्रि-विराम के लिये 4.50 रु० प्रति रात्रि-हाल्ट की दर से रात्रि-हाल्ट भत्ते के पात्र हैं । परन्तु यदि उनको अपने हलके/क्षेत्राधिकार के बाहर जाने की अनुज्ञा दी जाती है तो वे सामान्य यात्रा-भत्ते के पात्र होते हैं । अपने कार्य की विशेषता के कारण वे सामान्य यात्रा/मंहगाई भत्ता नियमों के अन्तर्गत नहीं आते । द्वितीय और तृतीय वेतन आयोगों ने नियमित हलकों में जाने वाले कर्मचारियों को सामान्य नियमों के अन्तर्गत यात्रा/मंहगाई भत्ते की अदायगी की सिफारिश नहीं की थी । इसलिए विभाग के इन वर्गों के कर्मचारियों को यात्रा/ मंहगाई भत्ते की मंजूरी के मामले में किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं है ।

असम में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना

4547. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए अत्यधिक अवसर विद्यमान हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(ग) इन स्रोतों का उपयोग करने और असम की ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ । यह सही है कि असम में कृषि पर आधारित उद्योगों, विशेषकर बागवानी फसलों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए पर्याप्त क्षमता है जिसका उपयोग नहीं हुआ है ।

(ख) अभी तक असम में एक मात्र कृषि पर आधारित उद्योगों के सम्बन्ध में कोई सरकारी सर्वेक्षण नहीं किया गया है । फिर भी असम में विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा किए गये तत्सम्बन्धी अनेक सर्वेक्षणों से पता चला है कि उक्त राज्य में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए विपुल क्षमता उपलब्ध है । इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मार्च, 1972 में औद्योगिक क्षमता सम्बन्धी एक सर्वेक्षण किया गया ;

(2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा क्षेत्र में उद्योगों के अवसरों का पता लगाने के लिए स्थापित किए गए उत्तर-पूर्वी तकनीकी औद्योगिक परामर्शदात्री संगठन ने एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया ;

(3) उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में फलों के उत्पादन, अधिप्राप्ति, परिसंस्करण और विपणन के सम्बन्ध में एक समेकित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए गोहाटी में मुख्यालय रखकर परिषद के अन्तर्गत एक शीर्ष संगठन की स्थापना करने के लिए कृषि वित्त निगम के माध्यम से एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करवायी गयी; और

(4) असम में बागवानी उद्योगों की स्थापना की संभाव्यता के बारे में सम्बन्धित आंकड़ों के अन्य स्रोत जैसे राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट (खण्ड-14), असम कृषि आयोग की रिपोर्ट (1971) तथा साइट्रस कमेटी व कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा किये गये निवेशपूर्ण सर्वेक्षण, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य औद्योगिक वर्ग ।

ऊपर बताए गए विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चला है कि असम में केला, अनन्नास और नीम्बू जातीय फलों, जैसी बागवानी फलों और कॉफी, रबड़ व साग सब्जियों जैसी बागान फसलों

के सम्बन्ध में उत्पादन, परिसंस्करण और विपणन एककों की स्थापना करने की क्षमता विद्यमान हैं। दालचीनी की पत्तियों के तेल, पशु तथा कुक्कुट आहार, निर्जलीकृत अदरक के तेल पपीता से आश्लेष, टैपियोका स्टार्च, आदि के उत्पादन के लिए कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों की स्थापना करने की भी गुंजाइश है।

(ग) उपर्युक्त (ख) (3) में उल्लिखित क्षेत्र में फलों के समेकित उत्पादन, खरीद, परिसंस्करण और विपणन के लिए उत्तर पूर्वी परिषद के अन्तर्गत एक शीर्ष संगठन की स्थापना करने के लिए उठाये गये कदमों के अतिरिक्त, खाद्य विभाग के अन्तर्गत माडर्न बेकरी नामक सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रतिष्ठान भी असम सहित उस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक फल परिसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने का विचार कर रहा है। असम के सभी जिलों के जिला उद्योग केन्द्रों ने लघु और कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में इन उद्योगों की संभावित सीमा की व्यवस्था करते हुए कार्य योजनाएं तैयार की हैं। ऐसे उद्योगों की स्थापना करके असम के ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय ने अपने समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम में उद्योग, सेवा और व्यापार सम्बन्धी स्कंध की स्थापना की है जिसका उद्देश्य माध्यमिक और तीसरे स्तर के क्षेत्रों में रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत असम के सभी खण्ड आते हैं और इसका लक्ष्य प्रतिवर्ष 26,800 परिवारों को इसके अन्तर्गत लाना है। इस योजना तथा स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने की योजना से रोजगार के अवसर सृजित होने और साथ ही स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों की दक्षता तथा रुझान में सुधार लाने की आशा की जाती है।

रूमानिया के साथ यूरिया के आयात का सौदा

4548. श्री रामचन्द्र रथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में रूमानिया के साथ यूरिया के आयात के एक सौदे को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या 1981-82 के दौरान सरकार का किसी अन्य देश के साथ यूरिया आयात के किसी दूसरे बड़े सौदे को अन्तिम रूप देने का विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विस्तृत कार्यक्रम क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) रूमानिया भारत को यूरिया की सप्लाई करने वाला परम्परागत देश है। यद्यपि रूमानिया तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम, जो उर्वरकों का आयात करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई एजेन्सी है, के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन आज तक 1981 के लिए रूमानिया के साथ कोई करार नहीं किया है।

(ख) और (ग) यह जानकारी देना सर्वजनिक हित में नहीं है ।

दक्षिणी दिल्ली की कालोनियों के माकन मालिकों द्वारा पटरियों एवं सड़कों पर अनधिकृत कब्जा

4549. **श्री भीखाभाई :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम को ग्रेटर कैलाश, बसन्त विहार, सफदरजंग एन्कलेव और दक्षिण दिल्ली की अन्य कालोनियों में मकान मालिकों द्वारा पटरियों एवं सड़कों पर अनधिकृत कब्जे की शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि बसन्त विहार और सफदरजंग एन्कलेव के मकान मालिकों के द्वारा हरित झाड़ियों को लगाकर पटरियों और मार्गों पर अतिक्रमण करने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई हैं ।

(ख) जब कभी भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 321 के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

खादी बोर्ड का कार्य निष्पादन

4550. **श्री ए० सी० दास :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों के खादी बोर्ड अपने राज्यों में ओद्योगिक ईकाइयां गठित करने में कोई प्रशसंनीय प्रगति दिखाने में सफल नहीं रहे हैं ;

(ख) इन राज्यों के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के खादी बोर्डों को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ? और

(घ) राज्य खादी बोर्डों के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित राज्य बोर्डों का कार्यनिष्पादन अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुसार नहीं रहा है :—

(1) आंध्र प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(2) बिहार राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(3) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(4) पश्चिमी बंगाल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(5) हरियाणा राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(6) पंजाब राज्य खादी तथा ग्रमोद्योग बोर्ड

(ग) व (घ) राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित अधि-नियमों के आधीन गठित सांविधिक निकाय है। तथापि, चूंकि वे राज्यों में ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के विकास हेतु मुख्य एजेंसियां हैं अतः उनके कार्यकरण को कारगर बनाने हेतु उपायों की विस्तार-पूर्वक जांच अभी हाल ही में की गई थी और इस प्रयोजन के लिए माडल विधेयक तैयार किया जा रहा है जिसकी राज्यों द्वारा उपयुक्त संशोधनों के पश्चात अपनाए जाने की आशा है।

कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत पंजीकरण

4551. श्री रूद्र प्रताप षाडंगी)
श्री चिन्तामणि जेना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादों के नामों सहित उन आवेदकों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत दो वर्ष के दौरान कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अपने उत्पादकों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है;

(ख) क्या पंजीकरण समिति द्वारा इन सभी आवेदनों पर विचार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और मामले को जल्दी ही निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रमीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वांछित जानकारी अनुबंध 1 से 4 तक में दे दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2177/81] गत दो वर्षों (1-3 1979 से 23-2-81 तक) के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों और उन उत्पादों की संख्या जिनके बारे में पंजीकरण की अनुमति मांगी गई क्रमशः 78 और 904 है।

(ख) जी; हां। विचार हेतु पंजीयन समिति द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर इन आवेदकों पर विचार किया गया।

(ग) सुरक्षा और कार्यकुशलता सम्बन्धी मानकों के बारे में पंजीयन समिति की संतुष्टि के लिए आवेदकों को पूर्ण वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। पंजीयन समिति ने केवल तीन आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को सन्तोषजनक पाया और कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत उन्हें पंजीकृत कर लिया गया है। इसी प्रकार, आठ उत्पादों के पंजी-करण के लिए धारा 9 (3बी) के अन्तर्गत, अनन्तिम पंजीकरण हेतु, राहत चाहने वाले 3 आवेदकों को भी पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य सभी आवेदकों ने तकनीकी आंकड़ों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी हैं और उन्हें उसे भेजने के लिए सूचित किया गया/किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

डेरी विकास सहकारी समितियां अथवा दुग्ध संघ

4552. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान देश में कुल कितनी डेरी विकास सहकारी समितियां अथवा दुग्ध संघ थे ;

(ख) वर्ष 1980-81 में उनकी कुल संख्या कितनी हो गई ;

(ग) क्या सरकार का विचार छठी योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में डेरी विकास कार्यक्रम को शुरू करने का है ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 में ऐसी डेरी विकास सहकारी समितियां अनुमानत: कितनी हो जाएंगी ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपरेशन फ्लड के अंतर्गत संगठित डेरी सहकारी समितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त डेरी परियोजनाओं की संख्या 1979-80 में 13,700 और जनवरी, 1981 में 14,800 थी।

(ग) डेरी विकास की आपरेशन फ्लड-2 परियोजना को छठी योजना में शामिल कर लिया गया है।

(घ) और (ङ) छठी योजना के अंतिम वर्ष में आपरेशन फ्लड-2 के अंतर्गत 30,000 डेरी सहकारी समितियां स्थापित किए जाने की आशा है, लेकिन 1981-82 में वास्तविक उपलब्धि सम्बन्धित सरकारों द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गति पर निर्भर करेंगे।

एस० टी० डी० सुविधा से जुड़े हुए स्थान

4553. **श्री मतिलाल हसदा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों की संख्या कितनी है जो अब तक अन्य स्थानों से एस० टी० डी० सुविधा से जुड़े हुए हैं ;

(ख) उन स्थानों के नाम, कोड नम्बर सहित क्या हैं ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान जिन स्थानों को एस० टी० डी० से जोड़ा जाएगा उनके नाम, राज्यवार क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) अभी तक एस० टी० डी० द्वारा अन्य स्थानों के साथ जोड़े गए स्थानों की संख्या 205 है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी जोड़े जाने वाले स्थान राज्यवार नीचे दिए गए हैं ।

1. वारधा—महाराष्ट्र राज्य
2. कटिहार—बिहार राज्य

उड़ीसा के दूरसंचार विभाग में कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

4554. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सर्किल के दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में समयोपरि भत्ते का कुल कितना भुगतान किया गया ;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के दूरसंचार विभाग के समयोपरि ड्यूटी को समाप्त करने तथा कुछ और कर्मचारियों की भर्ती करने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस प्रस्ताव को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित भुगतान किया गया :

1977-78	19.38 लाख
1978-79	27.01 लाख
1979-80	40.80 लाख

(ख) एवं (ग) समयोपरि ड्यूटी को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार भर्ती की जा रही है।

खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन तथा आवश्यकता

4555. **श्री मातंड सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस शताब्दी के समाप्त होने तक की अवधि के लिए देश में खाद्यान्नों के उत्पादन तथा उनकी आवश्यकता के बारे में अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणास निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कोई अध्ययन करने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी अन्तिम रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि शताब्दी के अन्त तक, अर्थात् 2000 ईसवी में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 2300 लाख मीटरी टन हो जाएना । उसने यह भी विचार व्यक्त किया है कि खाद्यान्न उत्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त करना भी सम्भव होगा जो 2300 से 2770 लाख मीटरी टन के बीच हो सकता है । जहां तक घरेलू माँग का सम्बन्ध है इसे 2050 से 2250 लाख मीटरी टन के बीच आंका गया था ।

अण्डमान और नीकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग के नाव कर्मचारियों को मैस भत्ता

4556. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अण्डमान-निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग के मत्स्य नौका कर्मचारियों को मैस भत्ता नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) क्या इस बारे में कभी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त नाव कर्मचारियों को मैस भत्ता देने के लिए आदेश जारी करने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) मत्स्य जलयानों के प्रचालन स्टाफ के सदस्यों को, उन दिनों के लिए जिन दिनों उनको जहाज पर रहना पड़ता हैं, मैस भत्ता देने की स्वीकृति है । तथापि, अंडमान और निकोबार प्रशासन से मैस भत्ता देने में आने वाली कठिनाइयों, अगर कोई है, के सम्बन्ध में पता लगाया जा रहा है ।

फतुहा-बढ़ैया ताल योजना

4557. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना जिले में फतुहा से जिला मंगेर में बढ़ैया ताल की ओर पानी निकालने की कोई व्यवस्था न होने के कारण समूचा क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) पटना में फतुहा से लेकर मुंगेर-जिले में बढ़ैया ताल तक गंगा के साथ के निचले क्षेत्र कई छोटी नदियों के जल के इकट्ठा हो जाने और बाढ़ की उच्चावस्था में गंगा के बाढ़ के जल के किनारों से ऊपर बहने और इस क्षेत्र में प्रवेश करने से जलमग्न हो जाते हैं । इस क्षेत्र में जल-निकास के अवरुद्ध हो जाने को कम करने के लिए 272.95 लाख रुपये की अनुमानित लागती मोकामेह वाल ताल जल-निकास स्कीम चरण-दो नामक एक स्कीम स्वीकृत की जा चुकी है ।

(ग) राज्य सरकार से अभी तक इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ङ) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का विकास

4558. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार अनुसधान केन्द्र ने ऐसे इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का विकास किया है जो निष्पादन के मामले में वर्तमान एक्सचेंजों से अधिक सक्षम हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार के एक्सचेंज का दिल्ली में परीक्षण किया जा चुका है ;

(ग) क्या सरकार का सभी राज्यों की राजधानियों में इस प्रकार का एक एक्सचेंज प्रदान करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो जयपुर में ऐसे एक्सचेंज की कब तक स्थापना की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) स्थानीय इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज के विकास के लिए दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र के पास एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना है । सेवा सुविधाओं और कार्यरत मौजूदा इलेक्ट्रोन मैल्के निकल एक्सचेंजों की तुलना में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज प्रणाली के बेहतर पाए जाने की सम्भावना है ।

(ख) दूर संचार अनुसंधान केन्द्र के जिस एक्सचेंज माडल को दिल्ली में स्थापित किया गया है इसके विभिन्न परीक्षण किए जा चुके हैं और कुछ प्रयोग किए जा रहे है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर गंदी बस्तियाँ

4559. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उसे बम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर स्थित गन्दी बस्तियों को गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने की अनुमति दी जाए ;

(ख) ऐसी जमीनों पर गन्दी बस्तियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इनमें से कुछ जगहों पर इस योजना को लागू करने के लिए सहमति दे दी है ; और

(घ) यदि हां, तो सभी जगहों पर इसे लागू क्यों नहीं किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी हां।

(ख) कोई ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार का ध्येय भूमिधारक विभागों को अपेक्षित भू-भाग से झोंपड़ियों में रहने वाले परिवारों को उठा कर वैकल्पिक स्थलों पर बसाने का है। जिस भूमि की भूमि-धारक विभागों को तत्काल आवश्यकता नहीं है, उन पर बनी झोंपड़ियों के बारे में, सरकार का कार्य महाराष्ट्र सरकार को यह अनुमति देने का है कि वह नगरीय गन्दी बस्ती पर्यावरणीय सुधार योजना की प्रणाली पर आधारभूत नागरिक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करे। भारत सरकार ने इस बारे में महाराष्ट्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। ये राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा शाहजहांपुर में चावल की खरीद में अनियमितताएं

4560. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की खरीद के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य से भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम में बेइमान व्यापारियों से मिलकर शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से लगते हुए विभिन्न जिलों में 10 लाख टन घटिया किस्म

का और सड़ा हुआ चावल, जो मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, की खरीद की है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) बताया जाता है कि लगभग 4,000 मी० टन चावल मल मालिकों से खरीदा गया था बावजूद इसके कि उसमें निर्धारित विनिर्दिष्टयों के बारे में अस्वीकृति सीमा से अधिक चावल था । अस्वीकृति सीमा से अधिक चावल की ठीक-ठीक मात्रा के बारे में इस समय किए जा रहे पृथक्करण संबंधी कार्य को पूरा करने के बाद ही पता चल पाएगा । भारतीय खाद्य निगम के अनुसार, यह चावल घटिया किस्म का नहीं है या मानव उपभोग के अयोग्य नहीं है हालांकि यह अस्वीकृति सीमा से अधिक हो सकता है ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है, मिल मालिकों के भुगतान को रोक दिया गया है और अस्वीकृति सीमा से अधिक के स्टाक के संचलन को रोक दिया गया ।

राजोरी गार्डन, नई दिल्ली स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

4561. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजौरी गार्डन टेलीफोन एक्सचेंज, नई दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने पंजीकृत व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) इस एक्सचेंजों द्वारा हाल ही में दिये गये 10,000 नये कनेक्शनों में पंजीकरण के किस वर्ष तक के व्यक्ति शामिल हो जाते हैं ; और

(ग) वर्ष 1978 तक पंजीकृत हुए व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1-3-1981 को यह संख्या 8984 थी ।

(ख)

श्रेणी	हाल ही में 10,000 लाइनों के विस्तार द्वारा राजौरी गार्डन एक्सचेंज में निम्न वर्षों की प्रतीक्षा सूची को पूरा करने की संभावना है ।
"ओ० वाई० टी०" एवं विशेष	1981 वर्ष का अंश भाग
"सामान्य"	1977 का अंश भाग

(ग) उपरोक्त "ख" में शामिल किए गए आवेदकों के अतिरिक्त यह आशा है कि राजौरी गार्डन एक्सचेंज में 1978 तक रजिस्टर किए गए अधिकांश आवेदकों को 1983-84 के अन्त तक उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिये जायेंगे।

मध्य प्रदेश में चल डाक घर

4562. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2,000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में कोई चल डाकघर शुरू किये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश में उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश में 2,000 से कम आबादी वाले ग्रामों में 3,200 चलते-फिरते डाकघर कार्य कर रहे हैं ; इनसे 11,150 ग्रामों में काउन्टर सेवा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में कार्य से सम्बन्धित नियमों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में असन्तोष

4563. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में लागू होने वाले उन वर्तमान नियमों पर असंतोष की जानकारी है जो सम्मेलनों में भाग लेने के लिए संक्षिप्त यात्राओं सहित विदेशों में कार्य को स्वीकार करने के बारे में है ;

(ख) क्या इन नियमों की वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक दोनों ही कर्मचारियों के लिए कृषि मंत्रालय तथा कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के मामले में भी दृढ़तापूर्वक समान रूप से लागू किया जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि मंत्रालय, कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सभी कर्मचारियों की गत एक वर्ष के दौरान विदेश यात्राओं। सौंपे गये कार्यों तथा कर्मचारियों के नाम और उनकी गत दो वर्षों की विदेशों की यात्राओं एवं उन व्यक्तियों का ब्यौरा, जिनकी यात्राएं रद्द कर दी गई थीं, दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अपने कर्मचारियों के विदेशों में कार्य स्वीकार करने, जिनमें सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए संक्षिप्त दौरे भी शामिल हैं, उन नियमों/निर्देशों का पालन करती है जिनका पालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। प्राक्कलन समिति (छठी लोक सभा) ने अपनी 35 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ऐसे दौरों के लिए विज्ञानियों को चुनने हेतु विशिष्ट गाइड लाइंस निर्धारित की जाय। ऐसे प्रतिनियुक्ति प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के लिए निम्नलिखित को सुनिश्चित करने

हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जा चुकी है : (1) प्रस्तावित विदेश प्रतिनियुक्ति आदि से सामान्य रूप से देश को होने वाले संभावित लाभों को ध्यान में रखते हुए दौरा आवश्यक तथा न्यायोचित है, (2) कि एक ही समय पर किसी संस्थान/प्रभाग विशेष के अधिक संख्या में विज्ञानी नहीं भेजे जाते हैं जिससे संस्थान/प्रभाग के कार्य पर बुरा असर नहीं पड़ता है, (3) वही विज्ञानी बार-बार प्रतिनियुक्त नहीं किये जाते हैं जिससे कि चयन का आधार अधिक व्यापक हो सके, (4) सार्वजनिक हित में वैज्ञानिक समुदाय के समक्ष स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए युवा विज्ञानियों को भी समान अवसर प्रदान किये जाते हैं, (5) कि देश में और विदेश में विज्ञानियों और संस्थानों के मध्य एक सतत और फलप्रद पारस्परिक प्रभाव कायम है जिससे कि हमारे विज्ञानी कृषि विज्ञान और अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाले अद्यतन विकास से निकट सम्बन्ध स्थापित कर सकें ; (6) कि विदेशी एजेंसी कर्मचारियों को सीधा निमन्त्रण न दें जो अनुशासन के अनुकूल नहीं है ; (7) जहां तक सम्भव है, विदेशियों की प्रतिनियुक्तियां पर खर्च में मितव्ययता अपनायी जाय। इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों में भा० कृ० अ० प० में विदेश प्रतिनियुक्त आदि को नियमित करने वाले नियमों के सम्बन्ध में असन्तोष का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। यही प्रक्रिया समान रूप से समस्त कृषि मंत्रालय में तथा जहां भा० कृ० अ० प०/कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों के अधीन प्रति नियुक्ति के मामलों में कार्यवाही की जाती है वैसे कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए भी अपनायी जाती है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए जी नहीं, श्रीमान्।

मदनगीर में मूलभूत सुविधाओं की कमी

4564. **श्री रामलाल राही** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदनगीर के निवासियों तथा उस क्षेत्र के राजस्थान श्रमिक संघ जैसे सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के अभाव, जैसे कि (1) नगर निगम से पेय जल का उपलब्ध न होना, (2) नलकूपों और हैण्ड पम्पों का काम न करना, (3) सीवरों का बन्द होना, सार्वजनिक शौचालयों का सड़ना और शौचालयों में दरवाजों का न होना और (4) अपर्याप्त सप्लाई और गलियों में प्रकाश की कमी के बारे में अनेक शिकायतें की हैं ;

(ख) सरकारी एजेन्सियों द्वारा मदनगीर क्षेत्र के निवासियों की शिकायतें दूर करने में विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) सरकार का उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो ऐसी अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं तथा भविष्य में ऐसी शिकायतों का मौका न देने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि शिकायतों को शीघ्रता से दूर किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे यह

कहा है कि इन सेवाओं के दिन-प्रतिदिन के अनुरक्षण कार्य के लिए नियमित स्टाफ तैनात है। जलपूर्ति में और वृद्धि करने के लिए 2 और नलकूप खोदे जा रहे हैं और इनके शीघ्र ही निकट भविष्य में चालू होने की आशा है। जहां कहीं भी शौचालय ब्लाकों के डोर शटर गायब हो गये या टूट गये हैं वहाँ इनको लगाया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने के लिए स्थल पर ही एक शिकायत रजिस्टर रखता है।

पंखा रोड आवासीय योजना में डी० डी० ए० के फ्लैटों का मूल्य

4565. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंखा रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत सी० आई० ए० ब्लाक में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभागीय अधिकारों, 1-1/2 वर्ष की ब्याज-राशि, प्रशासनिक अधिकारों, रख-रखाव तथा डी० डी० ए० के लाभ के रूप में, फ्लैट की कुल लागत की कितने प्रतिशत राशि वसूल की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि निर्माण की लागत पर विभागीय प्रभार 15 प्रतिशत की दर पर लगाया गया था। विभागीय प्रभारों सहित निर्माण की लागत पर 1.1/2 वर्ष के लिए 7.1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार और 1.1/8 वर्ष के लिए 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर प्रशासनिक प्रभार लगाये गए थे। केवल एक वर्ष के लिए अनुरक्षण प्रभार जोड़ा गया था। फ्लैटों की बिक्री लागत निर्धारित करते समय कोई लाभ राशि नहीं जोड़ी गई थी।

पहाड़ी गांधी बाबा काशी राम पर स्मारक डाक टिकट

4566. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पहाड़ी कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाये (जन्म दिन 11 जुलाई, 1982 को पड़ रहा है) ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मांग पर क्या निर्णय किया है विशेषकर इस बात को देखते हुए ? कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक हिमाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति के सम्मान में कोई स्मारक डाक टिकट जारी नहीं किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। इस सम्बन्ध में अभी हाल ही में अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) यह प्रस्ताव फिलैटली सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जा रहा है।

1981-82 के दौरान सुन्दर बन में खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकतार कार्यालय

4567. **सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में खोले जाने के लिए प्रस्तावित नए डाक घर / टेलीग्राफ कार्यालय / टेलीफोन कार्यालयों के विवरण क्या हैं; और

(ख) इस क्षेत्र में खास तौर पर बरसात के दिनों में दूर संचार व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्त्तिक उरांव) : (क) डाक घर

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में 1981-82 में 12 नए डाक घर खोले जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं।

तार घर सहित सार्वजनिक टेलीफोन घर:

6 नए तार घर खोले जाने का प्रस्ताव है। स्थानों की सूची विवरण-2 में दी गई हैं।

(ख) सुन्दरबन क्षेत्र में लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवा फिलहाल प्रचालन संरेखण द्वारा प्रदान की जा रही है। मानसून मौसम सहित निरंतर संतोषजनक सेवा सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :—

(1) ट्रंक, तार परिपथों का संचालन करने वाली उपरि लाइनों की मानसून पूर्व जांच की जाती है।

(2) लाइन की स्थिति में सुधार हेतु खुली तार वाली लाइनों का अनुरक्षण तथा नियमित मरम्मत का कार्य निर्धारित कार्य-क्रमानुसार किया जाता है।

(3) खराबियां तुरन्त दूर करने हेतु, विशेषत: मानसून के दौरान, खराबी की मरम्मत करने वाली पार्टियों की व्यवस्था की जाती है।

(4) आपात कालीन मांग पूरी करने हेतु पर्याप्त मात्रा में लाइन सामग्री का भण्डार सुरक्षित रखा जाता है।

विवरण-1

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाक घरों के नाम :—

1. उत्तर-बागमेरी
2. चन्द खाली
3. चेंग खाली

4. जबर कालोनी
5. झारवाली
6. लक्ष्मी पासा
7. दक्षिण सीतारामपुर
8. पश्चिम द्वारकापुर
9. नारायणपुर
10. उत्तर कंकणदिघी
11. मानागोलिचिर
12. नरवेदिया

विवरण-2

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में 1981-82 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित तार घरों व सार्वजनिक टेलीफोन घरों के नाम :—

1. हरगचिया
2. घोलाहाट
3. बोदरा
4. खाड़ी
5. बरुणहाट
6. भीरगंज

ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने सम्बन्धी परियोजना

4568. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परियोजनाएं आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

(ग) उदत परियोजनाएं किन-किन राज्यों में आरम्भ की गई हैं; और

(घ) ऐसे प्रत्येक राज्य में कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) जी हां। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धनता की रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को उन्हें अनिवार्य आर्थिक कार्यक्रम सुलभ करके सहायता पहुँचाना है ताकि उन्हें स्थायी आधार पर निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। इससे ग्रामीण महिलाएं भी रोजगार प्राप्त करने में समर्थ होंगी। ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय की अन्य योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं में भी ग्रामीण अल्प-रोजगार तथा बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसी योजना में भी पुरुषों तथा महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं किया गया था। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उपर्युक्त कार्यक्रमों से होने वाले लाभों को प्राप्त करने में महिलाओं को उपेक्षित नहीं किया जाए।

ग्रामीण विकास में मूल सेवाओं की एक योजना, जो समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की एक उप योजना है, को तैयार किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए आय पैदा करने वाली गतिविधियों का घटक होगा।

श्रम मन्त्रालय ने महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में वर्तमान परियोजना का विस्तार करने हेतु एक योजना तैयार की है जिसे रोजगार तथा प्रशिक्षण महा निदेशालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुँचाने हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है।

समाज कल्याण मन्त्रालय केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से समाजार्थिक कार्यक्रम की एक योजना भी कार्यान्वित करता रहा है। यह बोर्ड महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु यूनिटें स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संक्षिप्त पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत आयोजित किए जाते हैं। समाज कल्याण मन्त्रालय ने प्रशिक्षण यूनिटें स्थापित करने तथा महिलाओं के पुनर्वास के लिए सहायता सुलभ करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सुलभ करने हेतु एक योजना भी चलाई है। उनके पास केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है। तथापि, स्वैच्छिक एजेंसियां ग्रामीण महिलाओं के लाभ के लिए योजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का भी उपयोग कर सकती हैं।

(ग) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को देश के सभी खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों को सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है

(घ) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में लाभान्वित महिलाओं की संख्या अलग से एकत्र नहीं गई है क्योंकि कार्यक्रम के अन्तर्गत इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार है।

कुल कारीगरों की संख्या में लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं हैं जिन्हें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों के अधीन कार्य सुलभ किए गए हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में सृजित

किए जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त 20 लाख कार्य अवसरों में से लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं को प्राप्त होने की आशा है।

समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा हरियाणा में संस्थानों को अनुदान

4569. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1980 के दौरान हरियाणा के किन-किन संस्थानों को अनुदान दिए गए और प्रत्येक मामले में कितनी राशि दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (एस० बी० चव्हाण) : हरियाणा में इन संस्थाओं के नाम दर्शाने वाला विवरण जिन्हें समाज द्वारा कल्याण मन्त्रालय/1980-81 के दौरान अनुदान दिए थे :—

क्रम संख्या	संस्था का नाम	दी गई धनराशि (रुपए)	
1.	इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी, हरियाणा शाखा, चन्डीगढ़	11,59,629	
2.	हरियाणा शिक्षा सोसाइटी, मंडी दाबवाली,	1,35,855	
3.	होली डे होम सोसाइटी, चंडीगढ़	14,000	
4.	गांधी स्मारक निधि स्वाध्याय पतित कल्याण, जिला करनाल	13,331	केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर बांटा जाएगा
5.	श्रद्धानन्द अनाथालय, करनताल, करनाल,	13,331	
6.	राज्य अनाथालय, मधुबन, करनाल	4,85,963	
7.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, कोठी नं० 315, सेक्टर 9 डी, चंडीगढ़	44,000	
8.	जिला रेडक्रास सोसाइटी, सोनीपत	1,91,485	
9.	जिला रेडक्रास सोसाइटी, करनाल	1,00,000	
10.	जिला रेडक्रास सोसाइटी, अम्बाला शहर	67, 500	
11.	जिला रेडक्रास सोसाइटी, रोहतक	1,00,000	

आदर्श गांव स्थापित करना

4570. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदर्श गांव स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कमजोर वर्गों के लिए मध्यम आय वर्ग के फ्लेट से राजसहायता

4571. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री दिल्ली में सम्पत्ति सम्बंधी नियम के बारे में 23 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 829 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 के अधीन कोई नियम बनाया गया है, जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों आदि के लिए मध्यम आय वर्ग के फ्लेटों से राजसहायता के रूप में ली गई राशि को दिल्ली नगर निगम द्वारा फ्लेटों के कर योग्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन से निर्माण लागत का अंग समझा जाता है;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित नियम क्या हैं और राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि क्या हैं; और

(ग) क्या इस उपबन्ध पर जनता की आपत्तियां आमन्त्रित की गई थीं ?

संसदीय कार्य और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री

4572. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के लिए आवश्यक साम का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या यह उत्पादन पर्याप्त है और यदि नहीं तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) देश में स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की कुल संख्या क्या है जिन्हें आवश्यक सामग्री के अभाव में स्थापित नहीं किया जा सका है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) वार्षिक मांग का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) देश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में अपेक्षित मदों के निर्माण की पर्याप्त क्षमता है। परन्तु सप्लाई में कमी मुख्यातः स्टील, पिग आयरन, ई० सी० ग्रेड अल्मूनियम आदि किस्म के कच्चे सामान के मूल-मदों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण है। कच्चे सामान की सप्लाई की वृद्धि की सम्भावना पर खोज की जा रही है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

सार्वजनिक टेलीफोन घरों की (अनुमानतः) स्थापना के लिए सामान के महत्वपूर्ण मदों की वार्षिक मांग।

1. साटों के लिए स्टील के खम्बे	9 लाख अदद
2. स्टील के खम्बों के साथ प्रयोग के लिए कास्ट आयरन साकेट	4 लाख अदद
3. टेलीग्राफ ब्रेकेट	5 लाख अदद
4. टेलीग्राफ स्लाक्स	12 लाख अदद
5. जस्ता जड़ित आयरन वायर	8000 टन
6. ए० सी० एस० आर० वायर	20000 कि० मी०

जिला मुख्यालयों को बिहार की राजधानी के साथ जोड़ने हेतु एस० टी० डी० सुविधाएं

4573. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मुख्यालयों को बिहार की राजधानी के साथ जोड़ने के लिए एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो एस० टी० डी० सुविधा द्वारा इस प्रकार जोड़ने की सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) अनेक जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० के जरिए राज्य की राजधानी से पहले ही जोड़ दिया गया है। शेष जिला मुख्यालयों में उत्तरोत्तर यह सुविधा चालू योजना तथा अगल. योजना अवधि के पूवार्द्ध में दे दी जाएगी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वालों से मैस बिल की बकाया राशि की वसूली

4574. **श्री ए० के० राय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रावास में रहने वाले कितने विद्यार्थी, उक्त विश्वविद्यालय के समय से अब तक अपने मैस बिल का भुगतान किए बिना, छात्रावास छोड़ कर जा चुके हैं और 28 फरवरी, 1981 को उनकी तरफ कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश विद्यार्थियों के माता-पिता धनी वर्ग के हैं जबकि उनके मैस-बिल की बकाया राशि को सरकारी कोष से पूरा करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो उनसे बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के संघ को प्राप्त हुई धनराशि

4575. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के संघ और उड़ीसा के बानपुर (जिला पुरी) में उसके सदस्य संगठन को पश्चिम जर्मनी के एक ईसाई संगठन ई० जेड० ई० से कुछ परियोजनाओं के लिए 17 लाख रुपये प्राप्त हुए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी 'एवार्ड' संस्था की इन्हीं परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से भी धनराशि प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या 'एवार्ड' ने इस प्रकार प्राप्त हुई धनराशि का कोई हिसाब दे दिया है;

(घ) क्या सरकार को इस धनराशि के दुरुपयोग के बारे में 'एवार्ड' के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के संघ (एवार्ड) को 1977 से 1980 की अवधि के दौरान देश के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के लिए पश्चिम जर्मनी के ई० जैड० ई० संगठन से अनुदान के रूप में 91,80,906 रुपये प्राप्त हुए थे।

नेहरू सेवा संघ, बानपुर, ज़िला पुरी, उड़ीसा जो ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के संघ (एवार्ड) का एक सदस्य है, को भी सामाजिक तथा कृषि विकास के लिए 1977 तथा 1978 के दौरान पश्चिम जर्मनी के ई० जेड० ई० संगठन से 9,01,770 रुपये प्राप्त होने की सूचना मिली है।

1	2	3	4	5	6	7
8.	पोचमपाद	आन्ध्र प्रदेश	27	1349.00	मार्च, 80	परियोजना की सिफारिश योजना आयोग को 16.7.80 को कर दी गई है और योजना आयोग की निवेश सम्बन्धी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
9.	षटाप्रथा	कर्नाटक	32	1882.00	अगस्त, 80	परियोजना की सिफारिश योजना आयोग की 18.11.80 को कर दी गई है और योजना आयोग की निवेश सम्बन्धों स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
10.	अपर कोलाब	उड़ीसा	80	1861.73	दिसम्बर, 80	पर्यावरण के दृष्टिकोण से विज्ञान तथा प्राद्योगिकी विभाग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
11.	हीराकुंड चरण-3	उड़ीसा	37.5	1596.88	दिसम्बर, 80	—वही—
12.	धनसीरी	असम	19.95	1053.39	दिसम्बर, 80	परियोजना की सिफारिश योजना आयोग को 25.2.1981 को कर दी गई है और योजना आयोग की निवेश सम्बन्धी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

किये हैं और यह भी कहा है कि प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं पहले ही प्रदान कर दी गई हैं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि रमेश पार्क और लक्ष्मी नगर की कालोनियों में सामान्यतः बिजली दे दी गई है और सड़कों में रोशनी की व्यवस्था भी है।

(ख) यह एक अनधिकृत कालोनी है और सभी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई समय सीमा देना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) जी, हां।

तमिलनाडु के गेहूं के कोटे को कम करना

4578. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु को गेहूँ का आवंटन 64,000 टन से घटाकर 33,000 टन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त आवंटन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं क्योंकि वहां गेहूँ तथा गेहूँ के उत्पादों की बेहद कमी है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) अतीत में राज्य सरकारों की मांगों के अनुरूप पूर्ण आवंटन किए जाते थे। यह देखा गया था कि किए गए आवंटनों से कम उठान किया जाता था। केन्द्रीय पूल में गेहूँ के स्टाक का जायजा लेने के बाद, अगस्त, 1980 से राज्यों के गेहूँ के कोटों को युक्तियुक्त कर दिया गया था जिसके फलस्वरूप तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के गेहूँ के आवंटन में कमी हो गयी थी। राष्ट्रीय बफर में कुल उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए तमिलनाडु सरकार को जनवरी, 1981 से 33 हजार मी० टन प्रति मास के हिसाब से गेहूँ का आवंटन किया जा रहा है जबकि उन्होंने 44 हजार मी० टन की मांग की थी।

मध्य प्रदेश को खाद्यान्न का कोटा

4579. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को भेजे जाने के लिए कितने खाद्यान्न की मासिक आवश्यकता होती है;

(ख) दिसम्बर, 1980 और जनवरी और फरवरी, 1981 के महीनों में प्रति माह भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितने-कितने खाद्यान्न का आवंटन किया गया; और

(ग) इन महीनों में से प्रत्येक महीने में वास्तविक रूप से कितनी-कितनी सप्लाई की गई ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाते हैं न कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा।

विवरण

वर्ष 1980 और 1981 (फरवरी तक) के दौरान सार्वजनिक वितरण और रोलर फ्लोर मिलों के लिए केन्द्रीय पूल से मध्य प्रदेश की गेहूँ तथा चावल की मांग, उनको किए गये आवंटन और उन्हें की गई सप्लाई को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मध्य प्रदेश

माह	मांग			आवंटन			पूर्तियां		
	चावल	गेहूँ		चावल	गेहूँ		चावल	गेहूँ	
		सा० वि० प्र०	मिलें		सा० वि० प्र०	मिलें		सा० वि० प्र०	मिलें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980									
जनवरी	60.0	70.0	17.06	60.0	70.0	17.06	27.0	38.5	6.3
फरवरी	60.0	70.0	17.06	60.0	70.0	17.06	23.9	40.7	4.0
मार्च	60.0	70.0	17.06	60.0	70.0	17.06	25.6	33.5	5.6
अप्रैल	60.0	70.0	17.06	60.0	70.0	17.06	30.9	21.4	4.5
मई	60.0	70.0	17.06	60.0	70.0	17.06	43.0	43.7	6.4
जून	60.0	70.0	17.06	60.0	70.0	17.06	58.0	51.4	4.8
जुलाई	60.0	70.0	17.06	60.0	70.0	17.06	33.9	55.6	6.2
अगस्त	60.0	70.0	11.00	80.0	25.0	8.24	27.4	49.4	7.2
सितम्बर	60.0	70.0	11.63	80.0	25.0	8.24	25.4	24.8	6.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अक्तूबर	80.0	70.0	8.24	80.0	25.0	5.00	29.1	22.0	6.6
नवम्बर	80.8	50.0	11.63	80.8	25.6	5.00	16.4	20.5	3.7
दिसम्बर	80.0	60.0	12.0	80.0	25.0	5.00	14.4	22.9	3.7
1981									
जनवरी	60.0	60.0	12.0	60.0	25.0	5.00	10.5	20.8	2.9
फरवरी	80.0	60.0	12.0	80.0	25.0	5.00	*6.3	*8.1	*1.4
मार्च	80.0	60.0	12.0	80.0	26.0	5.00	सू०न०	सू०न०	सू०न०

नोट : सा० वि० प्र०=सार्वजनिक वितरण प्रणाली
मिल्स=रोलर फ्लोर मिल्स
सू० न०=सूचित नहीं किया

* जैसाकि 15-2-1881 तक सूचित किया गया।

क्विलोन कस्बे में थंगासेरी समुद्री किनारे के मछेरों को हानि

4580. **श्री बी० के० नायर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि क्विलोन कस्बे में थगांसेरी समुद्री किनारा प्रतिवर्ष वर्षा के दिनों पानी के व्यापक विस्तार से प्रभावित होता है और इससे वहां रह रहे मछेरों के घरों, नावों और अन्य सम्पत्ति को भारी नुकसान होता है;

(ख) क्या सरकार को वहां न केवल एक सुरक्षा उपाय के रूप में अपितु सैकड़ों ग्राम वासियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी जल-अवरोध के निर्माण का अनुरोध करते हुए कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) थगांसेरी में 'लाइटरेज' के लिए केरल तटीय विकास परिषद से प्राप्त अभ्यावेदन केरल सरकार को भेज दिया गया था । तथापि, केरल सरकार से थंगासेरी में जल-अवरोध के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है । थंगासेरी के नींदकारा (जहां कि एक मत्स्यन पत्तन का प्रस्ताय है) के काफी नजदीक होने के अतिरिक्त, मात्स्यकी के दृष्टिकोण से थंगासेरी में एक अन्य मत्स्यन पत्तन या जल-अवरोध के लिए कोई आर्थिक औचित्य नहीं दिखाई देता ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रधानाचार्यों की पदावनति

4581. **श्री कुमबुम एन० नटराजन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रधानाचार्यों की पदावनति के बारे में 23 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 839 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 1970 में महिला प्रधानाचार्यों के पद के लिए की गई सिफारिशों का, उनकी वैधता की अवधि के दौरान पूरी तरह अनुपालन किया था तथा वह मामला अन्तिम रूप से तय हो गया था;

(ख) क्या तालिकाबद्ध किए गए प्रधानाचार्यों को भी 5 सितम्बर, 1971 से स्थायी आधार पर 775-1000 के वेतनमानों में नियुक्त किया गया था जिसके फलस्वरूप 550-900 रुपए के वेतनमान वाले निचले पद पर उनका ग्रहणाधिकार समाप्त हो गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि तालिकाबद्ध किए गए उक्त प्रधानाचार्यों को वर्ष 1973 में नियमित कर दिया गया था; और

(घ) क्या वर्ष 1970 में नियुक्त किए गए प्रधानाचार्यों पर वर्ष 1966 के भर्ती नियम लागू किए गए थे और इसका क्या कारण है कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इस चयन के

बहुत बाद बनाये गये नियम अब इन लोगों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में लागू किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4582. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय में कार्य कर रहे श्रेणी-एक से श्रेणी चार के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इसमें कार्य कर रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को, आरक्षण नियमों के अनुसार उनके लिए निर्धारित कोटे के अनुसार पदोन्नत किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मन्त्रालय को उपरोक्त निदेशालय के इन श्रेणियों के कर्मचारियों से इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में श्रेणी 1 से श्रेणी 4 तक (अब ग्रुप 'क' से ग्रुप 'घ' तक) के कर्मचारियों की कुल वर्गवार संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनूसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ग्रुप 'क'	66	4*	—
ग्रुप 'ख'	88	7**	2
ग्रुप 'ग'	350	41	2
ग्रुप 'घ'	84	20	4
	588	72	8

* *इसमें विदेश में प्रशिक्षण पर भेजे गए अनुसूचित जाति के दो अधिकारी भी शामिल हैं जिनमें से एक अधिकारी निदेशालय के अमले में सैद्धान्तिक रूप से है।*

** *इसमें निदेशालय के अनुसूचित जाति के दो कर्मचारी शामिल हैं, जो कृषि मन्त्रालय में अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।*

टिप्पणी :—ग्रुप 'क' के अधिकारियों में से 31 अधिकारी, जिनमें अनुसूचित जाति के 2 अधिकारी भी शामिल हैं, भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के हैं जिनका संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग है। ग्रुप 'क' से 'ग' तक के अन्य 106 अधिकारी/कर्मचारी (जिनमें 10 अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जनजाति के हैं) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के हैं जिन्हें कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मन्त्रालय) नियंत्रित करता है। निदेशालय से बाहर इन सेवाओं के लिए कर्मचारियों का नामांकन संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण के अनुसार प्रोन्नति दी जाती है बशर्ते कि पात्र कर्मचारी उपलब्ध हों और वे सम्बद्ध भर्ती नियमों में निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों।

(ग) प्रोन्नत किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

श्रेणी	कार्यरत अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या	प्रोन्नति के आधार पर पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या	कार्यरत अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या	प्रोन्नति के आधार पर कार्य कर रहे अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
ग्रुप 'क'	4	4	—	—
ग्रुप 'ख'	7	1	2	1
ग्रुप 'ग'	41	20	2	1
ग्रुप 'घ'	20	4	4	1

(घ) तथा (ङ) ऊंचे पदों पर प्रोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में इन श्रेणियों के कुछ कर्मचारियों से (तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों से भी) कभी-कभी अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इनकी गुण-दोष के आधार पर (जिसमें आरक्षण नियमों पर भी विचार किया जाता है) विधिवत जांच की जाती है और जहां आवश्यक होता है वहां समुचित कार्रवाई की जाती है।

नगवानगढ़ और चल्हो पहाड़ी (गया) का पुरातत्वीय सर्वेक्षण

4583. **श्री सूरज भान** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक (अनुसंधान), भारत का पुरातत्वीय सर्वेक्षण, नई दिल्ली को 25 मई, 1978 को इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ था कि बिहार के गया जिले में गरुआ क्षेत्र के नगवानगढ़ गांव और चल्हो पहाड़ी का पुरातत्वीय सर्वेक्षण शीघ्र किया जाए अन्यथा मूल्यवान पुरातत्वीय सम्पत्ति नष्ट हो जाएगी;

(ख) क्या नगवानगढ़ गांव के प्राचीन मन्दिरों की सभी दुर्लभ मूर्तियों को राज्य सरकार के एक लेखाकार के माध्यम से तस्करी द्वारा विदेशों में भेज दिया गया है और वहां एक ग्राम देवता का मन्दिर बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इसका एक बार सर्वेक्षण किया गया है और अधीक्षक पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मध्य पूर्व मंडल, पटना से संरचनाओं तथा अवशेषों के विस्तृत फोटो-चित्र भेजने के लिए कहा गया है, ताकि इस बात का निर्धारण किया जा सके कि प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अन्तर्गत क्या कोई स्थल अथवा मंदिर केन्द्रीय संरक्षण के योग्य है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नगवानगढ़ गांव के मन्दिर से दुर्लभ मूर्तियों की चोरी अथवा ग्राम देवता के बनाए जा रहे मन्दिर के बारे में कोई सूचना नहीं है। राज्य पुलिस प्राधिकारियों के पास भी ऐसी कोई सूचना नहीं है।

मद्रास में क्षेत्रीय ग्रामीण आवास केन्द्र

4584. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बस्तियों के निर्माण के लिए तकनीकी मार्ग निदेश और सहायता देने हेतु मद्रास में क्षेत्रीय ग्रामीण आवास केन्द्र की शाखा स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के न भरे गए पद

4585. **श्री राजेश्वर नीखरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक न भरे गए पद कब भरे जायेंगे; और

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रधान कार्यालय स्तर/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सम्पर्क अधिकारी/सम्पर्क विभाग नहीं हैं यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी हां। 31-12-1980 को अनुसूचित जाति के श्रेणी-1 के 12 और श्रेणी-2 के 34 अधिकारी तथा अनुसूचित जनजाति के श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के दो-दो अधिकारी केन्द्रीय भाण्डागार निगम की सेवा में थे। तथापि, दिसम्बर, 1979 में केन्द्रीय भाण्डागार निगम कर्मचारी संघ (उत्तरी जोन और मुख्यालय) द्वारा दायर की गई रिट याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय भाण्डागार निगम में 40 बिन्दुओं के रोस्टर को लागू करने के बारे में रोक आदेश दे दिए हैं जिसके कारण आरक्षित रिक्तियों को भरने में कुछ पिछला कोटा रह गया है।

(ग) जी नहीं। निगम का कार्मिक प्रबंधक सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। निगम के कार्मिक विभाग में एक कार्यान्वयन सैल भी है जिसका प्रभारी अनुसूचित जाति का एक अधिकारी है जो कि निगम के विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व देने से सम्बन्धित सरकार के अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम में भारत सरकार के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का पालन न किया जाना

4586. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरंम्भिक नियुक्ति, स्थायीकरण और पदोन्नति के स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए आरक्षण करने के बारे में भारत सरकार के आदेशों का भारत में केन्द्रीय भाण्डागार निगम के सभी एककों में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो क्यों;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का पालन न किए जाने के कारण, भारत में सभी एककों और क्षेत्रीय कार्यालयों, विशेषकर मद्रास में पहले से बहुत से पद खाली पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो आरक्षण, सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन कब तक पूरा किया जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) आरक्षणों के बारे में निगम भारत सरकार के अनुदेशों का अनुसरण कर रहा है। तथापि, दिसम्बर, 1979 में केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कर्मचारियों के संघ द्वारा दायर की गई रिट याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए रोक आदेश के कारण केन्द्रीय भाण्डागार निगम में विभिन्न पदों के लिए प्रारम्भिक नियुक्तियां करते समय और बाद में विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति देते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण करने विषयक सरकार के आदेशों पर कार्रवाई करना स्थगित कर दिया गया है। इस समय जो अतीत का कोटा बच गया है, वह इसी के कारण हुआ है।

(ग) न्यायालय द्वारा रोक आदेश समाप्त कर दिये जाने के बाद आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित किया जाएगा और यथा सम्भव पिछले बचे कोटे को भी पूरा कर लिया जाएगा।

दिल्ली में आपरेशन अनुसंधान परियोजना

4587. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने दिल्ली संघ क्षेत्र में 'आपरेशन अनुसंधान' परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, दिल्ली के संघ क्षेत्र के उन गांवों के क्या नाम हैं जहां यह परियोजना शुरू की जाएगी;

(ग) यह योजना कब शुरू की गई और इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) क्या दूसरे राज्यों में इस तरह की परियोजना शुरू किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि परिषद के अनुसंधान संस्थानों में से एक है, ने मिलवां खेती पर दिल्ली के संघ क्षेत्र में परिचालन अनुसंधान प्रायोजना शुरू की है।

(ख) प्रायोजना तीन गांवों, यानी भरथल, पोचमपुर तथा बमनौली में शुरू की गई है।

(ग) प्रायोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी। इसके अब तक प्राप्त मुख्य परिणाम हैं :—

(1) क्योंकि किसानों को मिलवां खेती प्रणाली में विभिन्न फसलों में उर्वरकों का अनुकूलतम उपयोग करने से अवगत कराया गया है, इसलिए उर्वरक की खपत की पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(2) किसानों के खेतों में बाजरे की 16.63 क्विंटल से 24 क्विंटल प्रति हैक्टेर तथा गेहूँ की 24 क्विंटल से 36 क्विंटल प्रति हैक्टर उच्चतर उपज प्राप्त हुई है।

(3) अरहर तथा तोरिया की अगेती पकने वाली किस्मों के जारी करने के बाद किसानों ने इन दोनों फसलों की खेती शुरू कर दी है और फलस्वरूप इन फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

(घ) देश के विभिन्न राज्यों में किसानों के बीच अनुसंधान उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए परिषद् ने कई परिचालन अनुसंधान प्रायोजना शुरू की हैं। इन प्रायोजनाओं में निम्न-लिखित खेती प्रणाली शामिल है :—

(1) फसल उत्पादन जिसमें बढ़ी हुई उत्पादकता, रोजगार तथा आय वृद्धि शामिल है;

(2) मिलवां खेती जिसमें समाकलित दूध तथा फसल उत्पादन शामिल है;

(3) मिश्रित मत्स्य पालन;

(4) क्षारीय मृदा का सुधार तथा शुष्क भूमि प्रबन्ध; तथा

(5) चावल, कपास तथा दालों की कीट व्याधि का समकलित नियंत्रण।

नदी जल का राष्ट्रीयकरण

4588. **श्री एन० सेलवाराजू** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार नदी मुहानों के समन्वित और एकीकृत विकास की सुविधा के लिए, जिससे नदी जल की सिंचाई और विद्युत उत्पादन क्षमता के भारी अपव्यय को रोका जा सके; सम्पूर्ण नदी जल का राष्ट्रीयकरण करने और उसे केन्द्र सरकार के नियंत्रण में लाने के प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई करने का है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : नदी जल का राष्ट्रीय-करण करने और इसे केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अपर कोलाब बहुद्देशीय परियोजना कोरापुर में तैनात किए गए डाक-तार कर्मचारियों को निर्माण-भत्ता

4589. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुर जिले (उड़ीसा) के अपर कोलाब बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्र में तैनात किए गए डाक-तार कर्मचारियों को विशेष निर्माण भत्ते की मंजूरी की गई है, जैसा कि उपर्युक्त परियोजना कर्मचारियों को 11 जून 1975 से 28 फरवरी 1981 तक मंजूर किया गया था;

(ख) यदि हां तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख) जी नहीं ।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन० सी० सी० एफ०) द्वारा खाद्यान्नों का निर्यात

4590. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ अन्य देशों को लगभग 1.50 लाख टन खाद्यान्नों का निर्यात करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष में लगभग 280 लाख टन खाद्यान्नों की कुल कमी है;

(घ) क्या सरकार यह मानती है कि निर्यात में कमी में वृद्धि होगी जिससे देश में गंभीर कमी उत्पन्न हो सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) यह सत्य है कि वाणिज्य मन्त्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को 53,000 मी० टन गैर बासमती चावल का निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किया था ।

(ग) से (ङ) वर्ष 1979-80 में 1089 लाख मी० टन खाद्यान्नों की पैदावार होने का अनुमान लगाया गया है जिससे गत वर्ष की तुलना में लगभग 230 लाख मी० टन की कमी होने के संकेत मिलते हैं ।

वर्ष 1980-81 के दौरान उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं । देश में कृषि उत्पादन की सम्भावना बहुत ही उत्साहवर्धक है और आशा है कि 1980-81 में खाद्यान्नों का उत्पादन 1978-79 में प्राप्त किए गए रिकार्ड स्तर से भी कुछ हद तक अधिक हो सकता है । अपनी घरेलू जरूरतों के लिए व्यवस्था करने के बाद बासमती के अलावा अन्य किस्मों के चावल का केवल सीमित मात्रा में निर्यात करने की इजाजत दी जाती है ।

गन्ने की खेती में अकाल

4591. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गन्ने की खेती में अलाभकारी मूल्यों के कारण अकाल पड़ गया है जिसके कारण चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आ गई थी ?

रानीगंज शहर के नीचे परित्यक्त खानों में खाली जगहों को रेत और पानी के घोल से भरने के संबंध में एक पाइलट अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा है।

(ङ) और (च) कोयला खनन विनियमावली (1957) के अधीन यह आवश्यक है कि रेत की भराई उस हालत में अनिवार्यतः की जाए जबकि कोयला सार्वजनिक सम्पत्ति, जलाशयों, जल मार्गों आदि के नीचे से निकालना हो। रेत भराई संरक्षण की दृष्टि से भी अनिवार्य है। इस समय ई० को० लि० की 112 खानों में से 46 खानों में रेत भराई की जा रही है।

कोयले की की ढुलाई के लिये स्लरी पाईप लाइनों का निर्माण

4787. **श्री आरिफ मोहम्मद खां :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले की ढुलाई के लिये स्लरी पाईप लाईनी का निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अभी हाल में ही एक कार्यकारी दल की स्थापना की है जिसे ऐसी एजेन्सी का नाम बताने का काम दिया गया है जो कोयले के परिवहन की इस नई पद्धति के संबंध में एक तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन कर सके। इस कार्यकारी दय ने अभीं तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

ऊर्जा मन्त्रालय में कार्यरत आई० ए० एस० अधिकारियों की संख्या

4788. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को सरकार के इस प्रस्ताव की आई० ए० एस० अधिकारियों को सामान्यतः केन्द्र में एक साथ तीन वर्ष से अधिक समय तक न रखने के नियम का पालन किए जाने के बारे में जानकारी हैं;

(ख) उनके मन्त्रालय में कितने आई० ए० एस० अधिकारी कार्यरत हैं, उनके पदों के साथ ब्योरा दीजिए ;

(ग) इनमें से कितने अधिकारियों ने उनके मन्त्रालय में तीन वर्ष से ज्यादा की अवधि पूरी कर ली है ;

(घ) इस सेवा की नैतिक स्तर बनाए रखने तथा कुशल प्रशासन के हित में उन अधिकारियों का जिन्होंने एक स्थान पर तीन वर्ष से ज्यादा की अवधि पूरी कर ली है, इन सभी अधिकारियों के स्थानान्तरण का प्रस्ताव न किए जाने के क्या कारण हैं ?

माल्दा में बाढ़

3593. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से सहायता के लिए अनुरोध किया है तथा यह आशंका व्यक्त की है कि आगामी मानसून के दौरान माल्दा में बाढ़ आ सकती है; और

(ख) यदि हां, तो बाढ़ नियन्त्रण के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता के लिए अभी तक कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में बेचा जा रहा मिलावटी सामान

4594. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग दुकान में बेचे जा रहे मिलावटी अथवा नकली समान की शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस तरह के मिलावटी सामान की बिक्री रोकने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम): (क) जी नहीं। शिकायतें केवल निर्धारित स्तर से नीचे के सामान के बारे में थीं, उनमें भी कोई वास्तविकता नहीं थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रावनकौर हाउस, नई दिल्ली

4595. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मांग की है कि ट्रांवनकोर हाउस, नई दिल्ली उसे लौटाया जाये;

(ख) यदि हां, तो इसे केरल राज्य सरकार को लौटाये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसे राज्य सरकार को कब तक लौटाये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : जी, हां ।

(ख) इस समय ट्रावनकोर हाउस मोनोपलीज एण्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज कमिशन के दखल में है जो अब तक वैकल्पिक आवास प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं रहा है ।

(ग) ज्योंही कमिशन द्वारा इस आवास को खाली कर दिया जायेगा, इसे राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा ।

गुजरात में तकनीकी संस्थान और पोलीटेक्निक

4596. **श्री नवीन रवाणी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में राजकोट, अमरेली तथा भावनगर जिलों के अनेक महत्वपूर्ण नगरों तथा कस्बों में कोई तकनीकी संस्थान और पोलीटेक्निक नहीं हैं;

(ख) उपरोक्त जिलों में से प्रत्येक में कितने स्थानों पर उक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) उपरोक्त जिलों के विभिन्न स्थानों पर ऐसे संस्थानों तथा पोलीटेक्निकों की स्थापना के लिए क्या योजनाएं, परियोजनाएं तथा अनुमान तैयार किये गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त स्थानों पर ऐसे कितने संस्थान तथा पोलीटेक्निक खोले गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इन जिलों के निम्नलिखित स्थानों में सुविधाएं उपलब्ध हैं :

1. पोलिटेक्निक्स

(1) गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, राजकोट

(2) ए० वी० पारेख टेक्निकल इंस्टिट्यूट, राजकोट ।

(3) श्री भावसिंह जी पोलिटेक्निक, भावनगर,

2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकोट

(3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अमरेली।

(3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भावनगर।

(ग) जहां तक पोलिटेक्निक संस्थानों का सम्बन्ध है, फिलहाल उपर्युक्त जिलों के किसी स्थान में इस प्रकार के संस्थान स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

फिर भी, छठी योजनाविधि (1980-85) के दौरान गुजरात राज्य में दो नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों में इन स्थानों में कोई नया पोलिटेक्निक स्थापित नहीं किया गया, क्योंकि राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए संस्थानों की संख्या के सम्बन्ध में जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

पिछड़े जिलों में केन्द्रीय विद्यालय

4597. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा में एकरूपता लाने की दृष्टि से स्वैच्छिक संगठनों और राज्यों द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछड़े जिलों में अधिकाधिक केन्द्रीय विद्यालयों का आयोजन करने में क्या अड़चने हैं;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में भाषाजात अल्प-संख्यकों को शिक्षा के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर गंभीरता से गौर करने और तत्काल निर्णय लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालयों की योजना का उद्देश्य विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों आदि द्वारा प्रदान की गई शिक्षा में एकरूपता लाना नहीं है। केन्द्रीय विद्यालयों

की योजना का प्रमुख लक्ष्य एक समान पाठ्य-विवरण तथा शिक्षा माध्यम को अपनाकर स्थानान्तरणीय केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों को निरन्तर शिक्षा प्रदान करना है।

केन्द्रीय विद्यालयों के इस विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ये विद्यालय उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी काफी संख्या में होते हैं अथवा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या उच्च अध्ययन की संस्थाएं स्थित होती हैं, चाहे ये स्थान पिछड़े जिलों में हों या न हो। अतः केन्द्रीय विद्यालयों को विशेष रूप से पिछड़े जिलों में स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला, भाषाई अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए खुला होता है, यद्यपि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार दाखिला नियमित किया जाता है।

केन्द्रीय जल आयोग में रिक्त स्थान

4598. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग में 1976 से आज तक विभिन्न श्रेणियों के खाली पड़े स्थानों अथवा नियमित आधार पर जिन पदों को भरा जाना आवश्यक है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस तरह की उदासीनता से तमाम कर्मचारियों को गतिरोध का सामना करना पड़ा है जिनमें से कुछ सेवानिवृत्ति के करीब हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) केन्द्रीय जल आयोग एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें छः हजार से अधिक अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसके अलावा इस संगठन में पदों की श्रेणियां भी बहुत अधिक हैं। आयोग के क्षेत्र-संगठन (फील्ड फारमेशन) भी देश भर में फैले हुए हैं और बहुत से पदों को इन क्षेत्र-संगठनों के जरिए स्थानीय रूप से भरा जाता है इसलिए मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) जैसा कि सभी बड़े संगठनों में होता है, विभिन्न श्रेणियों के कुछ न कुछ पद विभिन्न प्रशासनिक कारणों से हमेशा खाली रहते हैं। इन पदों को भरने में किसी कर्मचारी द्वारा कोई उदासीनता नहीं बरती जा रही है और इसलिए कोई कार्रवाई करने का सवाल पैदा नहीं होता।

एशियाई खेलों के लिये फुटबाल प्रशिक्षण शिविर

4599. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 फुटबाल खिलाड़ियों ने अपने ही निजी वचन पर हस्ताक्षर करने के बाद, कि वे हमेशा के लिए देश अथवा राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, 1982 के एशियाई खेलों के लिए साल्ट लेक, कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा प्रशिक्षण शिविर छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) एशियाई खेल, 1982 के लिए भारतीय फुटबाल टीम की तैयारी के लिए अखिल भारतीय फुटबाल संघ द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षण योजना के अनुसार पहला प्रशिक्षण शिविर कलकत्ता में 54 खिलाड़ियों के साथ 6 फरवरी, 1981 को शुरू हुआ । अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने रिपोर्ट दी है कि प्रशिक्षण शुरू होते ही प्रशिक्षकों और तकनीकी निदेशकों ने पाया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति भाग लेने वाले कुछ खिलाड़ी उत्साह नहीं दिखा रहे हैं । शिविर में जहां अधिकांश खिलाड़ी पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण में रूचि ले रहे थे, वहां कुछ ऐसे भी थे जो गम्भीरता पूर्वक कोई प्रयास नहीं कर रहे थे । उनके द्वारा सामान्यतः अरूचि दिखाए जाने के कारण शिविर में मनोबल पर प्रतिकूल-प्रभाव पड़ा । बनावटी चोटों में वृद्धि हो रही थी जिससे उन्हें प्रशिक्षण और मैचों से अलग रहने की छूट दे दी जाए । तकनीकी समिति ने ऐसे खिलाड़ियों के अनिच्छापूर्ण रवैये पर गम्भीरता से विचार किया और उन्हें यह विकल्प देने का निर्णय लिया कि वे या तो स्वेच्छा से शिविर छोड़ जाएं अथवा रहें तो पूरे मनोयोग से इसमें भाग लें । उनसे कहा गया कि यदि वे छोड़ जाते हैं तो वे हमेशा के लिए अपने राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर पाने से वंचित रह जाएंगे । यदि वे रहते हैं तो उन्हें एक करार पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वे जब तक शिविर में रहेंगे वे प्रशिक्षण और मैचों में अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे । उन्हें निश्चय करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था ।

21 खिलाड़ियों, पश्चिम बंगाल से 19, केरल से 1 और आन्ध्र प्रदेश से 1, ने 16 फरवरी, 1981 को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद शिविर छोड़ दिया ।

अखिल भारतीय फुटबाल संघ की कार्य समिति ने 25 फरवरी, 1981 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि भावी शिविरों में केवल तभी खिलाड़ियों को दाखिल किया जाए यदि वे 5 मार्च, 1981 तक स्वेच्छा से यह घोषणा पत्र दें कि वे शिविर में बुलाए जाने की तारीख से लेकर शिविर से अंतिम रूप से मुक्त किए जाने तक किसी भी क्लब (सीमित कार्यालय खेल प्रतियोगिताओं को छोड़ कर) के लिए नहीं खेलेंगे ।

इस प्रकार शिविर से (अंतिम रूप से) मुक्त किए गए खिलाड़ियों को अखिल भारतीय फुटबाल संघ से मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें 3 कालम होंगे, जैसे स्वास्थ्य

की दृष्टि से अयोग्य, दक्षता की कमी, निष्ठा न होना और असहयोग । जिन खिलाड़ियों को तीसरा कालम मिलता है, अर्थात, निष्ठा का न होना और असहयोग, वे सारे देश में अखिल भारतीय फुटबाल संघ की किसी पंजीकृत खेल प्रतियोगिता में तथा किसी राज्य संघ के अंतर्गत किसी क्लब के लिए कम से कम मुक्त किए जाने की तिथि से एक वर्ष तक नहीं खेल सकेगा ।

अतः भविष्य में शिविरों के लिए जिन खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा उन्हें शिविर में रिपोर्ट करनी होगी और ऐसा न करने पर वे किसी एसोसिएशन के अंतर्गत किसी क्लब अथवा अखिल भारतीय फुटबाल संघ के अन्तर्गत किसी पंजीकृत खेल प्रतियोगिता में सम्मन प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष तक नहीं खेल सकेंगे यदि वे अपनी अनुपस्थिति के बारे में अखिल भारतीय फुटबाल संघ को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं देते ।

इसके अलावा, संघ ने सूचित किया है कि शिविर छोड़ जाने वाले उपर्युक्त 21 खिलाड़ियों में से 14 खिलाड़ियों, सभी पश्चिम बंगाल से, ने अपने व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया है और शिविर में पुनः शामिल होने का निश्चय किया । उनके मामलों पर मई, 1981 में प्रशिक्षण शिविर के द्वितीय चरण के आयोजित किए जाने के समय अखिल भारतीय फुटबाल संघ द्वारा विचार किया जाएगा । इस बीच, प्रथम प्रशिक्षण शिविर का द्वितीय चरण 27 खिलाड़ियों के साथ 10 मार्च से चल रहा है ।

सारे देश में फुटबाल के क्षेत्र में इसके सर्वांगीण कार्यकलापों में अनुशासन बनाए रखने और विशेषकर एशियाई खेल, 1982 के लिए भारतीय फुटबाल टीम को तैयार करने के लिए अखिल भारतीय फुटबाल संघ के दृढ़ संकल्प का सरकार समर्थन करती है ।

डाक व तार विभाग में कर्मचारी यूनियन को मान्यता

4600. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग में काम कर रही कर्मचारी यूनियनों को किन नियमों के अन्तर्गत मान्यता दी जाती है;

(ख) उक्त विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ग) 1979-80 में, इस विभाग में पंजीकृत श्रमिक यूनियनों की सदस्य संख्या कितनी थी और वे किन अखिल भारतीय श्रमिक संगठनों से सम्बद्ध है; और

(घ) पंजीकृत श्रमिक यूनियनों और फेडरेशनों के नाम क्या हैं और किस-किस तारीख को मान्यता दी गई थी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) डाक-तार विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों/यूनियनों को मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित नियमों की एक प्रति संलग्न है (विवरण '1' एवं '2') ।

(ख) डाक-तार विभाग में काम कर रहे गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या लगभग 5,28,000 है (विभागेत्तर कर्मचारियों को छोड़कर) और औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या लगभग 7200 है।

(ग) इस विभाग में मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों के सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं है क्योंकि यूनियनों/एसोसिएशनों ने ऐसी किसी भी सूचना को नहीं भेजा है। अखिल भारतीय मजदूर संगठन से उनकी सम्बद्धता के बारे में भी विभाग को जानकारी नहीं है। फिर भी विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना अपनी मान्यता की शर्तों के अधीन यूनियनें/एसोसिएशनों किसी भी मजदूर संगठन से सम्बद्ध नहीं हो सकती है।

(घ) मान्यता प्राप्त मजदूर यूनियनों और फेडरेशनों के नामों और उनको मान्यता प्रदान करने की तारीखों की एक सूची संलग्न है (विवरण-3)।

विवरण-1

अराजपत्रित गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की एसोसिएशनों/यूनियनों को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम

1. (क) इस प्रकार की मान्यता से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना सहित सेवा एसोसिएशन की मान्यता हेतु एक आवेदन दिया जाता है।

(ख) सेवा एसोसिएशन के गठन का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के सामान्य सेवा-हितों में अभिवृद्धि करना होता है।

(ग) सेवा एसोसिएशन की सदस्यता सरकारी कर्मचारियों के एक सुनिश्चित वर्ग के लिए प्रतिबंधित है जिनके एक समान हित हैं तथा ऐसे सभी कर्मचारी सेवा एसोसिएशन की सदस्यता के पात्र हैं।

(घ) सेवा एसोसिएशन का गठन किसी जाति, जनजाति अथवा धार्मिक संप्रदाय अथवा ऐसी किसी जाति, जनजाति अथवा धार्मिक संप्रदाय के वर्ग के भीतर के किसी ग्रुप के आधार पर नहीं किया जाता है।

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है, सेवा एसोसिएशन के मामले से सम्बद्ध नहीं हो सकता।

(च) सेवा एसोसिएशन की कार्यकारिणी की नियुक्ति केवल सदस्यों में से ही की जाती है।

(छ) सेवा एसोसिएशन के फंड सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों, यदि कोई हो तो, तथा सदस्यों के अंशदान (चंदा) के अनन्य रूप में होता है। तथा केवल सेवा एसोसिएशन के उद्देश्यों की वृद्धि हेतु खर्च किया जाता है।

2. (क) सेवा एसोसिएशन के सदस्यों के सामान्य हित से सम्बद्ध मामले के अतिरिक्त सेवा एसोसिएशन कोई अभ्यावेदन अथवा प्रतिनिधि नहीं भेजेगा।

(ख) सेवा एसोसिएशन सेवा मामलों के सम्बन्ध में वैयक्तिक सरकारी कर्मचारियों के विवाद का समर्थन नहीं करेगा।

(ग) सेवा एसोसिएशन कोई राजनीतिक फंड एकत्र नहीं करेगा तथा किसी राजनीतिज्ञ अथवा किसी राजनीतिक पार्टी का विचार रखते हुए प्रचार कार्य नहीं करेगा।

(घ) सेवा एसोसिएशन द्वारा सभी अभ्यावेदन उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे तथा आमतौर पर विभाग या कार्यालय के सचिव या अध्यक्ष को लिखे जायेंगे।

(ङ) सदस्यों एवं पदाधिकारियों की एक सूची, नियमों की एक अद्यतन प्रति तथा सेवा एसोशियेशन के लेखाओं की एक लेखा परीक्षा की गई विवरणी आम वार्षिक बैठक के पश्चात उचित माध्यम के द्वारा प्रत्येक वर्ष सरकार को इस प्रकार प्रस्तुत किये जायेंगे ताकि वे सरकार के पास प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई से पहले पहुँच सके।

(च) सेवा एसोसिएशन के नियमों में बड़ा संशोधन केवल सरकार की पूर्वानुमति से किया जायेगा तथा कम महत्व का कोई अन्य संशोधन सरकार को सूचना के लिए उचित माध्यम के द्वारा भेजा जाएगा।

(छ) इससे पूर्व की सेवा एसोशियेशन किसी अन्य यूनियन, सेवा एसोशिएशनों अथवा फेडरेशन के साथ सम्बन्ध स्थापित करें, सरकार की पूर्वानुमति ले ली जाएगी।

(ज) सेवा एसोसिएशन को ऐसी फेडरेशन अथवा कानफेडरेशन अथवा सेवा एसोसिएशन से जिसकी मान्यता सरकार द्वारा समाप्त की जा रही है, सम्बद्ध विच्छेद करना होगा।

(झ) सेवा एसोसिएशन सरकार की पूर्वानुमति के बिना कोई आवधिक पत्रिका अथवा बुलेटिन आरम्भ अथवा प्रकाशित नहीं करेगा।

(ञ) सेवा एसोसिएशन को किसी आवधिक पत्रिका अथवा बुलेटिन को प्रकाशित करना बन्द करना होगा, यदि सरकार द्वारा इस आधार पर ऐसा करने को निदेश हुआ हो कि उसका प्रकाशन केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य की सरकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकारी के हितों अथवा सरकारी कर्मचारियों तथा सरकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकारी के बीच अच्छे संबंधों के प्रतिकूल है।

(ट) सेवा एसोसिएशन कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी अथवा किसी ऐसे कार्य करने में सहायता नहीं देगी जो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया हो, तथा जिसके करने से केन्द्रीय सिविल (आचरण) नियम 1964 के 8, 9, 11, 12, 16 तथा 20 नियमों की व्यवस्था का उल्लंघन होती हो।

(ठ) सेवा एसोसिएशन को किसी विदेशी प्राधिकारी के साथ कोई पत्राचार नहीं करना चाहिए। वह सरकार के मार्फत ही ऐसा कर सकती है तथा सरकार को इसे रोकने का भी अधिकार है/और

(ड) एसोसिएशन द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी पदाधिकारी द्वारा सरकार को अथवा किसी सरकारी प्राधिकारी को लिखे गये पत्रों में किसी प्रकार की अभद्रपूर्ण अथवा अनुचित भाषा नहीं लिखी जानी चाहिए।

3. यदि सरकार की दृष्टि में मान्यता प्राप्त सेवा एसोसिएशन उक्त पैरा 1 तथा 2 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असफल रहती है तो सरकार एसोसिएशन को दी गयी मान्यता को रद्द कर सकती है।

विवरण 2

औद्योगिक कर्मचारियों की एसोसिएशनों/यूनियनों को मान्यता प्रदान करने वाली नियमावली

1. सामान्य सिद्धान्त के तौर पर यह कहा जा सकता है कि कर्मचारियों की यूनियनों अथवा फेडरेशनों को मान्यता प्रदान करना और उसको जारी रखना सरकार के विवेकाधिकार में निहित है। परन्तु एक बार दी गई मान्यता को बगैर पर्याप्त कारण के और मान्यता के प्रस्तावित रद्दीकरण के विरुद्ध संबंधित यूनियन को बगैर अवसर प्रदान किये वापस लिया जाना चाहिए।

2. किसी भी संघ के आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करे :—

(क) उसकी सदस्यता केवल उसी उद्योग अथवा उद्योगों के श्रमिकों के लिए सीमित होनी चाहिये जो एक दूसरे से सम्बद्ध हो अथवा जिनमें निकट का सम्बन्ध हो।

(ख) वह उक्त उद्योग अथवा उद्योगों में काम करने वाले सभी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती हो।

(ग) उसके नियमों में उपर्युक्त खंड (ख) में उल्लिखित श्रमिकों अथवा किसी भी श्रेणी को उसकी सदस्यता से बाहर रखने का प्रावधान न हो।

(घ) यूनियन के नियमों अथवा इसके संविधान में हड़ताल घोषित करने की प्रक्रिया से संबंधित उपयुक्त व्यवस्था हो ।

(ङ) 6 महीनों में कम से कम एक बार इसकी कार्यकारी समिति की बैठक करने का प्रावधान भी नियमों में होना चाहिए ।

(च) यह भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत हो ।

3. यूनियन के प्रतिनिधित्व स्वरूप को स्थापित करने के लिए यह पर्याप्त होगा कि जिन श्रमिकों के लिए यूनियन प्रतिनिधित्व का दावा करती है उनका कम से कम 15 प्रतिशत उसके सदस्य हों।

4. विभिन्न श्रमिकों की श्रेणियों अर्थात लिपिकों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों की मिली-जुली यूनियनों के मामले में उनकी मान्यता को तब तक रोक लेना चाहिए जब तक कि तीनों श्रेणियों अर्थात लिपिकों, पर्यवेक्षकों को श्रमिकों, जो सदस्य के बतौर यूनियन में शामिल होने के पात्र हैं, के प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के सदस्यों की संख्या 15 प्रतिशत न हो ।

5. यूनियनों की फेडरेशन को मान्यता प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है कि उक्त फेडरेशन द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सभी यूनियनें भी मान्यता प्राप्त हों ।

6. यदि किसी फेडरेशन के खाते पर सभी श्रमिकों की सदस्यता 15 प्रतिशत हो तो कोई भी फेडरेशन सभी यूनियनों की प्रतिनिधि मानी जाएगी ।

7. इसी प्रकार एक संस्था से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के मामले में मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके सदस्यों के खाते में प्रत्येक संस्था के, जिनका इन्हें प्रतिनिधित्व करना है, सदस्यों की निर्धारित प्रतिशतता होनी चाहिए । मान्यता प्रशासन की कुल संख्या के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए जिसका की यूनियन प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है बशर्ते कि पृथक संस्था के निर्धारित प्रतिशत सदस्य यूनियन के सदस्य होने की स्थिति में पृथक संस्था की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जाएगा ।

8. मान्यता प्राप्त संगठन को ये आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं :—

(क) अपने संविधान, वार्षिक लेखा तथा अपने सदस्यों की सूची की प्रतियों को नियमित रूप से प्रस्तुत करना ।

(ख) संविधान में किए जाने वाले किसी संशोधन/संशोधनों की तुरन्त सूचना देना ।

(ग) गृह मंत्रालय के दिनांक 22-10-80 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एन० आर०-71 45)/डी-10/48 में दिए गए निर्धारित माध्यमों द्वारा सरकार को निश्चित रूप से कोई भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

9. मान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :—

(क) ट्रेड यूनियन से प्राप्त आवेदन पर प्रशासन का कार्य प्रभारी स्टाफ माध्यम द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें कि अन्य बातों के साथ-साथ यह भी दर्शाया जाना चाहिए :—

(1) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली यूनियन का नाम।

(2) कर्मचारियों की श्रेणी और उनका प्रतिनिधित्व करने का उद्देश्य।

(3) श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या।

(4) संगठन के सदस्यों की संख्या।

(5) समान श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी अन्य मान्यता प्राप्त यूनियन का ब्यौरा।

(ख) यह रिपोर्ट यूनियन के नियमों की प्रति तथा पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ग) इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर मंत्रालय मान्यता देने के प्रश्न पर निर्णय लेगा और अपने निर्णय से सम्बन्धित शाखा/मुख्यालय/निदेशालयों को सूचित करेगा।

विवरण I

मान्यता प्राप्ति की तारीख सहित मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों तथा महासंघों के नाम

(क) राष्ट्रीय डाक-तार कर्मचारी महासंघ तथा इससे संबद्ध यूनियनें।

1. राष्ट्रीय डाक-तार कर्मचारी महासंघ सी-1/2 वियर्ड रोड, नई दिल्ली-110001 — 4-3-55

2. अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन श्रेणी-3, दादाघोष भवन, 1 पटेल रोड, नई दिल्ली-8 — 12-8-55

3.	अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन पोस्टमैन श्रेणी-4, 13 विट्ठल भाई पटेल हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-1	18-7-56
4.	अखिल भारतीय रेल डाक सेवा एवं मेल मोटर सर्विस कर्मचारी यूनियन श्रेणी-3, डी-2 टेलीग्राफ प्लेस, 1 वियर्ड रोड, नई दिल्ली-8	6-7-54
5.	अखिल भारतीय रेल डाक सेवा कर्मचारी यूनियन मेल गार्ड एवं श्रेणी-4, दादाघोष भवन, 1 पटेल रोड, नई दिल्ली	28-3-56
6.	अखिल भारतीय तार इंजीनियरी कर्मचारी यूनियन श्रेणी-3, दादाघोष भवन, 1 पटेल रोड, नई दिल्ली-8	
7.	अखिल भारतीय तार इंजीनियरी कर्मचारी यूनियन, लाइन स्टाफ एवं श्रेणी-4, दादाघोष भवन, 1 पटेल रोड, नई दिल्ली-8	
8.	अखिल भारतीय तार परियात कर्मचारी यूनियन, श्रेणी-3, 4/28 वैस्टर्न एक्सटेन्शन एरिया करौल-बाग, नई दिल्ली-5	4-3-55
9.	अखिल भारतीय तार परियात कर्मचारी यूनियन, श्रेणी-3, दादाघोष भवन, 1 पटेल रोड, नई दिल्ली-8	
10.	अखिल भारतीय (डाक-तार) प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी यूनियन श्रेणी-3 व 4, सी 1/2 वियर्ड रोड, नई दिल्ली-1	

(ख) राष्ट्रीय डाक-तार संगठनों का महासंघ तथा इसे संबद्ध यूनियन/एसोसिएशनें

1.	राष्ट्रीय डाक-तार संगठनों का महासंघ, टी-16, अतुलग्रोव, नई दिल्ली-1	31-1-70
2.	राष्ट्रीय विभागेतर एजेन्ट यूनियन, टी-16, अतुल-ग्रोव, नई दिल्ली-1	10-10-68
3.	राष्ट्रीय डाक-कर्मचारी यूनियन श्रेणी-3, अतुलग्रोव टी-16 रोड, नई दिल्ली-1	10-10-68

4.	राष्ट्रीय डाक-कर्मचारी यूनियन डाकिया एवं श्रेणी-4, नं० 21, डाक-तार कालोनी, सिविल लाइन दिल्ली-54	10-10-68
5.	अखिल भारतीय दूरसंचार कनिष्ठ लेखा अधिकारी एसोशिएशन 2/334 आर० के० पुरम, नई दिल्ली-22	उपलब्ध नहीं
6.	अखिल भारतीय तार परियात लिपकीय कर्मचारी यूनियन, टी-14 अतुलग्रोव, नई दिल्ली-1	24-9-68
7.	राष्ट्रीय रेल डाक सेवा कर्मचारी यूनियन, श्रेणी-3, मकान नं० 212/ए नगीनाबाग, अजमेर (राजस्थान)	25-10-69
8.	राष्ट्रीय तार परियात कर्मचारी यूनियन श्रेणी-4 टी-16 अतुलग्रोव, नई दिल्ली-110001	25-10-69
9.	राष्ट्रीय तार इंजीनियरी कर्मचारी यूनियन लाइन स्टाफ एवं श्रेणी-4, 32ए जमालुद्दीन हुसैन स्ट्रीट त्रिचनापली-1	25-10-69
10.	अखिल भारतीय रेल डाक सेवा सहायक अधीक्षक तथा निरीक्षक एसोशिएशन, सीएचक्यू डी-6, देव नगर, नई दिल्ली-5	30-4-56
11.	अखिल भारतीय डाक-तार प्रशासनिक कार्यालय एसोशिएशन 110/75 नया गांव लखनऊ, गांव लखनऊ-1	उपलब्ध नहीं
12.	राष्ट्रीय तार इंजीनियरी कर्मचारी यूनियन श्रेणी-3 टी-16 अतुलग्रोव रोड नई दिल्ली-1	31-1-70
13.	कनिष्ठ अभियन्ता दूरसंचार संघ एसोशिएशन (भारत) सैक्टर 5/892 आर० के० पुरम, नई दिल्ली-22	4-3-49
14.	राष्ट्रीय रेल डाक सेवा कर्मचारी यूनियन मेलगार्ड एवं श्रेणी-4, टी 16 अतुलग्रोव रोड, नई दिल्ली-1	9-6-70

15. राष्ट्रीय तार परियात कर्मचारी यूनियन श्रेणी-3 सी० एच० क्यू०, प्रेम भवन, सुभाष मार्ग, कोटा राजस्थान — 12-6-70

16. तार सहायक अधीक्षक एसोशिएशन सी०एच०क्यू० 6/651 आर० के० पुरम नई दिल्ली-22 — 14-11-68

17. अखिल भारतीय टेलीफोन परियात कर्मचारी एसोशिएशन साराभाई टेम्पुल स्ट्रीट दुर्गापुर विजयवाडा — 30-8-74

(ग) भारतीय डाक-तार कर्मचारी महासंघ तथा इससे संबद्ध यूनियन और एसोशिएशनें

1. भारतीय डाक-तार कर्मचारी महासंघ टी-15 अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली-1
2. भारतीय डाक-कर्मचारी यूनियन श्रेणी-3, बी-323, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली-27
3. भारतीय (डाक-तार) प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी यूनियन श्रेणी 3 एवं 4 अतुलग्रोव रोड, नई दिल्ली-1
4. भारतीय व डाक-कर्मचारी यूनियन और पोस्टमैन और श्रेणी-4 सैक्टर-6, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-22 — 17-11-78

5. भारतीय विभागेतर कर्मचारी यूनियन 15/2 बी सिंगल स्टोरी, तिलक नगर, नई दिल्ली-18
6. भारतीय रेल डाक सेवा एवं मेलमोटर सेवा कर्मचारी यूनियन मेलगार्ड एवं श्रेणी-4, छटी 15 अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली-1
7. भारतीय रेल डाक सेवा एवं मेल मोटर सेवा कर्मचारी यूनियन श्रेणी-3, सी० एच० क्यू० टी 15 अतुलग्रोव रोड, नई दिल्ली-1 — 17-11-78
8. भारतीय तार परियात कर्मचारी यूनियन श्रेणी-4, टी 15 अतुलरोव रोड नई दिल्ली-1
9. भारतीय टेलीफोन कर्मचारी यूनियन श्रेणी-3 पुष्पराज 48 सैलाश सोसाइटी, पुणे-9
10. भारतीय टेलीफोन कर्मचारी यूनियन लाइन स्टाफ एवं श्रेणी-4 टी 15 अतुलग्रोव रोड, नई दिल्ली-1

11. भारतीय डाक-तार टेक्नीसियन यूनियन 392, लाल कुर्ती बाजार, अम्बाला कैंट-1 — 17-11-68

(घ) गैर संघबद्ध यूनियन/एसोशिएशन

1.	अखिल भारतीय डाक एवं रेल डाक सेवा लेखाकार एसोशिएशन द्वारा सहायक पोस्टमास्टर मुख्य डाकघर पांडिचेरी-1	उपलब्ध नहीं
2.	अखिल भारतीय निरीक्षक एवं डाकघर उपअधीक्षक एसोशिएशन यू० डी० 10, देवनगर, नई दिल्ली-5	24-9-68
3.	अखिल-भारतीय बचत बैंक नियन्तरण कर्मचारी यूयियन, ए 7, न्यू गुप्ता कालोनी कंबरी रोड, दिल्ली-33	24-9-68
4.	अखिल भारतीय डाक-तार सिविल विंग राजपत्रित कर्मचारी यूनियन फ्लैट नं० 42, सी 21 सी, पोकेट नं० 12 जनकपुरी नई दिल्ली-58	25-10-69
5.	अखिल भारतीय पोस्टल सुपरवाइजर (सामान्य लाइन) 32, कामराज नगर सालीग्राम डाकघर मद्रास-93	21-4-70
6.	अखिलम भारतीय डाक कर्मचारी एसोसिएशन सी० एच० क्यू० 4 बी/6 गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली	8-8-77
7.	अखिल भारतीय इंजीनियर्स यूनियन (सिविल) एसोशिएशन डाक-तार सिविल विंग, द्वारा डिवीजन नं० 1 (डाक-तार) 3, कौमांडर इन चीफ रोड, मद्रास-600005	22-12-78

(ङ) औद्योगिक कर्मचारी यूनियन

1.	डाक-तार मजदूर यूनियन नं० 173-बी, आचार्य जगदीश बोस रोड, श्रमिक भवन कलकत्ता-700014	5-12-51
2.	अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारी संघ, 7 सी गोखले रोड, कलकत्ता-700020	18-9-46

(च) औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक स्टाफ का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त यनियन

1. टेलीफोन कर्मचारी यूनियन (जिला और कार्यशाला), 82 मुकन्द निवास, शेखाराम कीर रोड, महीमां बम्बई-400016, डी० डी० (संयुक्त एवं औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए)। 3-12-45

उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली चीनी के प्रति व्यक्ति कोटा में कटौती

4602. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली चीनी का प्रति व्यक्ति कोटा कम करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को चीनी की सन्तोषजनक मात्रा दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति को 17-12-79 को पुनः लागू करने से 16-8-1978 को चीनी पर से नियंत्रण हटाने से तुरन्त पूर्व पिछला आंशिक नियन्त्रण की अवधि के दौरान दिए जा रहे लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटों को बहाल कर दिया गया है। इन राज्यवार मासिक कोटों को 1-4-1978 को परियोजित जनसंख्या के संदर्भ में 425 ग्राम प्रति मास प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर दिसम्बर, 1977 से गत आंशिक नियंत्रण की अवधि के दौरान निर्धारित किया गया था। पिछले $2\frac{1}{2}$ या इससे अधिक वर्षों के दौरान जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण विभिन्न राज्यों में तदनुरूपी सामा तक प्रति मास प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी हुई है जिसके कारण राज्य सरकारों द्वारा वितरित की जा रही मात्रा में समायोजन करने की आवश्यकता पैदा हुई ताकि वर्तमान कोटों के अन्दर-अन्दर ही वितरण करने की व्यवस्था की जा सके। 1979-80 मौसम में चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आने से लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता होने और वर्तमान मौसम 1980-81 में उत्पादन की अनिश्चित सम्भावनाएं होने के कारण फिलहाल विभिन्न राज्य सरकारों के लेवी चीनी के मासिक कोटों में वृद्धि करने विषयक उनके अनुरोधों पर विचार करना सम्भव नहीं है।

भारत-सोवियत संयुक्त आयोग द्वारा अनुवाद के लिए चुनी गई पुस्तकें

4703. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-सोवियत संयुक्त आयोग द्वारा भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिये चुनी गई पुस्तकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन पुस्तकों को कहां मुद्रित कराया जाएगा; और

(ग) इन पुस्तकों के मुद्रित होने से भारत किस सीमा तक लाभान्वित होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशन के लिए चुनी गई सभी पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। ये रूस में छापी जाती हैं और भारतीय अध्येताओं को कम दाम पर इसके संस्करण उपलब्ध किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में प्राकृतिक आपदाएं

4604. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 से 1980 की अवधि के दौरान गुजरात में बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप हुई हानि का मूल्य कितना है;

(ख) प्रति वर्ष होने वाली इस हानि को पूरा करने के लिए गुजरात ने कितनी सहायता की मांग की और केन्द्र ने इस मांग में से कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की, साथ ही अब तक गुजरात को अनुदान की कितनी राशि दी गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात सरकार द्वारा सहायता के रूप में मांगे गए अनुदानों तथा ऋणों की धन-राशि न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अनुदानों एवं ऋणों की बाकी धनराशि कब दी जाएगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) गुजरात में 1977-1980 की अवधि के दौरान बाढ़ तथा सूखे के कारण हुए नुकसान/क्षति तथा गुजरात सरकार द्वारा मांगी गई सहायता और इसके लिए भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) प्राकृतिक विपदाओं के लिए राहत सम्बन्धी आवश्यक खर्च के लिए वित्त प्रदान करने की योजना वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सहायता की मात्रा केन्द्रीय दल के क्षेत्रीय दौरों तथा उसके राज्य सरकार के साथ विस्तृत विचार विमर्श करने तथा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद तय की जाती है। सहायता के स्वरूप एवं मात्रा को निर्धारित करते समय प्रभावित जन संख्या, विशेष रूप से छोटे एवं सीमान्त कृषक, भूमिहीन श्रमिक तथा राहत की आवश्यकता वाले अन्य कमजोर वर्गों को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

(क) गुजरात में 1977 से 1980 तक की अवधि के दौरान बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान/सम्पत्ति में हुई क्षति का मूल्य तथा मानव जीवन की हानि तथा गुजरात सरकार द्वारा मांगी गई सहायता और केन्द्र द्वारा दी गई सहायता ।

क्रम संख्या	आपदा का वर्ष	प्रभावित फसलों का मूल्य (लाख रुपए)	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	निजी सम्पत्ति को पहुँची क्षति का अनुमान	सार्वजनिक सम्पत्तियों की हुई हानि का अनुमानित मूल्य (लाख रुपए)	गुजरात सरकार द्वारा मांगी गई सहायता	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा
1.	1977	2368.56	80	254.81	2925.38	5566.00	1043.00
2.	1978	—	—	—	—	—	—
3.	1979	1655.00	2005	2956.91	11231.37	23500.00	5060.00
4.	1980	2201.95	42	1007.80	3521.00	15251.00	1898.00

(ख) गुजरात में 1977 से 1979 तक तथा 1980-81 की अवधि के दौरान सूखे से हुई क्षति, उससे प्रभावित आबादी, प्रभावित क्षेत्र तथा प्रभावित पशु और गुजरात द्वारा मांगी गई सहायता तथा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र द्वारा दी गई सहायता ।

क्रम संख्या	वर्ष	प्रभावित जनसंख्या (लाख)	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टार)	प्रभावित क्षेत्र (लाख)	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए)	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई व्यय की अधिकतम सीमा (करोड़ रुपए)
1.	1977-79	कुछ नहीं	—	—	—	—
2.	1980-81	60.00	11.24	16.80	37.28	6.12

खादी उत्पादन

4605. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में खादी का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में खादी की बिक्री पर दी गई छूट पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में सरकार द्वारा कितनी राजसहायता दी गई ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी के कुल उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए अनुसार हैं :

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपये में)
1977-78	64.89
1978-79	76.54
1979-80	92.03

(ख) सरकार द्वारा सुलभ की गई निधियों में से गत तीन वर्षों के दौरान संस्थाओं और राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को भुगतान की गई छूट की कुल धनराशि नीचे दी गई है :

वर्ष	भुगतान की गई छूट की धनराशि (करोड़ रुपए में)
1977-78	8.61
1978-79	9.40
1979-80	9.59

केन्द्रीय जल आयोग के साथ गंगा बेसिन के जल स्रोत संगठन का विलय

4606. **श्री रेणुपद दास** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग के साथ गंगा बेसिन जल स्रोत संगठन के विलय की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या मूर्ति समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करके थोड़ा-थोड़ा करके कोई विलय किया गया था;

(ग) क्या इसके परिमाणस्वरूप गंगा बेसिन जलस्रोत संगठन के लिपिकीय कर्मचारियों को पदोन्नति, स्थानान्तरण, दक्षतारोध पार करने, स्थायी करने, भवन निर्माण ऋण देने आदि के मामले में सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है;

(घ) क्या कानूनी कमी के कारण इसमें कोई बाधा है; और

(ङ) यदि हां, तो विलय की योजना शुरू करने से पहले विधि मन्त्रालय से सलाह-मशविरा न किए जाने के क्या कारण थे ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन को केन्द्रीय जल आयोग का अभिन्न अंग बना दिया गया है और अब यह केन्द्रीय जल आयोग के प्रशासनिक और बजट सम्बन्धी नियन्त्रण के अन्तर्गत आयोग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।

गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के तकनीकी राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्गों का विलय क्रमश: 23-5-78 तथा 3-11-1978 से केन्द्रीय जल आयोग के सपनुरूप संवर्गों के साथ कर दिया गया है।

केन्द्रीय जल आयोग में बाहरी संगठनों के विलय के खिलाफ न्यायालय में दी गई लेख्य-याचिका और तकनीकी पदों के विलय के खिलाफ भूतपूर्व सिंचाई और कृषि मंत्रालय की विभागीय परिषद में केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों को देखते हुए गंगा बेसिन जल संसधान संगठन के शेष सचिवालयीय और समूह 'घ' स्टाफ का विलय केन्द्रीय जल आयोग के साथ करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय लेना स्थगित कर दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग को जिसके अधीन गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन अबकार्य कर रहा है, पहले ही निदेश जारी कर दिए गए हैं कि इस संगठन से सम्बन्धित सभी प्रशासनिक मामलों के बारे में शीघ्रता से कार्रवाई की जाए, जिनमें गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के सचिवलायीय स्टाफ की पदोन्नति, स्थानान्तरण, दक्षतारोध पार करने, स्थायीकरण, मकान-निर्माण के लिए ऋण देने आदि से सम्बन्धित मामले शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इस बारे में विधि मन्त्रालय से सम्यक रूप से सलाह ली गई थी।

बाबा साहिब बी० आर० अम्बेडकर के सम्मान में स्मारक डाक टिकट

4607. **श्री हीरा लाल आर० परमार**
श्री भीखा भाई :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 6 दिसम्बर 1981 को बाबा साहिब बी० आर० अम्बेडकर की 25वीं पुण्य तिथि के उपलक्ष में विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) भवन, नई दिल्ली ने भी ऐसी ही मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

सन्चार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) ठाक तार विभाग स्वर्गीय डा० बी० आर० अम्बेडकर के सम्मान में तारीख 14-4-1966 और 14-4-1973 को पहले ही टिकट जारी कर चुका है। इन महानुभाव के सम्मान में और कोई स्मारक डाक टिकट जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिमी कोसी नहर

4608. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित पश्चिमी कोसी नहर की कितने किलोमीटर खुदाई की जा चुकी है और नेपाल तथा भारतीय क्षेत्र में कमला नदी के पूर्व में चालू खुदाई, पृथक-पृथक कितने किलोमीटर पूरी हो चुकी है तथा क्या कमला नदी के पूर्व की समूची लम्बाई तक आगामी वर्षा ऋतु से पहले खुदाई पूरी हो जाएगी;

(ख) कमला नदी के पूर्व में कितनी खुदाई तथा कुल निर्माण कार्य का कितना भाग पूरा हो गया है अथवा पूरा किया जा रहा है अथवा अभी भी पूरा किया जाना है;

(ग) कमला नदी के पार निर्माण किस अवस्था में है; और

(घ) क्या कमला नदी के पश्चिम की ओर भूमि का अधिग्रहण आरम्भ हो गया है और क्या मार्ग-रेखा निर्धारण में मामूली परिवर्तन करके उसे उत्तर की ओर करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोनों के कार्यकरण के बारे शिकायतें

4609. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता द्वारा देश के विभिन्न भागों में की जा रही इन शिकायतों का पता है कि उनके टेलीफोन काफी समय के लिए खराब रहते है और बार-बार की जाने वाली

शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और उनके बावजूद टेलीफोन किराया उपभोक्ताओं से पूरा लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि जितनी अवधि के लिए टेलीफोन खराब रहे, उतने समय का किराया न लिया जाये ?

सन्चार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) टेलीफोन उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर इसी उद्देश्य से विशेष रूप से तैनात किए गए कर्मचारियों द्वारा यथाशीघ्र ध्यान दिया जाता है ।

(ख) अवरोधित अवधि हेतु किराये से सम्बन्धित मामलों की गहराई से जांच की गई है । एक तिमाही में 45 दिन अथवा उससे अधिक के अवरोध की अवधि हेतु किराये में छूट प्रदान की प्रक्रिया को एक प्रायोगिक आधार पर अजमाने का निर्णय लिया गया है ।

दिल्ली टेलीफोनों की भूमिगत केबल व्यवस्था

4610. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या सन्चार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली टेलीफोनों की भूमिगत केबल व्यवस्था करने के लिए एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पारियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है और यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां । दिल्ली में जंकशन केबुल बिछाने तथा प्राथमिक तथा सहायक केबुल और जंकशन केबुल बिछाने हेतु केबुल डक्ट बनाने का प्रस्ताव है । खराबी के समय नमी से बचाने हेतु केबुलों का गैस दावी करण किए जाने का भी प्रस्ताव है ।

(ख) योजना नियमित रूप से जारी रहने वाली होगी । 1981-82 तथा 1982-83 वर्षों हेतु 4.91 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 34 किलोमीटर केबुल डक्ट बनाने की योजना बनाई गई है ।

शिक्षा के शैक्षिक तथा प्रकाशित पहलुओं पर केन्द्र द्वारा कानून बनाया जाना

4611. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री बी० वी० देसाई : } क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया फेडरेशन आफ एज्यूकेशन ऐसोसिस्शन ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिनमें उन्होंने शिक्षा के शैक्षिक तथा प्रशासनिक दोनों पहलुओं पर केन्द्रीय कानून बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने ज्ञापन में लिखी बातों पर विचार किया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ज्ञापन में उल्लिखित बातों को नोट कर लिया गया है।

कर्नाटक द्वारा खुले बाजार से चावल की खरीद

4612. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश ने कर्नाटक राज्य को चावल की सप्लाई की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा की सप्लाई की गई है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य ने बहुत बड़ी मात्रा के रक्षित भण्डार की स्थापना के लिए खुले बाजार से चावल खरीदने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अब तक कितनी मात्रा सप्लाई की गई है;

(ङ) क्या फरवरी, 1981 में कर्नाटक राज्य ने केन्द्र सरकार से 25,000 टन चावल की मांग की थी; और

(च) यदि हां, तो उनको वस्तुत: कितनी मात्रा दी गई थी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) राज्य सरकारों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि में 74,501 मीटरी टन चावल की मांग के प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से 89,500 मीटरी टन चावल आवंटित किया गया था। उस अवधि के दौरान राज्य सरकार ने केवल 26,500 मीटरी टन चावल उठाया था।

(ङ) जी, हां।

(च) 14,500 मीटरी टन

मेलघाट आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए अनुदान

4613. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला को वर्ष 1978-83 के लिए, मेलघाट आदिवासियों के आर्थिक विकास हेतु 24,25,555.00 रु० का अनुदान मंजूर किया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें से अब तक वास्तव में कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) इस आवंटित राशि का उपयोग अब तक किन विकास कार्यों के लिए किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 20 नवम्बर, 1978 (विश्वविद्यालय के द्वारा परियोजना को कार्यान्वित करने की तिथि) से आज तक पंजाब राव कृषि विद्यापीठ को 8,82,440.00 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है ।

(ग) विश्वविद्यालय से सूचना मंगायी गयी है और जैसे ही प्राप्त होगी उसे सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

रेल डाक सेवा, बर्दवान के लिए इमारत

4614. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग रेल डाक सेवा बर्दवान के लिए एक बड़ी इमारत किराये पर लेने के लिए विचार कर रहा है; और

(ख) क्या डाक विभाग की वर्तमान इमारत कार्य के लिए बहुत छोटी है और इसके कार्य के कुछ हिस्से को दुर्गापुर और आसनसोल ले जाना पड़ा है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) रेल डाक सेवा कार्यालय के लिए रेल विभाग अतिरिक्त आवास का निर्माण कर रहा है । दुर्गापुर का द्वितीय श्रेणी पैकिट छंटाई कार्यालय प्रचालन को ध्यान में रखकर खोला गया था । बर्दवान में स्थान की कमी की समस्या को कम करने के लिए बर्दवान के रेल डाक सेवा कार्यालय का कोई भी काम दुर्गापुर अथवा आसनसोल को हस्तान्तरित नहीं किया गया था ।

विदिशा आटो एक्चेंज का विस्तार करने का प्रस्ताव

4615. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदिशा आटो एक्चेंज का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी नई बढ़ी हुई क्षमता कितनी है;

(ग) विस्तार का काम कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) 31 जनवरी, 1981 तक विदिशा बड़ौदा, रेसिन और बरेली में एन० टी० सी० के लिए प्रतिक्षा सूची में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) 500 लाइनें।

(ग) यदि 1982 वर्ष के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना न घटी।

(घ)

विदिशा	64
बडोदरा	शून्य
रायसेन	शून्य
बरेली	1

प्रत्येक राज्य में संचालित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

4616. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सन्चार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1981 को काम कर रहे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान देश में स्थापित किए जाने वाले ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कई सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को एक ही लाइन से जोड़ दिए जाने के कारण, इन्होंने ठीक से काम करना बन्द कर दिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को अलग-अलग लाइनों में जोड़ने का है ताकि वे लोगों के लिए लाभप्रद और उपयोगी हो सके ?

सन्चार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में 20,000 लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है। राज्यवार आंकड़ों पर निर्णय लिया जा रहा है।

(ग) यद्यपि कुछ मामलों में सार्वजनिक टेलीफोन घर टैडम से जोड़े गए हैं परन्तु इससे उनके कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है

विवरण

1-1-1981 को लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन की संख्या

क्रम संख्या	सर्किल	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2503
2.	बिहार	1383
3.	निम्न स्थान सहित गुजरात सर्किल :	
	(क) गुजरात (ख) दादरा, नगर हवेली (ग) दमण, दीव	484
4.	जम्मू तथा कश्मीर	157
5.	निम्न स्थान सहित केरल सर्किल	
	(क) केरल (ख) लक्षद्वीप समूह	187
6.	कर्नाटक	1040
7.	मध्य प्रदेश	1025
8.	निम्न स्थान सहित महाराष्ट्र सर्किल	
	(क) महाराष्ट्र	600
	(ख) गोवा	8
9.	निम्न स्थान सहित उत्तर पूर्वी सर्किल	
	(क) असम	250
	(ख) अरुणाचल प्रदेश	14
	(ग) मणिपुर	26
	(घ) मेघालय	50
	(ङ) मिजोरम	8

(च)	नागालैंड	25
(छ)	त्रिपुरा	48

क्रम संख्या	सर्किल	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या
10.	निम्न स्थान सहित उत्तर पश्चिमी सर्किल	
(क)	पंजाब	213
(ख)	हरियाणा	481
(ग)	हिमाचल प्रदेश	112
(घ)	चण्डीगढ़	6
11.	उड़ीसा	485
13.	राजस्थान	675
13.	निम्न स्थान सहित तमिलनाडु सर्किल	
(क)	तमिलनाडु	1303
(ख)	पांडिचेरी	10
14.	उत्तर प्रदेश	2361
15.	निम्न स्थान सहित पश्चिम बंगाल सर्किल	
(क)	पश्चिम बंगाल	553
(ख)	सिक्किम	16
(ग)	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	6

बड़े शहरों में 'स्लम'

4617. **श्री डी० आर० शमन्ना :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई, बंगलोर आदि जैसे बड़े शहरों में 'स्लम' बहुत बड़ी संख्या में बन रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने बड़े शहरों में स्लमों के बारे में कोई नीति निर्णय किया है;

(ग) क्या वर्तमान स्थानों के स्लमों को सुधारा अथवा उनका उन्मूलन किया जाएगा और अन्यत्र बसाया जायेगा; और

(घ) 1980-81 में स्लमों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े-बड़े शहरों में गन्दी बस्ती की समस्या विकट है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार पर काफी बल दिया गया है।

(घ) नगरीय गन्दी बस्ती पर्यावरणीय सुधार योजना राज्य क्षेत्र में है और इसका कार्यान्वयन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में किया जाता है। 1980-81 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में 2402 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। किए गए खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रोहिणी योजना के अन्तर्गत मकान

4618. **आचार्य भगवान देव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की गई रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मकानों की श्रेणी-वार संख्या क्या है; और

(ख) यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

संसदीय कार्य और निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) रोहिणी स्कीम दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बनाई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि स्कीम में दी गई श्रेणी वार प्लाटों की संख्या निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	प्लाटों की संख्या
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	51,000
निम्न आय वर्ग	45,900
मध्यम आय वर्ग	16,150
उच्च आय वर्ग	3,966
	1,17,016

उपर्युक्त प्लाटों के अतिरिक्त, सामूहिक आवास में 17,000 रिहायशी एककों का प्रावधान है।

(ख) लगभग 5 वर्ष।

डाक कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

4619. **श्री जे० देवराय नायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार डाक कर्मचारियों के वेतनमानों में जल्द ही संशोधन करने की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षारीय भूमि

4620. **श्री बागुन सुम्बरूई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अधिक भूमि क्षारीय होती जा रही है;

(ख) क्या गत दस वर्षों के दौरान क्षारीय हो चुकी भूमि के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है और उसका क्या ब्योरा है; और

(ग) क्या क्षारीय भूमि की समुचित व्यवस्था के लिए पैकेज तकनीकी का विकास करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) गत दस वर्षों के दौरान क्षारीय बनी भूमि की मात्रा के निर्धारण के लिये अभी तक कोई निश्चित अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परन्तु पता चला है कि गत कुछ दशकों में सिंचाई के अन्तर्गत आया काफी बड़ा क्षेत्र जललग्नता और क्षारीयपण से प्रभावित हुआ है।

(ग) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्षारीय मुद्रा के सुधार के लिए उपयुक्त तकनीकों का विकास कर रही है।

दिल्ली दुग्ध योजना में दूध की प्राप्ति

4621. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध प्राप्त करने के स्रोतों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह दूध विशेष दूध टैंकरों द्वारा लाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार प्रतिदिन दूध की कितनी मात्रा लायी जा रही है;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए विदेशों से विशेष दूध टैंकरों तथा फालतू पुर्जों का आयात करने के लिए सरकार की अनुमति ली गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) दिल्ली दुग्ध योजना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश की सरकारी एजेंसियों/सहकारी संगठनों से कच्चा दूध खरीदती है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में पशु रखे जाने वाली कालोनियों से भी कच्चा दूध प्राप्त किया जाता है। राज्य एजेन्सियों ने दिल्ली दुग्ध योजना में दूध पहुँचाने की जिम्मेदारी ली है। इन एजेन्सियों द्वारा किए गए करार के अन्तर्गत, उनके द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना को वर्ष 1981 में सप्लाई किये जाने वाले दूध की मात्रा निम्नलिखित है :

	(प्रति दिन दूध की मात्रा किलोग्राम में)	
अप्रैल से जुलाई	मार्च और अगस्त से अक्तूबर	नवम्बर से फरवरी
72,500	96,000	1,33,000

ये एजेन्सियां मुख्यतः अपने परम्परागत दूध टैंकरों में दूध भेजती है।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली में पब्लिक स्कूलों में कथित कुप्रबन्ध तथा अनियमितताएं

4622. **श्री एच० एन० गौडा**
श्री के० लकप्पा } : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के विभिन्न पब्लिक स्कूलों में काफी कुप्रबन्ध तथा अनियमितताएं हैं;

(ख) क्या अध्यापकों और कर्मचारियों को सरकारी संस्थानों की तुलना में काफी कम भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या अनेक स्कूलों ने दिल्ली शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्कूलों द्वारा प्रवेश के समय प्रवेश शुल्क (केपीटेशन फीस) की मांग की जाती है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का पब्लिक स्कूलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) गैर-सहायता प्राप्त मान्य स्कूलों के कुछ प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायतें दिल्ली प्रशासन के ध्यान में लाई गई हैं।

(ख) कुछ मामलों में गैर-सहायता प्राप्त मान्य स्कूलों के शिक्षकों को राजकीय स्कूलों के तदनुरूपी श्रेणी के शिक्षकों के अनुमत्त वेतन से कम वेतन दिया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सेंट माइकल ग्रामर स्कूल, साहिबाबाद दौलतपुर, अर्वाचीन भारती मिडिल स्कूल, शाहदरा और सालवान पब्लिक स्कूल, राजेन्द्र नगर ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन किया था। अर्वाचीन भारती मिडिल स्कूल, शाहदरा ने अपने अध्यापकों को उनके वेतन का भुगतान, राजकीय स्कूलों के तदनुरूपी श्रेणी के शिक्षकों की अनुमत्य दरों पर नहीं किया।

(ङ) दिल्ली प्रशासन को प्रतिव्यक्ति शुल्क की तथाकथित मांग के सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित तीन स्कूलों के प्रबन्धों को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत नियन्त्रण में लिए जाने के आदेश दिए गए थे, किन्तु सम्बन्धित स्कूलों के प्रबन्धकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अवरोध आदेश प्राप्त कर लिए हैं जहां उनके मामले इस समय विचाराधीन हैं।

[जल विकास निगम

4623. **श्री चित्त बसु** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिंचाई के लिए जल का अधिकतम उपयोग करने हेतु जल विकास निगम की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अभी तक क्या विशेष उपाय किये गए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय द्वारा जल संसाधनों के इष्टतम विकास के लिए इन साधनों के विकास का जो

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया है, उसके प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के बारे में सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के लिए एक राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी की स्थापना करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को मंजूर किया गया चावल और राशि

4624. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने तथा स्थाई सामुदायिक परिसम्पतियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यकम के अन्तर्गत राजस्थान को कितने टन चावल की मंजूरी की गई है तथा मजूरी का नकद भुगतान करने और सामग्री की खरीद करने के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है और ये स्वीकृतियां कब की गई हैं;

(ख) क्या स्वीकृत चावल और राशि का राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के बीच वितरण कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वितरण के लिए किन मानदण्डों को अपनाया गया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को संस्वीकृत खाद्यान्नों की मात्रा तथा सामग्री की खरीद करने तथा मजदूरी का आंशिक रूप में नकद भुगतान करने के लिए नकद निधियां की धनराशि और साथ ही संस्वीकृतियों की तारीखों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) व (ग) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जिलों को (1) सम्बन्धित समाहर्ताओं की मांग (2) क्षेत्र की प्रभावित जनसंख्या तथा (3) अधूरे निर्माण-कार्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्नों तथा नकद निधियों का वितरण किया गया है।

विवरण

काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान की राज्य सरकार को बंटित की गयी खाद्यान्नों की मात्रा और नकद निधियों और साथ ही संस्वीकृतियों की तारीखों को दर्शाने वाला विवरण

बंटित की गई खाद्यान्नों की मात्रा (मीटरी टन में)	संस्वीकृति संख्या तथा तारीख	वस्तु घटकों के लिए की गयी नकद निधियां (लाख रुपये में)	संस्वीकृति संख्या तथा तारीख	मजदूरी घटकों के लिए बंटित की गई नकद निधियां (लाख रुपये में)	संस्वीकृति संख्या तथा तारीख
55,000	संख्या एम-13011 (17)/80-एफ० डब्ल्यू० पी० दिनांक 21-4-1980	182.00	संख्या एम-13011 (17)/80 एफ० डब्ल्यू० पी० दिनांक 31-1-81	57.20	संख्या एम-13011 (17)/80-एफ० डब्ल्यू० पी० दिनांक 31-1-81
55,000	संख्या एम-13011 (17)/80-एफ० डब्ल्यू० पी० दिनांक 16-5-1980				
20,000	संख्या एम०-13011 (17)/80-एफ० डब्ल्यू० पी० दिनांक 18-7-1980				

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाठ्य पुस्तकों का तैयार किया जाना

4625. **श्रीमती कृष्णा शाही :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा पाठ्य पुस्तकें तैयार किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् 1964 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित/सिफारिश की गई पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण कर रहा है। वर्ष 1981-82 के लिए रा० शै० अनु० तथा प्र० प० ने अपनी पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिया है और जून 1981 तक सभी पाठ्य-पुस्तकों के उपलब्ध हो जाने की संभावना है। किसी प्रकार कागज की कमी के कारण मुद्रण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रा० शै० अनु० तथा प्रशि० परिषद् ने अपने पास कागज का पर्याप्त भंडार रख लिया है।

राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा

4626. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर रखी है, प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी अधिकतम सीमा निश्चित कर रखी है और उक्त निर्धारण किस तारीख को किया गया था क्या इसको लागू भी कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) प्रत्येक राज्य में भूमि की श्रेणी के अनुसार पांच सदस्यों के एक परिवार के लिए लागू अधिकतम सीमा तथा संशोधित अधिकतम सीमा कानून बनाने की तारीख को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। अधिकतम सीमा कानूनों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अधिकतम सीमा क्षेत्र	अधिनियम की तारीख
1.	आन्ध्र प्रदेश	10 से 54 एकड़	1-1-1973
2.	असम	50 बीघे (16½ एकड़)	16-9-1975
3.	बिहार	15 से 45 एकड़	19-5-1973
4.	गुजरात	10 से 54 एकड़	23-2-1974
5.	हरियाणा	7.25 हैक्टेयर से 21.8 हैक्टेयर	23-12-1972
6.	हिमाचल प्रदेश	10 से 70 एकड़	10-7-1973
7.	जम्मू और काश्मीर	$8\frac{13}{14}$ से $22\frac{8}{11}$ एकड़	21-8-1970
8.	कर्नाटक	10 से 54 एकड़	23-2-1974
9.	केरल	15 से 15 एकड़	17-12-1969
10.	मणिपुर	5 से 6 हैक्टेयर	24-5-1976
11.	महाराष्ट्र	18 से 54 एकड़	6-8-1975
12.	मध्य प्रदेश	18 से 54 एकड़	7-3-1974
13.	उड़ीसा	10 से 45 एकड़	28-9-1973
14.	पंजाब	7 से 21.8 हैक्टेयर	2-4-1973
15.	राजस्थान	18 से 175 एकड़	1-1-1973
16.	सिक्किम	12.5 से 50 एकड़	7-6-1978
17.	तमिलनाडु	12 से 60 एकड़	15-2-1970
18.	त्रिपुरा	4 से 12 हैक्टेयर	30-4-1974
19.	उत्तर प्रदेश	7.30 से 18.25 हैक्टेयर	5-6-1973
20.	पश्चिम बंगाल	5 से 7 हैक्टेयर	8-2-1971

'खुला विश्वविद्यालय' स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव

4627. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'खुला विश्वविद्यालय' स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) उच्चतर शिक्षा मन्त्री, पश्चिमी बंगाल से हाल ही में प्राप्त पत्र में, अन्य बातों के साथ यह भी उल्लेख था कि राज्य सरकार 'खुले विश्वविद्यालय' को स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राज्य सरकार से प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

इण्डियन एथलेटिक टीम आफ वेटरेन्स का विमान टिकट हेतु अनुरोध

4628. **श्रीमती गुरबिन्दर कौर ग्रार** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 से 14 जनवरी, 1981 तक क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैण्ड में हुई चतुर्थ विश्व वेटर्न खेलों में भाग लेने वाले इंडियन एथलेटिक टीम ग्राफ वेटरेन्स के सदस्य को विमान टिकट ग्रादि के लिए वित्तीय सहायता देने के बारे में उनके मन्त्रालय को कोई ग्रनुरोध प्राप्त हुग्रा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इंडियन टीम ग्राफ वेटरेन्स के सदस्य ने क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड में हुई चतुर्थ विश्व वैटर्न खेलों में 4 स्वर्ण, 4 रजत ग्रौर 4 कांसे के पदक जीते थे; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो टीम के उन सदस्यों को, जिन्होंने पदक जीते हैं, ठीक ढंग से पुरष्कृत करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) 'ग्राल इण्डिया वेटेरन्स ऐथलेटिक ऐसोसिएशन' ने मात्रा व्यय ग्रादि के लिए वित्तीय सहायता हेतु ग्रौर 7 से 14 जनवरी, 1981 तक न्यूजीलैंड स्थित क्राइस्टचर्च में हुए चतुर्थ विश्व वेटेरन्स खेलों में वेटेरन्स ऐथलेटिक टीम के भाग लेने हेतु विदेशी मुद्रा के लिए सरकार से ग्रनुरोध किया था।

(ग) जी, हां।

(घ) ऐसे मामलों में पुरस्कार देने की कोई व्यवस्था/योजना नहीं है।

सूर्य मंदिर और लिंगराज मन्दिर

4629. **श्री दौलत राम सारणा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोणार्क के सूर्य मन्दिर और भुवनेश्वर के लिंगराज मन्दिर के संरक्षण तथा पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षण प्रदान करने के लिए क्या योजना है;

(ख) क्या पर्यटन की दृष्टि से कोणार्क और जगन्नाथपुरी के बीच तटीय क्षेत्र को आकर्षक बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) कोणार्क में स्थित सूर्य मन्दिर तथा भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मन्दिर केन्द्रीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इनका रख-रखाव करता है। पर्यटन विभाग तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम इन स्थानों पर पर्यटनों के हितार्थ आवास तथा परिवहन क सुविधाओं का विकास कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) कोणार्क तथा जगन्नाथपुरी के मध्य समुद्रतटीय क्षेत्र के विकास का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है, तथापि भारतीय पर्यटन विकास निगम की योजनाएं हैं कि उड़ीसा के पर्यटन विकास निगम के सहयोग से कोणार्क में समुद्रतट पर एक कुटीर समूह तैयार कराया जाए और पुरी में समुद्रतट पर एक होटल बनवाया जाए।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में झा समिति के निष्कर्ष

4630. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, के मामलों की जांच करने के लिए डा० वी० एस० झा की अध्यक्षता में समिति कब नियुक्त की गई थी; और

(ख) इसके निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) 12 मार्च, 1980 को गठित की गई समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

कोम्बुर एक्सचेंज और पलावरम् आंध्र प्रदेश के बीच एक दूसरी लाइन स्थापित करना

4631. **श्री ए० के० स्वामी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश में कोव्वूर एक्सचेंज और पलावरम् शहर के बीच एक दूसरी लाइन की स्थापना के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पलावरम आदिवासी क्षेत्र है, इस दूसरी ट्रंक लाइन की मंजूरी देगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। दूसरी ट्रंक लाइन प्रदान करने हेतु कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

गन्ने के कम चीनी निकलने के लिए अलाभप्रद मूल्य

4632. **श्री आनन्द सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की गन्ना फैक्ट्रियां किसानों को, यदि गन्ने की खराब किस्म होने के कारण गन्ने से चीनी कम निकलती है तो गन्ने का कम मूल्य देती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये फैक्ट्रियां तब भी किसानों को गन्ने का कम मूल्य देती हैं जब उन्हीं की लापरवाही और फैक्ट्रियों को अनुचित ढंग से चलाने के कारण गन्ने से कम चीनी निकलती है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि किसानों के अपने गन्ने की मात्रा के अनुरूप गन्ने का मूल्य मिल सके ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) चीनी फैक्ट्री द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत या उससे कम चीनी की रिकवरी पर आधारित है लेकिन अधिक रिकवरी के लिए आनुपातिक आधार पर प्रीमियम देने की भी व्यवस्था है। कोई भी फैक्ट्री सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य अदा नहीं कर सकती। रिकवरी की प्रतिशतता गन्ने की किस्म और फैक्ट्रियों की परिचालन सम्बन्धी कार्य-कुशलता पर निर्भर करती है। रिकवरी को कम करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक तत्व के शेयर को मात्रा में नहीं बताया जा सकता है।

(घ) किस्म के आधार पर गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिए एक योजना तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।

भगीरथ के विरुद्ध शिकायतें/प्रशंसा

4633. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'भागीरथ' पत्रिकाओं के प्रकाशन का प्रयोजन और व्यवस्था क्या है;

(ख) सम्पादक मंडल के कृत्य क्या हैं और भगीरथ पत्रिकाओं के सम्पादक मंडल सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) अंग्रेजी और हिन्दी 'भगीरथ' के विरुद्ध कितनी शिकायतें और प्रशंसापत्र प्राप्त हुए हैं और इन दो पत्रिकाओं के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये और

(घ) इन पत्रिकाओं के प्रति माह प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे क्या व्यवस्था की जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सिंचाई मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में 'भगीरथ' नामक दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। इन दोनों पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण और इनसे सम्बद्ध क्षेत्रों की योजनाओं और इनमें हुई प्रगति के सम्बन्ध में पाठकों को जानकारी देना है। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है।

(ख) सम्पादक मंडल का कार्य पत्रिकाओं में सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। भगीरथ (हिन्दी) के सम्पादक मंडल के सदस्यों के नाम नीचे दिए गये :—

1.	श्री प्रीतम सिंह, सदस्य (डी० एण्ड आर०), केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	श्री ए० एन० सिंह, सदस्य (एच० ई०)	सदस्य
3.	श्री महेश चन्द, मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	श्री विजय कुमार, उप वित्तीय सलाहकार, सिंचाई मंत्रालय	सदस्य
5.	श्री श्याम सिंह शशि, संयुक्त निदेशक, प्रकाशन विभाग	सदस्य

6.	डा० ओम प्रकाश शर्मा, मुख्य सम्पादक, विज्ञान प्रगति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	सदस्य
7.	श्री विजय प्रकाश, उप आयुक्त (डब्ल्यू० एम०), सिचाई मंत्रालय	सदस्य
8.	श्री भानुमूर्ति, निदेशक, सूचना और लोक-सम्पर्क, कृषि भवन	सदस्य
9.	श्री बी० सी० पच्चीगर, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
10.	श्री एम० एस० रामचन्दर, सम्पादक, भगीरथ (अंग्रेजी), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
11.	श्री राधाकान्त भारती, सहायक सम्पादक, भगीरथ (हिन्दी), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य सचिव

भगीरथ (अंग्रेजी) के सम्पादक मण्डल का गठन किया जा रहा है।

(ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बल्कि भगीरथ के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करणों की सराहना करने वाले बहुत से अत्र प्राप्त हुए हैं। फिर भी, दोनों पत्रिकाओं के कार्यकरण में सुधार करने के लिए हमेशा प्रयास किये जाते हैं।

(घ) इन पत्रिकाओं का प्रकाशन त्रैमासिक रूप से किया जा रहा है। इन पत्रिकाओं को मासिक रूप से प्रकाशित करने का निश्चय नहीं किया गया है।

स्कूल आफ लाईफ साइंस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० पाने वाले छात्र

4634. **श्री आरिफ मोहम्मद खान** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल आफ लाईफ साइंसेज में स्कूल की स्थापना से अब तक एम० फिल/पी० एच० डी० पाठ्यक्रमों के लिए कितने छात्रों ने दाखिला लिया; और

(ख) कितने छात्रों को पी० एच० डी० की डिग्री दी गई और उनमें से कितनों को भारत में नौकरी दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 170

(ख) अब तक 45 छात्रों को पी० एच० डी० की डिग्रियां दी गई हैं। विश्वविद्यालय से उपलब्ध सूचना के अनुसार, उन में से 16 छात्र भारत में नियुक्त हैं।

1981-82 के दौरान विश्वविद्यालयों और कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता

4635. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बन्धित कालेजों को दिए जाने के लिए प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के कालेजों के विकास के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्वविद्यालयों और उनसे संबन्धित कालेजों के प्राध्यापकों की कोटि में सुधार के लिए प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन मदों तथा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है जिनका उपयोग नहीं किया गया है और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, तकनीकी शिक्षा सहित, सभी कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजना में 40.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1981-82 के दौरान इस प्रावधान से विद्यालयों और कालेजों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए धन राशि के आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) आयोग द्वारा 1974-75 (पांचवी योजना का प्रथम वर्ष) से विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

[**ग्रंथालय में रखा गया** देखिए संख्या एल० टी०—2178/81]

(ङ) आयोग द्वारा प्रत्येक योजना अवधि के दौरान, स्टाफ, भवन, उपस्कर, पुस्तकों आदि जैसे व्यय के विभिन्न मदों की लागत में कुछ सीमाएं निर्धारित करते हुए, विभिन्न कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को स्वीकृत किया गया है। ये अनुदान, इस प्रकार स्वीकृत सीमाओं के अन्तर्गत किस्तों में मुक्त किए जाते हैं और ऐसा समय-समय पर होने वाले खर्च की प्रगति पर निर्भर करता है। पहले से ही स्वीकृत ऐसे कार्यक्रमों को, जो योजना के अन्त तक पूरी तरह कार्यान्वित

नहीं किए गए हैं, पीछे से चली आ रही योजनायें माना जाएगा, और उनका खर्च उत्तरवर्ती योजनाओं के प्रावधानों में से किया जाएगा। पांचवी योजनागत योजनाओं के मामले में यद्यपि पांचवी योजना औपचारिक रूप से 31-3-1978 को समाप्त हो गई थी फिर भी आयोग ने 1978-79 और 1979-80 में स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए सहायता देना जारी रखा।

दिल्ली पब्लिक स्कूल

4636. **श्री डी० एम० पुत्तेगोडा :**
श्री के० लकप्पा : } क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के बहुत से शिक्षक इस स्कूल के प्रबंधकों द्वारा उनके साथ किये गए अन्याय के लिए न्यायालयों में गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली पब्लिक स्कूल के शिक्षकों में बढ़ती हुई अशांति से छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि मथुरा रोड/आर० के० पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के पांच शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में दीवानी समादेश याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की है :

(1) याचिकादाता को वेतन तथा भत्ते उसी दर पर दिए जाने चाहिए जो राजकीय स्कूलों के तदनुरुपी स्तर के अध्यापकों को देय हैं।

(2) याचिकादाताओं को सेलेक्शन ग्रेड दिए जाएं।

(3) याचिकादाताओं को ऐसे अन्य लाभ भी दिए जाएं, जो इस समय राजकीय स्कूलों के तदनरूपी स्तर के अध्यापकों को प्राप्त हो रहे हैं।

(4) याचिकादाताओं को ऐसे लाभ दिए जाएं, जो उनको दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के लागू होने के बाद मिले थे।

(ग) दिल्ली प्रशासन के पास इस प्रकार के किसी असंतोष का कोई प्रमाण नहीं है।

(घ) इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेष कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

केरल के कीट ग्रस्त क्षेत्रों में नारियल के पौधे पुनः लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता

4637. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नारियल के पौधे किस सीमा तक रोगों तथा कीटाणुओं से ग्रस्त हुए हैं;

(ख) इन रोगों के कारण नारियल के उत्पादन पर कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या बुरी तरह ग्रस्त क्षेत्रों में नारियल के पौधे पुन: लगाये जाने के लिए राज्यों को केन्द्र द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केरल को गति तीन वर्षों के दौरान इस तरह की कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) कीट तथा रोगों के प्रकोप कई कारणों से होते हैं और देश में नारियल के बागानों पर उनके पड़ने वाले कुप्रभावों के सम्बन्ध में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है । रूट विल्ट नामक रोग । जो कि अत्यन्त गम्भीर रोगों में से है । नारियल के बागान पर बड़ा ही कुप्रभाव डालता है । यह रोग केरल राज्य के छः जिलों में फैला हुआ है जहां नारियल की खेती का क्षेत्र अधिकतम है ।

(ख) केरल राज्य में नारियल के इस रोग से लगभग 1930 लाख वृक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना मिली है । 1972 में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस रोग से प्रतिवर्ष 340 लाख से अधिक खोपरों की क्षति होती है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वर्ष 1977-78 के दौरान, केरल में रोगग्रस्त और अनुत्पादक बागानों को ठीक ठाक करने की एक योजना स्वीकृत की गई थी । छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान, 55,000 हैक्टार रोगग्रस्त क्षेत्रों के उपचार के व्यय को पूरा करने के लिए 102.93 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुसार, राशि का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार देगी ।

(ङ) केरल में रोगग्रस्त और अनुत्पादक नारियल बागानों को ठीक ठाक करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशि स्वीकृत की गई है :—

वर्ष	राशि
	(रुपए लाख में)
1977-78	7.066
1978-79	32.343
1979-80	10.380
योग :	49.789

कलकत्ता और मद्रास के बीच कोएक्सियल केबल कनेक्शन को उड़ीसा के जिला मुख्यालय और बड़े औद्योगिक शहरों के बीच से होकर बिछाया जाना

4638 **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और मद्रास के बीच कोएक्सियल केबल कनेक्शन उड़ीसा के अनेक जिला मुख्यालयों और बड़े औद्योगिक नगरों से होकर जाता है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक इन सब नगरों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार के सभी कस्बों में जहां उपयुक्त प्रकार के स्वचालित एक्सेचंज हैं वहां पहले ही एस. टी. डी. सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। अन्य स्थानों पर जहां करचल एक्सेचंज हैं उपयुक्त प्रकार के स्वचालित एक्सेचंज प्रतिस्थापित करने पर बाद ही एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा, जिसमें कुछ समय लगेगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

4639. **श्री नारायण चौबे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों के लिए नवम्बर, 1980 में आन्दोलन किया था;

(ख) क्या 30 नवम्बर 1980 को प्राधिकारियों के साथ समझौता हो जाने के बाद आन्दोलन वापस ले लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के प्राधिकारी उक्त समझौते को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार 30 नवम्बर, 1980 के समझौते को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाने का है जिससे कि कर्मचारियों द्वारा पुन: आन्दोलन न किया जाए ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) समझौता ज्ञापन तथा मांगे और तदनुरूपी समझौतों को दर्शाने वाले विवरण की एक-एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए** संख्या एल० टी० 2179/81]

(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान. खड़गपुर प्रशासन, समझौते को शासी/ आर्डर और जहां कहीं आवश्यक हो, भारत सरकार की स्वीकृति से कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहा है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम पंचायत मुख्यालय उड़ीसा में डाकघर

4641. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में (जिलावार) उन ग्राम पंचायत मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां कोई डाकघर नहीं हैं; और

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में एक डाकघर खोलने का क्या कार्यक्रम है और ये डाकघर कब खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सूचना अनुबंध में दी गई है [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए** संख्या एल० टी०—2180 81]

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में डाकघर खोलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। डाकघर खोलने के प्रस्तावों की निर्धारित विभागीय मानदंडों के अनुरूप जांच की जाती है । ग्राम पंचायत मुख्यालय के ग्रामों के मामलों में जनसंख्या की शर्त को छोड़ दिया जाता है और प्रस्ताव की निकटस्थ डाकघर से दूरी तथा संभावित आय एवं नए डाकघर की लागत के आधार पर जांच की जाती है ।

भारत सरकार प्रेस, देवास और नासिक के कर्मचारियों को बोनस

4642. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री भारत सरकार प्रेस, देवास और नासिक के कर्मचारियों को बोनस के सम्बन्ध में 17 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 190 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश) के कर्मचारियों को 1978 में तथा सीक्योरिटी प्रेस, नासिक (महाराष्ट्र) के कर्मचारियों को 1979 में बोनस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन तारीखों को बोनस का भुगतान किस स्तर तक किया था; और

(ग) सरकार का दूसरी सरकारी प्रेसों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कब तक करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) देवास के प्रेस को बैंक नोट प्रेस कहते हैं जिनके कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है । इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस और करेन्सी नोट प्रेस, नासिक रोड में वर्ष 1980-81 से

उत्पादन सम्बद्ध बोनस योजना आरम्भ की गई है, 1 अप्रैल, 1980 की स्थिति अनुसार, नासिक रोड पर स्थित इन दो मुद्रणालयों की स्वीकृत संख्या के आधार पर पात्र कर्मचारियों को 1980-81 से पूर्व अवधि के लिए सद्भावना के तौर पर उनकी 15 दिन की मजदूरी के बराबर तदर्थ अदायगी की गई थी किन्तु इस शर्त पर कि प्रत्येक मामले में 375 रुपये से अधिक राशि नहीं दी जाएगी। ये मुद्रणालय वित्त मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं।

(ग) निर्माण और आवास मन्त्रालय के अधीन भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों के लिए उत्पादन-सम्बद्ध बोनस योजना आरम्भ करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

पत्तनों पर उर्वरक का मानकीकरण

4643. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पत्तनों के नाम क्या हैं जहां पर आयातित उर्वरकों का मानकीकरण किया जाता है;

(ख) क्या मानकीकरण सफल रहा है और यदि हां, तो किस पत्तन पर; और

(ग) प्रत्येक पत्तन पर प्रति हुक प्रति पारी निकासी और मानकीकरण की क्या दर रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) बम्बई, कांडला, मद्रास, विजाग, कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, कोचीन, मारमुगाव, न्यू० मंगलौर, तूतीकोरिन, नवलाखी, रोजी (जामनगर), वैरावल, भावनगर, कारवार, कुड्डालोर, नागपत्तिनम, काकीनाडा तथा पांडिचेरी।

(ख) कारवार, न्यू मंगलौर, तूतीकोरिन, कुड्डालोर, पांडिचेरी, काकीनाडा, रोजी, नवलाखी, वेरावल, भावनगर तथा कोचीन पत्तनों में मानकीकरण सफल रहा है। पोटाशीय उर्वरक के लिए कांडला, बम्बई, मद्रास तथा विशाखापतनम्, में भी मानकीकरण सफल रहा है।

(ग) भिन्न-भन्न पत्तनों, अलग-अलग जहाजों और एक ही पत्तन पर एक ही जहाज से सम्बन्धित विभिन्न पारियों/दिनों में मौसम, श्रम की दक्षता, अन्य स्थानीय परिस्थितियों आदि के अनुसार प्रति पारी निकासी और मानकीकरण की दर भिन्न होती है।

एशियाई खेलों के लिए प्रशिक्षण

4644. **अरविंद नेताम : श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में होने वाले आगामी एशियाई खेलों के सम्बन्ध में स्थापिते किए गए विभिन्न खेल-कूद क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न कोचिंग/प्रशिक्षण शिविरों में क्या प्रगति है;

(ख) विभिन्न खेल-कूद क्षेत्रों में अब तक कितने प्रशिक्षण/कोचिंग शिविर स्थापित किये गए हैं; और

(ग) क्या सरकार कोचिंग अथवा प्रशिक्षण शिविर गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए टीमों के बनाने अथवा चयन करने के उस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि यह टीमें अनुभवी विख्यात खिलाड़ियों की होनी चाहिए ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) अब तक तीरंदाजी, ऐथलेटिक, बैडमिंटन, मुक्के बाजी, बास्केट बाल, साइकिल चालन, घुड़सवारी, फुटबाल, जिम्नास्टिक तैराकी, टेबल-टेनिस और भारोत्तोलन में 21 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों की वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान एशियाई खेल, 1982 में शामिल प्रत्येक खेल में प्रति वर्ष सरकारी खर्चे पर तीन-तीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की अनुमति देकर वित्तीय सहायता की पद्धति को उदार बना दिया है।

पहले 2 प्रशिक्षण शिविर छह-छह सप्ताह की अवधि के हैं और तीसरा 4 सप्ताह की अवधि का है। इसके अलावा इन वर्षों के दौरान टीमों को किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सम्बन्धित संघ के लिए सम्बन्धित खेलों में उन्हें तैयार करने के लिए प्रत्येक सम्बन्धित संघ को 3 प्रशिक्षण शिविर तक आयोजित करने की अनुमति है। राष्ट्रीय खेल संस्थान में इंडोर हाल का निर्माण करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपस्कर प्राप्त करके और चुने हुए खेलों में विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त करके प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त भौतिक सुविधाएं इस दिशा में किए जाने वाले कुछ प्रयास हैं।

(ग) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ने प्रशिक्षण शिविर कार्यकलापों की देख-रेख करने के लिए एक समिति गठित की है, इसका निदेशक समिति का अध्यक्ष है और उसमें 6 वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं। सरकार ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीमों और प्रतियोगिताओं की तैयारी की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय किया है।

वीरभूम पश्चिम बंगाल में डाकघरों का खोला जाना और दर्जा बढ़ाया जाना

4645. **श्री गदाधर साहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में कितने शाखा डाकघर तथा उप डाकघरों की स्वीकृति दी जा रही है, और खोले जा रहे हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल के इस जिले में शाखा डाकघर, विभागीय और अतिरिक्त निभागीय तथा शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उप-डाक घर करने के कितने प्रस्ताव हैं; और

(ग) क्या रियूपुर, कलियापुर, गोपीनाथपुर और ब्रह्मादिही ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए ब्रह्मादिही में एक शाखा डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) इस जिले में दो शाखा डाकघरों की मंजूरी दे दी गई है और एक शाखा डाकघर खोल दिया गया है।

(ख) शाखा डाकघर खोलने के बीस प्रस्तावों पर तथा शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे विभागीय उप डाकघर बनाए जाने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

टाइप 'डी' सरकारी आवास के आबंटन के लिए पात्रता

4646. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 700 रुपये 999 रुपये तक वेतन पाने वाले सरकारी अधिकारियों को टाइप 'डी' क्वार्टरों का आबंटन पाने का हकदार बना दिया गया है;

(ख) उक्त आदेशों के जारी होने के समय से कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं; और

(ग) इन आवेदनों का आबंटन कब तक किया जाएगा ?

संसदीय कार्य और निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में 297 आवेदन प्राप्त किए गए हैं।

(ग) पात्र कर्मचारियों की अग्रता तारीख के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों का ध्यान रख कर आबंटन किया जा रहा है।

राजस्थान और गुजरात के बीच माही नदी के जल का बंटवारा

4647. **श्री विरदाराम फुलवारिया :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माही नदी के जल के बंटवारे के संबंध में वर्ष 1966 में किए गए समझौते के बारे में राजस्थान और गुजरात के मुख्य मंत्रियों के बीच पुनः बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) गुजरात और राजस्थान के बीच माही के जल के बंटवारे से संबंधित मामले को हल करने के लिए केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने 24-12-1980 को दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया था। इस विचार-विमर्श के दौरान यह निश्चय किया गया था कि दोनों राज्य के दावों की जांच करने, माही नदी में जल की उपलब्ध मात्रा का पता लगाने और माही के जल के इष्टतम उपयोग के लिए संभाव्य विकास की रूप-रेखा तैयार करने के लिये केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए जिसमें दोनों राज्यों के मुख्य इन्जीनियर शामिल हों। यह भी निश्चय किया गया

था कि उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद मुख्य मंत्रियों की दूसरी बैठक बुलाई जाएगी ताकि कोई परस्पर-सम्मत हल निकाला जा सके।

उपर्युक्त के अनुसरण में, राजस्थान और गुजरात की सरकारों ने हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष को इस मामले के बारे में अपने-अपने पक्ष विवरण भेज दिए हैं। इस मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली में स्कूलों का दर्जा बढाया जाना

4648. **श्री अशोक गहलोत** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा विज्ञान विषयों में कितने स्कूलों का दर्जा सीनियर सेकेन्डरी स्तर तक का बढ़ाया गया है ;

(ख) क्या सभी विषयों, विशेषकर मेकेनिकल ड्राइंग के अध्यापकों की इन दर्जा बढ़ाए गए स्कूलों में नियुक्ति कर दी गई है ;

(ग) क्या विज्ञान प्रयोगशालाओं को 1 मार्च 1981 तक पूरी तरह से उपकरण जुटा दिए गए हैं ; जिससे कि सीनियर सैकण्डरी के छात्र पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी प्रयोगों आदि को कर सकें ;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव इन स्कूलों की ग्यारहवीं कक्षा के विज्ञान के छात्रों हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम तथा प्रयोग आदि पूरा कराने का है, जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित संख्या में स्कूलों को स्तरोन्नत किया है :

वर्ष	राजकीय स्कूल	सहायता प्राप्त स्कूल	कुल
1979-80	160	60	220
1980-81	4	8	12
	164	68	232

(ख) गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और इंजीनियरी चित्रकला जैसे विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर अध्यापकों के संस्वीकृत 894 पदों में से, 1-3-1981 तक 849 पद भरे गए थे और 45 पद खाली थे। इनमें से 7 रिक्त पद इंजीनियरी चित्रकला में स्नातकोत्तर अध्यापकों के पद हैं। इंजीनियरी चित्रकला में स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यताओं वाले छात्र मिलना कठिन है। दिल्ली प्रशासन ने अब

सम्बन्धित भर्ती नियमावली को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव किया है ताकि भर्ती शीघ्र की जा सके।

(ग) इनकी स्थापना में संबंध में कार्रवाई की जा रही है। तथापि, विद्यमान प्रयोगशालाओं में सभी अनिवार्य प्रयोग किए जा सकते हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

4649. **श्री आर०एन० राकेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1978 की तुलना में 1979 में भारतीय खाद्य निगम की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार उनका ब्यौरा क्या है तथा इस गिरावट के क्या कारण हैं ;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की 1978, 1979 और 1980 में वर्षवार और श्रेणीवार स्थिति क्या है : और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी०स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1978, 1979 और 1980 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। 1978 की तुलना में 1979 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व में कमी हुई है। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि सामान्यतया कुछ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए लगी रोक की वजह से रिक्त स्थानों के न भरे जाने और प्रतिबन्ध से मुक्त पदों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिल पाने के कारण ही यह कमी हुई है।

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का व्यापक प्रचार करने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रों में इन रिक्तियों के बारे में अलग विज्ञापन जारी करता है जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों के बारे में विशेषकर जन-जाति क्षेत्रों में जारी किया जाता है। जहां तक श्रेणी-3 और श्रेणी 4 के पदों, जोकि रोजगार दफ्तर की एजेन्सी के माध्यम से भरे जाते हैं, का सम्बन्ध है, ये रिक्तियां केन्द्रीय रोजगार दफ्तर तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों के समाज कल्याण

के निदेशकों आदि द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एसोसिएशनों को अधिसूचित की जाती हैं।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम में वर्ष 1978, 1979 और 1980 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की श्रेणीवार स्थिति

1978

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
प्रथम	756	47	10
द्वितीय	3,111	395	21
तृतीय	37,036	5,655	932
चतुर्थ	31,248	7,054	1,136
चतुर्थ (सफाई वाले)	1,282	989	16
जोड़	73,433	14,140	2,115

1979

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
प्रथम	793	48	10
द्वितीय	3,377	253	12
तृतीय	35,906	5,665	767
चतुर्थ	30,976	6,724	1,153
चतुर्थ (सफाई वाले)	1,525	1,300	14
जोड़	72,577	13,990	1,956

1980

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
प्रथम	756	56	14
द्वितीय	3,523	270	16
तृतीय	36,489	5,608	772
चतुर्थ	30,847	6,705	1,221
चतुर्थ (सफाई वाले)	1,592	1,338	16
जोड़	73,207	13,977	2,039

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नैमित्तिक श्रमिकों के लिए दैनिक मजूरी की पुनरीक्षा

4650. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नैमित्तिक श्रमिकों की दैनिक मजूरी का लागत-मूल्य में वृद्धि के अनुरूप पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ये आदेश कब प्रभावी होंगे तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकार ने 1-1-81 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार दैनिक मजदूरों के लिए मजदूरी की संशोधित दरें अधिसूचित की हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अपने दैनिक मजदूरों को भी वहीं दरें देता है जब तक कि राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के द्वारा अधिसूचित की गई दरें ऊंची न हों, जिसमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार के क्षेत्रों में नियुक्त किए गये दैनिक मजदूरों को ऊंची दर दी जाती हैं।

(ख) यह आदेश 1-1-1981 से प्रभावी है।

ग्रन्थालयों में पुस्तकों के खो जाने पर होने वाली हानि की वसूली

4651. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 1959 में गठित ग्रन्थालयों के लिए सलाहकार समिति ने सिफारिश की थी कि पुस्तकों के खो जाने पर होने वाली हानि को ग्रन्थालयों के कर्मचारियों से वसूल करने की प्रणाली को समाप्त किया जाये क्योंकि यह बुरी प्रथा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है; और

(ग) इस समय सरकारी ग्रन्थालयों में पुस्तकों के खो जाने अथवा उनकी कमी पड़ जाने के मामले में क्या प्रणाली अपनाई जाती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) पुस्तकालय सम्बन्धी सलाहकार समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की :—

> "किसी भी राज्य सरकार को पुस्तकाध्यक्ष से जमानत देने अथवा खोई हुई पुस्तक का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जब तक कि उसके विरुद्ध घोर लापरवाही अथवा बेईमानी सिद्ध न हो।"

(ख) 'पुस्तकालयों' का विषय संविधान की राज्य सूची में शामिल है। अतः सलाहकार समिति की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाही के लिए भेज दी गई थी।

(ग) ऐसी खोई गई अथवा कम पायी गई पुस्तकों को, जो सरकारी पुस्तकालय के दैनिक कार्य संचालन में अनिवार्य है, रद्द कर देने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट नियम/अनुदेश नहीं हैं। तथापि भारतीय पुस्तकालय संघ ने हैदराबाद में हुए अपने 27वें अखिल भारतीय सम्मेलन में यह सिफारिश की कि प्रति 1000 परिचालित और/अथवा देखी गई पुस्तकों पर 3 खोई अथवा कटी फटी पुस्तकों को रद्द कर देने के लिए उचित समझा जाना चाहिए।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय पर लगाए गए आरोपों पर एक संदस्यीय जांच समिति

4652. **श्री जगपाल सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० जावेद अशरफ जिन्हें विश्वविद्यालय से 5 जनवरी, 1981 को मुअत्तिल किया गया था, द्वारा विश्वविद्यालय पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा वैद्यलिंगम जांच समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जांच समिति का कार्य मुअत्तिल कर दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि कोई बाधा है तो उसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों तथा अधिकारियों के विरुद्ध, डा० जावेद अशरफ द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए गये अपने नोट में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए कार्यकारी परिषद ने न्यायाधीश श्री सी० ए० वैद्यलिंगम को नियुक्त किया था।

(ख) जी, नहीं। न्यायमूर्ति श्री सी० ए० वैद्यलिंगम ने इस जांच से अपना नाम इस कारण वापस लेने का निश्चय किया क्योंकि 15 जनवरी, 1981 को डा० जावेद अशरफ ने उन्हें एक ऐसा पत्र लिखा जिसमें उन पर निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाए गए और जिसका जांच की विषय-निष्ठता पर प्रभाव पड़ेगा। न्यायमूर्ति श्री सी० ए० वैद्यलिंगम ने विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।

(ग) इसमें कोई गतिरोध नहीं है, क्योंकि जांच समिति ने अपना कार्य ही बन्द कर दिया है। अब डा० अशरफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामले पर आगे की कार्रवाई करना विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद का दायित्व है।

नींदकर मत्स्य पत्तन, केरल के लिए अनुमान

4653. **श्री एम० एम० लारेंस**
श्री वी० एस० विजय राघवन
श्री ई० के० इम्बीचीबावा
प्रो० पी० जे० कुरियन } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नींदकर मत्स्य के लिए संशोधित अनुमान भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्ण रूपेण संशोधित परियोजना रिपोर्ट फरवरी, 1981 में प्राप्त हुई थी । प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा रहा है । जायज़ा लेने के बाद इसे निवेश सम्बन्धी निर्णय के लिए तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और भाषा-विज्ञान के केन्द्र में संकाय के सदस्यों और छात्रों की संख्या

4654. **श्री रशीद मसूद** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना के बाद अंग्रेजी और भाषा-विज्ञान के केन्द्र में संकाय के कितने सदस्य हैं;

(ख) इसकी स्थापना के बाद केन्द्र में कितने छात्रों को प्रविष्ट किया गया; और

(ग) कितने छात्रों ने अपने-अपने कार्यक्रम पूरे कर लिए तथा जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय सहित विभिन्न संस्थाओं से कितने छात्रों की फेलोशिप/छात्रवृत्तियां मिलीं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

4655. **श्री निरेन घोष** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यों के विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान विश्वविद्यालयों को समय पर मिल जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों को अनुदान, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति तथा उनके लिए अनुमोदित सीमा के आधार पर दिए जाते हैं। ये अनुदान सामान्यतः निर्धारित बिल प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि में दिए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों को वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए दिए गए अनुदानों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

विश्वविद्यालय का नाम	(लाख रुपए) के दौरान दिए गए अनुदान		
	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1. आंध्र विश्वविद्यालय	95.28	118.82	50.85
2. उस्मानिया विश्व-विद्यालय	94.93	101.66	45.21
3. श्री वेंकटेश्वर विश्व-विद्यालय	56.12	58.49	34.05
4. नागार्जुन विश्व-विद्यालय	0.22	0.05	—
5. ककाटिया	0.23	0.07	—
असम			
6. डिब्रूगढ़ विश्व-विद्यालय	32.35	24.03	14.71
7. गुहाटी विश्वविद्यालय	23.52	20.28	19.78

1	2	3	4
बिहार			
8. भागलपुर विश्व-विद्यालय	16.53	9.65	6.54
9. बिहार विश्वविद्यालय	25.46	10.77	11.25
10. के० एस० दरभंगा विश्वविद्यालय	4.66	2.40	0.68
11. मगध विश्वविद्यालय	15.26	32.52	10.19
12. एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय	0.97	1.29	0.20
13. पटना विश्वविद्यालय	11.73	40.54	11.26
14. रांची विश्वविद्यालय	14.31	11.10	13.05
गुजरात			
15. गुजरात विश्व-विद्यालय	43.06	38.90	26.63
16. एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय	27.65	53.48	61.69
17. सरदार पटेल विश्वविद्यालय	22.00	67.80	27.37
18. सौराष्ट्र विश्व-विद्यालय	13.79	15.85	28.74
19. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	18.93	20.95	19.91
हरियाणा	-		
20. कुरुक्षेत्र विश्व-विद्यालय	43.82	49.10	23.47
21. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	0.02	0.15	—
हिमाचल प्रदेश			
22. हिमाचल प्रदेश	9.56	25.97	4.10

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर			
23. जम्मू विश्वविद्यालय	26.13	24.55	65.64
24. कश्मीर विश्वविद्यालय	13.13	48.68	17.14
कर्नाटक			
25. बंगलौर विश्व-विद्यालय	81.63	57.59	45.13
26. कर्नाटक विश्व-विद्यालय	41.96	43.38	44.20
27. मैसूर विश्वविद्यालय	72.35	18.22	52.74
केरल			
28. कालिकट विश्व-विद्यालय	46.04	26.80	21.87
29. कोचीन विश्व-विद्यालय	19.94	13.90	20.46
30. केरल विश्वविद्यालय	32.55	32.61	39.15
महाराष्ट्र			
31. नागपुर विश्वविद्यालय	71.11	43.60	33.76
32. बम्बई विश्वविद्यालय	52.14	84.84	66.02
33. पूना विश्वविद्यालय	110.23	61.58	35.47
34. ए० एन० डी० टी० महिला विश्वद्यालय	24.19	34.27	10.70
35. शिवाजी विश्व-विद्यालय	38.70	34.31	10.64
36. मराठवाडा विश्व-विद्यालय	21.69	39.43	9.08
मध्य प्रदेश			
37. ए० पी० सिंह विश्व-विद्यालय	10.69	11.48	7.51
38. भोपाल विश्वविद्यालय	24.19	12.84	11.50

1	2	3	4
39. इन्दिराकला संगीत विश्वविद्यालय	3.93	4.25	0.52
40. इन्दौर विश्वविद्यालय	31.05	19.82	15.80
41. जबलपुर विश्व-विश्वविद्यालय	16.28	23.18	18.41
42. जीवाजी विश्वविद्यालय	11.76	17.72	10.11
43. रवि शंकर विश्व-विद्यालय	22.68	18.81	18.70
44. सागर विश्वविद्यालय	37.55	51.74	22.28
55. विक्रम विश्वविद्यालय	22.26	13.98	18.95
उड़ीसा			
46. बरहामपुर विश्व-विद्यालय	41.76	20.69	13.53
47. सम्बलपुर विश्व-विद्यालय	10.36	27.87	24.21
48. उत्कल विश्वविद्यालय	31.61	43.46	16.27
संघ शासित केन्द्र, चंडीगढ़			
49. पंजाब विश्वविद्यालय	65.02	136.28	60.48
पंजाब			
50. पंजाबी विश्वविद्यालय	36.29	27.28	26.72
51. गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	32.75	17.68	6.11
राजस्थान			
52. सोधपुर विश्वविद्यालय	25.14	39.63	28.06
53. राजस्थान विश्व-विद्यालय	75.50	70.17	43.50
54. उदयपुर विश्व-विद्यालय	19.73	15.13	12.88

1	2	3	4
तमिलनाडु			
55. अन्नामलाई विश्व-विद्यालय	50.28	50.58	34.06
56. मद्रास विश्वविद्यालय	106.09	134.03	82.68
57. मदुराई विश्वविद्यालय	50.16	61.68	30.54
उत्तर प्रदेश			
58. आगरा विश्वविद्यालय	12.96	1.86	8.00
59. इलाहाबाद विश्व-विद्यालय	41.04	81.69	20.50
60. गढ़वाल विश्वविद्यालय	4.33	1.38	1.88
61. गोरखपुर विश्व-विद्यालय	24.48	51.78	13.21
62. कानपुर विश्व-विद्यालय	10.82	3.36	6.03
63. लखनऊ विश्व-विद्यालय	27.64	44.04	55.17
64. मेरठ विश्वविद्यालय	15.17	22.83	22.07
65. रूड़की विश्वविद्यालय	38.57	162.86	100.70
66. काशी विद्यापीठ	3.69	9.43	2.74
67. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	1.88	17.43	6.27
68. कुमाऊं विश्वविद्यालय	4.03	4.90	4.55
पश्चिम बंगाल			
69. बर्दवान विश्व-विद्यालय	30.32	37.13	21.46
70. कलकत्ता विश्व-विद्यालय	139.64	107.97	114.81
71. जाधवपुर विश्व-विद्यालय	66.42	71.59	54.36
72. कल्याणी विश्व-विद्यालय	31.70	18.47	8.59
73. उत्तर बंगाल विश्व-विद्यालय	18.36	27.42	12.32
74. रवीन्द्र भारती विश्व-विद्यालय	2.18	2.43	3.11

कपास की प्रति हैक्टेयर फसल

4656. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के अधिकांश भाग में कपास की प्रति हेक्टेयर फसल, विश्व की औसत की तुलना में कम है;

(ख) देश के मुख्य कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में प्रति हैक्टेयर फसल की गत तीन वर्षों के दौरान विश्व की औसत फसल की तुलना में कितनी हुई; और

(ग) देश में कपास की फसल में वृद्धि के लिए प्रभावी अनुसंधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1979 को समाप्त हुये पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत के प्रमुख कपास उगाने वाले राज्यों में कपास (लिन्ट) की औसत उपज और विश्व की औसत का विवरण नीचे दिया गया है :—

	औसत उपज (किलोग्राम हैक्टार)		
राज्य	1977-78	1978-79	1979-80
1. आन्ध्र प्रदेश	80	154	175
2. गुजरात	181	203	177
3. हरियाणा	298	358	316
4. कर्नाटक	136	122	122
5. मध्य प्रदेश	74	75	67
6. महाराष्ट्र	93	89	111
7. पंजाब	343	360	326
8. राजस्थान	208	241	211
9. तमिलनाडु	282	278	266
अखिल भारतीय औसत	157	167	162
विश्व की औसत	419	402	427

(ग) केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना के 30 केन्द्रों और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित कपास विकास परियोजना के

माध्यम से अनुसंधान प्रयास तेज कर दिये गए हैं। इस बात पर मुख्य बल दिया जा रहा है कि अधिक उत्पादनशील किस्मों/संकर किस्मों के विकास सस्य विज्ञान सम्बन्धी तकनीकी और वनस्पति रक्षण उपायों के माध्यम से कपास की उपज को बढ़ाया जाए।

यमुना पार क्षेत्र की अनधिकृत कालोनियों को नागरिक सुविधाएं

4657. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार क्षेत्र की सभी अनधिकृत कालोनियों को एक विकसित कालोनी की भांति समस्त नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई गई थी;

(ख) क्या इस योजना के बारे में बहुत सी अपत्तियां प्राप्त हुई थीं और क्या यह योजना छोड़ दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या एक नई योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो यह कब तक तैयार हो जाने जी सम्भावना है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उसी पुरानी योजना को, इसमें उचित संशोधन करने के बाद, कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुनापार क्षेत्र में कुछ अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए नक्शों के प्रारूप तैयार किये गए हैं जिन पर आपत्तियां/सुझाव भी प्राप्त किये गए हैं परन्तु यमुनापार की सभी अनधिकृत कालोनियों के लिए एक विकासित कालोनियों के समान सभी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए अलग से कोई योजना नहीं बनाई गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि प्राप्त हुई आपत्तियों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संशोधन करने के और इस विषय की नीति के अनुसार आवश्यक अनुमोदन करने के बाद ही नियमितीकरण के इन प्रारूप नक्शों का कार्यान्वयन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

पशुओं के चारे के काम आने वाली वस्तुओं की मांग और उनका उत्पादन

4658. **श्री टी० दामोदर रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल निकाली गई चावल की भूसी, तेल निकाली गई मूंगफली की खली और तेल निकाले गए मत्स्य, खाद्य जैसे पशुओं के चारे के काम आने वाली वस्तुओं का कुल उत्पादन कितना है; और

(ख) देश में हमारे पशुधन के लिए उपरोक्त चारे की वस्तुओं की अनुमानतः कुल मांग कितनी है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1979 के लिए अनुमानित उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

1. तेल रहित चावल की भूसी	5.99 लाख मी० टन
2. तेल रहित मूंगफली की खली	8.04 लाख मी० टन
3. तेल रहित मत्स्य चूर्ण	देश में तेल रहित मत्स्य चूर्ण नामक किसी उत्पाद का व्यापार नहीं होता है।

(ख) देश में पशुओं के लिए चारे की वस्तुओं की कुल अनुमानित मांग निम्न प्रकार है :—

1. चावल की भूसी (तेल रहित भूसी सहित)	24.00 लाख मी० टन
2. मूंगफली की खली (तेल रहित खली सहित)	19.30 लाख मी० टन
3. मत्स्य-चूर्ण	1.20 लाख मी० टन

मोबाइल टेलिफोन आरंभ करने के लिए आधारभूत सुविधाएं

4659. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कारों और ट्रकों में लगाए जाने वाले मोबाइल टेलिफोन बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) क्या इस प्रणाली को आरम्भ करने के लिए देश में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए डाक-तार विभाग के दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र की विभिन्न प्रायोजनाओं में एक प्रायोजना भारत में सचल टेलीफोन सेवा चालू करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी है। इसमें संचार की आधारभूत वर्तमान सुविधाएं लागू होने पर सचल सेवा का कार्य क्षेत्र और देश में इस सेवा की सम्भावित मांग का अध्ययन शामिल है। इस अध्ययन के आधार पर सचल टेलीफोन सेवा शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को सरकारी 'क्वार्टरों' का आवंटन

4660. **श्री के० कुन्हम्बु :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वर्गों के कितने कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन किया गया है ;

(ख) कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जाने शेष हैं; और

(ग) सभी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

टाइप	1-1-1981 तक पात्र टाइपों में परितुष्टि की प्रतिशतता
ए	65.1
बी	31.9
सी	43.8
डी	53.8
ई	48.2
ई-1	40.0
ई-2	30.09
ई-3	21.4

(ख) दिल्ली में क्वार्टर दिये जाने वाले शेष कर्मचारियों की प्रतिशतता इस प्रकार है :

टाइप	आवंटन की शेष प्रतिशतता
ए	34.8
बी	68.1
सी	56.2
डी	46.2
ई	51.3
ई-1	60.00
ई-2	62.01
ई-3	78.6

(ग) वित्तीय एवं निर्माण सामग्री की कमी के कारण सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह अपने कर्मचारियों को सरकारी वास आवंटन करने में शतप्रतिशत परितुष्टि प्राप्त कर सके। फिर भी, कर्मचारियों को सरकारी आवास के आबंटन की प्रतीक्षा अवधि को कम करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से सामान्य पूल में जितना सम्भव हो सके मकानों के निर्माण के प्रयास किये जा रहे हैं। निम्नलिखित विवरण के अनुसार फिलहाल 9,177 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं :

टाईप	निर्माणाधीन क्वार्टरों की संख्या
ए	807
बी	2586
सी	5712
डी	72

इनके अतिरिक्त, दिल्ली में छठी योजना के दौरान लगभग 6,000 और क्वार्टरों के निर्माण की सम्भावना है।

शोरनूर में रेलवे डाक सेवा कार्यालय में सार्टरों की कमी

4661. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शोरनुर, केरल में रेलवे डाक सेवा कार्यालयों में सार्टरों और स्थान की कमी के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) 27 छंटाई सहायकों की स्वीकृत संख्या में से इस समय 5 छंटाई सहायकों की कमी है। रेल डाक सेवा कार्यालय के लिए 227 वर्ग मी० स्थान की आवश्यकता है जबकि इस समय केवल 165 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध है। छंटाई सहायकों की कमी जून 1981 में दूर कर दी जायेगी, जब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्याशी नियुक्ति के लिए उपबन्ध हो सकेंगे। जहां तक स्थान की कमी का प्रश्न है इस सम्बन्ध में रेल विभाग के साथ आवश्यक कार्रवाई की गई है।

स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों को अनुदान

4662. **श्री के० राममूर्ति :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान समाज कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से सीधे अनुदान प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इन सभी समाज कल्याण संगठनों द्वारा 'प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र' भेज दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन संगठनों, जिन्होंने यह प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र अब तक नहीं भेजा है, के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

बिहार के जिलों में क्रास-बार एक्सचेंज

4663. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्णिया जिले में फोरबसगंज, पूर्णिया, अरारिया कोर्ट अरारिया आर० एस० के० तथा सहरसा जिले में सहरसा, माधेपुरा, सुपौल और त्रिबेनीगंज के क्रास-बार एक्सचेंजों को 'आटो-डयलिंग' प्रणाली में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन एक्सचेंजों को आटो एक्सचेंजों में कब तक बदल दिया जाएगा;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे कई स्थानों पर आटो-उपकरण बेकार पड़े हैं; जहां आटो-प्रणाली लागू करने के लिए उन्हें भेजा गया था, लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपयुक्त स्थान के अभाव में इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का उस सामग्री को तथा उन उपकरणों को ऐसे स्थानों पर भेज देने का विचार है, जहां प्रणाली को बदलने सम्बन्धी ऐसी कोई कठिनाई नहीं है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां । देश में कार्य कर रहे लगभग 1300 करचल एक्सचेंजों में से हां ये एक्सचेंज हैं । अस्थायी तौर पर यह प्रस्ताव है कि 1990 तक सभी करचल एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंज में बदल दिया जाए ।

(ख) देश में स्विचिंग उपस्करों के सीमित उत्पादन के कारण तथा छोटे एक्सचेंजों हेतु उपस्कर आयात में कुछ तकनीकी आर्थिक बाधाओं के कारण अब तक एक्सचेंजवार स्वचर्लाकरण कार्यक्रम तैयार कर पाना सम्भव नहीं हो सकता है । देशी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है तथा आशा है कि 1990 तक चरणबद्ध रूप में एक्सचेंजों के स्वचलीकरण का कार्य आरम्भ करना सम्भव हो सकेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) कभी-कभी उपस्कर तथा भवन की उपलब्धता के बीच विसंगति उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार के सभी मामलों में उपलब्ध साधनों का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है ।

नई शिक्षा नीति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुनर्संरचना

4664. **श्री जेवियर अरावकल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना नई शिक्षा नीति तैयार करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वरूप और कार्यों की पुनर्संरचना करने की है; और

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा की तुलना में शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा पर ज्यादा धन व्यय होता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) सरकार की इस समय नई शिक्षा नीति तैयार करने की कोई योजना नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन करने से सम्बन्धित सुझाव दिये गए हैं परन्तु अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जो सम्मिलित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, 1980-81 में, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के 12.9 प्रतिशत व्यय के मुकाबले में, प्राथमिक शिक्षा पर बजट में दिये गये व्यय की प्रतिशतता 47.6 थी।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी का उपयोग करने सम्बन्धी विषय से सम्बन्धित तकनीकी समिति की रिपोर्ट

4665. **श्री के० टी० कोसल राम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से होकर अरब सागर में गिरने वाली पश्चिमोन्मुख नदियों के पानी का उपयोग करने के प्रयोजन के लिए गठित तकनीकी समिति की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ख) तकनीकी समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर मोड़ने की व्यवहार्यता की जांच करने वाली तकनीकी समिति की अब तक दस बैठकें हुई हैं।

(ख) समिति की अन्तरिम रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसके शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत जिए जाने की संभावना है।

चीनी से नियंत्रण हटाना

4666. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिलों के स्वामियों की एसोसिएशन के चेयरमैन ने यह मांग की

है कि या तो चीनी से नियंत्रण पूरी तरह से हटा लिया जाय या फिर लेवी को 65 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत कर दिया जाय;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या जनसंख्या और चीनी उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए लेवी को 65 प्रतिशत से बढ़ाकर और अधिक किया जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) विशेषतया निरन्तरता और स्थिरता के संदर्भ में चीनी की स्थिति के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, सरकार ने यह पहले ही निर्णय ले लिया है कि वर्तमान मौसम के बाद, सरकार ने यह पहले ही निर्णय ले लिया है कि वर्तमान मौसम के दौरान दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली के साथ आंशिक नियंत्रण की नीति चलती रहेगी । लेवी की मात्रा को 65 से घटाकर 50 प्रतिशत करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है ।

(ग) लेवी की प्रतिशतता में किसी प्रकार की वृद्धि करना मौसम के दौरान चीनी के कुल वास्तविक उत्पादन पर निर्भर करेगा और पिराई अभी भी की जा रही है ।

गोआ में रिहायशी मकान

4667. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि संघ राज्य क्षेत्र गोवा में रिहायशी मकानों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) दक्षिण गोआ क्षेत्र के लिए कौन सी विशिष्ठ आवासी योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां । सारे भारत में आवास की कमी एक प्रत्यक्ष बात है और इसमें गोआ एक अपवाद नहीं है ।

(ख) तथा (ग) गोआ संघ राज्य क्षेत्र में चलाई जा रही सभी आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं । गोआ दमन तथा दीव ने सूचित किया है कि यह गोवा से तीन सामाजिक आवास योजनाओं का कार्यान्वियन कर रहा है, नामतः निम्न आय वर्ग आवास योजना, मध्य आय वर्ग योजना, मकान बनाने के लिए व्यक्तियों को ऋण स्वीकार करने की ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम और इनसे यह आवास गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहा है । ग्रामीण क्षेत्र में यह भूमिहीन लोगों को निशुल्क विकसित वास स्थल भी दे रहा है ।

गोआ, दमन तथा दीव प्रशासन गोआ में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कर रहा है :—

(1) **निम्नलिखित का निर्माण**

(1) भार्गव में 16 मध्यम आय वर्ग डुप्ले बंगले 112 निम्न आय वर्ग मकान, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 30 मकान तथा गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना के अन्तर्गत 250 टेनामेन्ट ।

(2) मारमूगोवा में 32 मध्यम आय वर्ग फ्लेट ।

(3) बैना में गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना के अन्तर्गत 192 टेनामेन्ट; और

(4) पोण्डा में 54 मध्यम आय वर्ग, 36 निम्न आय वर्ग के फ्लेट ।

आटा मिलों को राजसहायता प्राप्त दरों पर सप्लाई किये गये गेहूं की मात्रा

4668. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आटा मिलों को वर्ष 1980 के दौरान राज सहायता प्राप्त दरों पर कुल कितनी मात्रा में गेहूं सप्लाई किया गया;

(ख) गेहूं की प्रति क्विंटल राज सहायता प्राप्त दरें क्या हैं, और आटा मिलों को कुल कितनी राशि की राज सहायता दी गई;

(ग) उक्त राजसहायता देने के सम्बन्ध में यदि कोई शर्तें निर्धारित हैं तो वे क्या हैं; और

(घ) उन मिलों के मालिक इन शर्तों को कहां तक पूरा करते हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने 1980 के दौरान रोलर फ्लोर मिलों को 36.37 लाख मीटरी टन गेहूं दिया था ।

(ख) जनवरी से मार्च, 1980 तक के लिए राजसहायता की प्रति क्विंटल दर 24.74 रुपये थी और अप्रैल से दिसम्बर, 1980 के लिए यह दर 36.91 रुपये थी । अनुमान है कि 1980 के दौरान रोलर फ्लोर मिलों की सप्लाई की जाने वाली गेहूं के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी जाने वाली सम्भावी राजसहायता की राशि 122.29 करोड़ रुपये बैठेगी ।

(ग) और (घ) मिलों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने की इजाजत नहीं है और उनसे सरकारी स्टाक से अपने कोटे उठाने की अपेक्षा की जाती है (2/3 'ग' और 'घ' श्रेणियों के बारे में और 1/3 'क' और 'ख' श्रेणियों के बारे में) । अधिकांश राज्यों में मैदा और सूजी के मूल्यों पर नियंत्रण है । जहां तक सरकार को जानकारी है इन शर्तों को पूरा किया जा रहा है ।

महाराष्ट्र में नांदेड की ट्रंक काल में विलम्ब

4669. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठवाड़ा में हिंगोली के टेलीफोन ग्राहक नांदेड के लिए ट्रंक काल प्राप्त करने में विलम्ब होने की शिकायतें करते रहते हैं;

(ख) क्या वर्तमान क्षमता अपर्याप्त हैं;

(ग) क्या हिंगोली में नांदेड़ के लिए नया एक्सचेंज उपकरण और एक सीधी लाइन की मंजूरी दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। स्थानीय एक्सचेंज का 200 लाइनों से 240 लाइनों के विस्तार करने की मंजूरी दे दी गई है। हिंगोली से नांदेड के लिए सीधा ट्रंक सर्किट पहले से ही उपलब्ध है। हिंगोली और नान्देड के बीच एक 8 चैनल कैरियर प्रणाली की भी मंजूरी दे दी गई है।

(घ) स्थानीय एक्सचेंज का विस्तार तथा 8 चैनल कैरियर प्रणाली को प्रारम्भ करने का कार्य भण्डार प्राप्त होने पर पूरा कर लिया जाएगा।

विकलांगों द्वारा सार्वजनिक टेलीफोन चलाये जाना

4670. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र चलाने का काम विकलांग व्यक्तियों को सौंपने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और किन शर्तों पर ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले अटेंटेड टाइप सार्वजनिक टेलीफोन घरों को खोलने का निर्णय किया है।

(ख) अखिल भारतीय आधार पर यह योजना तारीख 26-1-81 से शुरू की गई थी। नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं :

(1) किरायेदार 500 रुपये की प्रतिभूति जमा और हर महीने कम से कम 100 रुपये लाभ का विभाग की गारंटी देगा।

(2) डाक-तार विभाग द्वारा अपनी लागत पर एक बूथ और उपयुक्त रूप से लगी हुई अथवा सुरक्षित नगदी पेटी प्रदान की जायेगी।

(3) किरायेदार सार्वजनिक टेलीफोन घर के प्रयोगकर्ताओं से पचास पैसे प्रति काल के हिसाब से प्रभार प्राप्त करेगा और मीटर पठन के आधार पर विभाग को 30 पैसे प्रति काल के हिसाब से अदायगी करेगा।

तवा और नर्मदा की सिंचाई परियोजनाएं

4671. **श्री गुफरान आजम** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तवा तथा नर्मदा की सिंचाई परियोजनाएं रुक गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजनाओं में विम्लब के क्या कारण हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं पर कितनी लागत आयेगी ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) तवा परियोजना का निर्माण काफी हद तक हो चुका है और इसके मार्च, 1982 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश की नर्मदा सागर परियोजना को योजना आयोग द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। तथापि, निर्माण-पूर्व वर्क्स, जैसे सर्वेक्षण, सड़कों तथा बस्तियों का निर्माण-कार्य, आरम्भ किए जा चुके हैं।

(ग) मध्य प्रदेश की परियोजनाएं और नई सिंचाई परियोजनाओं का, जिनमें आधुनिकीकरण की परियोजनाएं तथा जल विकास सेवाएं भी शामिल हैं, कुल अनुमानित लागत 2713.25 करोड़ रुपये हैं। इस राशि में नर्मदा सागर परियोजना की लागत शामिल नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट का रोशनी में इस परियोजना की परियोजना-रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

संसद सदस्यों के फ्लैटों की खस्ता हालत

4672. **श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या निर्माण और खावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि संसद सदस्य जिन बगलों और फ्लैटों में रह रहे हैं वे मजबूत नहीं हैं और उनमें चोरी और सेंधमारी की सम्भावना रहती है; और

(ख) क्या सरकार का विचार स्थिति का मूल्यांकन करने और संसद सदस्यों के जान-माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) संसद सदस्यों के दखल के बंगले/फ्लैट स्थायी संरचनाएं हैं और वे कमजोर नहीं समझी जाती हैं। सरकार की दृष्टि में, उनमें विशेषत: चोरी और सेंधमारी की कोई संभावना नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में वन रोपण के लिए राशि

4673. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 1980-81 में वन रोपण के लिए आवंटित केन्द्रीय धनराशि का विवरण क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : "हिमाचल क्षेत्र में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 1980-81 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 36.68 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसमें वनरोपण के लिए 20.74 लाख रुपये की रकम भी शामिल है।

वर्ष 1980-81 के दौरान हिमाचल प्रदेश को "सामाजिक वानिकी तथा ग्रामीण जलावन लकड़ी का वृक्ष रोपण करने" सम्बन्धी नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत वृक्ष रोपण करने के लिए 14.22 लाख रुपए की धनराशि भी नियतन की जा रही है।

खंडसारी एककों पर उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव

4674. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुलनात्मक लाभकारी मूल्यों के कारण खण्डसारी एककों को चीनी मिलों की तुलना में किसानों को गन्ने की अधिक कीमत देनी पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खण्डसारी पर बहुत कम उत्पादन शुल्क लगने तथा उसके उत्पादन पर सीमित जांच पड़ताल होने के कारण वे चीनी मिलों, जोकि सरकार के कठोर नियंत्रण में हैं तथा आबकारी विभाग उत्पादन की जांच करता है, की बजाय, गन्ना उत्पादकों को अधिक कीमत की अदायगी वहन कर सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार चीनी मिलों के समान खण्डसारी एककों पर उत्पादन शुल्क लगाने पर विचार कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार ने अक्तूबर, 1980 में खण्डसारी चीनी पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है और चीनी और खण्डसारी के बीच इस शुल्क के भार के अन्तर को कम कर दिया गया है।

पंचायत राज

4675. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ग्रामीण पुनर्निमाण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कितने राज्यों ने संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार पंचायत राज पद्धति को अपनाया है;

(ख) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां पंचायत राज के नियमित चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार उन राज्यों में जहां पंचायत राज पद्धति लागू हो चुकी है नियमित रूप से पंचायत राज के चुनाव करवाने और उन राज्यों में जहां अब तक पंचायत राज पद्धति लागू हुई है; इसे शुरू करवाने के द्वारा संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने हेतु इन्हें लागू करवाने के लिए क्या वार्रवाही कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) मेघालय तथा नागालैण्ड को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा पंचायती राज को अपना लिया गया है।

(ख) पंचायती राज निकायों के चुनाव आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में समयानुसार नहीं हुए हैं। यद्यपि आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, तमिनाडु तथा उत्तर प्रदेश में किसी भी मौजूदा स्तर के लिए चुनाव नहीं हुए हैं फिर भी शेष राज्यों में कुछ स्तरों के लिए समयानुसार चुनाव हो गए हैं।

(ग) पंचायती राज राज्य का विषय है और पंचायती राज निकायों के लिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही होती है। केन्द्र सरकार पंचायती राज सम्बन्धी मामलों के बारे में केवल नीति विषयक मार्गदर्शन करती है। तथापि, केन्द्राय कृषि मंत्री जी ने मुख्य मन्त्रियों को अभी हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि जहां उनके राज्यों में चुनाव होने हैं, कराए जाएं।

नागालैण्ड तथा मेघालय, जहां पंचायती राज ढांचा मौजूद नहीं है, में विकेन्द्रीकृत प्रशासन के अन्य रूप लागू किए गए हैं। नागालैण्ड में पंचायती राज ढांचे के स्थान पर क्षेत्र, प्रक्षेत्र तथा आदिवासी परिषदें कार्य कर रही हैं जबकि मेघालय में स्वायतशासी जिला परिषदें हैं।

बिहार नेत्रहीन व्यक्तियों को केन्द्रीय सहायता

4676. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नेत्रहीन व्यक्तियों को केन्द्रीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए कोई निधि बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विकलांग व्यक्तियों, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं, जो समस्त देश पर लागू हैं। इस कारण बिहार में नेत्रहीनों को सहायता देने के लिए अलग विधि बनाने का प्रश्न नहीं उठता है। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) समेकित शिक्षा की वर्तमान योजना में संशोधन किया गया है तथा उस में मूल्यांकन सुविधाओं, साधन कक्ष, स्कूल पूर्व और माता-पिता परामर्श एकक, उपकरणों की प्रदाय, अध्यापकों के लिए प्रोत्साहनों, विकलांग बच्चों को सहायक यंत्रों और पुस्तकों की सप्लाई इत्यादि के सम्बन्ध में व्यवस्था कर दी गई है।

(2) "नेत्रहीनों, बधिरों और अपंगों को छात्रवृत्तियां देने" की योजना के अन्तर्गत विकलांगों को कक्षा 9 में और उससे आगे की कक्षाओं में दुकान/औद्योगिक प्रतिष्ठान में ऐसी साधारण शिक्षा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता देने हेतु छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जिससे वे अपनी जीविका कमा सकें और समाज के उपयोगी सदस्य हो जाएं।

(3) विकलांग व्यक्तियों के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में 11 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं और लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं।

(4) "विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत अनेक स्वयंसेवी संगठन/संस्थाएं शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के कार्यक्रम चलाने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगते हैं। सहायता की योजना की शर्तों के अनुसार इन प्रस्तावों की जांच की जाती है और जहां निर्धारित शर्तें पूरी हो जाती हैं, वहां आवर्ती और अनावर्ती दोनों ही मदों के लिए अनुमानित खर्च के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है। भवनों के निर्माण के लिए प्रस्तावों के सम्बन्ध में अधिकतम 2.50 लाख रुपए की सहायता दी जाती है।

(5) भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए "ग" और "घ" वर्ग के पदों में 3 प्रतिशत रिक्त पद (नेत्रहीनों, बधिरों और अपंगों के लिए एक-एक प्रतिशत) आरक्षित किए गए हैं। इसके लिए 100 मदों का एक रोस्टर भी तैयार किया गया है।

(6) विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों का पता लगाने तथा उन्हें रोजगार सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने लिए 18 विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए हैं। और विशेष रोजगार कार्यालय खोलने तथा अन्य चुने गए रोजगार कार्यालयों में विशेष सेल स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।

(7) पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुछ वर्गों के विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत डीलरशिप/एजेंसियों आरक्षित करने का निर्णय किया है तथा इस प्रयोजन के लिए एक रोस्टर निर्धारित किया है।

(8) संचार मन्त्रालय ने विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, टेलीफोन बूथ अलाट करने का निर्णय किया है।

(9) ब्याज की विभिन्नतापूर्ण दर के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित संस्थाओं को 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर 1,500 रुपए तक कार्यकारी पूंजी ऋण तथा 5,000 रुपए तक लम्बे अर्से ऋण देने सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हैं जो स्वयं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया है।

(10) एक नियोक्ता द्वारा विकलांक व्यक्तियों को दिए जाने वाले वेतन, जिनकी वार्षिक आय 20,000 रुपए से अधिक नहीं है, वेतन के $1\frac{1}{3}$ की "वेटिड डिडक्शन" आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञेय है। ऐसा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

(11) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के नियक्ताओं को प्रति वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

(12) विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त अथवा रियाती मूल्य पर सहायक क्षेत्र और उपकरण देने की एक योजना बनाई गई है, जो विकलांग व्यक्ति की आय पर अथवा यदि वह आश्रित है तो उसके मां-बाप/अभिभावक की आय पर निर्भर करती है।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण

4677. **श्री रामचन्द्र रथ**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन ने दिसम्बर, 1980 में उड़ीसा में सिंचाई परियोजना के नये ऋण दिए जाने की स्वीकृति दी है ;

(ख) उड़ीसा के "कमांड क्षेत्रों" में कितने हेक्टेयर भूमि को इस परियोजना के पूरा होने पर सिंचाई के अन्तर्गत लाया जायेगा ;

(ग) इस परियजोना पर कितना व्यय होगा ;

(घ) इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां। उड़ीसा की महानदी बराज परियोजना के लिए 5 दिसम्बर, 1980 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

के साथ 83 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता के बारे में एक करार किया गया है।

(ग) इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नए क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था करने की बजाए पुराने डेल्टा में उस क्षेत्र में (लगभग 303 हजार हैक्टेयर का कृष्य कमान क्षेत्र) सिंचाई को जारी रखने की सुनिश्चित व्यवस्था करना है, जिसमें पहले से सिंचाई होती है। इस परियोजना का मुख्य आर्थिक लाभ यह होगा कि परियोजना का क्षेत्र वर्षा से घोषित होने वाले क्षेत्र की स्थिति में नहीं रहेगा, जो अस्थाई रूप से तब पैदा होती है जब वर्षा नहीं होती अथवा स्थाई रूप से तब पैदा हो सकती है यदि शताब्दी पुराने बांधों (वीयरों) को अन्तः बदला नहीं जाएगा। अनुमान है कि यदि सिंचाई को जारी न रखा गया तो उत्पादन में जो कमी होगी उसका निवल मूल्य, 1980 की कीमतों के अनुसार, 25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा।

(ग) अनुमान है कि परियोजना पर 92.65 करोड़ रुपए की लागत आयेगी, जिसमें भौतिक तत्वों तथा मूल्यों संबंधी तत्वों को हिसाब में ले लिया गया है।

(घ) इस परियोजना के 31 मार्च, 1986 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ङ) इस परियोजना में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) कटक के निकट महानदी और बिरुपा नदियों पर एक-एक बराज का निर्माण जिसमें अन्य संबंध संरचनाओं का प्रतिस्थापन भी शामिल है।

(2) महानदी डेल्टा क्षेत्र में जल निकास तथा बाढ़ सुरक्षा वर्क्स की मास्टर योजना तैयार करना और मास्टर योजना में निर्धारित चुने हुए वर्क्स का कार्यान्वियन।

(3) जल प्रबन्ध कार्यों का पाइलट कार्यक्रम जिसमें जल मार्गों और फील्ड नालियों का निर्माण तथा लगभग 1000 हैक्टियर के विशिष्ट क्षेत्र में बारी-बारी से जल की सप्लाई की प्रणाली को शुरू करना शामिल है।

भारत और उत्तर कोरिया के बीच समझौता

4678. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 फरवरी, 1981 को भारत तथा उत्तर कोरिया के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त कार्यक्रम किस-किस क्षेत्र में आरम्भ किया जायेगा ;

(ग) उक्त योजना को कब क्रियान्वयन किया जा रहा है ; और

(घ) उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन) (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) से (घ) नयाचार में कृषि अनुसंधान, कृषि उत्पादन तकनीकी सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण में सुधार और उनके विस्तार तथा सिंचाई और जल संसाधन विकास के क्षेत्र में भी दोनों सरकारों के बीच दीर्घाविधि सहयोग प्राप्त करने हेतु व्यवस्था है। नयाचार के प्राचल निम्न प्रकार है ;

(क) विज्ञानियों तथा प्रौद्योगिकीविदों, विद्यार्थियों और प्रशिक्षार्थियों की अदला-बदली ;

(ख) जनन द्रव्य तथा प्रजनन सामग्री, बीज और पौध सामग्री की अदला-बदली ;

(ग) कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में वैज्ञानिक साहित्य, सूचना तथा प्रणाली विज्ञान (नो-हाउ) की अदला-बदली ;

(घ) समान हितों के कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध और अपेक्षित वैज्ञानिक उपकरणों का आयात और निर्यात, जिस पर पारस्परिक सहमति हो ; और

(ङ) विज्ञानियों और विद्यार्थियों को शिक्षावृत्ति की स्वीकृति।

इस नयाचार में वार्षिक कार्य योजनाओं के विकास के माध्यम से दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये जाने पर निम्नलिखित एजेन्सियों के माध्यम से दोनों पक्षों द्वारा कार्यान्वित किये जाने का प्रावधान है :-

भारत सरकार की ओर से :	(1) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई० सी० ए० आर०) और
डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक आफ कोरिया की ओर से :	(2) सिंचाई मंत्रालय। कोरिया टैक्नीकल कारपोरेशन

पश्चिमी राप्ती परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए नेपाल से करार

4679. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी राप्ती परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए भारत और नेपाल के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) नेपाल की महामहिम सरकार ने 1976 में एक भारतीय शिष्टमंडल को एक जर्मन सलाहकार द्वारा तैयार की गई एक अन्तिम रिपोर्ट की प्रति दी थी, जो नेपाल में भालूभंग में रास्ते पर

एक बांध के निर्माण के बारे में थी। 1977 में भारत के प्रधान मंत्री के नेपाल के दौरे के समय यह सहमति हुई थी कि नेपाल और भारत दोनों देशों को लाभ पहुँचाने के लिए भालूभंग परियोजना का और अन्वेषण किया जाना चाहिए और अन्वेषण-कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति गठित की जाए।

नेपाली शिष्ट मंडल के साथ अगस्त, 1980 में हुए विचार-विमर्श के दौरान यह तय हुआ था कि संयुक्त तकनीकी समिति की एक बैठक शीघ्र बुलाई जानी चाहिए। उक्त समिती की बैठक अप्रैल, 1981 को समाप्ति से पहले बुलाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) अन्वेशण के पूरा हो जाने के बाद और परियोजना के व्यवहार्य और आर्थिक दृष्टि से सक्षम पाये जाने पर एक परियोजना तैयार की जायेगी।

एन० डी० एम० सी० पशु चिकित्सालय अस्पताल, मोती बाग का नियंत्रण

4680. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष तक, नई दिल्ली नगर पालिका का पशु चिकित्सालय, मोती बाग, नई दिल्ली तथा नई दिल्ली नगर निगम के दूसरे इसी तरह के अस्पताल सम्बद्ध स्थानीय निकायों द्वारा मुहैय्या किए गए तीसरे और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की सहायता से और वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जनों की व्यवस्था करके दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित किये जा रहे थे ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर पालिका, पशु चिकित्सालय मोतीबाग, नई दिल्ली का नियंत्रण 1 जनवरी, 1980 से स्वयं नई दिल्ली नगरपालिका के सुपुर्द कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने नई व्यवस्था के आदेश किन आधारों पर दिए है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मोती बाग स्थित पशु चिकित्सालय को एक ही संस्था, अर्थात नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा एकरूप व प्रभावशाली ढंग से चलाये जाने के लिए एक नई व्यवस्था की गई है।

विस्थापित व्यक्तियों को पट्टे पर भूमि के आबंटन की नीति की समीक्षा के लिए समिति

4681. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को पट्टे पर अथवा अन्य प्रकार से भूमि के आबंटन की नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें दे दी हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने दिल्ली में भू-धारण अधिकार की पद्धति और भिन्न-भिन्न प्राधिकरणों द्वारा पट्टे देने की जांच करने के लिए निर्माण और आवास मन्त्रालय के भूतपूर्व सचिव (श्री जे० बी डिसूजा) की अध्यक्षता में "दिल्ली में भूमि प्रशासन समिति" नामक एक समिति 1977 में गठित की थी।

(ग) जी, हां।

(घ) तथा (ङ) ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

कोका के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना

4682. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोका का कुल उत्पादन कितना है और कोका की खेती कुल कितनी एकड़ भूमि में होती है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कोका के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) देश में कोका की बुवाई व उसके उत्पादन के सरकारी अनुमानों को संकलित नहीं किया जाता। परन्तु अनुमान है कि 1980-81 की अवधि में कोका के सूखे बीजों का उत्पादन लगभग 3600 मीटरी टन था। 1979-80 में लगभग 19,000 हैक्टार क्षेत्र में कोका की बुवाई की गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित स्तर से नीचे के सामान की खरीद

4683. **श्री निहाल सिंह** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा खरीदा गया अधिकांशतः सामान स्तर से नीचे का होता है और इस संबंध में वहां की कर्मचारी एसोसिएशन ने भी लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने की दृष्टि से इस कदाचार की छानबीन की जाएगी ;

(ग) होने वाली हानि ग्रामोद्योग भवन को बचाने की दृष्टि से इस संबंध में सरकार का कोई कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) यह सत्य नहीं है कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा खरीदा गया सामान सामान्य स्तर से नीचे का होता है। इस बारे में खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों की गैर-मान्यता प्राप्त एसोसिएशन से दो पत्र प्राप्त हुए थे लेकिन शिकायत में कोई वास्तविकता नहीं थी।

(ख) व (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैस्ट बंगाल हैडमास्टर एसोसिएशन से ज्ञापन

4684. **श्री निहाल सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को "वैस्ट बंगाल हैडमास्टर एसोसिएशन" 1/1 ए, कालेज स्ट्रीट कलकत्ता द्वारा 18 नवम्बर, 1980 को भेजा ज्ञापन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) उन्हें पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां। ज्ञापन 20 नवम्बर, 1980 को प्राप्त हुआ था।

(ख) मुख्य मांगें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा, केन्द्रीय शिक्षा अधिनियम के विधान तथा प्रख्यात शिक्षाविदों की एक राष्ट्रीय एकता समिति के गठन के विषय में है।

(ग) मांगों को नोट कर लिया गया है।

नदी के जल तथा समुद्री खाद्य को प्रदूषण से बचाया जाना

4685. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दमन में उद्योगों के कचरे की भारी मात्रा को मधुबनी नदी में

फेंका जा रहा है जिसके कारण नदी के जल तथा इस क्षेत्र के समुद्री खाद्य का प्रदूषण हो रहा है; और

(ख) नदी जल तथा समुद्री खाद्य को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। दमन गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदी मधुबनी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत वापी औद्योगिक सम्पदा है, जो गुजरात राज्य में हैं।

(ख) जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने राज्य बोर्ड तथा गुजरात औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से नदी के प्रदूषण का नियन्त्रण करने के लिए कार्यवाही की एक योजना बनाई है। गुजरात औद्योगिक विकास निगम कार्यवाही की योजना को कार्यान्वित करने के लिए उपाय कर रहा है।

महाराष्ट्र के लिए पीने के पानी की योजना

4686. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने 73.76 करोड़ रुपये की लागत वाली केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजित द्रुत ग्रामीण जल वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार की 1033 योजनाएं अनुमोदित की थी;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार को केवल 15.39 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977-78 में इसके प्रारम्भ से लेकर अब तक 7703.62 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत से महाराष्ट्र में 2601 ग्रामों के लिए 2210 स्कीमें अनुमोदित की हैं।

(ख) अब तक दी गई कुल केन्द्रीय सहायता 1561.07 लाख रुपये है।

(ग) केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध निधियां सीमित हैं तथा उन्हें सभी राज्यों को कुछ मापदण्डों के अनुसार बराबर-बराबर नियत किया जाना है। अतः प्रत्येक राज्य को 100% सहायता देना सम्भव नहीं है। केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमें तदनुसार इस शर्त पर अनुमोदित की जाती हैं कि केन्द्रीय कार्यक्रम के अधीन जो कुछ दिया जाएगा उससे आगे स्कीमों को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित निधियां राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से पूरी की जाएगी।

उड़ीसा के महानदी बिरूपा बांध के निर्माण के लिए निधि

4687. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1981-82 के दौरान कुछ बांधों का निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में महानन्दी बिरूप बांध के निर्माण के लिए आवश्यक निधि प्रदान की गई है;

(ग) उक्त बांध का कार्य कब आरंभ होने की आशा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। उड़ीसा सरकार का, महानदी और बिरुपा के मौजूदा वीयरों के स्थान पर दो बराजों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(घ) इस कार्य के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान 4.5 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) बराजों के निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका है और इस कार्य के 1985-86 तक पूरा हो जाने की आशा है। इस कार्य में मौजूदा जोरबा वीयर के 60 मीटर अनुप्रवाह में महानदी नदी पर बराज निर्माण, और मौजूदा बिरुपा वीयर के लगभग 300 मीटर अनुप्रवाह में बिरुपा नदी पर एक बराज का निर्माण करना शामिल है। इस परियोजना पर 73.91 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश की सीमा

4688. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के अधीन इन संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले लाभांश की कोई सीमा निर्धारित है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त सीमा के कारण सहकारिता आन्दोलन के विकास में रूकावट पड़ रही है क्योंकि बचत और ऋण संस्थाएं, विशेष रूप से सरकारी उपक्रमों द्वारा जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज की ऊंची दरों के कारण, अधिक जमाराशियां आकर्षित नहीं कर पा रही हैं; और

(ग) क्या उक्त सीमा में वृद्धि करने का विचार है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां। दिल्ली सहकारी समिति नियम 1973 के नियम 79(1) में यह व्यवस्था है कि

किसी भी सहकारी समिति का लाभांश प्रति वर्ष प्रदत्त शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(ख) और (ग) सदस्यों को शेयर पूंजी पर लाभांश देने की सीमा सहकारी समितियों के अधिनियमों और नियमों में निर्धारित की जाती है । यह सहकारिता के इस मूल सिद्धान्त का द्योतक है कि शेयर पूंजी पर सीमित ब्याज, (अगर कोई हो) मिलना चाहिये । तथापि, सदस्यों द्वारा जमा की जाने वाली राशि पर ब्याज देने के सम्बन्ध में सहकारी समितियों के नियमों में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है । अत: यह नहीं कहा जा सकता कि लाभांश पर पाबंदी लगाने के कारण बचत और ऋण समितियों के विकास में रूकावट पड़ रही है । दूसरी ओर, ऐसी समितियों की संख्या में वृद्धि हो रही है ।

दिल्ली में बचत और ऋण सहकारी समितियों के लिए नमूना उपनियम

4689. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रजिस्ट्रार द्वारा दिल्ली सहकारी समिति नियम 1973 के अन्तर्गत नमूना उप-नियम बनाए गए हैं;

(ख) क्या जो समितियां गत 30 वर्षों से संतोष-जनक रूप से कार्य कर रही हैं उनके लिए इन उप-नियमों को अपनाना अनिवार्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण है कि रजिस्ट्रार ऐसी समितियों को इन नमूना उप-नियमों को अपनाने का निदेश दे रहा है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) सहकारी समितियों के पंजीकार, दिल्ली ने दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के नियम 14 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में सहकारी समितियों के लिए आदर्श उपनियम बनाए हैं । इन्हें संशोधित करके या बिना संशोधन के (यदि कोई हो) लागू किया जा सकता है । आदर्श उपनियम दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं और उसके तहत बनाये गए नियम 2 अप्रैल, 1973 से लागू हैं । समिति के पुराने उप-नियम बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए थे और वे 2 अप्रैल, 1973 से पहले दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू थे । ये सभी मामलों में दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 तथा दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973, जो इस समय संघ राज्य क्षेत्र में लागू हैं, के प्रावधानों से मेल नहीं खाते हैं ।

मत्स्य बीज परियोजनाएं

4690. **श्री रामचन्द्र रथ :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश के कुछ मत्स्य-बीज परियोजनाएं स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) उक्त परियोजनाएं किन-किन राज्यों में स्थापित की जाएंगी;

(ग) क्या उपरोक्त योजना में उड़ीसा को भी शामिल किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा की मत्स्य बीज तैयार करने की परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च होगी; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। अन्तर्देशीय मत्स्य की परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के अधीन आने वाले राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से मत्स्य बीज का उत्पादन मत्स्य बीज विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

(ख) उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल।

(ग) जी हां।

(घ) 1.30 करोड़ रु०।

(ङ) उड़ीसा में मत्स्य बीजों के लिए 4 हैचरियां स्थापित की जाएंगी। इनमें से 2 हैचरियां 25 हैक्टार व 2 हैचरियां 10 हैक्टार के क्षेत्र में होंगी। पूर्ण विकास होने पर वे वर्ष भर में लगभग 740 फिन्गरलिंग तैयार करेंगी। इन हैचरियों के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करने के विषय में सर्वेक्षण जारी है।

देश में इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों की व्यवस्था

4691. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में भी ऐसे इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों की स्थापना की जाएगी;

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक शुरू होने की सम्भावना है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के चार महानगरों में इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है। देश भर में इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज उपलब्ध कराने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस हालत में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में आरंभ की जाने वाली सिंचाई परियोजनाएं

4692. **श्री हरिहर सोरन**
श्री नित्यानन्द मिश्र } : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कार्यान्वयन के लिए और वहां शुरू की जाने वाली स्वीकृत उन बड़ी और बहुद्देश्यीय परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्र द्वारा शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उनमें से प्रत्येक परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) उन्हें कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सिंचाई एक राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तैयार एवं क्रियान्वित की जाती हैं। सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समूची विकास योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत की जाती है। राज्य-योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है जिसका किसी परियोजना अथवा विकास के किसी विशिष्ट क्षेत्र से सम्बन्ध नहीं होता।

उड़ीसा सरकार ने अपनी छठी योजना में 14 नई बृहद सिंचाई परियोजनाओं को हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है। इन परियोजनाओं के नाम और इनकी अनुमानित लागत इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
		(लाख रुपये)
1.	ओंग चरणदो	3000.00
2.	इन्द्रा बांध	3000.00
3.	समाकोई	1876.00
4.	स्वर्णरेखा	10,000.00
5.	लोअर इन्द्रावती	10,000.00
6.	कानपुर	3800.00
7.	इब	13000.00

1	2	3
8.	महानदी चित्रोपोला सिंचाई परियोजना	2000.00
9.	लोअर जोंक	7000.00
10.	ताल उच्च स्तरीय नहर	50,000.00
11.	हीराकुड लिफ्ट	15,000.00
12.	हीराकुड की बाई नहर का विस्तार	7,000.00
13.	हीराकुड बांध का अतिरिक्त स्पिलवे	2,000.00
14.	ऋषिकुल्य बांध	3,000.00

इन परियोजनाओं को छठी योजना की अवधि में हाथ में लेने का प्रस्ताव है ।

अण्डमान में वन सुरक्षा बल के वेतनमान का पुनरीक्षण

4693. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन के चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट (मुख्य वन संरक्षक) की ओर से अण्डमान और निकोबार प्रशासन के वन सुरक्षा बल के वेतनमानों में वृद्धि करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) क्या इस मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, अंडमान में कर्मचारियों का एक ही पद पर रुके रहना

4694. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अण्डमान लोक निर्माण विभाग के बहुत से औद्योगिक कामगर काफी समय से एक ही पद पर रुके पड़े हैं;

(ख) क्या उनके लिए पदोन्नति के पर्याप्त पद हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के प्रवृत्त आदेशों के अनुरूप पर्याप्त संख्या में चयन ग्रेड के पद बनाने हेतु कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर नकारात्मक है ।

(ग) सरकार अण्डमान लोक निर्माण विभाग के कार्यप्रभारित पदों की पात्र श्रेणियों में सलैक्शन ग्रेड पद सृजित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है ।

अंडमान में फारेस्ट एम्पलाइज यूनियन और अंडमान हार्बर वर्कर्स, आदि में वेतन में असमानता

4695. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता हैं कि अण्डमान और निकोबार द्वीपों में फारेस्ट मैरीन एम्लाइज तथा मैरीन विभाग अण्डमान हार्बर वर्क्स आर्गेनाइजेशन, आदि में नाव कर्मचारियों के वेतनों में बहुत असमानता है;

(ख) यदि हां, तो वेतनों में यह असमानता कब तक बनी रहेगी; और

(ग) क्या असमानता को दूर करने के लिए नाव कर्मचारियों के लिए एक समान वेतन ढांचा बनाने के लिए कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के वन विभाग के निम्नलिखित पदों के वेतनमान को संशोधित करके 1-3-81 से मैरीन विभाग के समतुल्य पदों के वेतनमानों के बराबर लाने के लिए भारत सरकार की स्वीकृति अन्दमान एवं निकोबार प्रशासन को भेज दी गई है :—

पद	विद्यमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान
1. मास्टर	330-480 रुपए	550-750 रुपए
2. मुख्य इंजन ड्राइवर	330-480 रुपए	550-750 रुपए
3. लांच अथवा मोटर बोट ड्राइवर ग्रेड-1	260-350 रुपए	330-480 रुपए

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष

4696. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसी मांग की गई है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के लिए एक पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करके परिषद को पुनर्गठित किया जाए और उसे सक्षम प्राधिकारी के अन्तर्गत रखा जाए ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : जी नहीं, श्रीमान । ऐसी कोई मांग नहीं की गई है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए एक पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करके परिषद को पुनर्गठिन किया जाए और उसे सक्षम प्राधिकारी के अधीन रखा जाए । तथापि, सरकार को एक माननीय संसद सदस्य से सुझाव प्राप्त हुआ है कि 'एक पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष को दिन-प्रति-दिन के कार्यकरण की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया जाए जैसा कि सी० एस० आई० आर० में है ।

डाक लेखा, पटना में कर्मचारियों के मंजूर किए गए पद और वहां पर उपलब्ध आवास

4697. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1980 को डाक लेखा उप निदेशक कार्यालय, पटना में (एक) कनिष्ठ लेखा अधिकारी, (दो) क्लर्क, (तीन) सार्टर और (चार) चतुर्थ श्रेणी में भिन्न-भिन्न संवर्गों में कितने पद मंजूर किए गए थे;

(ख) 31 दिसम्बर, 1980 को कितने कर्मचारी थे और भिन्न-भिन्न संवर्गों में उनकी कितनी कमी है;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं और यह कमी पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या 31 दिसम्बर, 1980 का उपरोक्त स्टाफ कर्मचारियों के लिए स्थान औचित्य के अनुसार काफी था और कितना स्थान उपलब्ध है; और

(ङ) अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां । 31 दिसम्बर, 1980 को विभिन्न संवर्गों में मंजूर किए गए कर्मचारियों की संख्या नीचे दी जा रही है :—

(1) कनिष्ठ लेखा अधिकारी	33
(2) (क) वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखापाल	295
(ख) क्लर्क	131
(3) सार्टर	49
(4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	53

(ख)

	उपलब्ध कर्मचारी	कमी
(1) कनिष्ठ लेखा अधिकारी	30	3
(2) (क) वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखापाल	247	48
(ख) क्लर्क	74	57
(3) सार्टर	33	16
(4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	39	14

(ग) प्रत्येक संवर्ग में कर्मचारियों की कमी निम्न कारणों से है :

(1) विभागीय पदोन्नति हेतु आरक्षित कोटा हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों की मांग।

(2) कनिष्ठ लेखापालों तथा क्लर्कों के पदों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपर्याप्त संख्या में संस्थान उम्मीदवार।

(3) चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने पर लम्बी अवधि में लगी रोक। लिपिक संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियों के भरने के सम्बन्ध में मामला कर्मचारी चयन आयोग के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया था तथा उन्होंने पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को भेजकर रिक्तियां भरने का आश्वासन दिया था।

चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने हेतु पटना रोजगार कार्यालय से निजी रूप में सम्पर्क करने के बाद उम्मीदवार भेजे गए हैं तथा नियुक्ति हेतु कार्रवाही की जा रही है।

(घ) न्याय संगत स्थान 34753 (वर्गफुट), उपलब्ध स्थान 25781 (वर्गफुट)।

(ङ) पोस्टमास्टर जनरल, बिहार सर्किल पटना किराए पर उपयुक्त अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए पहले से अत्यधिक प्रयत्नशील हैं।

पोस्टमास्टरों की जनरल लाइन से सलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति

4698. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निरीक्षकों/डाकघरों के असिस्टेंट सुपरिंटेण्डेन्टों के बजाय जनरल लाइन से पोस्टमास्टरों की नियुक्ति उच्च सलेक्शन ग्रेड में किए जाने के बाद से पोस्टल काउंटरों के संचालन और डाक की डिलीवरी पर प्रतिकूल असर पड़ा है;

(ख) क्या ऐसी नियुक्तियों के परिणामस्वरूप प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव में आम लोगों की शिकायतों और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की संख्या बढ़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त सेवा के स्तर में गिरावट को ध्यान में रखते हुए पूर्ववत् स्थिति पुनः कायम करने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख) माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) की सूचना को मद्देनजर रखते हुए मामले पर विचार जायेगा।

संयुक्त सलाहकार तंत्र (जे० सी० एम०) में प्रतिनिधित्व के बारे में नीति

4699. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सेवा के छोटे किन्तु एक महत्वपूर्ण अनुभाग, जैसे निरीक्षण/डाकघर के सहायक अधीक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशनों के कार्य-

करण में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्या डाकतार विभाग का प्रस्ताव संयुक्त सलाहकार तंत्र (जे० सी० एम०) में प्रतिनिधित्व सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें क्या वैकल्पिक फोरम उपलब्ध कराया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं, डाक तार कर्मचारियों के दो संघों, जो डाकतार विभाग के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों का व्यापक एवं पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, को संयुक्त सलाहकार तंत्र में प्रतिनिधित्व दिया गया है। किसी भी पृथक गैर संघबद्ध यूनियन/एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। संयुक्त सलाहकार तंत्र के उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त संघ, निरीक्षकों/सहायक अधीक्षकों की एसोसिएशन सहित, गैर-संघबद्ध संवर्ग आधारित यूनियन के सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के हकदार हैं। संयुक्त सलाहकार तंत्र के संविधान के अन्तर्गत उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब तक मौजूदा संघ कर्मचारियों की सभी श्रेणियों का व्यापक एवं पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, तब तक किसी भी नए संघ/संस्था को मान्यता प्रदान करने की इजाजत नहीं है।

(ख) संयुक्त सलाहकार तंत्र के उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त संघ, निरीक्षकों/सहायक अधीक्षकों की एसोसिएशन सहित, संवर्ग आधारित गैरसंघबद्ध यूनियन एसोसिएशन के सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के हकदार हैं। गैर संघबद्ध यूनियन/एसोसिएशनों को भी अपनी शिकायतें दूर करने के लिए डाक तार बोर्ड से बैठकें करने का अवसर दिया जाता है।

डाकघरों के निरीक्षकों/सहायक अधीक्षकों के उच्चतर चयन श्रेणी में पदोन्नति के अवसर

4700. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकतार विभाग ने, उच्च चयन में श्रेणी में उनकी पदोन्नति के अवसरों को वापस लेने का जे० सी० एम० में निर्णय लेने से पूर्व डाकघरों के निरीक्षकों/सहायक अधीक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्विस एसोसिएशन से परामर्श किया था; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) डाक तार कर्मचारियों के दो संघों जो डाक तार विभाग कर्मचारियों की सभी श्रेणियों का व्यापक एवं पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, को संयुक्त सलाहकार तंत्र में प्रतिनिधित्व दिया गया है किसी भी पृथक गैर संघबद्ध यूनियन/एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। संयुक्त सलाहकार तंत्र के उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त संघ निरीक्षकों/सहायक अधीक्षकों की एसोसिएशन सहित संवर्ग आधारित गैर संघबद्ध यूनियन के सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के हकदार हैं। पहले 550-750 रुपये के वेतन मान के एच० एस० जी०-II के सभी पदों और 700-900 रुपये के वेतन मान के एच० एस० जी-I के सभी पदों को 50:50 के अनुपात में डाक निरीक्षक वर्ग के कर्मचारियों और सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के बीच बांटा जाता था। अब 550-750

रुपए के वेतन मान के एस० एस० जी-II के सभी पद सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को दिये गए हैं और 700-900 रु० के वेतन मान के एच० एस० जी०-I के भविष्य में सृजित किये जाने वाले सभी पदों को भी सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को दिया गया है। एच०एस०जी०-II के पदों में अपने भाग को छोड़ने के लिए डाक निरीक्षक वर्ग के कर्मचारियों को 425-700 रु० वेतन मान में डाक निरीक्षक के, सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उनके द्वारा छोड़े गये एच० एस० जी०-II के पदों की संख्या के बराबर पदों का दर्जा बढ़ाकर उनको 550-900 रुपये वेतन मान में सहायक अधीक्षक (डाक) के पदों में बदल कर इसकी प्रतिपूर्ति कर दी गयी है। एच० एस० जी०-II में भविष्य में सृजित किए जाने वाले पदों के लिए भी जब कभी भी एच० एस० जी०-II के दो पदों का सृजन किया जायेगा, डाक निरीक्षक के एक पद का दर्जा बढ़ाकर सहायक अधीक्षक (डाक) के एक अतिरिक्त पद का सृजन कर, उनकी प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी।

लोनी रोड, दिल्ली के आबंटियों को वैकल्पिक प्लाटों का आबंटन

4701. **श्री भीखा भाई :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोनी रोड पर आबंटित किए गए 70 मीटर के रिहायशी प्लाटों के बदले, इन प्लाटों के आबंटियों को कुछ अन्य स्थानों पर रिहायशी प्लाट दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्लाट इन लोगों को कितनी अवधि के बाद दिए गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन प्लाटों का कब्जा देने में लगे समय के लिए उन्हें कुछ ब्याज का भुगतान किया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार उन्हें ब्याज का भुगतान करने का है और यदि हां, तो उसमें कितना समय लगने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 1975 में लोनी रोड क्षेत्र में जिन 2175 व्यक्तियों को प्लाटों का आबंटन किया गया था, उनमें से 137 व्यक्तियों ने उन्हें आबंटित प्लाटों की धरोहर राशि/प्रीमियम वापस ले ली हैं और 2018 आबंटितियों को 26-5-78 से 6-6-80 तक वैकल्पिक आबंटन कर दिए गए हैं। शेष 20 मामले आबंटन की प्रक्रिया में हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लाटरी ड्रा के माध्यम से आबंटन की शर्तों के अन्तर्गत आवेदकों की धरोहर राशि पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गत दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में शाखा डाक घरों की स्वीकृति

4702. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां हिमाचल प्रदेश में 1979-80 और 1980-81 के दौरान शाखा डाक घरों की मंजूरी दी गई है;

(ख) क्या तबसे उनमें सभी डाक घर खोले जा चुके हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उन सभी के कब तक खोले जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा।

हिमाचल प्रदेश में पेय जल की सप्लाई

4703. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में पेय जल की सप्लाई के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कौन-कौन सी योजनाएं इस समय निष्पादित की जा रही हैं और प्रत्येक की लागत कितनी है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना किस तिथि तक पूरी हो जायेगी और इनसे कितने गांवों और जनसंख्या को लाभ होगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) समस्याग्रस्त ग्रामों की पेय जल पूर्ति की योजनाएं केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके 1977-78 में आरंभ होने से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश के किए 7.21 लाख जनसंख्या के 3379 ग्रामों के लिए 1941.657 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत की 409 योजनाएं मंजूर की गई हैं।

(ख) दिसम्बर, 1980 तक 1902 ग्राम पहले ही इस योजना के अन्तर्गत आ चुके हैं। पूर्व अनुमोदित इन योजनाओं के अन्तर्गत शेष ग्रामों को अगले 2-3 वर्षों में पेय जल दिये जाने की आशा है बशर्ते कि पर्याप्त निधियां उपलब्ध हों।

गोदावरी जल का बटवारा

4704. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोदावरी नदी के जल के बंटवारे से संबंधित अन्तर्राज्यीय विवाद की अब क्या स्थिति है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : गोदावरी जल विवाद को इस बीच हल किया जा चुका है। यह विवाद अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायनिर्णय के लिए गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण को सौंपा गया था। न्यायाधिकरण ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 7 जुलाई, 1980 को प्रस्तुत कर दी थी। जैसाकि अधिनियम में

व्यवस्था है, न्यायाधिकरण के निर्णय को केन्द्रीय सरकार द्वारा 26 जुलाई, 1980 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिससे यह निर्णय लागू हो गया और पक्ष-राज्यों पर आबद्धकर हो गया। इस निर्णय की मोटी-मोटी बातों के सम्बन्ध में 7 जुलाई, 1980 को लोक सभा में एक वक्तव्य भी दिया गया था।

1981-82 के दौरान कर्नाटक में खोले जाने वाले डाकघर, तार और टेलीफोन केन्द्र

4705. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान कर्नाटक राज्य स्थापित किये जाने वाले नये डाकघरों, तार-घरों और टेलीफोन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने केन्द्रों को राज्य और राज्य से बाहर एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ा जायेगा; और

(ग) राज्य में वर्तमान सेवा में विशेषकर टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) **डाकघर** : डाकघर खोलने हेतु 1981-82 वर्ष के लिए सर्किल योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है :

टेलीफोन एक्सचेंज : कर्नाटक राज्य में 60 नए 25 लाइनों वाले एम० ए० एक्स-III एक्सचेंज तथा एक 50 लाइनों वाला एम० ए० एक्स-III एक्सचेंज खोलने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। जिन स्थानों पर एक्सचेंज खोले जाने की योजना है उनकी सूची विवरण-1 में दी गई है।

तारघर : 1981-82 वर्ष के दौरान 9 तारघर खोलने की योजना है। ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य में दो और एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जाने की सम्भावना है।

(ग) सम्भव सुधार लाने के लिए डाक एवं दूरसंचार सेवाओं की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है। टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं :—

1. आन्तरिक्ष एवं बाह्य संयंत्रों की पूर्ण मरम्मत,
2. बाह्य एवं आन्तरिक संयंत्रों हेतु अनुरक्षण कार्यक्रम,
3. उपभोक्ता लाइनों के खुले तार वाले भाग का यथासंभव भूमिगत केबिलों एवं विद्युत रोधक तारों द्वारा परिवर्तन,
4. बड़े शहरों में मौजूदा भूमिगत केबिलों का गैस द्वारा दाबीकरण तथा दाबीकृत नए भूमिगत केबिल बिछाना,

5. उपभोक्ता के ग्रहाते का नियमित निरीक्षण,

6. दोष निवारक सेवा के कार्यकरण पर निरंतर निगरानी रखना ।

विवरण-1

1981-82 के दौरान कर्नाटक में खोले जाने वाले प्रस्तावत नए एक्सचेंजों की सूची :

1. दान्नूर
2. सालाकानी
3. मालगी
4. काबूर
5. तावारागेरे
6. गिलेस्वगूर
7. पोतनाल
8. उथानूर
9. हुलीयूरदुर्गा
10. लोकापुर
11. ईर्डी
12. हम्मीगी
13. होसनगाडी
14. बाल्लोल्ली
15. काम्मटगी
16. येम्मिनातूर
17. काडूर
18. टोडलबागी
19. मागोद
20. ईटागी
21. कराजगी
22. हिरेहाल
23. मुविनाहीप्पागीं
24. आजेकर
25. पुंछा
26. गुडीबंड़ा

27. मिरीयान
28. दुबालगुंडी
29. रत्नापुरी कालोनी
30. बेटाडुपुरा
31. नांझादेवनापुरा
32. सत्तूत
33. नल्लूर
34. गुलादहाली
35. कामर्दी
36. हरनहाली
37. मसूर
38. अथरगहाटा
39. तुद्दूर
40. अलजेरी मंदरी
41. उंदीगनालू
42. मस्थीकटी
43. हुलकुंड
44. येयूर
45. यालवर
46. यतादाहोसवाली
47. ऊरुवेल्लू
48. बुदिगेरी
49. साथेकला
50. कागजीपुरा
51. तेराकनम्बी
52. नारीमोबू
53. बेंगेर
54. बाईरामबदा
55. ओक्कालेर
56. बिचनाहल्ली

57. मेगूर
58. काबलीकालोनी
59. कुलगौद
60. कोड्डिहाली

(ख) 50 लाइन के एम० ए० एक्स० (तीन) एक्सचेंज

1. काल्लौली

विवरण-2

1. शिरगोड (धारवाल)
2. दसराहल्ली (मंगलूर)
3. विठल नगर (बंगलूर)
4. बाईरसान्द्र (बंगलूर)
5. न्याध कालोनी (उ० कनारा)
6. अज्जीबल (उ० कनारा)
7. कथिनकौन (कारवाड़)
8. उप्पुन्डा (उदिप्पी)
9. नागरे (उ० कनारा)

राजधानी में प्रदूषण

4706. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में वायु-प्रदूषण दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण होने वाली अनेक बिमारियों ने मानव जीवन को बहुत ही शोचनीय बना दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बुराई को पूरी तरह रोकने और परिस्थिति वातावरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) विधेयक 1980 लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और कुछ छोटे-छोटे संशोधनों पर विचार करने के लिए लोक सभा के समक्ष निलम्बित है।

सुन्दर बन में रोजगारोन्मुख ग्रामीण उद्योगों का विकास

4707. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में 1981-82 के दौरान कुछ रोजगारोन्मुख ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए कोई योजना उनके मंत्रालय अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) जी हां, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र को रोजगारोन्मुख उद्योगों के अन्तर्गत पहले ही ले लिया है। इनमें ग्रामीण चमड़ा, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, मधुमक्खीपालन तथा खादी शामिल हैं। इन उद्योगों को 1981-82 के दौरान जारी रखा जाएगा।

पश्चिमी बंगाल में सुन्दरबन में बन सम्पदा का विकास और परिरक्षण

4708. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1981-82 के दौरान पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में वन सम्पदा के विकास तथा वनस्पति एवं प्राणियों के परिरक्षण के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) (1) सुन्दरबन बाघ परियोजना के अन्तर्गत एक बाघ आश्रयस्थल है। भारत में पशुओं के आश्रय स्थलों के विषय में शुरू की गई अब तक की यह सबसे बड़ी परियोजना है। इसे 1973-74 में शुरू किया गया था और एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में छठी योजना अवधि (1980-85) में जारी रखा जा रहा है। इसका व्यय समान रूप से केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारें वहन करती हैं।

(2) सामाजिक वानिकी की नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को, जिसका मुख्य उद्देश्य ईंधन की लकड़ी के पेड़ उगाना है, 24 परगना जिले में शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें सुन्दरबन भी शामिल है।

नानकपुरा, नई दिल्ली में हरे तथा शीघ्र डाक सेवा के लेटर बाक्स

4709. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नानकपुरा डाकघर, नई दिल्ली-21 अथवा इसके समीप के ही

दक्षिण मोतीबाग बाजार में अथवा शान्ति निकेतन, आनन्द निकेतन और मोती बाग-दो के निकटवर्ती कालोनियों में किसी समुचित स्थान पर शीघ्र डाक-सेवा का कोई भी लेटरबाक्स नहीं रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो शीघ्र डाक-सेवा के लिए कम से कम नानकपुरा डाकघर में एक लेटर-बाक्स रखने में डाकतार विभाग को क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) क्या नानकपुरा डाकघर जैसे बहिवर्ती डाकघर में स्थानीय डाक के लिए एक हरा लेटर बाक्स रखने के लिए भी विचार करेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) नानकपुरा डाकघर, शान्ति-निकेतन, आनन्द निकेतन और मोती बाग-II स्थानों पर शीघ्र डाक सेवा लेटर बाक्स प्रदान नहीं किया गया है। लेकिन शीघ्र डाकसेवा लेटर बाक्स इनके निकटस्थ स्थान चाणक्यपुरी, मोती-बाग-I, रामकृष्णपुरम सेक्टर-12, रामकृष्णपुरम स्वामी मलाई मन्दिर, मौर्य होटल और बसन्त-विहार में स्थापित किए गए हैं।

(ख) शीघ्र डाक सेवा लेटर बक्सों की स्थापना केवल चुनिंदा जगहों पर की जाती है क्योंकि इनकी निकासी के लिए विशेष व्यवस्था के प्रबन्ध में एक अच्छी खासी रकम खर्च होती है। शीघ्र डाक सेवा लेटरबक्सों की निकासी के लिए विशेष रूप से वाहन भेजे जाते हैं। पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमत और विभागीय गाड़ियों के चलाने की लागत के कारण शीघ्र डाक-सेवा के लेटरबक्स केवल कुछ केन्द्रीय स्थानों पर ही लगाये जाते हैं। चूंकि मोती बाग के शीघ्र डाक-सेवा लेटर बक्स मौजूद हैं, जो अधिक दूरी पर नहीं है, इस कारण से ऐसा समझा गया था कि वह उस क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगा।

(ग) प्रयोगात्मक आधार पर कुछ चुने गए स्थानों पर हरे रंग के लेटरबक्सों को लगाया गया है। यदि उक्त प्रयोग सफल रहा तो नानकपुरा में ऐसे ही लेटर बक्स को स्थापित करने के प्रश्न पर कुछ समय पश्चात् विचार किया जायेगा।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आसाम में एक सींग वाला गैंडा

4710. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के सिवसागर जिले के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडों की संख्या क्या है; और

(ख) उनके संरक्षण और विकास के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) 1978 में की गई गणना के अनुसार इनकी संख्या 960 है।

(ख) इनके संरक्षण एवं वृद्धि के लिए ये उपाय किये गये है :—

(1) भारतीय गैंडे को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार इस जाति को पूरी कानूनी सुरक्षा की गई है।

(2) इसको वन्य जीव और वनस्पति की खतरे में पड़ी किस्मों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विषयक सम्मेलन के परिशिष्ट-1 में भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार से इसके निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

(3) काजीरंगा को, विशेषकर इस जाति के वासस्थल को सभी संभव सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया है। इस राष्ट्रीय पार्क के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक 11.45 लाख रुपये की वित्तीय सहायता निर्मुक्त की है। प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार राष्ट्रीय पार्क की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए असम को आवंटित राशि

4711. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार के लिए गत दो वर्षों के दौरान कितनी राशि का आवंटन किया गया तथा चालू वर्ष के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है; और

(ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के गहन स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिये अन्य कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) प्रौढ़ शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत असम सरकार को वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान 45,76,897.00 रु० की राशि आवंटित की गई थी। वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	राशि
1978-79	कुछ नहीं
1979-80	26,43,100.00 रुपए
1980-81	19,33,797.00 रुपए
योग	45,76,897.00 रुपए

(ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा कर ली गई है। समीक्षा समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

"इनडोर एंड आउटडोर" स्टेडियमों की स्थापना हेतु आसाम को मंजूर की गई धनराशि

4712. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इनडोर एण्ड आउट डोर स्टेडियमों की स्थापना हेतु आसाम को पिछले 2 वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमति शीला कौल) : खेलकूद के विकास के लिए राज्य खेल परिषदों आदि को केन्द्रीय अनुदान योजना के अन्तर्गत, गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान आन्तरिक और बाहरी स्टेडियमों की स्थापना के लिए असम को संस्वीकृत अनुदान इस प्रकार हैं :—

1978-79	2,33,000/=रु०
1979-80	2,60,000/=रु०

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत असम को अब तक कोई अनुदान नहीं दिए गए हैं।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए रखी गई राशि

4713. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान, राज्यवार, कितनी राशि निर्धारित की गई;

(ख) कथित अवधि के दौरान उक्त कार्य के लिए, राज्यवार, वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में क्या प्रगति की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए रखी गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान राज्यवार प्रौढ़ शिक्षा पर वास्तव में खर्च की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है। चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान वास्तव में व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित स्थिति का केवल वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही पता लगेगा जब सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से यह सूचना प्राप्त हो जाएगी।

(ग) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा में राज्यवार हुए दाखिले को दर्शाने वाला विवरण-3 संलग्न है। वर्ष 1980-81 से सम्बन्धित स्थिति का वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही पता लगेगा जब सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से यह सूचना प्राप्त हो जाएगी।

विवरण-1

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निर्धारित राशि	(15-3-1981 तक की स्थिति	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	52.73	75.77	217.33
2.	असम	27.90	114.74	159.32
3.	बिहार	115.54	216.30	258.92
4.	गुजरात	127.78	269.70	253.15
5.	हरियाणा	45.16	106.05	107.19
6.	हिमाचल प्रदेश	9.19	22.54	9.94
7.	जम्मू और कश्मीर	15.90	52.74	48.54
8.	कर्नाटक	33.41	164.42	173.21
9.	केरल	45.79	55.67	84.57
10.	मध्य प्रदेश	51.75	242.22	23.18*
11.	महाराष्ट्र	76.68	220.65	222.16
12.	मणिपुर	9.77	21.18	27.68
13.	मेघालय	9.62	23.26	57.42
14.	नागालैण्ड	11.20	21.50	41.44
15.	उड़ीसा	35.73	162.00	118.68
16.	पंजाब	37.72	86.26	85.68
17.	राजस्थान	78.93	149.92	194.18
18.	सिक्कम	3.05	10.74	10.31
19.	तमिलनाडु	62.92	92.16	223.48
20.	त्रिपुरा	23.33	108.06	111.36

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश	151.06	338.42	374.12
22.	पश्चिम बंगाल	45.98	148.22	285.79
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप	1.99	3.42	4.26
24.	अरुणाचल प्रदेश	4.54	7.50	3.27
25.	चंडीगढ़	2.32	3.38	12.22
26.	दादर और नगर हवेली	0.50	0.50	2.48
27.	दिल्ली	79.83	70.53	79.57
28.	गोवा, दमन व द्वीव	3.68	11.60	9.68
29.	लक्षद्वीप	1.12	9.20	2.27
30.	मिजोरम	4.28	10.66	45.35
31.	पांडिचेरी	5.55	6.32	10.87
	जोड़	**1174.97	2824.70	3257.62

* इन आंकड़ों में केवल केन्द्रीय आवंटन शामिल है।

** कुल जोड़ों में अखिल भारतीय स्तर के स्वैच्छिक संगठनों के अनुदान शामिल नहीं हैं।

विवरण-2

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्धारित राशि	
		1978-79	1979-80
		(रुपये)	(रुपये)
1.	आंध्र प्रदेश	14,96,554.00	81,46,153.00
2.	असम	19,16,909.00	39,73,115.00
3.	बिहार	118,37,493.00	200,70,699.00
4.	गुजरात	96,05,796.00	167,67,733.00
5.	हरियाणा	36,71,348.58	51,95,068.00
6.	हिमाचल प्रदेश	5,88,216.28	11,77,867.00
7.	जम्मू और काश्मीर	16,09,600.00	12,72,000.00
8.	कर्नाटक	55,14,786.00	72,00,179.00

1	2	3	4
9.	केरल	23,71,045.77	22,29,365.00
10.	मध्य प्रदेश	60,79,050.00	146,27,116.00
11.	महाराष्ट्र	35,49,534.14	147,51,336.00
12.	मणिपुर	8,48,395.00	6,18,717.00
13.	मेघालय	16,72,000.00	19,64,310.00
14.	नागालैंड	9,93,990.00	18,29,650.00
15.	उड़ीसा	28,48,509.82	95,96,979.00
16.	पंजाब	20,77,456.00	25,81,000.00
17.	राजस्थान	44,59,179.81	116,69,210.00
18.	सिक्किम	3,91,715.00	3,10,256.00
19.	तमिलनाडु	34,58,065.00	126,85,544.00
20.	त्रिपुरा	82,72,692.00	112,39,835.00
21.	उत्तर प्रदेश	92,53,930.15	120,69,969.00
22.	पश्चिम बंगाल	52,52,000.00	135,31,305.00
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	94,610.25	2,69,802.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	3,57,365.00	2,55,360.00
25.	चंडीगढ़	52,470.33	1,98,956.00
26.	दादर और नगर हवेली	42,386.00	40,000.00
27.	दिल्ली	14,19,687.75	34,61,640.00
28.	गोवा, दमन और द्वीव	4,07,000.00	5,27,708.00
29.	लक्षद्वीप	1,15,478.00	1,48,000.00
30.	मिजोरम	3,73,543.00	13,51,635.00
31.	पांडिचेरी	3,51,697.00	3,75,847,00
	जोड़	9,09,82,502.88	18,01,36,354.00

विवरण-3

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र के नाम	दाखिला	
		1978-79	1979-80
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	45,310	2,02,660
2.	असम	38,430	1,70,546
3.	बिहार	33,000	75,720
4.	गुजरात	3,01,264	1,76,209
5.	हरियाणा	68,660	70,048
6.	हिमाचल प्रदेश	32,070	19,787
7.	जम्मू और कश्मीर	10,103	53,367
8.	कर्नाटक	1,72,000	1,96,521
9.	केरल	77,100	8,924
10.	मध्य प्रदेश	1,28,850	1,06,023
11.	महाराष्ट्र	4,63,800	3,83,075
12.	मणिपुर	29,970	8,678
13.	मेघालय	14,465	N.A.
14.	नागालैंड	17,700	16,945
15.	उड़ीसा	1,04,252	2,38,236
16.	पंजाब	38,100	N.A.
17.	राजस्थान	95,826	2,03,943
18.	सिक्किम	384	N.A.
19.	तमिलनाडु	1,21,810	3,69,208
20.	त्रिपुरा	35,248	N.A.
21.	उत्तर प्रदेश	1,58,247	1,26,722
22.	पश्चिम बंगाल	1,26,780	59,735
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,940	1,235

1	2	3	4
24.	अरुणाचल प्रदेश	9,880	4,127
25.	चंडीगढ़	2,800	4,024
26.	दादर और नगर हवेली	992	1,459
27.	दिल्ली	19,320	10,308
28.	गोवा, दमन और दीव	9,030	1,757
29.	लक्षद्वीप	312	255
30.	मिजोरम	5,265	N.A.
31.	पांडिचेरी	6,960	11,707
	योग	21,70,868 अथवा 21.71 लाख	25,21,219 अथवा 25.21 लाख

संस्कृत का विकास

4714. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से छठी पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में संस्कृत के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि व्यय की जानी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) संस्कृत के विकास और प्रसार के लिए छठी योजना में शामिल सतत योजनाओं के सम्बन्ध में विवरण संलग्न है। छठी योजना के लिए दो नई योजनाएं भी मंजूर की गई हैं जो निम्नलिखित हैं :—

1. आदर्श संस्कृत पाठशालाओं तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों में विख्यात संस्कृत अध्येताओं की सेवाओं का उपयोग, ताकि शस्त्रों के गहन अध्ययन को सुरक्षित रखा जा सके।

2. पुरालिपि, पुरालेख-शास्त्र, प्रतिमा-विज्ञान आदि जैसे व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए विशेष अनुस्थापन पाठ्यक्रम।

(ख) योजना आयोग ने सतत योजनाओं के लिए छठी योजना में 7.33 करोड़ रु० का वित्तीय परिव्यय तथा दो नई योजनाओं के लिए 31 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।

विवरण

	(परिव्यय लाख रुपये)
1. स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता	170.00
2. संस्कृत शिक्षा का विकास	172.00
3. संस्कृत साहित्य का निर्माण, संस्कृत-पुस्तकों, संस्कृत पाण्डुलिपियों के प्रकाशनों की खरीद	343.00
4. आदर्श संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों के लिए अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता, अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन, वैदिक कविता पाठ का संरक्षण	75.00
5. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	282.00
	733.00

ऐतिहासिक चित्तौड़ किला

4714. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई है कि चित्तौड़ का ऐतिहासिक किला ढहता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऐतिहासिक स्मारक के अनुरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) चित्तौड़ का ऐतिहासिक किला नहीं ढह रहा है। इस किले के अन्दर बहुत से स्मारक हैं। थोड़े समय पहले ही बड़े पैमाने पर इनमें से कई स्मारकों की संरचनात्मक मरम्मत की गई है। इसके अतिरिक्त स्मारकों के परिरक्षण तथा प्रस्तुतीकरण के लिए इनकी संरचनात्मक मरम्मत और रासायनिक उपचार तथा इनके चारों ओर बागवानी सम्बन्धी कार्य करने पर विचार किया गया है।

इन्जीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में केन्द्रीय सरकार के लिए सीटों का आरक्षण

4716. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न इन्जीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में केन्द्रीय सरकार के लिए आरक्षित सीटों को भरने के आधार क्या हैं;

(ख) ऐसे कौन-कौन से इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज हैं जहां केन्द्रीय सरकार के लिए सीटें आरक्षित है; और

(ग) इस प्रकार कितनी सीटें राज्यवार आरक्षित की गई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा मन्त्रालय में इन्जीनियरी कालेजों के सम्बन्ध में और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में चिकित्सा कालेजों के सम्बन्ध में स्थान आरक्षित किए गए है और उन्हें उन सम्बन्धित ऐजेन्सियों को सौंप दिया जाता है जो इन स्थानों के लिए सीधे मनोनयन करती हैं। जिन छात्रों के लिए आरक्षण किए जाते हैं, उनकी श्रेणियां, मनोनयन करने वाली एजेन्सियां, कालेजों के नाम तथा वर्ष 1980-81 के दौरान आरक्षित स्थानों की राज्यवार संख्या अनुबन्ध I से V में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०2181/81]

खाद्य सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा "केयर इंक" को भुगतान

4817. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार "केयर इंक" को उसकी खाद्य सहायता के लिए भुगतान करने हेतु भारतीय राज्य सरकारों को कोई कार्यकारी अथवा अन्य आदेश अथवा निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भारत में केयर के कार्य 1950 के भारत-केयर करार के अन्तर्गत नियन्त्रित हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष केयर के साथ परामर्श से व्यवस्थाओं की एक सूची बनाई जाती है, जिसमें राज्य सरकारों को उपलब्ध कुल खाद्य सहायता तथा उस पर केयर का देय प्रशासनिक खर्च के सम्बन्ध में ब्यौरा दिया होता है।

डोम्बीवली डाकघर जिला थाना के लिए भूमि का अधिग्रहण

4718. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई सर्किल के महा डाकपाल द्वारा डोम्बीवली (जिला थाना) महाराष्ट्र डाकघर के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु महाराष्ट्र सरकार से कब अनुरोध किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जनवरी, 1981 में महाराष्ट्र सरकार से डोम्बीवली डाकघर हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया था।

(ख) सी० टी० एस० संख्या 142 में से भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में 26-2-1981 को जारी की गई थी।

मराठी शब्द कोष के प्रकाशन के लिए सहायता

4719. **श्री आर० के० महालगी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री मराठी शब्द कोष के प्रकाशन के लिए सहायता के बारे में 24 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 812 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की कार्यवाही पूरी हो गई है और इसे अनुदान समिति को भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुदान समिति का प्रतिवेदन क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) मामले की कार्यवाही अभी भी जारी है।

उल्हास नगर जिला थाना के डाकघर भवन में स्थान की कमी

4720. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीने की अवधि के दौरान जिला थाना (महाराष्ट्र) में उल्हास नगर कैम्प संख्या 2 के डाकघर भवन में स्थान की कमी पूरी करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) उनके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) यदि कोई प्रयास नहीं किए गए हैं तो उनके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) उल्हास नगर, नगर पालिका के साथ संपर्क किया गया था। प्रस्तावित सुपर बाजार बिल्डिंग में डाकघर हेतु अपेक्षित आवास की व्यवस्था की आशा है। तदनुसार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन कर्मचारी

4721. **श्री निहाल सिंह** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) बम्बई तथा दिल्ली प्रधान कार्यालयों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और वे किन-किन पदों और ग्रेडों में काम कर रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

विश्व बैंक द्वारा आवास ऋण

4722. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मकानों का निर्माण करने के लिए विश्व बैंक तथा ऐसे अन्य संगठनों से कम ब्याज की दर पर ऋण प्राप्त कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) भारत सरकार सिर्फ आवास के निर्माण के लिए विश्व बैंक और इस प्रकार के अन्य संगठनों से कोई ऋण प्राप्त नहीं कर रही है। किन्तु यह आवास, जलपूर्ति तथा मल-निर्यास, यातायात और परिवहन, क्षेत्र विकास, रोजगार के अवसर पैदा करने आदि के विषय में कलकत्ता और मद्रास में बहुक्षेत्रीय नगर विकास परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, विश्व बैंक/आई० डी० ए० से ऋण प्राप्त कर रही है। आश्रय के क्षेत्र में कच्चे मकान, गन्दी बस्ती का उन्नयन और मकानों के निर्माणार्थ ऋणों की पूर्ति करते हुए स्थल एवं सेवाओं की योजनाएं शामिल हैं। आई० डी० ए० ने द्वितीय कलकत्ता नगर विकास परियोजना के लिए 870 लाख अमेरिकी डालर और प्रथम मद्रास नगर विकास परियोजना के लिए 240 लाख अमेरिकी डालर के ऋण दिए हैं। द्वितीय मद्रास नगर विकास परियोजना के लिए 420 लाख अमेरिकी डालर के ऋण पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। आई० डी० ए० की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत इन योजनाओं का कार्यान्वयन सम्बन्धित राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों द्वारा किया जाता है। आई० डी० ए० के ऋण जो केवल सरकारों को दी जाती है, की शर्तों में 10 वर्ष की माफी अवधि, 50 वर्ष भुगतान तिथि और ब्याज रहित ऋण शामिल हैं किन्तु इसमें प्रत्येक ऋण के संवितरित अंश पर 0.75% का वार्षिक सेवा शुल्क शामिल है।

1980-81 और 1981-82 में आन्ध्र प्रदेश में डाकघर खोले जाना

4723. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 में आन्ध्र प्रदेश में कितने डाकघर खोले जाने की संभावना है; और

(ख) 1980-81 में कितने डाकघर खोले गये ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 319 डाकघर खोले गए।

"लार्ड आफ गवर्नमेंट लैन्ड" शीर्षक समाचार

4724. **श्री एस० एम० कृष्ण**
श्री राजेश कुमार सिंह } : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में "लार्ड आफ गवर्नमेंट लैण्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय में भारतीय प्रशासनिक संघ के एक अधिकारी द्वारा किए गए सौदे के तथ्य क्या हैं; और

(ग) भूमि के इस कांड और भारतीय प्रशासनिक संघ के अधिकारी और उसकी पत्नी द्वारा सिविल सेवा आचार नियमावली के उल्लंघन के मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) सौदे के बारे में ब्यौरे जान लेने के बाद इस मामले की जांच की जाएगी ।

दुग्ध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धिता

4725. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में डेरी विकास दो दशकों से असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) दो दशकों में उत्पादन बढ़ाये जाने तथा इस अवधि के दौरान निवेश की गई राशि के बावजूद उत्पादन के स्तर में सफलता अथवा कमी अथवा स्थिरता की प्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1950 से 1960, 1960 से 1970 और 1970 से 1980 की अवधि के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धिता क्या है और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 284 ग्राम दूध की न्यूनतम आवश्यकता होने में देश को कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी; और

(ङ) दो दशकों में उत्पादित दूध तथा उपरोक्त अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति दूग्ध उपलब्धिता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं । विशेषकर पिछले दशक के दौरान डेरी विकास के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) से (ङ) यद्यपि, राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, तथापि दुग्ध उत्पादन और अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न योजना अवधियों के दौरान निदेश की गई राशि की जानकारी विवरण '1' और '2' में दी गई है।

दुग्ध उत्पादन और जनसंख्या के अनुमान से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दूध की प्रति दिन प्रति व्यक्ति उपलब्धि 1961 में 123.0 ग्राम, 1971 में 111.4 ग्राम और 1979 में 126.3 ग्राम थी।

दूध की प्रति व्यक्ति प्रति दिन की सिफारिश की गई न्यूनतम पोषक आवश्यकता 201 ग्राम है। उत्पादन के वांछित स्तर को इस शताब्दी के समाप्त होने पर प्राप्त किये जाने की सम्भावना है।

विवरण-1

पिछले दो दशकों के दुग्ध उत्पादन के अनुमान का ब्यौरा

वर्ष	दुग्ध उत्पादन [दस लाख मीटरी टन]
1965-66	20.0
1968-69	21.2
1971-72	22.5
1973-74	23.2
1977-78	27.5
1978-79	29.0
1979-80	30.0

विवरण-2

प्रशासन और डेरी विकास के लिए वास्तविक योजना व्यय

	(करोड़ रुपये)
तीसरी योजना	77·00
1966-69	59·70*
चौथी योजना	135·40
पांचवीं योजना	337·47
1979-80	131·25*
1980-81	147·68*
कुल	888·50

* पूर्वानुमानित व्यय।

नवकेतन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों के खिलाप शिकायतें

4726. **श्री सूरज भान :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवकेतन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, नई दिल्ली के पदाधिकारियों के खिलाफ इस सोसाइटी के कार्यकरण में गंभीर अनियमितताओं के लिए इसके सदस्यों द्वारा बहुत सी शिकायत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) शिकायतों की सही संख्या बताना संभव नहीं हैं क्योंकि ये विभिन्न प्राधिकरणों को भेजी गई हैं और कुछ प्रतियां साइक्लोस्टाइल बिना हस्ताक्षरों की हैं। सहकारी आवास समितियों के पंजीकार ने दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 की धारा 54 के अधीन निरीक्षण के आदेश दिए हैं।

नवकेतन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी द्वारा की गई अनियमितताएं

4727. **श्री सूरज भान :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 दिसम्बर, 1980 के इंडियन एक्सप्रेस में "टेल आफ ग्रुप हाउसिंग कोआपरेटिव्ज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें नवकेतन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा दी गई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हा, तो इन आरोपों के बारे में विचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त सोसाइटी के सदस्यों तथा सोसाइटी द्वारा निर्मित किऐ गए समूह में जिन व्यक्तियों को मकान आबंटित किए गए हैं, उनकी एक सूची सभा पटल पर रखने का है ?

संसदीय कार्य और निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां

(ख) सहकारी समितियों के पंजीकार ने दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 54 के अन्तर्गत एक सांविधिक जांच का आदेश दिया है।

(ग) जी, नहीं। समिति के सदस्यों की तथा उन व्यक्तियों की जिन्हें मकान आबंटित किए गए हैं की सूचियां सहकारी समितियों के पंजीकार द्वारा उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लेखित धारा 54 के अन्तर्गत नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा प्रक्रिया के अधीन है।

नवकेतन हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जांच

4728. **श्री सूरज भान :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि दो वर्ष पूर्व मकान निर्मित हो गए थे तथापि नवकेतन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ने अब तक इसके सदस्यों को हिसाब नहीं दिया है और हिसाब मांगने वाले सदस्यों को उपरोक्त सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा धमकी दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन के सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया है कि नवकेतन सामूहिक आवास समिति ने इस आरोप से इन्कार किया है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

बम्बई के निकट "कोस्ट अर्थ स्टेशन स्थापित" करने का प्रस्ताव

4729. **श्री के० मालन्ना :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र उपग्रह संचार सेवा के लिए बम्बई के निकट एक "कोस्ट अर्थ स्टेशन" स्थापित करने की भारत की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत क्या होगी, इसका उपयोग क्या होगा तथा इसके कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) भारत के प्रमुख जहाजरानी हितों की दृष्टि से, उपयुक्त स्थान पर, तटवर्ती उपग्रह भू-केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) तटवर्ती भू-केन्द्रों की स्थापना होने पर इन्मरसेट उपग्रह प्रणाली के माध्यम से हिन्द महासागर क्षेत्र में चल रहे जहाजों के लिए टेलीफोन, टेलेक्स और दूर संचार की अन्य आधुनिक सुविधायें सुलभ हो जायेंगी। अभी इस परियोजना की प्रारम्भिक जांच पड़तला चल रही है।

भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न सेवा संवर्ग

4730. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम में विभिन्न सेवा संवर्ग है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संवर्ग का नाम तथा उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) क्या ये संवर्ग उक्त उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक संवर्ग के नाम और उद्देश्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न संवर्गों के नाम और उनके उद्देश्य बताने वाला विवरण

संवर्ग का नाम	उद्देश्य
1. सामान्य प्रशासन संवर्ग	यह संवर्ग तकनीकी, विशेषीकृत और व्यावसायिक स्वरूप के अलावा निगम के सामान्य कार्यों और गतिविधियों से संबंधित कार्य करता है। इसके अन्तर्गत कार्मिक सतर्कता और सुरक्षा, औद्योगिक सम्बन्ध, वसूली, खरीद, भंडारण, ठेका, पत्तन परिचालन, बिक्री आदि कार्य आते हैं।
2. गोदाम संवर्ग	यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे जा रहे विभिन्न भण्डारण डिपों में खाद्यान्नों की भण्डारण, संचलन और उनके निर्गम से सम्बन्धित कार्य करता है।
3. तकनीकी संवर्ग	यह अच्छी किस्म के अनाज खरीदने, गोदामों में खाद्यानों का अच्छी तरह परीक्षण करने, वसूली केन्द्रों डिपों में प्राप्त होने वाले स्टाक के जारी करने के लिए प्राथमिकता सूची तैयार करने, स्टाक का उचित और समय पर रसायनों आदि से उपचार करने से सम्बन्धित कार्य करता है।
4. संचलन संवर्ग	यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्भाले जाने वाले खाद्यानों के संचलन से संबंधित कार्य करता है। रेल सड़क परिवहन योजनाओं के लिए नीतियां, कार्यक्रम और कार्यविधि तैयार करता है और उसे कार्यान्वित करता है, निगम द्वारा सम्भाली जाने वाली जिन्सों और खाद्यान्नों की ढुलाई के अत्यधिक भित्व्ययी तरीके और विधियां अपनाने के लिए

रेल और/ या सड़क द्वारा विभिन्न जिन्सों के ढुलाई मार्गो और दरों का विश्लेषण करता है।

5. योजना तथा अनुसंधान संवर्ग — निगम की विभिन्न कार्यात्मक गतिविधियों को करने और उन्हें कार्यान्वित करने से सम्बन्धित अल्पकालीन और दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में सुविधा देने के लिए निगम की गतिविधियों के बारे में विशेष अध्ययन कार्य करता है। यह संगठन के प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पहलुओं पर भी कार्रवाई करता है।

6. लेखा संवर्ग — यह निगम की मौजूदा और भावी आवश्यकताओं के लिए उसके वित्तीय संसाधनों के वित्त, लेखा, बजट, लागत, आन्तरिक लेखा परीक्षा, भौतिक जांच, आयोजना से सम्बधित सभी कार्यों को करता है।

7. इंजीनियरिंग संवर्ग — यह कार्यालयों/डिपों/पत्तन स्थापनों के लिए ढांचों और भवनों का निर्माण, मरम्मत, उनमें विस्तार आदि करने से संबंधित निगम की इंजीनियरिंग गतिविधियों, और कांडला में खुले उर्वरकों को सम्भालने की परियोजना, बड़े पैमाने पर खाद्यानों को सम्भालने जैसी बड़ी इन्जीनियरिंग परियोजनाओं के बारे में कार्य करता है।

8. कानूनी संवर्ग — यह कानूनी अधिकारों, दायित्वों और विशेषाधिकारों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता है। मुकदमेबाजी, विवाचन, कानूनों की व्याख्या, ठेकों, दस्तावेजों की सुरक्षा करारों, रिट याचिकाओं आदि सम्बन्धी कानूनी मामलों की जांच करता है/परामर्श देता है।

9. विविध संवर्ग — यह निगम के कार्यों और गतिविधियों के उन विभिन्न विविध पहलुओं पर कार्रवाई करता है क्योंकि अन्य संवर्गों द्वारा पभिाषित और निर्धारित कार्यों के अन्तर्गत नहीं आते हैं जैसा कि चिकित्सा अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी, कैमिस्ट, स्टाफ कार ड्राइवर आदि।

"केयर" आई० एन० सी० को किया गया भुगतान

4731. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों से "केयर" आई० एन० सी० को किए गए कुल भुगतान का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) भारत में अपने कार्यक्रम में "केयर" आई० एन० सी० के पदार्थों/वस्तुओं/सेवाओं के वर्षवार मूल्य और मात्रा कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) 1974-75 से 1978-79 तक केयर द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों की मात्रा तथा केयर को भुगतान किया गया प्रशासनिक खर्च संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। राज्य सरकारें केयर द्वारा बताए गए वास्तविक खर्च के अनुमानों के आधार पर प्रशासनिक खर्च का भुगतान करती है। इसमें अमरीका में मार्किंग, हैंडलिंग, इन्शोरेन्स का खर्च और प्रशासनिक खर्च तथा भारत में उनके दिल्ली कार्यालय, क्षेत्र कार्यालयों के अनुरक्षण का खर्च, कर्मचारियों का वेतन, यात्रा खर्च इत्यादि शामिल हैं। 1975-76 से 1979-80 तक केयर द्वारा दी गई गैर-खाद्य सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

केयर को की गई प्रशासनिक खर्च की भुगतान तथा केयर द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों की मात्रा तथा उनका लगभग मूल्य दर्शाने वाला विवरण

1974-75 से 1978-79 तक

वर्ष	प्रशासनिक खर्च रुपए	दिए गए खाद्य पदार्थ किलोग्राम
1974-75	18,738,004	152,656,000
1975-76	27,023,801	282,821,000
1976-77	25,778,091	229,640,000
1977-78	21,247,451	259,082,000
1978-79	24,264,849	280,105,000

विवरण-2

बालवाड़ियां, गोदाम, रसोइयां, खाद्य प्रोसेसिन्ग प्लाट इत्यादि स्थापित करने जैसी विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को मन्जूर की गई केयर की सहायता दर्शाने वाला विवरण

1975-76 से 1979-80 तक

वर्ष	मंजूर की गई धनराशि रुपए
1975-76	34,34,669.00
1976-77	56,67,608.00
1977-78	3,30,000.00
1978-79	29,25,000.00
1979-80	136,19,000.00

फरीदाबाद टेलीफोन एक्सचेंज को दिल्ली टेलीफोन्स के अधीन आटोमैटिक एक्सचेंज में बदलना

4732. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फरीदाबाद टेलीफोन एक्सचेंज को दिल्ली टेलीफोन्स के अधीन एक आटोमैटिक एक्सचेंज में परिवर्तित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो परिवर्तित करने का यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) फरीदाबाद में पहले से ही स्वचालित एक्सचेंज है जो दिल्ली के अन्य सभी स्वचालित एक्सचेंजों से जुड़ा हुआ है जिसमें एस० टी० डी० सुविधा वाले ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज भी शामिल हैं।

उड़ीसा विलेजेज कट आफ फार 44 ईयर्स शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

4733. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 दिसम्बर, 1980 के इंडियन एक्सप्रेस में उड़ीसा विलेजेज कट आफ फार 44 ईयर्स शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन गांवों में संचार की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) **दूर संचार सुविधा**:—दूर संचार सुविधाएं ऐसे स्थान पर प्रदान की जाती है जो प्रशासनिक हैसियत, जनसंख्या, स्थान की दूरस्थता तथा यातायात मांग पर आधारित अनुमोदित नीति के अनुसार होती है। तो भी, ऐसी कोई नीति नहीं है कि ये सुविधाएं प्रत्येक ग्राम में प्रदान की जाएं। कोरापुट, जिले में 6131 ग्रामों में से 63 ग्रामों को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं तथा मंजूरशुदा 14 प्रस्ताव कार्रवाई हेतु बकाया हैं।

पादवा पुलिस स्टेशन के अधीन 108 ग्रामों में से केवल पादवा में तार सुविधा उपलब्ध है। टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

कोरापुट जिले में ऐसे 82 स्थान हैं जो हानि पर टेलीफोन एवं तार सुविधाओं की व्यवस्था के पात्र हैं। इनमें से 48 ग्रामों में दूर-संचार सुविधा उपलब्ध है। शेष 34 ग्रामों में छठी योजना के अवधि के दौरान ये सुविधाएं प्रदान किए जाने की सम्भावना है।

डाक सुविधा :

कोरापुट में एक डाक मंडल है जिसमें 543 डाकघर हैं जिसमें से 139 चलते-फिरते डाकघर हैं। 316 ग्रामों में इन चलते-फिरते डाकघरों के द्वारा काउंटर सुविधा प्रदान की जा रही है। ग्राम पंचायत मुख्यालय सहित 476 ग्राम हैं जिनमें से 449 ग्रामों में डाकघर हैं। 1447 ग्रामों में पत्र पेटियां स्थापित हैं। सामान्य घंटों के दौरान जिले में डाक का दैनिक विवरण शतप्रतिशत है।

कोरापुर जिले में एक डाकघर उड़ीसा के डाकघर की 3065 की औसत जनसंख्या तथा प्रति डाकघर अखिल भारतीय 4000 की औसत जनसंख्या के मुकाबले औसतन 3595 जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है। कोरापुट जिले में एक डाकघर 48.9 वर्ग कि० मी० क्षेत्र की सेवा करता है जोकि अखिल भारतीय तथा उड़ीसा के कार्यक्षेत्र से अधिक है जो कि औसतन क्रमशः 21.7 वर्ग किलोमीटर तथा 22.06 वर्ग किलोमीटर है लेकिन यह अन्य राज्यों तथा केन्द्रीय शासित राज्यों में अन्य पहाड़ी तथा वन क्षेत्रों से घिरे हुए क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।

वर्षा उद्योग द्वारा प्रदूषण

4734. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के वापी में स्थित वर्षा उद्योग दमण में बड़े पैमाने पर जल-प्रदूषण फैला रहा है, जिससे मनुष्यों और पशुओं के जीवन और स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है; और

(ख) इस मामले में क्या द्रुत उपाय किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) गुजरात जल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि वर्षा उद्योग नामक कोई जी० आई० डी० सी० सम्पदा, वापी में स्थित नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टी० आर० ए० का वार्षिक राजस्व

4735. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान जिला प्रबन्धक टेलीफोन के अधीन टी० आर०. ए०. कार्यालय की वार्षिक राजस्व आय कितनी है ;

(ख) कार्यालय के विभिन्न कैडरों (एक) लेखा अधिकारियों, (दो) कनिष्ठ लेखा अधिकारियों, (तीन) टी० एस० क्लर्कों (चार) श्रेणी IV के कर्मचारियों के वर्तमान स्वीकृत पद कितने-कितने हैं ;

(ग) इस समय उक्त कार्यालय के स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) विभिन्न कैडरों में कितनी-कितनी कमी है ; और

(ङ) कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ङ) दिवस पर्यन्त 19 छोटे टेलीफोन जिले हैं जिनमें से प्रत्येक जिला प्रबन्धक टेलीफोन के अधीन हैं। यह उन बड़े 9 और महानगर टेलीफोन मंडलों के अतिरिक्त हैं जो कि महाप्रबन्धक टेलीफोन के अधीन है। माननीय सदस्य ने उस जिले का नाम निर्दिष्ट नहीं किया है जिसके लिए सूचना अभिप्रेत है। उस विशेष टेलीफोन जिले का नाम दिए बिना जानकारी देना संभव नहीं होगा। जैसे ही जिले का नाम बता दिया जाएगा जानकारी प्रेषित कर दी जाएगी।

दिल्ली जल प्रदाय तथा मल-व्ययन संस्थान में चपरासी की नियुक्ति

4736. **श्री आर० एन० राकेश**
श्री एन० ई० होरो } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली-जल प्रदाय तथा-मल-व्ययन संस्थान के उपायुक्त ने मैट्रिक तथा स्नातक युवकों की चपरासियों के रूप में नियुक्तियों के बारे में अनुदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान में चपरासी के 101 रिक्त पद हैं। भर्ती नियमों के अनुसार इस पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मिडिल स्कूल कक्षा पास है। उचित उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए रोजगार कार्यालय को मांग पत्र भेजा गया था। मस्टर रोल के पात्र कर्मचारियों से भी आवेदन पत्र मांगे गए थे। रोजगार कार्यालय ने 1255 उम्मीदवार भेजे तथा मास्टर रोल कर्मचारियों से 339 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। चूंकि उम्मीदवारों की संख्या बहुत थी, इसलिए उपायुक्त (जल) ने निदेश दिया कि पहले केवल उन उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जाय जिनकी न्यूनतम अर्हता हायर सेकेण्डरी है। ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए बतलाये गये हैं कि केवल मैट्रिक या स्नातक उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया जाय। भर्ती को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

"थ्रेड आफ पोल्यूटे वाटर टु-साउथ दिल्ली" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

4737. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 फरवरी, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में 'थ्रेट आफ पोल्यूटेड वाटर टू साउथ दिल्ली' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दक्षिण में पेय जल वितरण प्रणाली की पाइप लाइनों में वास्तव में गन्दी नाली का पानी मिल गया है; और

(घ) उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने मरम्मत के काम में लापरवाही बरती और लोगों को कठिनाई होने दी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रिंग रोड मल जल पम्पिंग स्टेशन से निकल कर गुरुत्व खाई में जाने वाले 48 व्यासार्ध के दो सौ आई पाइप है जो कि कच्चे मलजल को ओखला मलजल शोधन संयंत्र तक ले जाते हैं। इनमें से एक नल का टी जोड़ अचानक 12-2-1981 को चटक गया। तुरन्त ही रिंग रोड़ मलजल पम्पिंग स्टेशन का पम्पिंग कार्य रोक दिया गया। 'टी' जोड़ में एक स्थूल आर. सी. सी. नोद ब्लाक भीतर स्थापित किया गया जिसे मरम्मत करने से पहले तोड़ा जाना था। आवश्यक मरम्मत 19-2-81 को पूर्ण की गई जिसके बाद रिंग रोड़ मलजल पम्पिंग स्टेशन को पुन: चालू किया गया था।

मरम्मत की अवधि के दौरान, पम्पिंग कार्य रुक जाने के कारण रिंग रोड मलजल पम्पिंग स्टेशन को आने वाले मलजल का कुछ भाग किलोकरी मलजल पम्पिंग स्टेशन की ओर मोड़ दिया गया था। कुछ मलजल चिड़िया घर तथा वायर लैस स्टेशन के नजदीक निचले क्षेत्रों में इकट्ठा हो गया। शेष मलजल बारापुला नाले की ओर बह गया।

रिंग रोड मलजल पम्पिंग स्टेशन में खराबी होने के तुरन्त बाद ओखला वाटर वर्क्स के अन्तर्ग्राही क्षेत्र में कच्चे पानी की कोटि पर सुदृढ़ नियन्त्रण रखने के लिए ऐतियाती बरती गई। कच्चे पानी के नमूनों को इकट्ठा करने तथा विश्लेषण करने तथा कच्चे पानी के विभिन्न पैरामीटरों का प्रबोधन करने के लिए प्रयोगशाला का वरिष्ठ स्टाफ रात-दिन ड्यूटी पर रखा गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठा है क्योंकि मरम्मत के कार्य की उपेक्षा नहीं की गई।

भैंस नस्ल सुधार केन्द्र

4738. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने भैंस नस्ल-सुधार केन्द्र चल रहे हैं और वे कहां-कहां पर हैं :

(ख) क्या कुछ नए भैंस नस्ल-सुधार केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर और कब तक खोले जायेंगे;

(घ) देश में भैंस की कौन-कौन सी नस्लें पहुंची हैं तथा भैंस की नस्ल में सुधार करने के लिए अब तक कितने केन्द्र खोले गए हैं; और

(ङ) शेष केन्द्र, कब तक खोले जायेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/अन्य संगठनों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा अधिकांशत: प्रजनन के माध्यम से भैंसों में सुधार लाया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पशु और/या भैंसों के सम्बन्ध में उन्नत प्रजनन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 12,000 से भी अधिक ऐसे केन्द्र कार्यरत हैं। ये केन्द्र व्यावहारिक रूप से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं।

(ख), (ग) तथा (ङ) राज्य सरकारें अपनी योजना स्कीमों के अन्तर्गत इन प्रजनन सुविधाओं का विस्तार कर रही हैं। तदनुसार, उनके स्थानों का निर्धारण भी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा।

टाइप "बी" और "सी" के सरकारी आवासों के लिए प्राथमिकता तिथियां

4739. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को टाइप (बी) और (सी) के क्वार्टरों का आबंटन किस प्राथमिकता तिथि तक कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1958 से पहले सरकारी सेवा में आने वाले सरकारी कर्मचारियों तक को अभी तक सरकारी आवास नहीं मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 18-3-1981 तक अबंटित टाइप "बी" और "सी" के क्वार्टरों की अग्रता की तिथियां इस प्रकार हैं:—

पूल	टाइप 'बी'	टाइप 'सी'
सामान्य पूल	2-5-44	13-11-52
अनुसूचित जाति कोटा	12-12-43	24-2-53
अनुसूचित जनजाति कोटा	28-5-69	27-3-73
महिला पूल (अविवाहित)	1-8-62	29-6-54
महिला पूल (विवाहित)	29-9-53	18-2-50

(ग) इसका मुख्य कारण सरकारी आवास की इन श्रेणियों में उपलब्धता की अपेक्षा मांग अधिक है ।

(घ) सरकार ने टाइप 'बी" और "सी" में 8298 नए क्वार्टर बनाने का एक कार्यक्रम पहले ही आरम्भ कर दिया है । सामान्य पूल बास की प्रतीक्षा सूची कुछ हद तक कम हो जाएगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के तत्कालीन वाइस-चेयरमैन के विरुद्ध मिथ्या तथा मानहानिजनक आरोप

4740. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ इन्जीनियरों ने इस आशय के मिथ्या मानहानिजनक आरोप लगाये हैं कि आपात स्थिति के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस-चेयरमैन द्वारा दिल्ली में बड़े पैमाने पर अनधिकृत रूप से मकान गिराये गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह घोर अनुशासनहीनता तथा आचरण नियमों का घोर उल्लंघन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी इंजीनियरों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) श्री आर० एस० जिन्दल तथा दिल्ली नगर निगम व अन्यों के बीच की एक सिविल रिट याचिका में, दिल्ली विकास प्राधिकरण के तीन इंजीनियरों ने पार्टी के रूप में मुकदमा चलाए जाने पर एक सिविल विविध याचिका दायर की थी। उक्त विविध याचिका में इन तीन इंजीनियरों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया था कि याचिकादाता, दिल्ली में विशेषकर आपातकाल के दौरान, अनधिकृत निर्माण गिराने के अभियान में दिल्ली विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष के साथ मिलकर सहापराधी तथा सहायक रहा है। यह मामला न्यायाधीन है।

झीलों में प्रदूषण

4741. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीर में डल झील, जो शीघ्र ही कल्पना की वस्तु रह जायेगी, ऐसी देश की झीलों के प्रदूषण की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि हैदराबाद और सिकन्दाबाद की सागर झील में अकार्बनिक तत्वों के कारण इसका प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और विगत दो अथवा तीन वर्षों में झील के चारों ओर उद्योगों के विकास के कारण समूचा जल दूषित हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकार देश में कश्मीर की डल झील जैसी झीलों के प्रदूषण की समस्या से परिचित हैं।

(ख) अपशिष्ट को प्रवाहित करने के कारण हुसैन सागर झील के प्रदूषण से भी सरकार परिचित है जो झील हैदराबाद सिकन्दराबाद को विभाजित करती है।

(ग) झीलों सहित जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 का कानून बनाया था।

जम्मू तथा कश्मीर और आन्ध्र प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के राज्य बोर्ड की स्थापना की है।

जहां तक डल झील के प्रदूषण का सम्बन्ध है, जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने विकास परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

1. झीलों में चीजों के अचानक गिरने तथा खाद्य पदार्थों के बहने से रोकने के लिए झील के चारों ओर सड़क का निर्माण।

2. सेवाओं की व्यवस्था की सुविधा के लिए विशेषकर अपशिष्ट के निपटान के लिए हाउस वोटों का पुनः आयोजन।

3. झील के अन्दर आते हुए पानी के तलछट को अलग करने के लिए तलछट कुण्ड का निर्माण तथा नियन्त्रण संरचना।

4. जल स्रोत क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में सुधार।

5. झील के चारों ओर चुनिन्दा स्थानों पर वनस्पति उगाना तथा किनारों से कीचड़ निकालना।

जहां तक हुसैन सागर झील का संबंध है, प्रदूषित करने वाले मुख्य उद्योगों को राज्य बोर्ड द्वारा निदेश दिए गए हैं कि वे अपशिष्ट शोधन सुविधाओं की व्यवस्था करें। झील के पास नाले के दोनों ओर स्थित कई उद्योगों द्वारा अपशिष्ट शोधन यन्त्र स्थापित किए जा रहे है।

दरियागंज के सब्जी मन्डी को अन्य स्थान पर ले जाना

4742. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दरिया गंज, दिल्ली की सब्जी मण्डी घनी आबादी वाले सीमित स्थान पर स्थित है, जहां दूर-दराज के स्थानों से व्यापारियों द्वारा सब्जियां लाई जाती हैं जिससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों-दोनों को असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दरियागंज की सब्जी मण्डी को किसी खुले स्थान पर ले जाने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। बहुत ही गंभीर मामला उत्पन्न हो गया है। राजस्थान के एक न्यायाधीश·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यह मामला उठाने की अनुमति दे दी है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा और बताया कि उसे मारने का षडयंत्र रचा जा रहा है। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और उसका अपहरण होने दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दे दी है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह क्या स्थगन प्रस्ताव के लिए उपयुक्त मामला नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह नहीं किया जा सकता।

प्रो० मधु दंडवते : यह पुलिस की असफलता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया गया था कि उस न्यायाधीश के मारे जाने का खतरा है। पुलिस ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति है···

प्रो० मधु दंडवते : क्या मुझे अपना स्थगन प्रस्ताव व्यक्त करने की आज्ञा है ?

अध्यक्ष महोदय : नही, नहीं, केवल नियम 377 के अधीन वक्तव्य देने की अनुमति है।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु वे उसका उत्तर नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे उत्तर देंगे।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : महोदय, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि एक न्यायाधीश···**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री नीरेन घोष : मुझे निवेदन करने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : निवेदन करने का कोई प्रश्न नहीं है; मैंने इसे पहले ही अस्वीकार कर दिया है।

श्री नीरेन घोष : ···**

अध्यक्ष महोदय : आप इसे किस नियम के अन्तर्गत उठाने की कोशिश कर रहे हैं ? चूंकि मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है इसलिए यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं इसे पहले ही अस्वीकार कर चुका हूं। (**व्यवधान**)**

श्री नीरेन घोष : यह अनुचित है।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया ऐसा मत समझिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक सनसनीखेज समाचार निकला है—

अध्यक्ष महोदय : समाचार तो रोज निकलता है।

श्री राम विलास पासवान : आप सुनें तो सही।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका कोई अन्य प्रस्ताव है ? वह क्या है ?

श्री राम विलास पासवान : आप कहते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन मत दीजिए। जब हम कोई मैटर उठाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन दिया है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा जो आपने कहा है। मैंने स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दी है। यह उचित तरीका नहीं है. आप मेरे पास आइये। (**व्यवधान**)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, सरकार की विश्वसनीयता के बारे में संदेह है। एक समाचार-पत्र, हिन्दुस्तान टाइम्स, जिसका सम्पादन संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के सदस्य द्वारा किया जाता है, में कहा गया है कि मंत्रिमंडल के मंत्रियों का किसी सौदे में हाथ है और उनकी जांच की जा रही है···

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्री खुशवन्त सिंह सम्पादक है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उस पत्र में मुख पृष्ठ पर आरोप लगाया गया है···

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मैं किसी आधार के बिना कुछ नहीं कह सकता। मैंने तथ्य मांगे हैं। (**व्यवधान**)**

मेरी अनुमति के बिना कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी। हमें तथ्यों का पता लगाना होगा। इस तरह नहीं आप कोई और प्रस्ताव उठा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : क्यों नही ? मैं सदैव विचार करता हूं। मैं इसे बाद में अस्वीकृत कर सकता हूं, परन्तु मैं इस पर विचार अवश्य करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह सरकार के हित में है कि वह इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों का पता लगाना है। मैं बिना सोचे विचार नहीं कर सकता। कोई भी समाचार-पत्र कुछ भी लिख सकता है···(**व्यवधान**)

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह कोई ऐसा-वैसा समाचार-पत्र नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं । मेरे लिये सब समान हैं । मैं भेदभाव नहीं करता । पत्र सभापटल पर रखे जायें । श्री एस० बी० चव्हाण ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1979-80, रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1979-80, प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1979-80 आदि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2151/81]**

(2) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला (उड़ीसा) के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला (उड़ीसा) के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2152/81]

(3) (एक) प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) प्रादेशिक प्रौद्योगिक संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2153/81]**

(4) (एक) बाल भवन सोसायटी (भारत) नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) बाल भवन सोसायटी (भारत) नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरदकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2154/81]**

(5) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल (आन्ध्र प्रदेश) के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2155/81]

(6) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2156/81]

(7) कर्नाटक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सुरतकल (कर्नाटक) के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2157/81]

(8) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2158/81]

(9) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2159/81]

(11) तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, (पश्चिमी क्षेत्र) भोपाल, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2160/81]

(12) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**2161/81]

(13) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2162/87]

अध्यक्ष महोदय : हम चर्चा करेंगे । आप मेरे पास आइये ।

श्री मीरेन घोष (दमदम) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री भीष्म नारायण सिंह ।

दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विवरण

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए । संख्या एल. टी. 2163/81]

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको पता नहीं सारा कुछ डिस्कस हो सकता है, बिना वजह सारा समय खराब कर रहे हैं । मैं इसे तथ्यों का पता लगाने के लिये पहले ही भेज चुका हूं । अब श्री राव बीरेन्द्र सिंह ।

श्री मीरेन घोष : सभा की प्रथा रही है, यह परिपाटी रही है कि जब कभी स्थगन प्रस्ताव की सूचनाए आती हैं तो सदस्यों को बुलाया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकार किया जाता है । बिल्कुल नहीं । कोई नियम नहीं है । कृपया बैठ जाइये । श्री राव बीरेन्द्र सिंह । (व्यवधान)

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और सहकारी चीनी फैक्टरियों के महासंघ लिमिटेड नई दिल्ली का 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 की धारा 21 के अन्तर्गत अधिगृहीत चीनी उपक्रमों के प्रबन्ध के बारे में अधिसूचना संख्या सां० आ० 106 (ङ) से सां० आ० 113 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

दिनांक 19 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 2164/81)

(2) (एक) सहकारी चीनी फैक्टरियों के राष्ट्रीय महासंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सहकारी चीनी फैक्टरियों के राष्ट्रीय महासंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2165/81]

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, आज जो अखबार में छपा है···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से बाद में समय लें। आप मेरे पास आएं और बात करें। अब श्री एम वी० स्वामीनाथन। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष जी, राजभवन से तलवार गायब कर ली गई है, मैंने उस बारे में ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है। अगर वहां भी सुरक्षा नहीं हैं तो उत्तर प्रदेशों में नागरिकों का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री स्वामीनाथन

महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड बम्बई का 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2166/81]

(ख) (एक) हरियाणा कृषि उद्योग लिमिटेड, चण्डीगढ़ के 30 जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का 30 जून, 1978 को

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखते हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 2167/81]

प्राक्कलन समिति
(छठा प्रतिवेदन)

श्री एस० बी० पी० पट्टाभि राम राव : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति (छठी लोक सभा के 23 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
(आठवां प्रतिवेदन)

श्री बंसी लाल : मैं सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्डों के ढांचे और अन्य सम्बद्ध मामलों से सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति (छठी लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 8 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की मांग के समर्थन में वकीलों और अन्य व्यक्तियों द्वारा हाल में किया गया आन्दोलन

श्री अगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की मांग के समर्थन में वकीलों और अन्य व्यक्तियों द्वारा हाल का आन्दोलन ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी बयान दें उससे पहले मैं एक बात निवेदन करूंगा इसी विषय में ···

अध्यक्ष महोदय : जिनके नाम आये हैं वही अलाऊ होंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं सिर्फ नीति की बात रख रहा हूं कि सस्ता न्याय देने पर सरकार वचनबद्ध है, इस आधार पर मंत्री जी वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : वक्त पर हैं ।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (डी० पी० शिव शंकर) महोदय, सरकारने अखबारों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में वकीलगण न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने की मांग को आधार बनाकर आन्दोलन कर रहे हैं। सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के बार एसोसिएशनों से तथा अन्य ऐसे निकायों और व्यक्तियों से जो उक्त मांग कर रहे हैं, अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। अखबारों में इस आशय की खबरें भी छपी हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकीलगण इस मांग का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इलाहाबाद में न्यायालयों का बहिष्कार भी किया है।

2. पहले भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायापीठ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए स्थापित करने की मांग समय-समय पर की गई थी, यद्यपि ऐसी न्यायपीठ के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों के सुझाव दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1979 में एक प्रस्ताव किया गया था जिसमें कहा गया था कि ऐसी एक न्यायपीठ मेरठ में स्थापित की जाए और उसकी अधिकारिता मेरठ तथा गढ़वाल मंडलों और मुरादाबाद तथा रामपुर जिलों पर हो। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के विचार मगाएं गए थे। राज्य सरकार ने गढ़वाल आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली और कूमायूं के आयुक्त मंडलों में समाविष्ट क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक न्यायपीठ की स्थापना की सिफारिश की है। राज्य सरकार का यह प्रस्ताव 16 मार्च, 1981 को प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार ने इस बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है कि प्रस्तावित न्यायपीठ किस स्थान पर हो और उसने यह विषय भारत सरकार के विचारार्थ छोड़ दिया है। केन्द्रीय सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य यहां पढ़कर सुनाया है, इसी से महसूस होता है कि शायद अभी भी माननीय विधि मंत्री पश्चिमी उत्तरप्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिये संजीदे नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का यह आन्दोलन पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में इलाहाबाद हाई-कोर्ट की एक बेंच की स्थापना के लिये सन् 1966 से आज तक लगातार चल रहा है, लेकिन माननीय मंत्री जी आज भी अपने जवाब में यह कहते हैं कि हमने अखबारों में इस आशय की खबरें पढ़ी हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने मजबूत आन्दोलन की खबरें भी महज अखबारों में पढ़कर ही यह रह जाते हैं। यह आन्दोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे 24 जिलों और 5 मंडलों में फैला हुआ है। इसमें पूरे व्यापारी, विद्यार्थी, मजदूर, किसान, वकील और ट्रांसपोर्ट ट्रक चलाने वाले लोग शामिल हैं। यह 24 जिलों में पूर्ण बंद सफल हुआ है। मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना मजबूत बन्द कभी नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा विषय या ऐसी समस्या और उत्तरप्रदेश के सामने

नहीं आई होगी । माननीय मंत्री जी आज भी कहते हैं कि इस आशय की खबरें उन्होंने अखबार में ही पढ़ी हैं ।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि 16 मार्च, 1981 को इस आशय का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को मिला है । उसके जवाब में मंत्री जी कहते हैं कि हमको उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां की जो कैबिनेट है, उसने यूनैनिमसली जो फैसला किया है वह केन्द्रीय सरकार को भेजा है । मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बयान था कि हमने पूर्ण बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाइकोर्ट की एक बैंच होनी चाहिये और जगह का फैसला केन्द्रीय सरकार करेगी, क्योंकि यह उसका जूरिस्डिक्शन है ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला करते वक्त आपसे कोई सलाह-मश्विरा किया था या नहीं ? मश्विरा किया था या आपका मश्विरा हुआ होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की बैंच स्थापित की जाये, मैं उस झगड़े को नहीं उठाना चाहता यह आपने उठाया है । मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों के एम० पीज० से कहना चाहूंगा कि वह जगह को लेकर कोई झगड़ा न उठायें क्योंकि सरकार की यह नीति देखने को मिलती है कि जब जब भी यह सवाल उठाया जाता है तो सरकार जगह और जनपद के सवाल को लेकर इस बात को तोड़ती रही है । मैं कहना चाहता हूं विधि मंत्री से कि जगह का फैसला आप करें, जो भी उचित समझें वह करें । उत्तर काशी से लेकर आगरा या जहां भी आप उचित समझें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों के लोग आपके फैसले को मानने के लिए तैयार हैं लेकिन यहां के लोग अब आपकी साजिश के शिकार नहीं होंगे ।

मैं विधि मंत्री को यह भी बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बैंच का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना जरूरी क्यों है । हमारे माननीय विधिवेत्ताओं ने और जस्टिसों ने बार-बार नारा दिया है । जस्टिस कृष्णा अय्यर ने जो नारा दिया वह मैं बताना चाहूंगा । जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपनी किताब "ला फ्रीडम एंड लेंस" में लिखा है :—

"दैटला इज फार मैन एण्ड नाट मेन फार ला"

हमारे चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का नारा दिया था :—

"द इन्टरेस्ट आफ लिटिगेन्टस इज सुप्रीम"

जस्टिस भगवती ने भी एक नारा दिया था :—

"जस्टिस इज द डोर-स्टैप्स आफ लिटिगैन्टस"

यह नारे बार-बार उत्तर प्रदेश में और हमारी न्यायपालिका में चलते रहे हैं । 34, 35 साल की आजादी के बाद भी आप अन्दाजा लगाइये कि उत्तरकाशी इलाहाबाद से 825 किलोमीटर दूर है, अगर यहां का कोई आदमी न्याय मांगने के लिये इलाहाबाद जाता है तो कितना मंहगा न्याय उसको मिलता है, खासतौरसे ऐसे वक्त पर जब कि हमारे लेजिस्लेशन की टैंडेंसी हो गई हो कि जुडिशियरी पर यकीन न रखती हो, जुडिशियरी से सिविल राइट छीनकर एग्जीक्यूटिव को देने में ज्यादा विश्वास रखती हो, पसन्द करती हो । आज चाहे सर्विस ट्रिब्यूनल हो, चाहे लेबर ट्रिब्यूनल हो या लेबर कोर्ट हो, डिप्टी लेबर कमिश्नर हो या लेबर ट्रिब्यूनल हो

इनकी सारी की सारी अपीलें सीधे हाई कोर्ट में होती हैं चाहे मजदूर को झूठे चोरी का आरोप लगाकर निकाल दिया हो, या टर्मिनेट कर दिया हो, सस्पेंड कर दिया हो या किसी मजदूर का हाथ जमींदार की मशीन में आकर कट गया हो, इन सब की सीधी अपील हाई कोर्ट में होती हैं।

जो मजदूर पांच रुपये रोज कमाता है, अगर उसको बारह हजार रुपये का काम्पेन्सेशन मिलना है, तो वह 800 किलोमीटर दूर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने के लिए आठ हजार रुपये खर्च करना कभी भी पसन्द नहीं करेगा जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपनी किताब **लीगल एंड टु वि पुअर** में लिखा है कि अगर किसी मजदूर या गरीब आदमी को न्याय प्राप्त करने के लिए लम्बा सफर तय करना पड़ता है, तो उसका अर्थ यह है कि उसके लिए न्याय पाने के अधिकार का अस्तित्व ही नहीं है।

इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन से लेकर हाई कोर्ट तक फैले हुए टाउटिज्म के शिकार होते हैं। इलाहाबाद के एक अखबार **नार्दन इंडिया पत्रिका** में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि 1974 में बुलन्दशहर के एक गांव के एक आदमी से टाउट का काम करने वाले एक मुंशी ने धोखे से 1200 रुपये वसूल कर लिये, जिसके बाद वकील और उसके मुंशी को गिरफ्तार कर के कनिंगटन पुलिस स्टेशन भेज दिया गया।

विधि मंत्री न्याय के आधारभूत सिद्धान्तों को अच्छी तरह समझते हैं। कानून के राज्य में हर एक नागरिक को न्याय पाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए और ईक्वेलिटी बिफार दि लॉ की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में किसी नागरिक को न्याय मांगने के लिए 800 किलोमीटर की दूरी तय कर के इलाहाबाद जाना पड़ता है, तो ईक्वेलिटी बिफोर दि ला कैसे हुई ? अगर किसी छोटे आदमी, भूमिहीन या छोटे किसान को न्याय पाने के लिए 800 किलो-मीटर दूर जाना पड़े, तो वह ईक्वेलिटी बिफोर दि ला नहीं है।

कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 14 में सभी नागरिकों को ईक्वेलिटी विफोर दि ला का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को यह पावर दी गई है कि वह नागरिकों के विभिन्न राइट्स की रक्षा के लिए पब्लिक एथारिटीज, ट्रिब्यूनल्ज, आरबिट्रेटर्ज तथा गवर्नमेंट को निदेश, आदेश तथा रिट जारी कर सकती है। किन्तु हाई कोर्ट के इतनी दूर स्थित होने के कारण गरीब आदमी, छोटा किसान और मध्यम किसान आर्टिकल 226 के अधीन अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है।

मैं विधि मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस बहाने को छोड़ दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह नहीं बताई है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 24 जिले और 5 कमिश्नरियां बंद में शामिल हुए थे। अगर मंत्री महोदय चाहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की पावर्ज को पूरी तरह एक्सर-साइज किया जा सके, तो वह उसका एक बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थापित करें, ताकि वहां के लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय मिले।

[श्री जगपाल सिंह]

मैं अपने जनपद की बात जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट का वकील हाई कोर्ट में अपील करने के लिए क्लायंट से पैसा और फाइल लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील को भेज देता है, मगर क्लायंट को पता नहीं होता है कि उसकी अपील एडमिट हुई है या नहीं और वकील को पैसा मिला भी है या नहीं।

वर्तमान जनगणना से पता चला है कि आज हमारे देश की आबादी 68 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की आबादी 12 करोड है। अगर 12 करोड की आबादी पर एक ही हाई कोर्ट हो, तो पूरे मुल्क में केवल पांच हाई कोर्ट होने चाहिए। हमारे देश में 22 राज्य और 9 केन्द्र-शासित क्षेत्र हैं। अगर छोटे राज्यों के लिए अलग हाई कोर्ट हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से वहां पर पांच या छः हाई कोर्ट के बेंच होने चाहिए, जबकि हम सिर्फ एक की ही मांग कर रहे हैं।

पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों की आबादी कितनी है ?—कम से कम साढ़े सात करोड़ सहारनपुर से लेकर कानपुर तक की सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट उसमें शामिल है। आज मजदूरों को छंटनी के नाम पर और करप्शन की वजह से निकाल दिया जाता है। लेकिन मजदूरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे लेबर आफिसर या मालिक के खिलाफ हाई कोर्ट में जा कर अपील कर सकें और अपना न्याय मांग सकें।

मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह बड़ा वेग और लाइट ढंग का है। अभी जो बंद हुआ था, उसमें सब वर्गों के लोग शामिल हुए थे। मैं मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत की और आजमाइश करना चाहती है, तो जनता उसके लिए भी तैयार है।

एक प्वाइंट मैं और कहना चाहूंगा। माननीय विधि मंत्री जी सुन लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले इलाहाबाद से कितने किलोमीटर दूर पड़ते हैं, यह मैं बताना चाहता हूं—उत्तर काशी 825 कि० मी०, टिहरी-752 किलोमीटर चमोली-580 किलोमीटर, देहरादून-770 किलोमीटर, पौड़ी-692 किलोमीटर, पिथौरागढ़-610 किलोमीटर, अल्मोड़ा-570, सहारनपुर-752, मुजफ्फरनगर-693, बिजनौर-692, नैनीताल-540, मेरठ-637, मुरादाबाद-558, रामपुर-533, पीलीभीत-488, बुलन्दशहर-567, बरेली-487, बदायूं-517, अलीगढ़-501, मथुरा-601, एटा-447, आगरा-454, मैनपुरी-462 और शाहजहांपुर-395 किलोमीटर। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आप के कांस्टीट्यूशन की आर्टिकल 14 में जो ईक्वलिटी का राइट दिया गया है वह बिलकुल मीनिंगलेस है जब तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच जनता के नजदीक जाकर न्याय न दे। इसलिए मैं अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आप पर छोड़ दिया है कि केन्द्र को तय करना है कि कहां वह हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करें, तो आप जल्दी से जल्दी और जल्दी से भी ज्यादा अगर कर सकते हैं तो करें और आज ही इस हाउस में इस बात की घोषणा करें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच की स्थापना आप करेंगे। अन्त में मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि कब तक आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने काफी बड़ी भूमिका बांधी है। मैं जो समझ सका हूं, उन्होंने दो सवाल किए हैं। एक मैं आप से निवेदन करूं कि जहां तक हमारी

गवर्नमैंट है, इस बेंच के बारे में वह काफी संजीदा है। यह कहना कि हम संजीदा नहीं है। सही नहीं है···(**व्यवधान**)···

मुझे निवेदन तो करने दीजिए। जैसा मेरे मित्र ने कहा कि इस बेंच के मुताल्लिक जो डिमांड है वह 1966 से है, लेकिन अफसोस में पहली मर्तबा ठीक तरीके से जो प्रोपोजल आई थी वह 1979 में आई और उस में स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा कि वह तेरह जिलों की हद् तक बेंच चाहते हैं। लेकिन अब जो प्रोपोजल स्टेट गवर्नमेंट का आया है जैसा मैंने आप से निवेदन किया, 16 मार्च 1981 को आया है, मुश्किल से 8-10 दिन की बात है और इस प्रोपोजल में उन्होंने तीन डिवीजन और बढ़ा दिए हैं। उनका अब ख्याल यह है कि गढ़वाल, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और कुमायूं डिवीजन्स जिन में 25 जिले उन सब को मिला कर बेंच कायम किया जाय। अब यह मामला बिलकुल 8-10 दिन पहले आया है और मैं आप से निवेदन करूं कि मैंने अगस्त 1980 में खत लिखा था स्टेट गवर्नमेंट को कि 1979 के अन्दर जो प्रोपोजल भेजा गया था क्या वह ठीक प्रोपोजल है, मेहरबानी कर के आप बताइए कि आप की क्या राय है ? उस पर उन्होंने यह खत लिखा है और खत को आप सब जानते हैं। पहले तो चीफ जस्टिस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं उन्होंने इस प्रोपोजल का विरोध किया है और न सिर्फ यह चीफ जस्टिस बल्कि इन के पेश्तर जो थे उन्होंने भी विरोध किया है। खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी इस फेवर में नहीं हैं कि यहां बेंच कायम किया जाय। तो इन हालात के मद्देनजर मैंने खत लिखा था स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट ने अब जो कहा है वह यह कि 6 डिवीजन्स को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच कायम होनी चाहिए।

एक बात मैं यह निवेदन करूं कि जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वह इस बात पर गौर करे हैं। जैसा मैंने बताया 8-10 दिन पहले ही यह आया है। मुझे फिर सवाल करना पड़ेगा चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, उस के बाद वह जो भी कहेंगे, उसे सामने रख कर यह जो प्रोपोजल है स्टेट गवर्नमेंट का इसका ठीक ढंग से कोई न कोई नतीजा निकालना पड़ेगा। मैं इस वक्त इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि वक्त की जो बात है वह मैं कह नहीं सकता, आप सब जानते हैं कि इसके लिए कानून को लेकर इसी पार्लियामेंट में मुझे जाना पड़ेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कितने दिन में आएंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : यह निर्भर है चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जवाब पर।

श्री रशीद मसूद : आपने प्रिंसिपली एडमिट किया है कि बेंच एस्टैबलिश करेंगे।

श्री पी० शिव शंकर : आखिर कुछ ऐसे प्राधिकरण हैं जिनसे मुझे उनके विचार जानने हैं। जैसा मैंने कहा है, इलाहबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सम्बद्ध व्यक्ति हैं जिनसे मुझे उनके विचार जानने हैं।

[श्री पी० शिवशंकर]

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उन्होंने 'न' की है।

श्री पी० शिवशंकर : उन्होंने 'न' की है, परन्तु हाल की घटनाओं को देखते हुए, जैसे हममें से अधिकांश बहुधा अपने विचार बदल लेते हैं विशेषकर जैसे माननीय सदस्य महोदय वैसे ही वे भी अपने विचार बदल सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नाडीस : यदि वे अपना दृष्टिकोण न बदलें तो फिर क्या होगा ?

श्री पी० शिवशंकर : जैसा मैंने कहा है, उनके विचार प्राप्त न होने पर भी, जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, यह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी। यह इस पृष्ठभूमि में है, मैं इसका लाभ उठाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन वकीलों से, जिन्होंने 24 तारीख अर्थात् कल 'बंध' का आह्वान किया है से आन्दोलन वापिस लेने की अपील करता हूं।

श्रीमती मोहसिना किदवई (मेरठ) : अध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच कायम हो— यह एक पुरानी डिमाण्ड है जोकि पूरी तरह से जायज़ है। मैं समझती हूं कि बहुत दिनों से, उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन सभी ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की है कि एक बेंच वहां पर होनी चाहिए। अभी आपने जो स्टेटमेन्ट दिया, इससे पहले उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने आपको रेक्मेंडेशन्स भेजी थीं और आपने अपनी कठिनाइयों और दिक्कतों की बात यहां पर बयान की, मैं समझती हूं कि हमारे मेनिफेस्टो में यह बात है कि हम सस्ता न्याय दिलाने की, खास तौर से छोटे तबके को, कोशिश करेंगे और उसको देखते हुए आप इस बात को मानते हैं, आप हमदर्दी से गौर कर रहे हैं।

जहां तक आपने यह बात कही कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने बायकाट किया तो उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा लेकिन एक बड़ा भारी फर्क है शुमाल का जो हिस्सा है उसमें और ईस्टर्न यू० पी० का जो हिस्सा है उसमें—वहां यह सिर्फ कुछ वकीलों का मामला है जबकि इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह अवाम का मामला है क्योंकि अवाम उससे डायरेक्टली इन्वाल्व्ड है। जैसा कि आपको बताया गया गढ़वाल से साढ़े 8 सौ, 9 सौ किलोमीटर होकर इलाहाबाद पहुंचना पड़ता है। मेरठ, सहारनपुर, मुज्जफरनगर—यह जितने भी हिस्से हैं, वहां से इलाहाबाद जाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रेलवे की भी पूरी फैसिलिटी नहीं है। मेरठ से इलाहाबाद जाने वाली सिर्फ एक ही संगम एक्सप्रेस है जोकि रात को वहां से चलती है और अगले दिन दोपहर को इलाहाबाद पहुंचती है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आपको यह भी मालूम है कि हाईकोर्ट के सामने कितने केसेज़ पेंडिंग है। साथ ही मैं यह बात भी कहना चाहूंगी कि जब हम आजाद हुए थे हमारे देश की आबादी 34 करोड़ थी जोकि आज 68 करोड़ हो गई है। उस वक्त आपने ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ की आबादी पर अपने प्रोग्राम बनाए होंगे लेकिन अब 68 करोड़ की आबादी हो गई है। उसको देखते हुए यह जो वहां के लोगों की जायज़ और जेन्युइन डिमाण्ड है कि मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच खोली जाए, उससे मैं भी सहमत हूं। वैसे इसमें किसी जिले का कोई झगड़ा नहीं है, आपके हिसाब से जहां से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सकता हो वहीं पर आप बेंच कायम कर दीजिए। अभी

तक ज्यादातर मेरठ की जो डिमाण्ड है वह इस लिहाज से है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको रेक्मेंड किया है कि मेरठ उपयुक्त स्थान है इसलिए वहां पर बेंच कायम होनी चाहिए।

आज हमारे सामने सवाल इस बात का है कि अगर हम सस्ता न्याय दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी। हमारा कानून बेलचक कानून नहीं है जिसमें हम कोई तरमीम नहीं कर सकते। हमने बहुत-सी तरमीमें की हैं। फिर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है जिसकी 12 करोड़ आबादी है। वहां लोगों की भलाई के लिए आपको जो भी कदम उठाना हो उसको उठायें। आपने हड़ताल न करने की जो अपील की उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप इसके ऊपर गौर करेंगे कि मुझे उम्मीद है कि कोई नतीजा निकालेंगे। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की परेशानियों को देखते हुए आप हाई-कोर्ट की बेंच जरूर देंगे। उस तरफ की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वे वही लोग समझ सकते हैं, जो वहां रहते हैं। आज भी वेस्टर्न साइड के लोग बहुत-सी चीजों से महरूम हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, मैंने भी पहले इसके बारे में शार्ट-नोटिस क्वेश्चन दिया था, लेकिन आपने यह कॉलिंग-एटेंशन मंजूर किया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं, लेकिन आपके पास जो उत्तर प्रदेश सरकार ने रिक्मेंडेशन्स भेजी हैं, उसको आप पूरी तरह से देख लें और जो भी प्रोसीजर है या जो भी तरीका है, उसको आप करें, लेकिन यह बेंच आप वहां के लिए मंजूर करें, ऐसी मेरी आपसे दरख्वास्त है। मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि आपको कितना वक्त लगेगा, इसका फैसला करने में ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक वक्त का सवाल है, उपाध्यक्ष जी, मैंने इससे पहले भी निवेदन किया है कि फैसला जल्दी से जल्दी लिया जायेगा और जैसा मैंने कहा है कि हमदर्दी से लिया जाएगा। इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। यह जरूर है कि हमारे मैनिफैस्टो में यह वायदा किया है कि सस्ता न्याय दिलायेंगे और यह सिद्धान्त बिल्कुल सही है कि न्याय न सिर्फ सस्ता बल्कि गरीब लोगों के दरवाजे पर उन लोगों को मिलना चाहिए। इस सिद्धान्त को सामने रखते हुए और जो दूसरे मसले हैं, उनको सामने रखते हुए यह कोशिश की जाएगी कि इसके बारे में ठीक ढंग से निर्णय लिया जाए।

मुझे यह ज्ञात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफी जिलों से काफी दूर पड़ता है, लेकिन जैसा सदस्य महोदया ने कहा, सवाल बेंच के कायम करने का है। यह सैन्ट्रल गवर्नमेंट के अपने निर्णय पर है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बेंच कायम करने के लिए स्टेट से राय लेना भी जरूरी है, क्योंकि इसके लिए उन्हें हमको बिल्डिंग और दूसरी सहूलियतें देनी हैं ···(**व्यवधान**)···मेरा निवेदन है कि कन्सलटेशन तो उनसे करना ही पड़ेगा।

श्री मनीराम बागड़ी : उन्होंने आपको इजाजत दे दी है।

श्री पी० शिवशंकर : यह सही है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डिंग तो उनसे मिलनी है और दूसरी भी सुविधायें लेनी हैं, इस बारे में तो उनसे बात करनी पड़ेगी ···(**व्यवधान**)···

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस मामले पर बहुत सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर रही है। इस मामले को मत बिगाड़ें।

श्री मनीराम बागड़ी : यह बहुत अच्छा काम किया है। आखिर विधि मंत्री ने मन से यह बात कही है। यह तो एक किस्म का वचन दे दिया है।

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है, मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी हम निर्णय लेंगे और बहुत हमदरदाना तरीके से इस मसले पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े समय में कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, अगर आपके विचार मेरे से भिन्न है, तो मुझे क्षमा करेंगे। आपने 23 दिसम्बर 1980 को एक प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें कहा गया है :

साधारण आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए और क्या उस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि न्याय को साधारण आदमी की पहुंच में सुलभ कराया जाय, हम अवश्य ही इस पीठ की स्थापना पर विचार करेंगे।

यह लॉ-मिनिस्टर ने जवाब दिया है।

श्री पी० शिवशंकर : मैं अब भी वही कह रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात कहना चाहता हूं जितने न्यायालय बढ़ते जाते हैं, उतने अपराध भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपका यह आधार क्या है, मुझे आप अपना उत्तर देते हुए बताइए कि इलाहाबाद के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी जो राय आपके पास भेजी हैं, वे रायें क्या हैं? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो 14 लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। अगर आपने जगह-जगह पर बेंचें खोल दी तो क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि उनको अच्छा बार नहीं मिलेगा अच्छे वकील उपलब्ध नहीं होंगे और साथ ही लोगों को मुकदमों में ज्यादा घसीटा जाएगा। यह झगड़ा वकीलों का है, मेरठ के वकील चाहते हैं··· (**व्यवधान**)··· मैं उनको बता देना चाहता हूं—मेरठ के मुकदमा लड़ने वाले दिल्ली से वकील ले आयेंगे··

अगर आप इस देश के अन्दर हाईकोर्ट की बैन्चेज जगह-जगह कायम करना चाहते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बैन्चेज भी जगह-जगह होनी चाहिए, कल यह बात भी कही जाएगी···

श्री जगपाल सिंह : होनी चाहिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। आप अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाय—14 वें ला कमीशन में यह बात साफ कही गई है कि एक प्रान्त के लिए एक हाईकोर्ट होना चाहिये। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं··

श्री मनीराम बागड़ी : तब तो यह स्टेट टूटेगी, उत्तर प्रदेश के टुकड़े होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार बेन्च होने से कई बार एक ही स्टेट में कन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स हो जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज एक जजमेन्ट देता है, हाईकोर्ट के बेन्च का जज दूसरा जजमेन्ट देता है···(**व्यवधान**)···अगर हमको अच्छी बार बनानी है, हाईकोर्ट की एक

अच्छी इंस्टीट्यूशन कायम करनी है तो उनको जगह-जगह ले जाकर खराब मत कीजिए। जो लोग मुकदमों में पड़ना नहीं चाहते हैं वकील लोग उनको मुकदमों में ले जायेंगे···

श्री राजेश कुमार सिंह : राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या वह गलत है ?

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान ने भी यह गलत कदम उठाया है···(**व्यवधान**)···

क्या यह सही है कि इस प्रकार बेंच खुल जाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को समय-समय पर मेरठ भी जाना पड़ेगा·· क्या यह बात भी सही है कि अगर कभी फुल बेन्च का जजमेन्ट लेना होगा तो फिर सारे जजेज को इलाहाबाद जाना पड़ेगा और इस तरह से आने-जाने का भार पड़ेगा। मैं यह महसूस करता हूं कि यह उसूल के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 1979 में आपको क्या राय दी मेहरबानी करके आप उस राय को सदन में बतलायें। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। यह तो कुछ वकील लोगों की मांग है, मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह से न्यायालय खोले जायें। अगर आपने इस तरह से खोलने की बात कर दी तो हर प्रान्त में इस तरह की मांग उठेंगी, जहां दो हैं वहां चार के लिए कहा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि एक प्रान्त में एक ही हाई कोर्ट होनी चाहिए और अगर कहीं पर दो हैं तो उनको एक कर दीजिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय को सुनें। (**व्यवधान**) जो कहा गया है वह उनके विचार हैं। कृपया मंत्री महोदय को सुनें।

श्री पी० शिव शंकर : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मुझे विधि आयोग के दो प्रतिवेदनों की जानकारी है अर्थात चतुर्थ और चौहदवें प्रतिवेदन की। मेरे मित्र चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के पत्र जिनमें उनके विचार दिए गए हैं उपलब्ध किए जाएं। उन पत्रों की विषय वस्तु को प्रकाश में लाना जनहित में नहीं होगा, परन्तु जैसा मैंने कहा है मोटे रूप से, वे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में खण्ड पीठ की स्थापना के पक्ष में नहीं थे। मेरे विचार से इस प्रकार के मामलों में कोई निश्चित नियम नहीं हो सकते और विशेषकर उस स्थिति में जबकि कहने और करने में बहुत अन्तर हो। अनिवार्यत: उस मामले में एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना होगा जहां पर प्रतिद्वन्द्वी दावों को सुलझाना होता है। इसी दृष्टिकोण से मैंने 23 दिसम्बर, 1980 को जो कहा था उसके बारे में मेरे मित्र ने मुझे स्मरण करवाया है। मैंने दिसम्बर, 1980 में जो कुछ कहा था उसे मैं पहले ही दोहरा चुका हूं। यदि एक उचित मामला बनाया गया, तो आवश्यक रूप से हमें इस पर विचार करना होगा कि किसी विशिष्ट उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना अन्य स्थान पर क्यों न की जाए। यह, अन्ततोगत्वा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप विभिन्न स्थानों पर खण्डपीठ की स्थापना करेंगे तो, न्याय की कुशलता पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यह एक दृष्टिकोण है।

श्री सतीश अग्रवाल : वह एक असंगत दृष्टिकोण है।

श्री पी० शिव शंकर : मैं यह नहीं कहूंगा कि यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है। यह एक दृष्टिकोण हो सकता है। परन्तु केवल एक यही दृष्टिकोण निर्णय लेने के उद्देश्य से हमारा मार्ग-

[श्री पी० शिव शंकर]

दर्शन नहीं कर सकता । मेरा विचार यह है कि पश्चिमी जिलों में खण्डपीठ की स्थापना के मामले पर उसके गुणों के आधार पर विचार किया जायेगा । जैसा मैंने कहा है यह सक्रिय रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचाराधीन है ।

श्री मूलचन्द डागा : इसके मानदण्ड क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अच्छा यह होगा कि अगली बार भाग्य अजमाएं ।

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष जी, इस बेंच के विषय में जो मंत्री जी यह कह कर टालना चाहते हैं कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ कर जवाब देंगे, तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और वह यह है कि इतने जिलों के लोग, अभी तक जो वहां पर कोर्ट बंद पड़े हैं और कोई कोर्ट नहीं खुल रहा है, गरीब से लेकर अमीर तक, जो किसी न किसी केस में फंस कर जेल चले गये हैं और उनकी जमानत नहीं हुइ है और वे जेलों के अन्दर पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनके विषय में मंत्री जी क्या सोच रहे हैं ताकि उनको न्याय शीघ्र मिल सके ?

मान्यवर, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुलने का इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने लिए न्याय मांगने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है और इसके कारण जो वहां का गरीब आदमी है या कोई भी हो, उसका बहुत बड़ा शोषण इलाहाबाद में जाने के बाद होता है । पहले तो वहां के वकील अपनी इतनी अधिक फीस उससे मांग लेते हैं कि वह दे नहीं पाता और अगर वह फीस दे देता है, तो उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचता कि वह अपना जेब खर्च निकाल सके । वहां पर ठहरने के लिए और रिक्शा आदि के लिए उसके पास पैसा बाकी नहीं बचता । मेरे क्षेत्र के जो लोग वहां गये हैं, उनको यह कहते हुए मैंने सुना है कि उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा था और वकील से पैसा लेकर वे अपने घर पहुचे हैं और अब दोबारा इलाहाबाद में जाकर हाई कोर्ट में न्याय पाने की स्थिति में वे नहीं हैं । यह हालत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की इलाहाबाद में जाकर होती है । इसलिए मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वे जो यह कह कर टाल रहे हैं कि हम पूछ कर जवाब देंगे, इससे पूछेंगे और उससे पूछेंगे, इस तरह की बात वे न करें । इससे वहां के लोगों को शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा । उत्तर प्रदेश सरकार से खुली बात यह आ गई है कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का मामला है और जितनी जल्दी वह इसके बारे में फैसला कर देगी, उसे हम मानने को तैयार हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना और करना चाहता हूं । मैं इस विषय में कुछ कहना तो नहीं चाहता था और न कोई मांग इस तरह की उठा रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमुक जिले में इस बेंच की स्थापना हो जाए लेकिन फिर भी मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ।

जिला बिजनौर में एक बिल्डिंग बन कर तैयार हो गयी है और कई लाख रुपये की यह बिल्डिंग बन कर तैयार हुई है । अगर वहां पर यह बेंच स्थापित हो जाए तो बहुत उपयुक्त होगा । मैं इसके लिए मांग करता हूं । मंत्री जी इस पर विचार कर लें और सोच लें कि क्या यह हो सकता है । यह ऐसी जगह हो जाए जिससे कि सभी को संतोष हो ।

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष जी सम्माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि इसको हम टाल रहे हैं, यह उचित नहीं है। मैं आप से निवेदन करूं कि हम इसको टालने की कोशिश में नहीं हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कानून में यह जरूरी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विचार लें और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के विचार लें, उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचे। इसलिए यह कहना कि हम इशु को टाल रहे हैं वह ठीक नहीं है।

जहां तक उन्होंने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात कही कि वहां एजीटेशन चल रहा है, अदालतें बंद हैं, इसका मुझे खेद है और मैं इस हाउस के वकील भाईयों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वे अदालतों का बायकाट न करे। (व्यवधान) यह मामला एजीटेशन से हल नहीं होगा। उन्होंने अपना पक्ष हमारे सामने रख दिया, जैसा कि मैंने निवेदन किया, हम बहुत हमदर्दाना तरीके से इस मसले को हल करेंगे। एजीटेशन के तरीके से कोई मसला ठीक ढंग से हल नहीं हो सकता है।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि बिजनौर में बिल्डिंग तैयार है, मैं आप से निवेदन करूं कि आगरे के लोग यह चाहते हैं कि आगरे में बेंच कायम हो, इसी तरह से मेरठ के लोगों और बरेली के लोगों के भी क्लेम्स आ रहे हैं। एक मर्तबा निर्णय ले लेने के बाद फिर गवर्नमेंट आफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से बात करके इस मसले का ठीक ढंग से हल निकालेगी कि इसे कहां पर कायम करना चाहिए। इस बारे में क्या होना चाहिए।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हाई कोर्ट की बेंच कहीं बने, लेकिन जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, उनको, इसको एक मुद्दा बना कर, आपस में लड़ाने का काम मंत्री जी न करें और जो एक जगह चुनने का अधिकार सबों ने आपको दिया है इस अधिकार का प्रयोग कर के आप एक समुचित स्थान का चयन करें।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह सही कहा है कि यह आन्दोलन का विषय बिल्कुल नहीं है और इस तरह के प्रश्न को आन्दोलन का विषय किसी को भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार बिना आन्दोलन के कोई निर्णय नहीं करती है।

सुप्रीम कोर्ट की दक्षिण में बेंच होने की मांग बराबर होती रही है। अब वह चाहे हैदराबाद में बने, मद्रास में बने, बेंगलौर में बने या त्रिवेन्द्रम में बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से भी एक बेंच की मांग बराबर होती रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 1966 से यह मांग होती रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह बने। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के रहने वालों की भी यह मांग बराबर रही है कि गोरखपुर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बने। हम लोग जो बिहार से चुन कर आते हैं उनकी भी यह मांग है कि पटना हाई कोर्ट की एक बेंच उत्तरी बिहार में बने। इस तरह की मांग होती रही हैं। फिर मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सस्ता और समय पर सभी को न्याय मिले। जस्टिश डिलेड इज जस्टिश डिनाईड। क्या मंत्री जी इस बात से इंकार कर सकते हैं कि लाखों-लाख मामले हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्टों

[श्री अनिक लाल मण्डल]

में पेंडिंग हैं और बारबार सरकार की तरफ से यह अश्वासन दिया गया है कि जो ब्रेकलाग है, उसको क्लीयर किया जायेगा और जस्टिस को स्ट्रीमलाईन किया जायेगा। कोर्टों में मामले वर्षों वर्षों से नहीं डिकेड्स से बकाया पड़े हैं। उनको तीन महीने या छः महीने में निपटाने के लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं ? जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा—

"जस्टिश एट डोर स्टैप्स" या सस्ता न्याय और समय से न्याय मिले, "जस्टिश डिलेड-जस्टिस डिनाइड," आन्दोलन भी नहीं होने चाहिए, आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी समय पर और सस्ता न्याय देने की बात कही है, इन सारी बातों को देखते हुए क्या आप कोई ऐसा हाई पावर कमीशन-उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का गठन करेंगे, जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बेंचों की मांगों के बारे में विचार करके कोई निर्णय लिया जा सके। उत्तर प्रदेश के बारे में तो मंत्री महोदय के जवाब से ऐसा लगता है कि वे वहां पर बेंच की स्थापना करने जा रहे हैं, जगह का ऐलान अभी नहीं किया गया है कर देते तो अच्छा होता, लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में हाई-कोर्ट की बेंच की आवश्यकता को मान लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अपने सिद्धान्तों और वादों के अनुसार और अपने इलेक्शन मेनिफेस्टों में जो आपने घोषणा की है, उसके अनुसार क्या आप किसी ऐसे आयोग का गठन करेंगे जो इन सारी बातों पर विचार करके अपना कोई निर्णय ले सके और उस पर आप अमल करें ?

श्री पी० शिव शंकर : उपाध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य ने एक जनरल इश्यू खड़ा कर दिया है। जहां तक हुकुमत का सवाल है, हम किसी को झगड़े में डालना नहीं चाहते, जैसा कि वे कह रहे थे। इलाहाबाद या पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में जो एजीटेशन हो रहे हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं हैं। आप जानते हैं कि वकीलों के वलैश आफ इंटरेस्ट की वजह से एजीटेशन हो रहे हैं, उसमें किसी पार्टी का सवाल पैदा नहीं होता। इस प्रकार की मांगे हर जगह से आ रही हैं कि हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाए, कोई कमीशन कायम किया जाए। इससे पहले कि कोई कमीशन कायम किया जाए, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ला-कमीशन की चौथी और चौदहवीं रिपोर्ट हमारे सामने है, और ज्यूडिशियल रिफार्म्स कमेटी हम बना रहे हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि उसका विवरण मैं जल्दी से जल्दी सदन में प्रस्तुत करूंगा। हर इश्यू को और हर विषय को उसकी मैरिट के अनुसार तय किया जाएगा। आम तरीके से इस पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। हमारा सिद्धांत है कि न्याय सस्ता हो और गरीबों के घर तक पहुंचे, इस सिद्धान्त के तहत दूसरे जो मसले हैं, जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज पर विचार करके अगर कहीं पर वास्तव में बेंच बनना चाहिए तो उस इश्यू पर अलग तरीके से विचार किया जाएगा। सिर्फ एक सिद्धांत से काम नहीं होता और भी कई इश्यूज होते हैं,सब पर विचार करके जहां मुनासिब समझा जाए वहां पर बेंच कायम होनी चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि इन सदस्यों को उनके नाम के सामने उल्लिखित समय के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए :—

1. श्रीमती सहोदरानाई राय 12 अगस्त, 1980 (तीसरा सत्र)
17 नवम्बर से 23 दिसम्बर, 1980 (चौथा सत्र)
16 फरवरी से 8 मार्च, 1981 (पांचवा सत्र)

2. श्री एस० एन० प्रसन्न कुमार 9 मार्च से 7 अप्रैल, 1981 (पांचवां सत्र)

प्रो० मधु दण्डवते : उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है जो अन्यमनस्क रहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन की यह सहर्ष राय है कि समिति उनके लिए भी ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए सिफारिश करे ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ !

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिसार हरियाणा में डकैती, लूट मार और हत्या की घटनायें

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में राज्य सरकारों द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न सदन में कई बार उठाया गया है तथा सदन ने देश के अनेक भागों में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है। खेद की बात है कि हाल ही में हरियाणा के एक महत्वपूर्ण शहर हिसार में डकैती, लूटमार और हत्या की अनेक वारदातें हुई हैं। समाचार मिला है कि 27 और 28 फरवरी तथा बाद में 18 मार्च, 1981 को हिसार में डकैती, लूटमार और हत्या की अनेक घटनाएं हुई हैं।

यह बड़े खेद की बात है कि इस सदन में सरकार द्वारा इस बारे में चिन्ता व्यक्त किए जाने के बावजूद हिसार जैसे महत्वपूर्ण नगरों में अब भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और लोगों में कानून और व्यवस्था लागू करने वाले सरकारी विभाग के प्रति विश्वास की भावना फिर से पैदा करने के लिए अविलम्ब कदम उठाए जाएं।

(दो) चक्रधरपुर और हावड़ा के बीच एक नई तीव्र गति की गाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री अजितकुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, पुरुलिया के बरास्ते चक्रधरपुर से हावड़ा के बीच एक तेज गाड़ी चलाने के सम्बन्ध में स्थानीय जनता काफी लम्बे समय से मांग करती आ रही है। रेलवे प्राधिकारियों का ध्यान दिलाने के लिए जब याचिकाओं, पत्रों, प्रतिनिधिमंडल भेजने आदि की तरह के सभी प्रयास असफल हो गए, तो स्थानीय जनता ने पुरुलिया पर गाड़ियां रोकने के आन्दोलन का सहारा लिया। परिस्थितिवश रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री मौके पर पहुंचे तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के लोगों को यह आश्वासन दिया कि पुरुलिया और हावड़ा के बीच एक नई तेज गाड़ी चलाई जाएगी। लेकिन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अब अपनी बातों से फिर गए हैं। एक नई तीव्रगति की गाड़ी चलाने की बजाए चक्रधरपुर और हावड़ा के बीच की एकमात्र सीधी गाडी की गति को कागजों पर ही थोड़ा तेज कर दिया गया है, पर व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं हुआ है। इसके लिए गाड़ी के कुछ स्टाप

[श्री अजित कुमार साहा]

समाप्त कर दिये गये हैं, जिससे लोगों को और असुविधा हो गई है और अपनी कठिनाइयां दूर कराने हेतु उन लोगों को आन्दोलन का पुनः सहारा लेना पड़ा ।

मैं रेल मंत्री से इस मांग के सम्बंध में पुरजोर आग्रह करता हूं और उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को अपना वायदा निभाने के लिए और पुरुलिया तथा हावड़ा के बीच एक नई गाड़ी चलाने से सम्बंधित पुरुलिया और बंकुरा के लोगों की तर्कसंगत, वैध और उचित मांग पूरी करने के लिए कहें ।

(तीन) **हावड़ा स्थित इंडियन रेअर अर्थस् फैक्टरी में रोजगार की ठेका प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता**

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं लोक-महत्व के निम्नलिखित आवश्यक मसले को नियम 377 के अधीन मामले के रूप में उठाता हूं :—

यह एक गम्भीर मामला है कि हावड़ा स्थित इंडियन रेअर अर्थ्स फैक्टरी में रोजगार की ठेका प्रणाली, अपने सबसे अधिक घृणित रूप में, अब तक चालू है, हांलांकि यह फैक्टरी कई वर्ष पहले सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आ चुकी है । फैक्टरी में खनन, परिवहन और नौवहन संबंधी कार्यों पर लगभग 1200 आदमी काम करते हैं । उनमें से अधिकतर लोगों ने एक ही काम करते हुए 25 से 30 वर्ष तक गुजार दिए हैं, लेकिन उन्हें स्थायी नहीं किया गया है । उन्हें नैमित्तिक श्रमिक समझा जाता है और कन्ट्रेक्टर सोसाइटी' द्वारा उन्हें काम देने से मना भी किया जा सकता है अथवा उनका रोजगार भी समाप्त किया जा सकता है। फिर भी यह संगठन अपने आपको 'वर्कर्स कोपरेटिव सोसाइटी' के नाम से पुकारता है और इसमें मुश्किल से ही इसके सदस्य के रूप में कोई वर्कमैन मिलेगा । आजकल वहां एक दिन की मजूरी 17/- रुपये से कुछ ही अधिक है और सबसे अधिक निन्दनीय बात तो यह है कि इस राशि में मूल वेतन, महंगाई भत्ता वार्षिक छुट्टियों की मजूरी और वार्षिक बोनस आदि सभी प्रकार की आय और लाभ सम्मिलित हैं। ऐसी प्रणाली देश में शायद ही कहीं और सुनी गई हो । दुर्घटना संबंधी क्षतिपूर्ति अथवा चिकित्सा सहायता आदि जैसा अन्य कोई और लाभ उन्हें प्रदान नहीं किया जाता । चालू वर्ष के शुरू होते ही ठेकेदार का अशुद्धि-रेत (रॉ-सैन्ड) संबंधी दर को 18/- रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 23/-रुपये प्रति टन कर दिया गया, जबकि श्रमिकों को कुल मिलाकर केवल एक रुपया बढ़ाते हुए 16/-रुपये के करीब प्रति टन की दर से भुगतान कियाजाता है । कॉंट्रेक्टर-सोसाइटी' पर ऐसी राजनीतिक पार्टी के कुछ सक्रिय लोगों का नियन्त्रण है जिनका राज्य में काफी प्रभाव है और हांलाकि फैक्टरी भारत सरकार की है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके सम्पूर्ण प्रशासन पर पार्टी के नेताओं का कब्जा है । इन ठेकों से कई लाख रुपये बनाने के बाद उन्होंने चावरा, नीदाकारा और शक्तिकुलांगा पंचायतों सहित सम्पूर्ण क्षेत्र में आतंक का वातावरण बना दिया है । रोजाना जघन्य अपराध हो रहे हैं । बिना रोकटोक और बिना पुलिस के हस्तक्षेप के हिंसा, हत्या और आगजनी के मामले हो रहे हैं, अपने अक्रिय वित्तीय स्रोतों और राजनीतिक प्रभाव के कारण ठेकेदार सर्वशक्तिमान बने हुए हैं।

इस तमाम गड़बड़ी की जड़ ऊपर बताई गई ठेका-प्रथा में है। अतः मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इंडियन रेअर अर्थ्स फैक्टरी में रोजगार की ठेका-प्रथा को शीघ्र समाप्त किया जाए और इन श्रमिकों को वहां नियमित रूप से नियुक्त किया जाए।

(चार) जाली दस्तावेजों की मदद से तिहाड़ जेल से कैदियों की कथित रिहाई

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : हाल ही में कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, जो जाली दस्तावेजों की मदद से तिहाड जेल से कैदियों की कथित रिहाई से सम्बंधित है।

समय रहते इस जालसाजी का पता लग जाने के कारण उन अन्य कैदियों के प्रयास निष्फल हो गए, जो इसी प्रकार रिहा होने में सफल हो जाते।

पुलिस के अनुसार, ऐसा लगता है कि न्यायालय के जाली दस्तावेजों से सम्बंधित घोटाला किसी सुसंगठित गिरोह द्वारा जेल के ही क्षेत्र में चलाया जा रहा है और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इसमें जेल कर्मचारियों की भी मिलीभगत हो सकती है।

अतः सरकार को जाली दस्तावेजों के खतरे से बचने और इस स्थिति पर काबू पाने के लिये शीघ्र ही उपचारात्मक उपाय करने चाहिएं, ताकि स्थिति और न बिगड़ने पाए तथा विचाराधीन कैदी इस प्रकार की धोखा धड़ी करके रिहा न हो जाएं।

इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि न्यायालयों से भेजे जाने वाले इस प्रकार के सभी दस्तावेजों को मोहरबंद लिफाफे में विशेष किस्म की वर्दी धारण किए हुए संदेशवाहकों द्वारा भेजा जाए; रबड़ की मोहरों और हस्ताक्षर की मोहरों का प्रयोग शीघ्र खतम किया जाए; उभरी हुई ऐसी मोहरों का प्रयोग किया जाए, जिसकी जालसाजी न की जा सके; सत्यापन के उद्देश्य से जेल कार्यालय में सम्बंधित प्राधिकारियों के नमूने के हस्ताक्षर उपलब्ध कराए जाएं; तथा इस घोटाले पर नियन्त्रण करने और इसे समाप्त करने के लिए इस प्रकार का अन्य कोई भी या सभी उपाय काम में लाए जाएं।

यह भी सुझाव दिया जाता है कि इस घोटाले से सम्बंधित अपराधियों के गिरोह का पता लगाने और उन्हें दण्डित किए जाने के लिए निगरानी कर्मचारियों को यह मामला सौंपा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब लोक सभा स्थगित होती है और मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे पुनः समवेत होगी।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बज कर 10 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले—जारी

(पांच) मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में पीने के पानी आदि की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : जैसे-जैसे सर्दी का मौसम समाप्त हो रहा है, मध्य प्रदेश में पीने के पानी में स्थिति बिगड़ती जा रही है। नदियों की धार पतली होती जा रही है और कूओं में पानी का स्तर नीचा हो रहा है। आज भी, जबकि पूरे जोर-शोर से गर्मी पड़ने में अभी देर है मध्य प्रदेश के लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। जानवरों को पानी पिलाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। गत वर्ष के मानसून से पर्याप्त पानी नहीं बरसा था। अतः पशुओं के चारे की कमी हो रही है।

यह दुःख की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं। मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति चिन्ताजनक हो गई है। राजगढ़ जिले का व्यापक दौरा करने पर मुझे इस गम्भीर स्थिति का पता चला है। सभी स्थानों पर लोगों से विशेष रूप से पानी समस्या वाले गावों के गरीब लोगों से पानी की कमी की शिकायतें मिल रही हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पीने के पानी की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश में एक विशेष दल भेजे और विद्यमान कुओं को गहरा करने के लिए द्रुत योजनाएं तैयार करें, तथा गर्मी के मई-जून के तपते महीनों के दौरान पानी उपलब्ध कराने के लिए अग्रिम तैयारी के रूप में तेजी से छिद्रण का काम शुरू करे। मैं राज्य सरकार से भी यह निवेदन करता हूं कि वह इस समस्या का युद्ध-स्तर पर सामना करे और पानी की कमी वाले क्षेत्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर सम्भव प्रयास करे। मध्य प्रदेश के गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में मनुष्यों और जानवरों को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिये अभी से घास और चारे तथा पानी के टैंकरों और नदियों से पानी के भंडारण की अग्रिम व्यवस्था कर ली जानी चाहिए। समय पर दी गई इस चेतावनी के बाद किसी भी प्रकार की असफलता या लापरवाही की पूरी-पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों की होगी।

(छ) केरल में धान की फसल को कीड़ा लगने की बीमारी की समाप्ति के लिए अनुसंधान की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)** मैं सभा में उस गम्भीर बीमारी के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं, जिससे कुट्टनाड क्षेत्र में, जो केरल में चावल का उत्पादन करने वाले बड़े

** मलयालम में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है, धान की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। आज स्थिति यह है कि कुट्टनाड में ब्राऊन-हॉपर नामक कीड़े द्वारा धान की सारी फसल नष्ट कर दी गई है। यह विश्वास किया जाता है कि 'ब्राऊन-हॉपर' का वर्तमान हमला गत पांच वर्षों में सबसे अधिक खतरनाक है।

यह 'ब्राऊन-हॉपर' जो 'मुंजा' कहलाता है, धान के डंठल को चूस लेता है। इसके परिणामस्वरूप पौधा सूख जाता है। दिसम्बर और जनवरी के महीनों में यह हमला और तेज हो जाता है। फूराडोन और डेमाक्रोन नामक दो कीटनाशक दवाइयां हैं, जो धान के पौधों को ब्राऊन-हॉपर के हमले से बचाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश दो से चार बार तक दवाई छिड़कने के बावजूद इस बार फसल को बचाया नहीं जा सका।

कुट्टनाड़ क्षेत्र के पुलियुकुलम, कवालम, एदातवा, तकाभाई आदि स्थानों में जलमग्न धान के खेत 1.25 लाख एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। इन्हीं क्षेत्रों में इस कीड़े के हमले से धान की फसल को हर-तरफ नुकसान पहुंचा है। मध्यम दर्जे के और छोटे किसानों ने अपना सभी बहुमूल्य सामान गिरवी रखकर यह फसल उगाई थी। कीटनाशक दवाई के एक बार छिड़कने में उन्हें 150/-रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं।

यह अनुमान है कि उत्पादन लागत बढ़ कर 2000/-प्रति एकड़ हो गई है। प्रति एकड़ उपज 12 क्विंटल से गिरकर 3-4 क्विंटल हो गई है। इन परिस्थितियों में फसल को क्षति पहुंची है। इससे कुट्टनाड के किसानों की पीठ टूट गई है।

हांलांकि बहुत बार अनुसंधान किया गया है परन्तु अभी तक इस विनाश का कोई हल नहीं ढूंढा गया है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि अनुसंधान संस्थानों को इस समस्या की ओर ध्यान देने का निदेश दिया जाये और वे इसका तत्काल हल निकालें तथा उन किसानों को (जिनकी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है) वित्तीय सहायता देने की कोई योजना लागू करें।

(सात) राजस्थान के एक न्यायाधीश का कथित अपहरण

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : राजस्थान के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री आर० आर० मित्रुका को, जिनका दिल्ली से हाल ही में अपहरण किया गया था, पुलिस द्वारा मथुरा में ढूंढा गया है।

श्री मित्रुका ने घोषणा की है कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया था कि वे न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में दस्तावेज पेश करने को तत्पर हैं और उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह भी सूचित किया था कि भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के कारण उनको मार देने का भी षडयंत्र है।

क्या मुख्य न्यायाधीश ने यह सूचना दिल्ली पुलिस को दी थी और यदि यह सूचना दी गई थी तो दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के न्यायाधीश की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये थे। गृह मंत्री को इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। यदि न्यायपालिका के सदस्यों का जीवन

[प्रो० मधु दण्डवते]

और आजादी सुरक्षित नहीं है तो न्यायपालिका का निष्पक्ष कार्यकरण कठिन होगा और इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

(आठ) आंध्र प्रदेश में भारतीय रूई निगम द्वारा सुवेन रुई की खरीद जारी रखने की आवश्यकता

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टुर) : भारतीय रुई निगम ने आन्ध्र प्रदेश के गुन्टुर जिले में सुवेन रुई की खरीद बन्द कर दी है और मुझे किसान नेताओं, श्रीमती के० बच्छैया भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई०) की उपाध्यक्ष तथा श्री रामुलु से टेलीफोन पर यह सूचना प्राप्त हुई है कि भारतीय रुई निगम की इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप जिन किसानों ने इस मूल्यवान रूई पर बहुत धनराशि निवेश की और यह रूई पैदा की है वह अब व्यापारियों की दया पर हैं और वे अब अपनी रूई को अलाभकारी मूल्य पर बेचने को बाध्य हैं तथा उनको भारी हानि हो रही है। भारतीय रूई निगम ने पहले के पखवाडों में रूई की अन्य किस्में (वरलक्ष्मी, आदि) की भारी मात्रा में खरीद की थी और इस प्रकार किसानों में यह आशाएं बढ़ गई थीं कि उनको बाद में पकने वाली रूई की इस किस्म के लिए लाभप्रद मूल्य मिलेगा। उनकी यह आशा धूमिल होने से वे चिन्तित हैं और मुनाफाखोर खुश हैं।

अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि भारतीय रूई निगम को कहा जाये कि देरी से पकने वाली रूई की इस सुवेन किस्म की खरीदारी को अविलम्ब आरंभ किया जाये या जारी रखा जाये और समय रहते उत्पादकों की रक्षा की जाये।

(नौ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा कैपिटल यूनिटों की योजना को समाप्त करने का समाचार

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : पिछले चार दिनों से समाचार पत्रों में बार-बार यह प्रकाशित हो रहा है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की पूंजीगत यूनिट योजना जुलाई 1981 से बन्द की जा रही है।

यह एक मुख्य नीति निर्णय है और यह आशा की जाती है कि वित्त मन्त्री सदन को इस योजना को बन्द किये जाने के बारे में सूचित करते।

मुझे यह देखकर दुख है कि सदन को सूचित करने के स्थान पर हमें समाचार पत्रों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि जो योजना धनराशि जुटाने में पर्याप्त सफल रही थी उसे समाप्त किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं। कि वे इस विषय पर सदन के समक्ष तत्काल एक वक्तव्य दें।

(दस) भारतीय समुद्र तल में पिन्डों की परत का पाया जाना

श्री के० पी० सिंह 'देव (कान्नल) : समुद्र विज्ञान संस्थान के राष्ट्र के अनुसंधान क्षेत्र हमारे प्रतिभाशाली समुद्र शास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों ने भारतीय आर्थिक क्षेत्र में

हिन्द महासागर में खनिज-बाहुल्य 'मोड्यूलों' के बहुत बड़े 'कारपेट' का पता लगाया है और इस प्रकार खनिज विज्ञान के क्षेत्र में देश के इतिहास का एक नया पृष्ट खोला है। भारत में भूतल पर उपलब्ध खनिज तेजी से समाप्त हो रहे हैं और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि आज हमें निकल, को बाल्ट के लिये पूरी तरह से और तांबे की मांग के 60 प्रतिशत के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। उपरोक्त खोज के महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10 लाख टन 'मोड्यूल' से 15,000 टन निकल, 1200 टन तांबा, 1500 टन कोबाल्ट, 60,000 टन मैंगनीज तथा अपरिमित मात्रा में सोना मिलेगा। वर्तमान अनुसंधान से पता चलता है कि समुद्र में बहुमूल्य मोड्यूल्स हैं जिनकी मात्रा का अनुमान 2000 मिलियन टन के लगभग है।

अतः इस बारे में कोई संशय नहीं कि यदि इन विशाल विपुल खनिज संसाधनों को, जिनका पता लगाया गया है, पूरी तरह से निकाला जाये तो इससे देश की समृद्धि में एक नया मोड आयेगा। दुर्भाग्य से इस खोज के कारण बड़ी शक्तियों में व्यग्रता उत्पन्न हो गई है, जिनको आज समुद्र खनन के उपकरणों, विशेषज्ञता तथा संसाधनों के क्षेत्र में एकमात्र एकाधिकार प्राप्त है और वे उनको हमें उपलब्ध कराने के लिये तैयार नहीं होंगे जब तक कि यह उनके हितों के अनुकूल न हो। हम शायद तकनीकी दृष्टि से समुद्र तल पर मिलने वाले खनिजों के वाणिज्यिक उत्पादन को आरम्भ करने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि अनेक कठिनाइयां हैं, फिर भी हमें पथ से विचलित नहीं होना क्योंकि समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेन्सी की, जो कि समुद्र तल से खनिजों के निकालने के लिये उत्तरदायी है। हमारी प्रधान मन्त्री हैं जिनके नेतृत्व और उच्च प्रतिभा के अधीन देश किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और इस में कोई संशय नहीं है कि दिक्कतों के बावजूद समुद्र तल का खनन एक लाभपूर्ण चुनौती है और जिसे वे समृद्धि का युग लाने के लिए स्वीकार करेंगी।

मैं इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि एक समुद्र तट के खनिजों के सर्वेक्षण तथा निकाले जाने की सभी परियोजना तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के समान एक विशेषज्ञों के आयोग के अधीन रखी जाये जिसकी अध्यक्ष स्वयं प्रधान मन्त्री हों।

(दो) अण्डमान तथा देश के अन्य तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए अधिक पोत खरीदने हेतु तत्काल कदम उठाये जायें;

(तीन) आत्म निर्भरता प्राप्त करने तथा समुद्र तल की खोज के काम में तेजी लाने के लिए हमें विचों' ग्रेब्स, पानी में काम करने वाले कैमरों तथा "डीद ईको साउन्डरों" की आवश्यकता होगी। तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति विदेशों से खरीदारी द्वारा पूरी की जा सकती है परन्तु देश की इंजीनियरी प्रतिभा को कहा जाए कि चुनोती को स्वीकार करे और अगले तीन वर्षों के दौरान इन उपकरणों को मुहैया करे;

(चार) युवा इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जाये जिससे कि वे पूरे उत्तरदायित्व को ग्रहण कर सकें और इस बारे में शीघ्रतापूर्वक विदेशी निर्भरता को समाप्त कर सकें;

[श्री के० पी० सिंह देव]

(पांच) इस बड़ी परियोजना को आरम्भ करने हेतु संसद को धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए, जो परियोजना देश की समृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है और जिसके लिए इस सदन के सभी पक्षों के सहयोग की अपेक्षा है।

श्री के० मायातेवर (डिंडिगल) : मैंने सुबह एक सूचना दी थी और अध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया था कि उन्होंने मान लिया है कि मामले को नियम 377 के अधीन उठाया जाये। परन्तु दुर्भाग्य से मेरा नाम नहीं पुकारा गया है। कृपया रिकार्ड देखें। मेरा नाम मायातेवर है।

सभापति महोदय : मुझे बताया गया है कि उसे आज के लिए स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री के० मायातेवर : इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जायेगा या इसे आज ही स्वीकार नहीं किया गया है। क्या इसे स्वीकार करना ही संभव नहीं है ? आपका मतलब क्या है।

सभापति महोदय : मैं आपको सलाह देता हूं कि इस बारे में अध्यक्ष महोदय से बात करें।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मेरा नियम 377 के कार्यकरण के बारे में नियम 376 के अधीन एक व्यवस्था का प्रश्न है।

यह सच है कि जब हम नियम 377 के अधीन कोई उल्लेख करते हैं तो सम्बद्ध मन्त्री द्वारा उत्तर में कोई वक्तव्य दिया जाना जरूरी नहीं है परन्तु जब कोई मन्त्री उठ खड़ा होता है और सदन को आश्वासन देता है कि वह उठाये गए विषय पर शीघ्र ही एक वक्तव्य देंगे तो यह जरूरी है कि वह वक्तव्य दें। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि 12 मार्च, 1981 को मैंने उच्चशक्ति के इंजनों के आयात तथा विश्व बैंक द्वारा ऐसा करने की सलाह का उल्लेख किया था। मैंने वह मामला नियम 377 के अधीन उठाया था और लोक सभा सचिवालय के कार्यवाही वृतान्त से आप देखेंगे कि रेल मन्त्री ने यह कहा था कि वे इस बारे में शीघ्र ही एक वक्तव्य देंगे। महोदय अभी तक वक्तव्य नहीं दिया गया है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि रेल मन्त्री को वक्तव्य देने का निदेश दिया जाये।

सभापति महोदय : मेरे विचार में इसके लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : जब कोई मन्त्री महोदय सदन में यह आश्वासन देते हैं कि वह वक्तव्य देंगे और फिर वह वक्तव्य नहीं देते, तो हमारे हितों की रक्षा केवल सभापति ही कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मेरा ख्याल है कि मंत्री महोदय ने इस बात को नोट कर लिया होगा।

प्रो० मधु दंडवते : वे यहां उपस्थित नहीं है। अब कम से कम यह तो दर्ज कर लिया जाए कि अभी तक उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है और मैं सभापति महोदय से यह मांग करता हूं कि उन्हें यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अपने आश्वासन को पूरा करें।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : यह सभा अब श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा द्वारा 20 मार्च, 1981 को पेश किए गये निम्नलिखित संकल्प पर और आगे चर्चा शुरू करेगी :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 जनवरी, 1981 को प्रख्यापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है" :

और ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 20 मार्च, 1981 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी :

"कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, विचार किया जाए ।"

श्री जैल सिंह अपना भाषण आगे शुरू करें ।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : सम्माननीय चेयरमैन साहब, मैंने जितने मैम्बर साहबान बोले थे, उनका संक्षेप में जवाब दे दिया था । मैंने और विशेष कुछ नहीं कहना है । इस तरह से दो-तीन मैम्बर बोले थे, जिनको गुरद्वारों की मर्यादा और गुरुद्वारों की परम्परा के संबध में जानकारी भी है । कुछ बातें उन्होंने कह दी थीं, बीबी गुरबिन्दर कौर, श्री निहाल सिंह वाला और बीबी सुखबंस कौर ने, लेकिन मैं और कुछ नही कहना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो वर्मा जी ने रिजोल्यूशन पेश किया है, वे उसको वापिस ले लें, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि अमेंडमेंट के साथ कोई विरोध नहीं है । लेकिन इनका ढंग अच्छा नहीं है, पहले आर्डिनेन्स के बारे में तो मैंने कह दिया है कि वह जारी हो गया, लेकिन अब 10 मिनट के बाद आर्डिनेन्स नहीं रहेगा, यह बिल बन जायगा । इसलिये मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना रेजोल्यूशन वापस ले लें ताकि इस अमेंडिंग बिल पर राय ली जा सके ।

सभापति महोदय : श्री आर० एल० पी० वर्मा ।

आप को मजमून से शिकायत नहीं है, सिर्फ तौर-तरीके और लिफाफे से शिकायत है ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्टतः मान लिया है कि यह तौर-तरीका या ढंग परम्परा के खिलाफ है.....

श्री जैल सिंह : मैंने माना नहीं है । मैंने कहा है कि आप को शिकायत है, हम को कोई शिकायत नहीं है । हम ने तो जो किया है, दुरुस्त किया है, गलत नहीं किया है ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : स्पष्टीकरण के लिए मैं दो-चार बातें आप के सामने कहना चाहता हूं । आप ने अपने भाषण में तथा कुछ अन्य मेम्बरों ने अपने भाषणों में कहा है कि धारा, 16(3) बहुत अलोकतन्त्रीय थी, अन-डेमोक्रेटिक थी, आज 20वीं शताब्दि में लोग हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा को अधिक महत्ता दी जा रही है, लेकिन हम इस को अनडेमोक्रेटिक बता रहे हैं । जैसे कुछ राजनीति के विद्वानों ने डेमोक्रेसी की परिभाषा करते हुए कहा है—

"लोकतन्त्र मूर्खों की सरकार को कहते हैं ।"

अगर यह दृष्टिकोण है तब तो बात अलग है अन्यथा यह कुछ ठीक नहीं लगता है।.....

श्री हरिकेश बहादुर : आप किस गवर्नमेंट के लिये कह रहे हैं ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : यह तो मंत्री जी समझ ही रहे हैं।

आज संसद सदस्यों के लिये किसी शैक्षणिक अर्हता का उल्लेख नहीं है—यह ठीक है, लेकिन प्रश्न यह है कि जब 1971 में दिल्ली गुरुद्वारा विधेयक पास हुआ था, उस समय भी यहाँ पर इन्हीं की सरकार थी, यदि उस समय वह प्रावधान किया गया था तो 1976 में भी, जैसा मंत्री जो ने पहले बतलाया है—12 जून, 1976 को.....

सभापति महोदय : यही आपको बतलाया है या खानगी ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : यह यहां सदन की बात है, वैसे खानगी भी बतला सकते हैं, वे गृह मंत्री हैं इस लिये ऐसी कोई बात नहीं है।

मैं कह रहा था कि 1976 में भी यहां पर इन्हीं की सरकार थी यदि दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति ने कोई रेजोल्यूशन पास किया था तो उसको उसी समय मान लेना चाहिये था और कानून बनाकर कर देना चाहिये था, इतने दिनों तक यह पड़ा रह गया, इसके पीछे क्या राज है ? जो रेजोल्यूशन आप ने कोट किया है—मैं उस को फिर से पढ़ कर सुनाता हूं—

"हमारा विचार है कि उपरोक्त व्यवस्था अलोकतन्त्रीय है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए यह अनावश्यक और असंगत है। कि देश में अन्य किसी भी निर्वाचित पद, जैसे कि राज्य के मुख्य मंत्री पद के लिए, ऐसा कानूनी उपबंध नहीं है। अतः इस खंड का लोप किया जाना चाहिए।"

इस रेजोल्यूशन में यह कहीं नहीं लिखा है कि यह धारा 16 (3) के लिये ही है या किस धारा के लिये है—ऐसा रेजोल्यूशन में कहीं नहीं है इससे जाहिर होता है कि दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति का ऐसा कोई विशेष आग्रह नहीं था कि उस धारा को हटाया जाय। इसके अतिरिक्त माननीय गृहमंत्री जी से सरदार हरचरण सिंह, प्रेसिडेन्ट, अकाली दल के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल मिला था।

दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के जो छः मेम्बर थे, सब लोगों ने भेंट करके बताया कि यह अनडेमोक्रेटिक होगा और नेहरू-तारा सिंह पैक्ट को नजरअन्दाज करके होगा। मेरा यह भी कहना है कि बढते हुए युग के अनुसार शिक्षा-दीक्षा को अधिक मान्यता देने के दृष्टिकोण से भी इस में संशोधन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इसकी भी अवहेलना की गई है। इस तरह से कभी भी इस काम्युनिटी के द्वारा कभी भी एपाइन्टमेंट नहीं हुआ था, ऐसा हम को दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा मेनेजमेंट कमेटी के लोगों ने बताया है और इस प्रकार का जो आर्डीनेन्स जारी किया गया, उसका इन सदस्यों ने विरोध भी किया था।

जहां तक मुझे सूचना मिली है, प्रबन्धक कमेटी के एक सदस्य को पब्लिक प्रोसीक्यूटर बनाने का लालच दिया गया, जिसको उन्होंने मना कर दिया। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें अपने जवाब में। इसके अलावा एक केन्द्रीय मंत्री के यहां एक सदस्य को बन्द कर दिया गया था चुनाव के दिन, जिसकी बजह से वे गैर-हाजिर रहे। दूसरे सरोजिनी नगर में जो एक हैडमास्टर हैं, उप-राज्यपाल ने दबाव डाला कि अगर ऐसा करोगे, तो ठीक नहीं होगा। इस तरह से सदस्यों को स्वतन्त्र रूप से मतदान की छूट नहीं दी गई। इस तरह से इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया, जो कि ठीक बात नहीं है।

सभापति महोदय : यह खबर होम मिनिस्टर साहब को नहीं है, आप को कैसे पता है ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : इसके बारे में ये बताएंगे, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। मंत्री महोदय के पास तो विशेष रूप से खबर होगी। अगर खबर नहीं है और यह सच्ची बात नहीं है, तो ये इस को स्पष्ट कर देंगे।

श्री भीष्म नारायण सिंह : अब तो काफी हो गया है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : बस, एक मिनट। सभापति महोदय, श्रीमती सुखवन्स कौर ने बताया और श्री एच० के० एल० भगत ने भी कहा कि हमारी पार्टी इस समिति के सिख-मेम्बरों पर डिपेन्ड नहीं करती है और दिल्ली के इस समिति के मेम्बरों से हमारी पार्टी नहीं चलती, लेकिन यहां पर स्पष्ट हो गया जबकि ऐसी खबर है कि कई मेम्बरों को लालच दिया गया और कहा गया कि तुम को पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आथेरिटी का मेम्बर बनाते हैं, नेशनल रेलवे कन्वेंशन कमेटी का मेम्बर बनाते हैं, कई पास इसू किये गये हैं। इस प्रकार से यह जो राजनीतिक तौर पर कार्यवाही चल रही है, यह धर्म में बहुत बड़ा व्यवधान है और मेरा कहना यह है कि 'धर्म' और 'राजनीति' इन दोनों को अलग होना चाहिए। यह भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि इस प्रकार से स्पष्ट राजनीतिक हथकंडे इस समिति के चुनाव में अपनाए गये। इस तरह की अगर बातें होंगी, तो यह ठीक नहीं है। ऐसी बहुत सी न्यूज अखबारों में निकली थीं।

सभापति महोदय : हजारों वर्ष पहले से ऐसी मान्यता रही है कि राजनीति में सारी नीतियां समा जाती हैं, यह भीष्म पितामह ने कहा था।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : आप भी इस समय कमेंट कर रहे हैं। तो मैं यह कह रहा था कि सिख धर्म के कुछ नेता लोग ऐसे हैं, जो अपने आपको सैल्फस्टाइल्ड फ्रैंड, पाकिस्तान के प्रेसीडेंट श्री जिया-उल हक का बताते हैं और मि० गंगा सिंह ढिल्लों ऐसे लोग हैं, जो ऐसा कहते हैं। वे कांग्रेस (आई) में हैं या अकाली दल में, वे कहीं भी हों, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षी कुछ लोग हैं जो अल्टीरियर मोटिव लेकर काम करते हैं। इस तरह से इसमें धर्म का स्थान नहीं रहेगा और यह एक राजनीतिक, पालीटीकल

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

को संस्था बन जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम एक एसोसियेट मेम्बर, यू० एन० ओ० का बनना चाहिए और सिख खालिस्तान के रूप में यह घोषित होना चाहिए। और इसी तरह से मिस्टर जगजीत सिंह ने अपने को खालिस्तान का राष्ट्रपति चण्डीगढ़ में घोषित कर दिया॥ ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं।

सभापति महोदय : अपने को आप राष्ट्रपति चुन लिया ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : चण्डीगढ़ में उन्होंने अपने को घोषित किया है, इस तरह की खबरें आयी है।

सभापति महोदय : आप इस तरह की खबरें भी रखते हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : इस तरह की खबरें आती रहती हैं। जब लोग पाताल में चले गये, ऊपर अन्तरिक्ष में चले गये तो ऐसी खबरें इंसान से कैसे छिप सकती हैं, बेशक थोड़े दिन ऐसी खबरें छिप जाएं।

इस तरह की बातों से प्रजातंत्र स्वस्थ नहीं रह सकता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रजातंत्र स्वस्थ ढंग से चले तो आप स्वस्थ परंपराएं डालिये। प्रजातंत्र में हो सकता है कि हम लोग उधर पहुंच जाएं और आप लोग इधर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो ऐसी परम्पराएं डाल कर आपको भी कठिनाई होगी। एक स्वस्थ परंपरा रहने से सभी लोगों को सुविधा होती है।

इसमें असंवैधानिक बात भी है क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 123 का उल्लंघन होता है। इसलिए इस तरह की परपरा डालना जनतंत्र में स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। अगर आप यह परंपरा डालते हैं और हमेशा उसको चलाते रहते हैं तो वह अच्छा नहीं है। आप बहुमत में आये हैं, इसलिए मंत्री जी यह बिल तो पास करा सकते हैं लेकिन इससे स्वस्थ परंपरा नहीं पड़ेगी और स्वस्थ परम्परा न होने से कभी आपको भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

इस तरह के राजनीतिक हथकण्डे आप धर्म के साथ अपनायेंगे तो फिर धर्म धर्म नहीं रह जायेगा। आपने कहा कि जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर कोई 171 गुरुद्वारे हैं। इनमें अगर राजनीतिक धंधा चले तो वह धर्म का काम नहीं होगा। देहात के लोग, जो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, जिनके लिए धर्म एक अफीम की तरह से होता है, धर्म के नाम पर एक साथ चलने लगते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि धर्म का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे और भी धर्म हो, सभी धर्मों में राजनीति को प्रवेश नहीं करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि लोग जातिवाद में पड़ने लगे हैं। आज गुजरात में हरिजनों के रिजर्वेशन के इशु पर संघर्ष हो रहा है, बिहार में और यू० पी० में भी संघर्ष हो रहा है।

अगर कोई धर्म के नाम पर एक अलग राष्ट्र की बात करे, कोई खालिस्तान की मांग करे, सिक्खिस्तान की मांग करे तो यह बहुत ही गड़बड़ी वाली बात होगी।

ज्ञानी जी बहुत ही समझदार हैं और मैं समझता हूं कि वे इन सारी बातों को समझेंगे और ऐसा प्रयत्न करेंगे कि भविष्य में इस तरह के आर्डिनेंस न आने पावें। ऐसी गलत परम्परा देश में नहीं डाली जानी चाहिए ताकि देश में लोकतांत्रिक मर्यादा अक्षुण्ण रह सके और देश विकास की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ता चला जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं चाहूंगा कि जो दो-चार प्रश्न मैंने उठाये हैं, उनको मंत्री जी स्पष्ट करें।

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे फिर मौका दिया। वर्मा जी जब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि उनका दिलो-दिमाग हमारे साथ है और वे हमारी बातों से इत्तिफाक करते हैं कि सियासत को और मजहब को इक्ट्ठा नहीं करना चाहिए। हम इसको इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, हम इसको बिल्कुल अलहिदा रख रहे हैं। लेकिन आप वकालत उनकी कर रहे हैं जो कि सियासत और मजहब को एक ही जगह पर रख रहे हैं। इस पर भी आपका यह कह कहना कि इसको राजनीति से ऊपर रखा जाए, तो मैं यही कहूंगा कि जिन दोस्तों ने आपको इंफर्मेशन दी हैं या आपका जो इंफर्मेशन ब्यूरो है वह ठीक नहीं है।

यह बात आप उनसे पूछिये कि वे एक्ट क्यों बनवाते हैं ? यह जो एक महान् हाउस है, लोक सभा, यह एक राजनीतिक हाउस है। जो एक्ट बनते हैं वे इसी हाउस से बनते हैं। जब यहां से एक्ट बन जाते हैं तो उनमें अमेंडमेंट भी यहीं से होती है, डिलीशन भी यहीं से होती है। गुरुद्वारे के मामले में या किसी मजहब के मामले में यहां से कोई कानून बन जाए और उसमें कोई सुधार का काम किया जाए तो क्या वह दखल है ? अगर इस बात को दखल समझते हैं तो फिर एक्ट बनाना भी दखल है। इसलिए अगर एक्ट उन्होंने बनवाया है और रख-रखाव सरकार के जरिए वे करवाना चाहते हैं, इसके बाद जब उनका प्रार्थना-पत्र हमारे पास आया कि इस एक्ट में अमेंडमेंट करके इसमें सुधार कर दीजिए तो हमने सुधार कर दिया। आप अमेंडमेंट के खिलाफ तो बोल नहीं रहे हैं, आपका कहना तो यह है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों आर्डिनेंस निकाल रहे हैं, इसके सिवा आपको कोई एतराज नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने दुरुस्त किया और वक्तसर किया, मुनासिब किया और कोई गल्त नहीं किया। इसलिए सभापति महोदय, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता और माननीय मित्र श्री वर्मा जी का बड़ा मशकूर हूं···।

सभापति महोदय : आखिर मित्र ही हैं आपके।

श्री जैल सिंह : मेरे दोस्त हैं और उनका दिलोदिमाग हमारे साथ है, आज भी किसी की दोस्ती के नाते वे ये बातें कह रहे हैं। लेकिन इन बातों का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। उन्होंने जो कहना था वह कह लिया है। अब वे इसको वापिस ले लें।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संकल्प वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : वापिस लेने का तो सवाल ही नहीं है, वैसे आप पास कर लें ।

सभापति महोदय : मैं अब सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए पेश करता हूं ।

प्रश्न यह है :

'यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 जनवरी, 1981 को प्रख्यापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है ।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : मैं अब प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए पेश करता हूं ।

प्रश्न यह है :

'कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे । खण्ड 2 ।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,—

खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

'2. दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 16 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(3) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, जब वह कम से कम ज्ञानी हो ।" (1)

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,—

खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए : —

'2. दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल

अधिनियम कहा गया है) धारा 16 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(3) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, जब वह अपने राज्य की भाषा या अंग्रेजी पढ़ और लिख सकता हो।" (2)

श्री सत्यनारायण जटिया : सभापति जी, हमारे यहां यह मान्यता है कि भगवान कण-कण में व्याप्त है, किन्तु यह मान्यता अब मुझे बदलती हुई नजर आती है। मुझे यह कहते हुए कुछ भी संशय नहीं है कि राजनीति इस देश में हर क्षेत्र में व्याप्त है यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले सत्र में अरविला के बारे में अमेंडमेंट किया गया अब गुरुद्वारे के बारे में चल रहा है। पता नहीं सरकार को मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के बारे में चिंता क्यों लग गई है ? मेरे ख्याल से क्या सभी धार्मिक संस्थान सरकार के सुपुर्द कर देने चाहिएं और सब पण्डों, पुजारियों और मौलवियों की छुट्टी कर देनी चाहिए ? बहुत दिनों तक उन्होंने काम संभाल लिया है। इस अमेंडमेंट के बारे में मेरा कहना है कि भगवान के द्वार सब के लिए खुले हुए हैं, सब लोग वहां जा-आ सकते है। बात अगर भक्ति-पूजन तक ही सीमित होती तो समझ में आती, मामला है मैनेजमेंट का, मामला है व्यवस्था का। करोड़ों रुपए का हिसाब होता है, उसका हिसाब-किताब होता है, उस हिसाब-किताब के लिए किसी पढ़े-लिखे "ज्ञानी" व्यक्ति को बिठा दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यह समझ के बाहर की बात है कि ज्ञानी जी अज्ञानी व्यक्तियों को क्यों लाना चाहते हैं। वह इस हैसियत में हैं कि किसी अज्ञानी व्यक्ति को बिठा दें और बिठा भी देंगे। यही हमारी धारणा बनी है। उन्होंने कहा भी है कि किसी ने दरख्वास्त की है और हम ने उसको मान लिया है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने बहुमत से पारित किया है कि यह संशोधन ठीक नहीं है और इसको नहीं लाना चाहिये। किसी सम्प्रदाय के अच्छे बड़े ज्ञानी पुरुष से पूछ कर भी यह बात की गई हो, ऐसी बात नहीं है। अगर मेट्रिकुलेट नहीं, हायर सेकेंडरी नहीं, हिन्दी तथा दूसरी भाषाओं को जानने वाला नहीं तो कम से कम ज्ञानी जो गुरुमुखी में हो, जिसने ज्ञानी पास की हो, उसमें शिक्षा दीक्षा पाई हो, वह तो आवश्यक की जानी चाहिये थी। किन्तु ज्ञानी जी ने उसके लिए भी इन्कार कर दिया है। कोई अनपढ़ भी होगा, अंगूठा लगाने वाला भी होगा, वह कहते हैं कि सब चलेगा। सन्त परम्परा का मामला होता तो बात दूसरी थी लेकिन वहां तो व्यवस्था का मामला है। यह ठीक है कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे। लेकिन तब उनकी तरफ इस तरह की व्यवस्था का मामला नहीं था जिस तरह की व्यवस्था का मामला आजकल होता है।

वह कहते हैं कि यही प्रजातांत्रिक तरीका है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 1971 में हमारे देश में प्रजातंत्र नहीं था, उस समय देश में डैमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी ? अगर तब यह बात डैमोक्रेटिक थी तो आज 1981 में आकर यह कैसे अनडैमोक्रेटिक हो गई। ज्ञानी जी, यह

[श्री सत्यनारायण जटिया]

मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा है। कम से कम ज्ञानी वाली बात को तो आपको मान लेना चाहिये और यही मेरा संशोधन है। जो व्यक्ति, प्रबन्ध समिति में चुना जाए उसको कम से कम ज्ञानी पास तो होना चाहिये। और बातों के पचड़े में मैं पड़ना नहीं चाहता हूं। निरंकारी बाबा की हत्या हुई, सरकार आज तक उसका पता नहीं चला पाई है।

सभापति महोदय : आप इसी तक अपने को सीमित रखें और संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री सत्यनारायण जटिया : संक्षेप में मेरा यही कहना है कि ज्ञानी की क्वालिफिकेशन वाली बात जो मैंने एमेंडमेंट दी है उसको मान लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

श्री टी० आर० शमन्ना : मेरा संशोधन बहुत सरल है। मूल अधिनियम में पूर्ण सदाशयता से उन्होंने यह निर्धारित किया था कि शासी निकाय के अध्यक्ष या सदस्यों को मैट्रिक पास या एस० एस० एल० सी० अथवा इसके समकक्ष होना चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि किसी व्यक्ति में पर्याप्त सामान्य बुद्धि हो, तो उसके लिए फिर डिग्री या प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने इस संशोधन का प्रस्ताव किया है कि पदाधिकारी को अपने राज्य की भाषा या अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना आना चाहिए।

मैं आपके ध्यान में यह बात पहले ही ला चुका हूं कि उसे किसी प्रमाणपत्र अथवा डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरणार्थ, कामराज नाडार, जिन्होंने कभी किसी स्कूल या कालेज में प्रवेश नहीं लिया था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे थे। कर्नाटक के नेता एस० चानिया किसी स्कूल में नहीं पढ़े थे। लेकिन कर्नाटक की राजनीति में वे प्रमुख व्यक्ति रहे थे। मुझे यह बताया गया है कि हमारे गृह मंत्रीजी भी किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े हैं। लेकिन वह हिन्दी में निपुण हैं। वे शुद्ध हिन्दी बोलते हैं और हिन्दी के अच्छे ज्ञाता हैं। वे अच्छे हंसी मजाक के बीच 500 से भी अधिक सांसदों के प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हैं और ऐसे उच्च अधिकारियों पर नियंत्रण रखते हैं, जो बुद्धिमान माने जाते हैं। अतः डिग्री प्राप्त करना महत्वपूर्ण पद पर काम करने के लिए बहुत अधिक जरूरी नहीं है। मान लो, एक लेखा विवरण है, तो वह तब तक समझ ही नहीं पाएगा कि यह क्या है, जब तक कि उसे पढ़ना-लिखना न आता हो। ऐसी स्थिति में, जब तक कि वह पढ़ा-लिखा न हो, वह उस पद के साथ अन्याय करेगा, जिस पर उसे काम करने को और पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य-निर्वाह करने को कहा गया हो।

इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। बंगलौर के नगर-निगम में एक उपमहापौर थे -श्री चन्द्रशेखर। वे पढ़ना या लिखना नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने, जो भी कागज उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता, उस पर हस्ताक्षर करने की कला सीख ली थी। वे सभी फाइलों पर बगैर यह जाने कि उनमें क्या लिखा है। हस्ताक्षर कर दिया करते थे। उन्हीं की तरफ से अपना त्यागपत्र देने का एक कागज उनके सामने प्रस्तुत किया गया, उस पर भी उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार नगर निगम की बैठक में अन्य सदस्यों ने

कहा कि उप-महापौर ने त्यागपत्र दे दिया है, अतः वे सभा में नही बैठ सकते और यह एक बहुत बड़ा मजाक बन गया ।

इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य का सन्तोषजनक ढंग से निर्वाह करना चाहे, तो उसे पढ़ना और लिखना अवश्य आना चाहिए । भारत सरकार प्रौढ़-शिक्षा पर लाखों रुपया खर्च कर रही है । लोगों को इस सुविधा से लाभ उठाना चाहिए । यह आवश्यक नहीं है कि लोगों के पास डिग्री ही हो, लेकिन जो व्यक्ति अध्यक्ष या पदाधिकारी बनने का इच्छुक हो, उसे पढ़ा-लिखा होना चाहिए, उसे पढ़ना और लिखना आना चाहिए । मेरा संशोधन बहुत सरल है । मैं आशा करता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे ।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : चेयरमैन साहब, माननीय जटिया और माननीय शमन्ना ने जो दो संशोधन दिये हैं उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये । माननीय सत्यनारायण जी से मुझे बड़ी हमदर्दी है और मेरे साथ भी बहुत हमदर्दी दिखायी और उन्होंने कहा सिर्फ ज्ञानी रख लो । तो उस बोर्ड में शायद दो, तीन ज्ञानी हों इलेक्शन हो जाया करेगा । मगर मैं उनकी हमदर्दी को जानते हुए परेशान भी हूं कि इतने समझदार होते हुए फिर भी यह कह गये कि पंडित मुल्ला के झगड़े में सरकार क्यों दखल देती है । और मैं उनकी बैकग्राउन्ड जानता हूं । मुझे मालूम है कि जहां से आपको सूचना मिली है, और इनफारमेशन आपकी गलत है । हम तो भक्त कबीर की तरह चलते हैं :

पंडित मुल्ला छाड़े दोऊ, हारो झगड़ा रहो न कोऊ,
पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कुछ न लिया ।

इसलिये मैं चाहता हूं कि संशोधन उनका आ गया, कार्यवाही पूरी हो गई, नोटेड डाउन, और अब उसको वापस ले लें ।

दूसरे जो शमन्ना जी का संशोधन है उन्होंने कहा सिम्पिल है । बिल्कुल दुरुस्त है । लेकिन पहला अमेंडमेंट बिल्कुल इन्नोसेंट है, उसमें सिम्पिल भी नहीं आ सकता है । मुझे बहुत हमदर्दी है, उनकी बातों को विचार कर ध्यान में रखेंगे और जब गुरुद्वारा बोर्ड का चुनाव होगा तो मेम्बर साहबान आप की आज की तकरीर को पढ़ेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि ऐसे को रखो जिसको पढ़ना लिखना आता हो । यह काम उनका होगा । इसलिये उनसे कहूंगा अपने संशोधन वापस ले लें, और जैसे वर्मा जी ने हमारी बात मानी, रिजेक्ट करवाने से अर्जी वापस लेना अच्छा होता है, आप क्यों रिजेक्ट करवाते हैं, खुद ही वापस ले लें अदब के साथ । हम आपका बड़ा सत्कार करते हैं । नहीं तो चेयरमैन साहब जो प्रोसीजर है वह तो फालो करना ही होगा ।

सभापति महोदय : श्री सत्यनारायण जटिया, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री सत्यनारायण जटिया : सभापति जी, मैं विद्ड्रा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता था कि ज्ञानी जी कुछ न कुछ ज्ञान की बात कहेंगे।

सभापति महोदय : मैं अब श्री सत्यनारायण जटिया द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या एक सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1,—

खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

'2. दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 16 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(3) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, जब वह कम से कम "ज्ञानी" हो।" ' (1)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री शमन्ना, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री टी० आर० शमन्ना : यदि हमारे संगठन का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसकी कोई योग्यता न हो तो मुझे इसे वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

सभापति महोदय : तो आप इसे वापस नहीं ले रहे हैं। मैं अब श्री टी० आर० शमन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1,—

खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

'2. दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 16 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(3) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, जब वह अपने राज्य की भाषा या अंग्रेजी पढ़ और लिख सकता हो।" ' (2)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खंड 3 के लिये कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री जैल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी से ताल्लुक रखने वाला यह संशोधन विधेयक ज्ञानी जी ने पेश किया है और इस संशोधन के समर्थन में उन्होंने पांचवीं लोक-सभा के कम्युनिस्ट सदस्य के भाषण का उद्धरण भी पढ़कर सुनाया । मालूम नहीं कि उस उद्धरण को पढ़ने का औचित्य क्या था ? क्या उस कम्युनिस्ट सदस्य ने ज्ञानी जी को अपने भाषण के जरिये यह सुझाया था कि आगे जब भी संशोधन करेंगे तो उसके लिए अध्यादेश जारी करेंगे ? अगर यह बात उन्होंने कही होती, तब तो आपका यह पढ़ना उचित हो सकता था, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई । उसे आपने यही कहने के लिये सुनाया ना कि कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक्समैन ने उसका समर्थन किया था । उस समय आप विरोध कर रहे थे, आप नहीं चाहते थे उस समय । अब आपकी तबियत आ गई, इसमें आपका या आपके दल का कोई स्वार्थ होगा ?

सभापति महोदय : मत-परिवर्तन नहीं होता है क्या, खासकर जब डायनेमिक सोसाइटी हो, डायनेमिक मिनिस्टर हो ?

श्री रामावतार शास्त्री : आपके दल का कोई स्वार्थ हो सकता है, किसी गुट विशेष का सम्बन्ध हो सकता है, कुछ न कुछ बात भीतर है जरूर, जिसके तहत आप इस संशोधन के द्वारा काम करना चाहते हैं, आप अपने किसी व्यक्ति को गुरुद्वारा समिति में शामिल करना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी पटना में भी है। वहां किस तरह से लोग आपस में लट्ठम-लट्ठा करते हैं, यह मैं जानता हूं। वहां गुरु गोबिन्द सिंह के नाम से जो कालेज है, वह ठीक तरह से नहीं चल रहा है। वहां पार्टीबन्दी है। हाई स्कूल की भी यही स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, आपने आते ही घंटी बजा दी है। आप लक्ष्मण हैं और मैं राम हूं। इसे ध्यान में रखें।

वहां भी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी दो हिस्सों में बंटी हुई है। ये लोग सिखों के धार्मिक क्रिया-कलापों को बढ़ाने में मददगार हों, इससे किसे इन्कार हो सकता है ? लेकिन उसमें जो करोड़ों रुपये होते हैं, वे उस पर हावी होना चाहते हैं---कुछ राजनीतिज्ञ उस पर हावी हो कर समय आने पर उन रुपयों का इस्तेमाल चुनावों में करना चाहते हैं। इसीलिए ये सारी बातें होती हैं। यह बहुत दुख की बात है। इस पार्टीबन्दी को खत्म करना चाहिए, ताकि इस धर्म में विश्वास करने वाले जो लोग दिल खोलकर चंदा देते हैं, उनके पैसे का दुरुपयोग न हो, सदुपयोग हो। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविन्द सिंह तक ने जो पाठ पढ़ाया है, उसके प्रचार तथा प्रसार पर वह पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।

मैं एक बात और बता दूं। गुरु गोविन्द सिंह तो किसी फिरके या सम्प्रदाय के नेता नहीं थे। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविन्द सिंह तक वे सब देश के राष्ट्रीय नेता थे। कुछ मसलों पर लोगों का मतभेद हो सकता है। मतभेद अलग बात है, लेकिन वे देश के बड़े राष्ट्रीय नेता थे। इसलिए उनके नाम पर जो संस्थाएं चल रही हैं, उनमें पार्टीबन्दी हो, और उस पार्टीबन्दी को आप इस तरीके से अपनी राजनैतिक स्वार्थ-सिद्धि के लिए बढ़ावा दें, यह उचित नहीं है।

मंत्री महोदय ने इस विधेयक को यहां पेश करने में जो तरीका अपनाया है, वह तरीका गलत है। वह यहां पर आर्डिनेंस का राज न बनायें—यहां पर आर्डिनेंस का राज बनता जा रहा है—जनतंत्र का राज बनायें और संसदीय परम्पराओं को मजबूत करें।

इन शब्दों के साथ सरकार की जो मंशा है, मैं उसका जोरदार विरोध करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्म में भी सत्ताधारी दल के लोगों की राजनीति चल रही है और वे उसमें भी राजनैतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, यह बिल इसका प्रमाण है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा "ज्ञानी" शब्द क्यों हटाया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री के नाम के साथ "ज्ञानी" शब्द जुड़ा हुआ है। अगर कल हम उनको "ज्ञानी" नहीं कहेंगे तब और क्या रह जायेगा ? इसलिए कम से कम इस शब्द को नहीं हटाना चाहिए था।

जब 1971 में बिल आया था, तो उस समय यहां पर विरोधी पक्ष के बहुत से सदस्यों ने कहा था कि एजूकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं निर्धारित की जानी चाहिए, जहां तक धार्मिक मामलों का सम्बन्ध है, लोग खुद तय करेंगे कि कौन अध्यक्ष बने, कौन न बने। लेकिन उस समय इसी सरकार ने -- उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी—लोकतंत्र के नाम पर कहा कि सभी लोगों से कन्सल्ट किया गया है, लोग चाहते हैं, इसलिए यह लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुरूप होगा कि एजूकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाए। आज क्या बात हो गई हैं कि यह सरकार अपनी ही बात के बिल्कुल उलट कर रही है ? 1971 में सिख कम्युनिटी के लोगों से पूछा गया था कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्या गृह मंत्री महोदय ने इस तरफ तवज्जुह फरमाई है कि जरा उन लोगों से पूछा जाये कि उनकी क्या राय है ?

मैं कहना चाहता हूं कि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी में 51 मेम्बर होते हैं, उसका अध्यक्ष चुने जाने के लिए यह सारा मामला हुआ है। जत्थेदार संतोखसिंह को आप लोग चुनवाना चाहते थे। इसके लिए इस कमेटी के कई मेम्बरों को, मायापुरी और नारायणा में जो इंडस्ट्रियल प्लाट हैं, उनमें एक-एक प्लाट दिया गया है। वे दो-दो लाख रुपये के प्लाट हैं। मेरा आरोप है कि सरकार ने ऐसा किया। (**व्यवधान**) ऐसा किया गया है। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : यह आरोप गलत है।

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय गृह मंत्री जी, श्री बूटा सिंह, जो हमारे मंत्री हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां, के साथ-साथ हरचरण सिंह जोश·····(**व्यवधान**)

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कोई भी सदस्य ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा सकता जो···(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आरोप क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही को देखूंगा। (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इनको आरोप के बारे में बताने के लिए कहिए। आरोप क्या है?

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : वह कह रहे हैं कि दो प्लाट दिए गए थे। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : किसके द्वारा ? (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय गृह मंत्री यहां हैं। वह यह स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या प्लाट दिये थे या नहीं। मैं गृह मंत्री, श्री बूटा सिंह, उप-राज्यपाल तथा श्री हरचरण सिंह जोश—जो कांग्रेस (इ) के हैं—के बारे में बात कर रहा हूं। ये वे व्यक्ति हैं जो चुनावों में गड़बड़ कर रहे थे। वे चाहते थे कि श्री जसवंत सिंह, श्री सोहन सिंह, श्री सुच्चा सिंह, श्री अवतार सिंह, श्री बलवन्त सिंह आदि जत्थेदार संतोष सिंह को वोट दें। अतः मैं यह कह रहा हूं कि जहां तक धर्म का सम्बन्ध है, यदि ऐसी बात होती है तो अन्ततोगत्वा धर्म कहीं नहीं रहेगा।

इस लिये मैं विधेयक का विरोध कर रहा हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि वे इस अवस्था में विधेयक वापस ले लें।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : कृपया रिकार्ड देखिए। उन्होंने कुछ नामों का उल्लेख किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा। मैं इस ओर ध्यान दूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने जिन व्यक्तियों के नाम लिये हैं, मैं उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं गृह मंत्री तथा सरकार के बारे में कह रहा हूं। अतः आरोप का कोई प्रश्न ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही को देखूंगा।

श्री शेजवलकर।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट लेना चाहता हूं। मुझे एक पुरानी कहानी याद आ रही है कि एक लोमड़ी थी जिसकी पूंछ कटी हुई थी। उसने देखा कि मेरी अपनी पूंछ कटी हुई है तो सब की पूंछ कटनी चाहिए। मैं जब ला कमेटी के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था तो मैंने कहा कि हमारे एम पीज के लिए कोई क्वालिफिकेशन फिक्स होनी चाहिए, मेम्बर आफ पार्लियामेंट बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन वहां मेरी बात किसी ने नहीं मानी। तो वही लोमड़ी वाली इस बात में भी दिखाई दे रही है कि जब पार्लियामेंट के मेम्बर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एम० एल० ए० के लिए नहीं है, मिनिस्टर के लिए नहीं है और प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर हम किस तरीके से कह सकते हैं कि किसी गुरुद्वारे का अध्यक्ष बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन रखी जाय। चूंकि अपनी भी पूंछ कटी है तो उनकी भी पूंछ काट दी जाय। वही बात इस में भी मैं समझ रहा हूं। आपको तो बजाय उलटा चलने के जैसे-जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, कुछ क्वालिफिकेशन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसे कम करना चाहिए।

श्री जैल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामावतार शास्त्री कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, बड़े पुराने देशभक्त हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, मेरा यह ख्याल था कि वह अपनी पुरानी पालिसी पर डटे रहेंगे। इन्हीं के सी० पी० आई० के मेम्बर थे जिनको मैंने कोट किया है। इन्होंने कहा कि उनको कोट क्यों किया क्योंकि अब इनकी राय बदल गई है। बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, मैं सोच रहा था कि वह इसके हक में बोलेंगे, इसके पक्ष में बोलने के लिए वह इतना टाइम ले रहे हैं, मगर आखिर में इन्होंने कह दिया कि मैं इसका विरोध करता हू। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तो सोचा यह बात ऐसी हो गई कि।

दुनिया के चमन के रंगों बूने मुझे इस कदर धोखा दिया।
कि मैं ने शौके गुल बोसी में कांटों पर जबान रख दिया॥

दो दोस्त हमारे और बोले हैं हरिकेश बहादुरजी और शेजवलकरजी। उनका कहना यह है कि राजनैतिक फायदा उठाने के लिए कुछ हो रहा है और किसी पर्टीकुलर आदमी को प्रधान बनाना चाहते हैं इसलिए यह अमेंडमेंट आई है। अब 51 मेम्बर हैं गुरुद्वारे के, उन्हें पूरा अधिकार है, कोई खड़ा हो जाय, कोई भी उसके साथ इलेक्शन लड़े, एक आदमी के फायदे के लिए यह नहीं कर रहे हैं, उसूलन बात ऐसी है जो गलत थी जिसको इस तरफ बैठे हुए हमारे दोस्त गलत कहते थे। अगर मैं भूल नहीं करता तो हमारे बी० जे० पी० के आनरेबल मेम्बर ने एतराज उठाया कि अब क्यों पीछे जा रहे हो। सन् 1971 में जब श्री लाल के० आडवाणी राज्य सभा के मेम्बर थे तब उन्होंने क्या फर्माया था उसको डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी देख लेंगे तो पता चलेगा कि पार्टीज तो बदलती रही है लेकिन पार्टी सारी की सारी बदल जाए दस साल के बाद यह बात आज ही दिखाई दो। अपने नेताओं को बात का भी ये लोग ख्याल नहीं रखते। उस वक्त श्री आडवाणी ने कहा था।

"मैंने पूछताछ की और मुझे पता चला कि दिल्ली महानगर परिषद् की उस सभा में, जहां जनसंघ और कांग्रेस पार्टी दोनों का ही प्रतिनिधित्व है, इस बात पर मतैक्य था कि इस प्रकार का वर्गीकरण, इस प्रकार का अवरोध अथवा प्रतिबंध नहीं होना चाहिये, ऐसा करना किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक नहीं है जबकि हमारे यहां संसद् की सदस्यता अथवा विधानमंडल की सदस्यता के लिये यह न्यूनतम अर्हता नहीं है तो बोर्ड की अध्यक्षता के लिये इस प्रकार की अर्हता रखने की कोई तुक और युक्तिसंगतता नहीं है।"

मुझे ऐसा लगता है कि आपने यह बात मान ली है कि जो हम कहें उसका उल्टा ही आपको कहना है। कभी-कभी तो आपको हमारी बात से भी इत्तफाक करना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुरजी ने तो कुछ और भी कह दिया। खैर, उनकी पार्टी का तो कोई आदमी उस वक्त था नहीं इस हाउस में इसलिए उन्होंने जो कहा उसके लिए स्वतंत्र हैं। वे कहते हैं कि लालच दिया गया, मेम्बरों को प्लाट दिए गए लेकिन यह नहीं बताया कि किसने दिए ? वे कहते हैं कि एल जी ने दखल दिया और वोट लेनें के लिए प्लाट दिए गए। मैं समझता हूं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए यह तौहीन की बात होगी। मैं कहूंगा कि आप अपना दिल टटोलकर

[श्री जैल सिंह]

देखें और बतायें कि अगर आपको प्लाट दे दें तो क्या आप अपनी पार्टी को छोड़कर वोट दे देंगे ? (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : देकर क्यों नही देखते हैं ?

श्री जैल सिंह : स्वामी जी तो बहुत शरीफ आदमी है लेकिन पता नहीं क्यों उठकर खड़े हो गए ? आप तो दूरन्देश हैं। वे कह गए तो कह गए वह बात मिट गई, मैं और कुछ नहीं कहता। सिर्फ एक बात कहता हूं कि इस आशय से हम यह अमेन्डमेंट लाए हैं कि वह बात गलत थी और उससे डिमोक्रैटिक आधार पर इसको नहीं रखा जा सकता था। अब आगे कौन प्रधान बनता है, कौन नहीं बनता है, उसके लिए तो ऐक्ट के मुताबिक जो लोग भी चुने जायेंगे उन्हीं को अधिकार होगा वोट देने का। मैं आपके द्वारा इस हाउस से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बिल को यूनानिमस पास कर दे क्योंकि इस पर वोटिंग करते अच्छा नहीं लगेगा।

श्री हरिकेश बहादुर : गुरु द्वारा प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं :

'कि वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिये और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से बोर्डों की स्थापना के लिये, ऐसे बोर्डों को, उनसे संबंधित शक्तियां और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :

अधिनियम सूत्र

1. पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 4 में, "इकतीसवें" शब्द के स्थान पर "गत्तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 9 में "1980" अंक के स्थान पर "1981" अंक प्रतिस्थापित किया जाये।"

महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि गत सत्र में 23 दिसंबर, 1980 को इस गरिमायुक्त सभा ने वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) विधेयक, 1980 सर्वसम्मति से पारित किया था। ये केवल औपचारिक संशोधन हैं जो राज्य सभा द्वारा किये गये हैं क्योंकि राज्य सभा ने यह विधेयक इस सत्र में पारित किया है और वर्ष बदल गया है। अत: कतिपय औपचारिक संशोधन आवश्यक हो गये थे। अत: मैं इस गरिमायुक्त सभा में पुन: उपस्थित हुआ हूं। इस अवस्था में मुझे कुछ और नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण और उपशमन के लिये और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से बोर्डों की स्थापना करने के लिये, ऐसे बोर्डों को, उनसे संबंधित शक्तियां और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिये और उनसे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :—

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 4 में, "इकतीसवें" शब्द के स्थान पर "बत्तीसवें" शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाये।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 9 में "1980" अंक के स्थान पर "1981" अंक **प्रतिस्थापित** किया जाये।"

डा० सुब्रह्मणयम स्वामी !

डा० सुब्रह्मणयम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, चूंकि यह एक औपचारिक संशोधन है इसलिये मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहूंगा। परन्तु मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि लोकसभा द्वारा यह विधेयक पारित किये जाने के बाद सरकारी क्षेत्र के संगठनों द्वारा वायु प्रदूषण की अपेक्षाओं का उल्लंघन किये जाने की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। यह बात मेरे ध्यान में आई है कि चेम्बूर—जिसके बारे में इस सभा में सरकार ने प्रश्नों के उत्तर में माना है कि—भारत का सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र है और जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है—उर्वरक संयंत्र, अर्थात् राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स इस समय···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह असंगत है। कृपया ठीक विषय पर बोलिए।

डा० सुब्रह्मणयम स्वामी : मैं प्रदूषण के बारे में बोल रहा हूं। यदि आप कभी मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में आये तो देखेंगे कि राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स वातावरण में गंधक छोड़ रहा है और जब मानसून आती है तो बादलों के कारण यह सारा घरों में आ जाता है और चेम्बूर में बम्बई के अन्य भागों की अपेक्षा रोग का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, ऐसा राष्ट्रीय केमिकल्स एन्ड फर्टीलाइजर्स के कारण है। जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि राष्ट्रीय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स अपना विस्तार कर रहा है। यद्यपि बम्बई नगर निगम ने इसे विस्तार की अनुमति नहीं दी है। महोदय आप जानते हैं कि आप नगर निगम की अनुमति के बिना उस क्षेत्र के स्थल का विस्तार नहीं कर सकते, निर्माण कार्यक्रम आरंभ नहीं कर सकते।

[डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी]

बम्बई में नगर निगम ने राष्ट्रीय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स को विस्तार की अनुमति नहीं दी है फिर भी यह अपना विस्तार कर रहा है और जब मैंने वहां प्रवन्धकों से यह प्रश्न पूछा, और जब मैंने वहां प्रबन्ध के मामले में यह प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा "नगर निगम संकल्पों को पारित करता जा रहा है ; उनका आशय किसी अन्य बात से नहीं है।" यदि इस विधेयक के लिये, जो एक अधिनियम बन जायेगा, सरकारी क्षेत्र के संगठन यह महत्व देते हैं तो वायु प्रदूषण नियंत्रण का क्या प्रयोजन है ? इसका आशय केवल यह है कि सरकार सत्यनिष्ठ नहीं है।

मैं यह कहकर भाषण समाप्त करता हूँ कि मुझे इसकी बहुत खुशी है कि श्री दिग्विजय सिंह जो गलत दल अर्थात् कांग्रेस (इ०) से संबंधित हैं..... ....

श्री भीष्म नारायण सिंह : ठीक दल के हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपका दल दक्षिण मार्गी पार्टी है।

उन्होंने वायु प्रदूषण के मामले पर विचार करने के लिये संसदविज्ञों के एक ग्रुप का गठन किया है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वह इस ग्रुप पर अधिक ध्यान दें और क्योंकि वह संसदीय कार्य मंत्री हैं, इसलिये वह एक कमरा तथा कुछ स्टेनोग्राफर उपलब्ध कराने जैसी सुविधायें दें ताकि हम अधिक विस्तृत रूप से इस समस्या का अध्ययन कर सकें और ठोस विचारों सहित इस संसद में आयें।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : महोदय, जैसा कि शायद आप जानते हैं मुझे इस वायु प्रदूषण निवारण विधेयक संबंधी प्रवर समिति के सभापति होने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। उस हैसियत से हमने इस समस्या की घोर तात्कालिकता और पर्यावरण में दृष्टिगोचर खराव स्थिति के कारण तीन महीने के रिकार्ड समय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जो प्रायः नहीं किया जाता है।

दुर्भाग्यवश जिस दिन यह विधेयक पारित किया गया था मैं इस सदन में नहीं था। अतः मैं इस अवसर पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिये, इस विधेयक की ओर अथवा राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों की ओर नहीं, पांच मिनट का समय लेता हूँ, अपितु इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस विधेयक पर विशेष सिफारिशों के साथ-साथ अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए हमने वहुत सी समान्य सिफारिशें की थी और यहाँ पर हमने कहा था :

"समिति महसूस करती है कि पूरी तरह से वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिये इस विधेयक के प्रस्तावित प्रावधान अपर्याप्त हैं। समिति महसूस करती है कि व्यापक परिवर्तनों का सुझाव देना वर्तमान विधेयक की परिधि से परे जाना है। लेकिन विषय-वस्तु के महत्व और तात्कालिकता पर विचार करते हुए तथा हमारे नागरिकों के व्यापक कल्याण

को देखते हुए समिति ने वर्तमान विधान के बारे में विशेष सुझावों के अतिरिक्त सरकार के विचारार्थ सामान्य सिफारिशें करने का निर्णय किया है।"

इन सामान्य सिफारिशों के अत्यन्त दूरगामी परिणाम निकलेंगे। इनमें पर्यावरण शिक्षा, वायु प्रदूषण प्रयोगशालाओं का विकास, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, जो 1974 में पारित किया गया था, लेकिन जो अभी तक पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है, के कार्यान्वयन में हुई समस्यायें, शोर प्रदूषण की समस्या, जो नई है और जो प्रौद्योगिकी रूप से हमारे देश के समाज में विकसित हो रही है, अधिकाधिक अनुपात में हो रही है, प्रदूषण की विभिन्न किस्मों को शामिल करने के लिये एक व्यापक विधान के लिये आवश्यकता और धूम्रपान निषेध विधान के कार्यान्वयन जैसी बातें शामिल हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या आप उन व्यक्तियों में से एक हैं जिनका निकोटीन सुन्दरी से प्रेम है अथवा नहीं है। धूम्रपान निषेध का यह विधान एक तमाशा बन गया है। मुझे खुशी है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री मेरे सामने बैठे हुए हैं। जब हमने धूम्रपान निषेध के इस विधान को पारित किया था तो हमने यह अनिवार्य बना दिया था कि सिगरेट कम्पनियों को एक चेतावनी देनी चाहिये, इसके पीछे यह विचार किया जा रहा है कि यह प्रभावी होगा लेकिन यह एक ढोंग बन गया है। चेतावनी इस तरीके से दी गई है कि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ नहीं सकता है। अत्यधिक चमकदार और मोहक फिल्में बनाई जाती हैं, वितरित की जाती हैं और हमारे थियेटरों में प्रदर्शित की जाती हैं जिनमें धूम्रपान के कल्पित गुणों की प्रशंसा की जाती है और यह स्वास्थ्य के लिये प्रमुख खतरा बन रहा है। समिति ने सरकार का ध्यान इस मामले की ओर तथा ताज के निकट मथुरा तेलशोधक कारखाने की समस्या की ओर तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की शक्तियों और अन्ततः इन्द्रप्रस्थ तापीय बिजलीघर की ओर दिलाया है जो इस देश क लिये एक स्थायी कलंक है। जिस तरीके से यह दिन प्रतिदिन काला धुआं छोड़ रहा है वह विश्व के अत्यन्त सुन्दर राजधानी नगरों के लिये कलंक है।

अतः जहाँ मैं इस विधान का स्वागत करता हूँ, वहाँ मैं सरकार से इन दो मामलों पर स्पष्ट आश्वासन मांगना चाहता हूँ : (1) इस विधेयक को पारित करने के बाद सरकार इसके उपबन्धों को लागू करने में कोई समय नहीं गंवायेगी क्योंकि मैं पिछले अनुभव से जानता हूँ कि एक विधेयक के पारित होने और इसके कार्यान्वयन के बीच प्रायः बहुत अन्तर होता है और पर्यावरण की खराब स्थिति इतनी तेजी से और इतनी स्पष्ट प्रकट हो रही है कि हम समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। (2) मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वह इस सदन को स्पष्ट रूप से आश्वासन दें कि सरकार संयुक्त समिति द्वारा की गई सामान्य सिफारिशों पर विचार करने में लगी हुई है और वह इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व इन पर उचित कार्यवाही करेगी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : यहाँ पर प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गाँधी सभी प्रकार के प्रदूषण को साफ कर रही हैं और उन्होंने राजनीति में प्रदूषण पर आक्रमण

[श्री एम० रामगोपाल रेड्डी]

शुरु कर दिया था। जो उन्होंने हटा दिया था। अब वह उद्योगों के प्रदूषण को हल कर रही हैं।... ... ...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या श्री विद्या चरण शुक्ल एक प्रदूषक हैं ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जी नहीं, वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। एक बार मैंने उन्हें एक महान जनरल के पुत्र के रूप में संबोधित किया था और वह एक स्वाधीनता सेनानी हैं। किसी व्यक्ति का इस प्रकार महत्व न घटायें। वह आपके दल अथवा हमारे दल में किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत बड़े हैं। आप इस प्रकार की बातचीत क्यों करते हैं ?... ...

एक माननीय सदस्य : अच्छा सम्मान दिया गया है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : सम्मान क्यों, वह एक कुलीन पुरुष हैं।

जुअरी एग्रो केमिकल्स, गोवा में इस प्रदूषण का पहले पता चला था और श्रीमती गाँधी ने कड़े कदम उठाये थे और कारखाने को प्रबन्धकों को परामर्श दिया था कि वह औद्योगिक मल निस्राव के उपचार के लिये आधुनिक मशीनरी की स्थापना शीघ्र करें। यह आठ महीनों में किया गया था। इसलिये हम इस देश के औद्योगीकरण को रोक नहीं सकते हैं चाहे यह बम्बई हो अथवा कोई अन्य स्थान हो लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिये हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इन आधुनिक नवीनतम मशीनों, जो हम जापान और अन्य स्थानों से खरीदते हैं, की स्थापना वहाँ पर हो। हम इस विस्तार को नहीं रोक सकते हैं। यही कारण है कि हमें विस्तार के लिये जाना पड़ा है। यदि नगर निगम चाहे तो उन्हें कारखाने से गारंटी लेनी चाहिये ताकि बम्बई में वायु और पानी प्रदूषित न हो सकें उनका संबंध केवल यहाँ तक ही होना चाहिये लेकिन मेरे मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी इस चर्चा में अनावश्यक बातों को ला रहे हैं। विस्तार होता रहना चाहिये लेकिन सभी प्रकार की सावधानी बरती जानी चाहिये जैसा कि गोवा में एग्रो-केमिकल्स इंडस्ट्री द्वारा सावधानियां बरती गई थीं इसी प्रकार इस कारखाने के लिये भी सावधानियाँ ली जानी चाहियें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : उपाध्यक्ष महोदय.....

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आपने अपना नाम नहीं दिया है।

एक माननीय सदस्य : उनकी इस विषय में कुछ विशेष रुचि है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं उन्हें इस एक विशेष मामले के रूप में केवल दो मिनट की अनुमति देता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : अपना नाम न देने और प्रक्रिया का पालन न करने

के लिये मैं क्षमा माँगता हूँ। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते, जो इस अधिनियम के बनाने के दौरान भी अत्यन्त गहराई से सम्बद्ध रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं कुछ योगदान दे सकूंगा और इसलिये मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिये खड़ा हुआ।

हम सभी जानते हैं कि राज्य बोर्ड, जो इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये कार्यान्वयन प्राधिकारी हैं, जल प्रदूषण के वर्तमान राज्य बोर्ड ही हैं। पृथक राज्य बोर्डों का गठन करने के लिये कोई योजना निर्धारित नहीं की गई है। इस सदन में वाद-विवाद को सुनने से हमें पता चलता है कि जल प्रदूषण के वर्तमान राज्य बोर्ड प्रभावी नहीं हैं। कुछ राज्यों, हो सकता है, वह मेरा अपना राज्य अथवा कुछ अन्य राज्य हों, को छोड़कर वे अत्यधिक प्रभावी नहीं हैं। राज्य जल प्रदूषण अधिनियमों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये वर्तमान जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निराशाजनक रूप से उदासीन हैं। अब हम वायु प्रदूषण के मामले को लेते हैं और यदि यही राज्य बोर्ड इस प्रकार से निरुत्साह तरीके से कार्य करते हैं तो श्रीमान् मेरे विचार से इन दोनों अधिनियमों (जल प्रदूषण अधिनियम जो पहले पारित किया गया था और वायु प्रदूषण अधिनियम गत वर्ष पारित किया गयां था) का पूरा प्रयोजन हो व्यर्थ हो जायेगा। यह एक मुद्दा है जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ और वह यह है कि स्पष्टतः जागरूकता की भावना की बड़ी आवश्यकता है।

मैं इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से अपील करूंगा। क्या वे जानते हैं कि उनके राज्यों में ये बोर्ड किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व करने और ये बोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, कहने आदि का कोई लाभ नहीं है। इसलिये मुख्य मुद्दा यह है कि वे प्रभावशाली ढंग से कार्य करें इसके लिये हम क्या करते है? इसे किस प्रकार से किया जाय? मेरे विचार से यह एक ऐसा अवसर है जब मैं इस सदन के अपने सहयोगियों से यह कह सकता हूँ। इसके अतिरिक्त, अभी तक नियम नहीं बनाए गए हैं। हमें यह आशा करनी चाहिए कि अधिनियम के बना दिये जाने पर, नियम शीघ्र ही बनाए जायेंगे, क्योंकि उनके बिना वह किस प्रकार लागू किया जायेगा। नियमों के निर्माण में प्रशासन की सुस्ती के कारण इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम को स्थगित नहीं किया जाना चाहिये अथवा उसमें विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

श्रीमान्, विकसित देशों में (विशेषकर औद्योगिकृत देशों में एक विचारधारा तेजी से विकसित हों रही है। यदि सरकार किन्हीं अच्छे उद्देश्यों से, वायु और जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिये प्रदूषकों को नियंत्रित और विनियमित करना चाहती है चाहे इससे उद्योग प्रभावित होता हो, या नगरपालिका—और यदि, उस प्रक्रिया के द्वारा अर्थात् कारखाना मालिको द्वारा प्रदूषण को रोकने या उसे समाप्त करने के लिए किये गए विभिन्न उपायों से उद्योग की उत्पादन लागत बढ़ती है, तो ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन के रूप में आर्थिक सहायता दो जानी चाहिए

[श्री दिग्विजय सिंह]

जिससे वे जल और वायु दोनों के सम्बन्ध में अधिनियमों के उपबन्धों को लागू करे। अन्यथा या तो वे नियमों को धोखा देंगे और उनके उल्लंघन करने पर प्रलोभन देंगे जिससे भ्रष्टाचार का एक और तरीका पनपेगा। इसलिए, मेरे विचार से हमारे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करने वाले सामान का उत्पादन करने वाले विभिन्न उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करने के लिए यह एक अच्छा समय है ताकि उन्हें ऐसे उपाय करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि वायु तथा जल के मामले में कानून को लागू करने के लिए, हाल ही में गठित विभाग तथा पर्यावरण विभाग, जिसका गठन गत नवम्बर में किया गया है, एक उचित और अच्छा प्राधिकरण होगा। हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि केन्द्रीय जल और वायु प्रदूषण विभाग, जो अब निर्माण और आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के अधीन है, पर्यावरण के लिए बनाए गए नए विभाग को सौंप दिया जाएगा। इस विषय पर कार्यवाही करने के लिए यह एक बहुत ही सही विभाग होगा और जितनी जल्दी इस विषय को उसे सौंपा जाएगा उतनी जल्दी वह विभाग इस समस्या को अपनी पकड़ में ले सकेगा। जब तक इसके प्रति लोगों को बेहतर ढंग से जागरूक नहीं किया जाता, वायु और जल के बारे में इन दोनों क्षेत्र में बनाए गए किसी भी अन्य कानून से आप इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमें आशा करनी चाहिए कि सरकार लोगों में जागरूकता उत्पन्न करेगी, ऐसा स्वैच्छिक निकायों के माध्यम से किया जा सकता है और लोगों के उत्तरदायी प्रतिनिधि होने के नाते हम जो कुछ भी कर सकेंगे, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए करेंगे।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, डा० कर्णसिंह, श्री रामगोपाल रेड्डी और श्री दिग्विजय सिंह का, इस विधेयक पर उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए बहुत आभारी हूँ। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस औपचारिक संशोधन के लिए माननीय सदस्य इतनी रुचि लेंगे। मुझे यह कहते हुए खुशी हुई है कि सरकार परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। डा० कर्णसिंह ने ताजमहल के बारे में कुछ मुद्दे उठाए हैं। इस मुद्दे पर मुझे भी कुछ सूचना प्राप्त हुई हैं जो मैं इस महान सदन के ध्यान में लाऊँगा। जहाँ तक दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ ताप बिजली घर का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहूँगा कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चिमनियों में स्थिर विद्युत अवक्षेपण (प्रेसिपिटेटर्स) लगाकर इस ताप बिजली घर द्वारा उत्पन्न किये जा रहे प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की व्यवस्था की जा रही है। जबकि यूनिट-I में अवक्षेपण स्थापित किए जा चुके हैं, तीन अन्य यूनिटों में अवक्षेपण लगाने का कार्य 1981-82 के दौरान पूरा हो जाएगा और इससे प्रदूषण की समस्या काफी कम हो जाएगी।

जहां तक ताजमहल का सम्बंध है, मथुरा तेल शोधक कारखाने से होने वाले वायु प्रदूषण के सम्भावित प्रभावों से ताजमहल को होने वाले खतरों की बात की गई, इस मामले की जांच डा० वरदाराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई है। आगरा मथुरा क्षेत्र में प्रदूषण में कमी से सम्बंधित सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा ताजमहल को और क्षति पहुंचने से रोकने के लिए बाद में मंत्रिमण्डल में भी विज्ञान और प्रौद्योगिका विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था।

जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति इस समिति को परामर्श दे रही है। रेलवे ने पहले ही आगरा-मथुरा क्षेत्र में डीजल के इंजन लगा दिए हैं। वायु नियंत्रण केन्द्र भी फराह, कीतन लेक, सिकन्दरा और भरतपुर वन्य जीव शरण्य स्थल में लगाए गए हैं। विशेषज्ञ समिति ने उन क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारखाने स्थापित नहीं किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से दो ताप बिजली घरों को मार्च, 1981 तक बन्द कर देने का अनुरोध किया गया है। आगरा में ढलाई के कारखानों द्वारा ईंधन बदलने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है। इस प्रकार ताजमहल को और क्षति न हो इसके लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

डा० कर्ण सिंह : क़दम बहुत ही शीघ्र उठाने होंगे, क्योंकि ताजमहल हमारा महान स्मारक है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : हम सभी ध्वनि प्रदूषण की समस्या से चिन्तित हैं और···

एक माननीय सदस्य : सिगरेट के बारे में क्या विचार है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं धूम्रपान नहीं करता·····

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री शंकरानंद यहाँ हैं, वे सदैव धूम्रपान करते रहते हैं····· (व्यवधान)

श्री भीष्म नारायण सिंह : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने चैम्बूर के बारे में कहा है, परन्तु इसी समय मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूँगा, चाहे गैर-सरकारी क्षेत्र है अथवा सरकारी क्षेत्र, किसी को भी कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूँ कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन स्वीकार कर लिए जांए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिये और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से बोर्डों की स्थापना के लिये, ऐसे बोर्डों को, उनसे संबंधित शक्तियाँ और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करनें के लिये और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 9 में "इकत्तीसवें" शब्द के स्थान पर "बत्तीसवें" शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाये।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 14 में "1980" अंक के स्थान पर "1981" अंक **प्रतिस्थापित** किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे।

अधिनियमन सूत्र

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 1 पर पंक्ति 9 में "इकत्तीसवें" शब्द के स्थान पर "बत्तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 14 में "1980" अंक के स्थान पर '1981" अंक प्रतिस्थापित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन स्वीकृ किये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विषय संख्या 13 पर आते हैं । वाणिज्य मंत्रालय के नियन्त्रण धीन अनुदान की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान्, इसमें एक अनियमितता है—सदन को यथा संशोधित विधेयक स्वीकृत करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पहले ही स्वीकृत था ; केवल राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार किया जाना है और वह स्वीकृत कर दिए गए हैं ।

अनुदानों की मांग—1981-82
वाणिज्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में अब वाणिज्य मंत्रालय से सम्बद्ध मांग संख्या 11 से 13, जिसके लिए 6 घन्टे का समय आवंटित किया गया है, पर चर्चा और मतदान किया जायेगा ।

माननीय सदस्य, जिनके कटौती प्रस्ताव अनुदानों की मांगों के लिए परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर अपनी पर्चियां जिसमें वे जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें उसका क्रम संख्या बताते हुए सभा पटल पर भेज दें । केवल कटौती प्रस्ताव ही प्रस्तुत किए गए माने जायगें ।

जिन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना गया है उनकी सूची नोटिस बोर्ड पर शीघ्र ही लगादी जाएगी । यदि किसी सदस्य को सूची में कोई त्रुटि नजर आए, तो वे उसे कृपया सभा पटल अधिकारी के ध्यान में लादें ।

श्री सुबोध सेन (जलपाईगुडी) : मैंने वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को परिचालित किए

गये प्रतिवेदन को पढ़ा है और मैंने अनार्थिक सर्वेक्षण के वाणिज्य से सम्बन्ध अंशो को भी पढ़ा है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रकट हुई हैं। हमारी स्थिति भारतीय समाज के ढांचे के समान है। निर्धन माता गांव में रहती है। उसका पुत्र शहर को चला जाता है। वह धन कमाता है और धन भेजकर मां का पालन करता है। यदि लड़के की नौकरी चली जाये तो बूढ़ी माँ का क्या होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में निर्यातों के संबंध में दिये गये आँकड़े से आपको पता चलेगा कि 1979-80 वर्ष में कुल 6428 करोड़ रु० 1 मूल्य के निर्यात हुए जोकि 1978-79 वर्ष के 5726 करोड़ के आंकड़ों की तुलना में 12 प्रतिशत वृद्धि है। मूल्य वृद्धि का समायोजन करने के बाद निर्यातों की मात्रा में कमी आ गई। इस प्रकार 1980-81 में इस दिशा में निष्पादन धीमा हो रहा और मूल्य दृष्टि से 10 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है जो मात्रा की दृष्टि से गिरावट है? यह सब आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है। अतः वास्तव में हमारे लिये वाणिज्य निर्यात के क्षेत्र में भविष्य अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। जहाँ तक वर्ष 1980-81 में आयात की स्थिति है इसमें कहा गया है :

> "आयात व्यय के लगभग 11,300 करोड़ रु० होने की संभावना हैं। 4,000 करोड़ रु० से अधिक का व्यापार घाटा होने की संभावना है। निवल अदृष्य पर अधिशेष के प्रायः पिछले वर्ष के स्तर पर रहने के कारण वर्तमान घाटा 2,000 करोड़ से अधिक होने की संभावना है।"

महोदय, हम साम्राज्यवादी देश नहीं है, हम पुराने समय के ब्रिटिश लोग भी नहीं हैं जबकि वे 'कूपन क्लिपिंग' पर रह सकते थे, सब प्रकार की अदृष्य राशियाँ ब्रिटेन को प्रेशित की जाती थीं, जो कि गृह प्रभार, भारत के ऋण आदि नाम से जानी जाती थीं। विदेशों में काम कर रहे भारतीय विशेषरूप से खाड़ी के देशों में, एक निश्चित धनराशि कमा रहे हैं और यदि विधवा के पुत्र, यदि इन लड़कों की, इन भारतीय नागरिकों की नौकरियाँ छिनगईं तो क्या होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आर्थिक सर्वेक्षण में चेतावनी दी गई है। मैं उद्धरण देता हूं : "वर्ष 1981-82 के लिये सम्भावनाएँ" उप-शीर्षक के अन्तर्गत इसमें कहा गया है :

> "इसके परिणामस्वरूप व्यापार की दृष्टि से गिरावट का अर्थ है इस समय के मूल्यों पर अधिक व्यापार घाटा। दूसरी ओर विश्व माँग परिस्थितियाँ एवं संरक्षणवाद की मांग में वृद्धि के कारण सम्भावित मन्दे के कारण निर्यात की मात्रा में कमी होगी। आने वाले वर्षों में अदृष्य राशियों के निवल अधिशेष में महत्वपूर्ण वृद्धि की आशा लनाना भी उचित नहीं होगा। विदेशों से धनराशियों के प्रत्यावर्तन में वृद्धि 1978-79 में ही बराबर हो चुकी है और खाड़ी के देशों द्वारा अधिक श्रम रूपी पाने की क्षमता के बारे में पर्याप्त अनिश्चित स्थिति को देखते हुए इस शीर्ष के अन्तर्गत निरन्तर वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती। आरक्षणों से ब्याज की आय में भी भविष्य में कमी होगी। यह बातें इसका

[श्री सुबोध सेन]

संकेत देती हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में बाह्य अदायगियों के सम्बन्ध में निरन्तर दिक्कतें रहेंगी।"

मुझे प्रसन्नता है कि यह चेतावनी दी गई है।

परन्तु, महोदय, एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वह यह है कि आज के युग की चार विशेषताएँ हैं - विश्वभर में मन्दे की प्रवृति, मुद्रास्फीति-दबाव, विकसित देशों द्वारा अपनाया गया संरक्षणवाद, जो एक प्रकार से टैरिफ युद्ध चला रहे हैं और अवरुद्धता। इन चारों विशेषताओं को एक साथ देखने पर पता चलेगा कि आर्थिक संकट गहरा हो रहा है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह राजनैतिक क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पूर्व ब्रिटेन की प्रधानमन्त्री श्रीमती थैचर ने इस बात पर बल दिया कि उत्तरी अटलांटिक सन्धि संगठन को अपने सदस्यों की ओर ही नहीं, अपितु इसे दूसरों के हितों को बचाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

इसका क्या अर्थ हैं ? इसका यह अर्थ है कि आपातकाल के दौरान, नाटो को मध्यपूर्व में ब्रिटिश हितों को देखने को कहा जायेगा। हमने आज के समाचारपत्रों में भी देखा हैं कि अमरीका पाकिस्तान को अस्त्र-शस्त्र देने की कोशिश कर रहा है। इसके प्रमुख कारण क्या हैं। वे ये हैं :— सोवियत राज्य के निकट अड्डा प्राप्त करना, अफगानिस्तान के निकट अड्डा प्राप्त करना और तेल निर्यातक देशों से अमरीका के मार्ग को स्वतन्त्र एवं बाधा रहित बनाए रखना।

अतः हम ऐसे समय में से गुजर रहे हैं जिसमें किसी भी समय कुछ भी घटित हो सकता है। जब हम अपनी निर्यात नीति तैयार करने हैं तो हमें इन बातों पर ध्यान रखना चाहिये। वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

जहां तक हमारे व्यापार का संबंध है मैं "आर्थिक सर्वेक्षण" के अध्याय 6.10 (पृष्ठ 127) की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारे निर्यात की मुख्य वस्तुएं क्या हैं ? "मुख्य जिन्सों के 1979 के विश्व निर्यात में भारत का अंश" शीर्षक वाले चार्ट में यह कहा गया है : चाय—23.8 प्रतिशत ; मसाले 20.0 प्रतिशत ; चमड़ा 10.1 प्रतिशत ; सूती कपड़ा बुना हुआ 5.1 प्रतिशत ; लौह अयस्क 5.1 प्रतिशत और चावल 5.7 प्रतिशत ; अन्य सभी वस्तुएँ 5 प्रतिशत से कम हैं। इंजीनियरिंग वस्तुओं की स्थित क्या है ? विद्युत से भिन्न अन्य मशीनरी 0.1 प्रतिशत और विद्युत् मशीनरी एंव उपकरण 0.1 प्रतिशत। इस प्रकार आजादी के 33 वर्षों के बाद भी हम प्राथमिक वस्तुओं के ही निर्यातक हैं। हम अभी भी खाद्यान्नों तथा चमड़े, खाल आदि प्राथमिक वस्तुओं के ही निर्यातक हैं।

हमने वास्तव में इन्जीनियरिंग उद्योग में प्रवेश किया है, मेटालर्जिकल उद्योग में प्रवेश किया है और भारी विद्युत उद्योग में भी प्रवेश किया है। यह सब सच है। परन्तु आज के संदर्भ में आज हमारी स्थिति क्या है ? विद्युत् मे भिन्न अन्य मशीनरी के क्षेत्र में केवल 0.1 प्रतिशत का हम निर्यात करते हैं और विद्युत् उपकरणों के 0.1 प्रतिशत का निर्यात् करते हैं। इस प्रकार आधार-

रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, जैसा साम्राज्यवाद के समय में था। इस बात को ध्यान से नहीं निकाला जाना चाहिये।

जहाँ तक भारत के व्यापार की दिशा का संबंध है यह सच है कि हम अब पूरी तरह से ग्रेट ब्रिटेन एवं अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं करते। यह सच है : परन्तु आर्थिक सर्वेक्षण में पृष्ठ 125 पर दिये गये चार्ट संख्या 6.9 में देशों का वर्गीकरण अभी भी किन्हीं शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है, अर्थात् "अमरीका, कनाडा, यूरोपीय साझा बाजार देश" आदि। यह देखा जा सकता है कि ई० एस० सी० ए० पी० तथा अन्य देशों को छोड़ कर हम शेष अन्य सभी देशों साथ व्यापार घाटे की ओर चल रहे हैं। यह अच्छी स्थिति नहीं है।

जहाँ तक मूल्यों का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि मुद्रास्फीति का दबाव सारे विश्व पर है। परन्तु हम जो सामान निर्यात करते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलता है। हम अधिक मूल्यों पर खरीदारी करते हैं। परन्तु हमें अपने निर्यात की वस्तुओं का उतना पैसा नहीं मिलता जितना मुद्रास्फीति के बाजार में मिलना चाहिए। इस तरीके से भी लूट जारी है।

जब मैं मूल्यों की बात कर रहा हूं तो चाय की बात भी करूँगा। हम चाय का उत्पादन करते हैं और उसका निर्यात करते हैं, परन्तु विदेशी कम्पनियों तथा उनकी भारतीय उपकम्पनियों का अब भी उस पर नियन्त्रण है। हम देखते हैं कि एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है जब उत्पादकोंशे, विशेषरूप से छोटे और मध्यम उत्पादकों को उचित कीमत नहीं मिलती। उपभोक्ताओं को सस्ते भाव पर चाय नहीं मिलती। परन्तु ब्रुक बांड तथा लिप्टन जैसे व्यापारी पैसा बना रहे हैं।

जब नीलामी में इसे बेचा जाता है तो इसे 11-12 रु० प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जाता है, परन्तु जब इसे खुदरा बजार में बेचा जाता है तो इसे 20-22 रु० प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जाता है, क्योंकि ब्रुक बांड और लिप्टन तथा अन्य बड़े व्यापारियों द्वारा बीच में लाभ कमाया जा रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में चाय की खरीदार वालों में से 10 ऊपर वालों में से ये हैं। 10 ऊपर वालों द्वारा खरीदी गई चाय का 40 प्रतिशत भाग खरीदने वाले ये हैं। यदि वे नीलामी में हिस्सा न लें तो नीलामी असफल रहतीं है। अगले दिन बैंक छोटे उत्पादकों पर दबाव डालने लगते हैं कि फसल को गिरवी रख कर लिया गया पैसा लौटाया जाये। इसके कारण उनको परेशानी में आकर बिक्री करनी पड़ती है। इस तरीके से छोटे एंव मध्यम उत्पादकों को नुकसान हो रहा है तथा उनका विनाश हो रहा है।

विदेशी चाय कम्पनियों के भारतीयकरण के समय 'फेरा' के अधीन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को जो दिशा दिखाई गई थी उससे वे दूर हठ गई हैं। श्री पी० आर० सेन गुप्ता जैसे

[श्री सुबोध सेन]

एक उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा लिखे गए लेख में से मैं उद्धरण देता हूं। वे चाय बोर्ड के सचिव हैं और उन्होंने इकनामिक एण्ड पौलिटीकल वीकली दिनांक 12 जुलाई, 1980 में उन्होंने ये लेख लिखा। यह उस पत्र में पहले छपे एक लेख के उत्तर में लिखा गया है। यह निम्नलिखित प्रकार से है :

"जहां तक चाय उद्योग का सम्बन्ध है, 'फेरा' के कार्यान्वयन की एक अन्य असंगति यह है कि इस प्रक्रिया में उत्तराधिकारी भारतीय कम्पनियों की शेयर पूंजी में मूल प्रदत्त पूंजी से बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। इसका कारण यह है कि (1) भूतपूर्व विदेशी कम्पनियों की अस्तियों के मूल्यांकन का बहुत बड़े भाग को पूंजी में बदला गया है; और (2) इस प्रकार पूंजी बनाई गई राशि को नई बनने वाली भारतीय कम्पनी की प्रदत्त पूंजी का 74 प्रतिशत हिस्सा माना गया है और शेयर 26 प्रतिशत को भारत के नए शेयर जारी करके पूरा किया गया है।"

उसमें आगे इस प्रकार कहा गया है :

"इसके परिणामस्वरूप, अधिकतर फैरा कम्पनियों का पूंजीगत आधार पहले की अपेक्षा बड़ा हो गया है जिससे वे पहले की अपेक्षा लाभांश के खाते में अधिक राशि का प्रत्यावर्तन कर सकती है जो फेरा के उद्देश्यों के विपरीत है।"

इससे पता चलता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नीलामी का लाभ किस प्रकार उठा रही हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने पूंजी ढांचे का विस्तार किया है और वे फेरा के अधीन दिखाई गई दिशा से किस प्रकार अलग हो रही हैं। हमारी सरकार ने इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों तथा इन भारतीय कम्पनियों को बांधने की कभी कोई कोशिश नहीं की है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस बात को देखें कि क्या चाय की 'बल्क' खरीद योजना जैसी युद्ध काल में ग्रेट ब्रिटेन के खाद्य मन्त्रालय द्वारा लागू की गयी थी, लागू की जा सकती है। उस समय चाय बागानों को कोटा दिया गया था और चाय के उक्त कोटे का उठान ग्रेट ब्रिटेन के मन्त्रालय द्वारा किया जाता था। ग्रेट ब्रिटेन को चाय की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये ऐसा किया गाया था।

अब मूल्य समर्थन देने के लिये यदि सरकार निर्बल वर्गों की सहायता के लिये आगे आती है और उनसे प्रतिवर्ष चाय की एक निश्चित मात्रा खरीदती है तो उन्हें विनाश से बचाया जा सकता है।

चाय के बारे में इतना कहना ही काफी है। जूट के बारे में मैं कहूंगा कि भारतीय जूट निगम जूट उत्पादकों को समर्थन मूल्य देने में पूर्णतया असफल रहा है। यह ऐसे हुआ कि उस

समय जब जूट बाजार में आया है तो भारतीय पटसन जूट निगम को बाजार में जाने में झिझक हुई। गैर सरकारी खरीददारों ने खासतौर पर बड़े मिल मालिकों के एजेंटों ने उस समय बेहतर किस्म की जूट खरीदी थी और घटिया किस्म की जूट बाजार में छोड़ दी थी। और जब मूल्यों में गिरावट आई तो उन्होंने यह जूट भारतीय पटसन निगम को दे दिया यदि भारतीय पटसन निगम कम से कम 50 प्रतिशत फसल की खरीद कर लेता है जिससे वे मिल मालिकों के लिये मूल्य तय करा सकें तभी जूट उत्पादकों को एक मूल्य का आश्वासन दिया जा सकता है। मैं यह भी कहूंगा कि जहां तक जूट उद्योग का सम्बन्ध है, वहां एक टास्क फोर्स कमेटी रही है मैं समझता हूं कि 1979 में जूट मजदूरों द्वारा 50 दिन तक हड़ताल की गई थी। एक समझौता हुआ थाऔर उसमें इस बात का प्रावधान था कि पश्चिम बंगाल में जूट मजदूरों पर काम के भार का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की जाय।

उस समिति का गठन किया जा चुका है और जब समिति अपनी रिपोर्ट को लगभग अंतिम रूप दे रही है। यह सुना गया है कि टास्कफोर्स समिति ने यह कहते हुए रिपोर्ट तैयार की है कि सारे मामले पर विचार किया जाना चाहिए। उस रिपोर्ट में उसने यह भी बताया है कि जूट मिलों को अपनी मशीनों का नवीनीकरण करना चाहिए और काम की गति बढ़ायी जानी चाहिए उससे मजदूरों का कार्यभार बढ़ेगा। वहां के सभी मजदूर संघों ने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि जूट उद्योग के कम से कम 20 प्रतिशत मजदूर अनिश्चित हो जाएँगे और इससे उनकी छँटनी होगी। यह सर्वाधिक अनुचित है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जाँच पूरी कर ली है और जब वह अपनी सिफारिश करने जा रही है तो मजदूरों के श्रम को बढ़ाने के तात्पर्य से ऊपर से एक केन्द्रीय सिफारिश की गई है। इससे व्यावहारिक तौर पर बड़े जूट मिल मालिकों को सहायता मिलेगी और वे तुरन्त मजदूरों की छंटनी करें गे। इस तरह से इससे जूट उद्योग में संकट पैदा हो जाएगा। उससे अव्यवस्था पैदा हो जाएगा, उससे दुखद प्रतिक्रिया होगी और मैं कहूंगा कि मजदूर इसका यथासंभव विरोध करेंगे और इससे जूट निर्यात को धक्का पहुंचेगा।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं कहूंगा कि मेरी समझ में सरकार को मजदूरों की रक्षा करने के लिए छोटे उत्पादकों की रक्षा करने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए जिससे उनको ज्यादा कष्ट न हो और बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ तथा जूट मिल मालिक हमारे उद्योग को अपने प्रभाव में न ले सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कटौती प्रस्तावों का पाठ

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"

निर्यात आयात व्यापार के राष्ट्रीयकरण में असफलता। (1)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

पश्चिमी बंगाल में रुग्ण चाय बागानों के राष्ट्रीयकरण में असफलता। (4)

"कि वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

पश्चिम बंगाल में उचित मूल्यों पर हथकरघा बुनकरों को सूत की सप्लाई करने में असफता। (13)

"कि वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

कारीगरों को उचित मूल्यों पर कच्चे माल की सप्लाई करने में असफलता। (14)

"कि वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बेलघोरिया स्थित मोहिनी मिल्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता। (15)

"कि वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

हथकरघा उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने में असफलता। (16)

"कि वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने में असफलता। (17)

कि वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (18)

"कि वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

भारतीय पटसन निगम के माध्यम से पटसन का खरीद मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता। (19)

"कि वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

पटसन मिलों द्वारा कच्चे पटसन की खरीद भारतीय पटसन निगम के माध्यम से ही करने की आवश्यकता। (20)

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

गुडूर (आंध्र प्रदेश) के माइका मजदूर संघ, जिसने आंध्र प्रदेश में कुल 3,000 मजदूरों में से 25,00 मजदूरों को सदस्य बनाया है, को मान्यता देने में 'मिटको' की असफलता। (21)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

वाणिज्य मंत्रालय की अभ्रक सलाहकार समिति में माइका मजदूर संघ (भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध) को प्रतिनिधित्व देने में असफलता। (22)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

आधे-आधे की हिस्सेदारी के आधार पर अभ्रक निर्यातकों के समानान्तर कार्यालय ब्रसल्स में खोलने की अनुमति देने में 'मिटको' की असफलता। (23)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

अभ्रक उद्योग के विकास के लिए वर्ष 1978 में बनाई गई अभ्रक तथा अन्वेषण समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलम्ब। (24)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

अभ्रक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वामीनाथन समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलम्ब। (25)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शार्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

कोडरमा में ग्लास बैंडेड माइका फैक्टरी और माइका पेपर फैक्टरी का निर्माण कार्य शुरू करने में असफलता। (26)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

निर्यातकों और अभ्रक मालिकों के डीलरों के बीच वितरण आदेशों को सुव्यवस्थित करने में अभ्रक व्यापार निगम की असफलता। (27)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

अधिक निर्यात के वायदों को पूरा करने के लिए अभ्रक खानों से उत्पादन बढ़ाने में मिटको की असफलता। (28)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

स्टेनलैस स्टील (शीटें और प्लेटें) बर्तनों के आयात और निर्यात में कम राशि के बीजक बनाने को रोकने और करोड़ों रुपये की राशि के निर्यात और आयात शुल्क की चोरी रोकने तथा शतप्रतिशत निर्यात और आयात अपने हाथ में लेकर धातु और खनिज व्यापार निगम की असफलता। (29)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

विभिन्न निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए निर्मित स्टेनलैस स्टील के बर्तनों के स्तर पर नियंत्रण रखने और उन्हें ओ० जी० एल० पर उनके निर्यात से 10 प्रतिशत अधिक निर्यात करने में असफलता। (30)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिये पटसन की उत्पादन लागत कम करके बताना । (32)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

पटसन उद्योग के सर्वांगीण विकास के लिए पटसन बोर्ड स्थापित करने में असफलता । (33)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

सस्ते नियंत्रित कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में असफलंता । (34)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

बिन्नी मिल्स तथा अन्य रुग्ण मिलों को सरकारी अधिकार में लेने में असफलता । (35)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण में असफलता । (36)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

पटसन कारखाने मालिकों द्वारा पटसन उत्पादकों के शोषण किये जाने को रोकने में असफलता । (37)

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

वस्त्र समिति में उपभोक्तओं के प्रतिनिधि नियुक्त करने की आवश्यकता । (3)

टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

भारत के व्यापार संतुलन को ठीक करने में असफलता । (38)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए निर्यातकों को बेहतर सुविधाएं देने में असफलता। (39)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

देश में अनेक रुग्ण वस्त्र मिलों को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाने में असफलता। (40)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

लौह अस्यक जैसे निर्यात किये जाने वाले खनिजों से अधिक लाभ कमाने के लिए परियोजनायें तैयार करने में असफलता। (41)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

हमारे विदेशी मुद्रा भन्डार में वृद्धि के लिए चाय, काफी, पटसन और रबड़ जैसी निर्यात योग्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ा ने के लिए प्रभावी उपाय करने में असफलता। (42)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रूपये कम किये जायें।"

कारीगरों की सहायता और व्यापार के विकास के लिए हस्तकला के समन्वित विकास में असफलता। (43)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किए जाएं।"

देश को अत्यधिक लाभ पहुंचाने के लिए विदेशी व्यापार में वृद्धि हेतु राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यकरण में सुधार में असफलता। (44)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

व्यापार मेला प्राधिकरण पर प्रशासन और कर्मचारियों के मामलों सम्बन्धी पूर्ण नियंत्रण रखने में असफलता। (45)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

तम्बाकू बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व करके उसके प्रशासन में सुधार करने और आन्तरिक तथा बाह्य प्रयोग के लिए उत्तम किस्म के तम्बाकू की पैदावार के लिए उपाय करने में असफलता। (46)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

हथकघा बुनकरों की कठिनाइयां दूर करने और उन्हें पूर्ण रोजगार देने में असफलता। (47)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

अनेक वस्त्र कारखानों की सहायता के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने में असफलता। (48)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

भारतीय पटसन निगम को हो रहे भारी घाटे से बचाने के लिए उपाय करने में असफलता। (49)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

रेशम वस्त्रों के मूल्यों पर नियन्त्रण न रखने के लिए रेशम बोर्ड के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता। (50)

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रबड़ का आयात रोकने और रबड़ उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने में असफलता। (51)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

हथकघा निर्मित सामानों और हथकघा बुनकरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए केरल राज्य को वित्तीय सहायता देने में असफलता। (52)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाने में असफलता। (53)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने में असफलता। (54)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

चाय बोर्ड के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाने में असफलता। (55)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

इलायची बोर्ड के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाने में असफलता। (56)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कच्चे काजू की एक राष्ट्रीय आयात नीति तैयार करके काजू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने में असफलता। (57)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कच्चे काजू का पूरा आयात सरकारी एजेंसी द्वारा करके काजू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने में असफलता। (58)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

भारत के लिए अनुकूल व्यापार संतुलन बनाने में असफलता। (59)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

निर्यात आयात व्यापार में असंतुलन रोकने में असफलता। (60)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने में असफलता। (61)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

विदेशों में समुद्री उत्पादों के नए बाजार ढूंढ़ने में असफलता। (62)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

उचित मूल्य पर कारीगरों को कच्चे माल देने में असफलता। (63)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

हथकर्घा उद्योग को संरक्षण प्रदान करने में असफलता। (64)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

देश के हर भाग में हथकरघा बुनकरों को सूत की सप्लाई करने में असफलता। (65)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

हथकर्घा सोसाइटियों को नकद सहायता देने में असफलता। (66)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

निर्यात और आयात व्यापार को सुव्यवस्थित बनाने में असफलता। (67)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

केरल में रुग्ण चाय बागानों को राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (68)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

नियंत्रित कपड़े का उत्पादन बढ़ाने में असफलता। (69)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (70)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

काफी बोर्ड के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाने में असफलता। (71)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रबड़ बोर्ड के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाने में असफलता। (72)

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रबड़ का आयात रोकने और विदेशी मुद्रा बचाने में असफलता। (73)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रबड़ उत्पादकों को अधिक आर्थिक सहायता देने और रबड़ उत्पादन बढ़ाने में असफलता। (74)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कोको उत्पादकों के निर्यात बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देने में असफलता। (75)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

नारियल तेल और खोपरा का आयात रोकने में असफलता। (76)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

रबड़ में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में असफलता। (77)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

कोको के बीजों का निर्यात करने में असफलता। (78)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

जायफल और लौंग का आयात रोकने में असफलता। (79)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

मिर्च उत्पादन और विपणन के संवर्धन हेतु मिर्च बोर्ड का गठन करने में असफलता। (80)

"कि विदेश व्यापार और और निर्यात उत्पादन शीर्षक अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

निर्यात के लिए उचित मूल्य पर अदरक और हल्दी खरीदने में राज्य व्यापार निगम की असफलता। (81)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

रबड धागे जो हमारे देश में पर्याप्त रूप से तैयार किए जाते हैं, का आयत रोकने में असफलता। (82)

श्री सुबोध सेन (जलपाई गुड़ी) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

देश में उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चाय की सप्लाई सुनिश्चित करने में असफलता। (83)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

चाय की नीलामी में मूल्यों के गिरने पर भी खुदरा बाजार में चाय के अधिक मूल्य में जाँच करने में असफलता। (84)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

छोटे और मध्यम दर्जे के चाय उत्पादकों को बहुराष्ट्रीय चाय व्यापार फर्मों से संरक्षण प्रदान करने में असफलता। (85)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कम से कम 50 प्रतिशत फसल को लाभकार मूल्य पर खरीद कर जूट उत्पादकों को जूट व्यापारियों और जूट कारखानों के मालिकों से बचाने में असफलता। (86)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता । (87)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

दार्जिलिंग जिले से कुनीन नमक के निर्यात व्यापार में कमी को रोकने में असफलता । (88)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में बन्द पड़े और रुग्ण चाय बागानों को हाथ में लेने के लिए तेजी से कदम उठाने में असफलता । (89)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

बहुराष्ट्रीय फर्मों और बड़े एकाधिकार गृहों के चाय बागानों का राष्ट्रीकरण करने में असफलता । (90)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

देश में बुनकरों की समस्याएं हल करने में असफलता । (98)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

सहायता देने के मामले में हथकरघा बुनकरों को प्राथमिकता देने में असफलता । (99)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

अभ्रक के छोटे व्यापारियों को अभ्रक का उचित मूल्य न मिलने के कारण अनेक छोटे अभ्रक एककों का बन्द हो जाना । (100)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

देश में रेशम उद्योग के संबर्द्धन में असफलता । (101)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों को अभ्रक के निर्यात में वृद्धि करने में असफलता । (102)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

अभ्रक व्यापार में संकट टालने में असफलता । (103)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने में असफलता । (104)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

फेन्सी कपड़े के स्थान पर मोटे कपड़े की नीति निर्धारित करने में असफलता । (105)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण में असफलता । (106)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

पटसन उद्योग के राष्ट्रयीकरण में असफलता । (107)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

सरकारी राज भाषा अधिनियम, के 1963 के उपबन्धों 1 अनुसार मंत्रालय 1 अधीन विभिन्न विभागों में हिन्दी के प्रयोग में असफलता । (108)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) को मंत्रालय द्वारा लागू करने में असफलता । (109)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

अधिक मूल्य के और कम मूल्य के बीजक बनाने संबंधी भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता । (110)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

घटिया भारतीय चीजों का निर्यात भारत के नाम पर धब्बा लगाना । (111)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

सम्पूर्ण आयात और निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण में असफलता । (112)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण में असफलता । (113)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

विदेशों में वाणिज्य मंत्रालयों के कार्यालयों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता । (114)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

रुग्ण कारखानों को सरकार के अधीन लेने के नाम पर उद्योगपतियों को मुआवजे में भारी राशियाँ देना । (115)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

बुनकरों द्वारा बुने कपड़े की खरीद में सरकार की असफलता । (116)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

बुनकरो को सस्ता सूती धागा देने में असफलता । (117)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

आम, लीची ओर केले का निर्यात बढ़ाने में असफलता । (118)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण में असफलता । (119)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

बुनकर को बैंकों से ऋण दिलाने में असफलता । (120)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जायें ।"

संकटग्रस्त बुनकरों को दिये गये ऋण माफ करने की आवश्यकता । (121)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

रबड़ उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने में असफलता । (122)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

तम्बाकू उत्पादक किसानों को लूट बन्द करने में असफलता । (123)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

चाय बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने में असफलता । (124)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

काफी बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने में असफलता । (125)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रबड़ का निर्यात बढ़ाने में असफलता। (126)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

विदेशी चाय कम्पनियों के मुनाफे को देश से बाहर ले जाने देने को रोकने में असफलता। (127)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

चाय के मूल्यों को बढ़ने से रोकने में असफलता। (128)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बुनकर सहकारी समितियों के नाम पर होने वाली लूट को बन्द करने में असफलता। (129)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

बुनकर सहकारी समितियों पर स्थिर स्वार्थ के लोगों के कब्जे को रोकने में असफलता। (130)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बुनकरों को आसान किस्तों पर ऋण दिलवाने में असफलता। (131)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

स्टेण्डर्ड क्लाथ और जनता क्लाथ के बंटवारे में होने वाली धांधली रोकने में असफलता। (132)

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्रालय की मांगों पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। वाणिज्य मन्त्रालय देश की अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह निर्यात व्यापार की नीतियां तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। यह सच है कि वर्ष 1979-80 में निर्यात में कुछ कमी हुई थी। इसके अनेक कारण हैं इसका कारण न केवल मंत्रालय की शिथिलता है अपितु आन्तरिक तथा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है। वर्ष 1979-80 में

देश में विद्युत कोयला तथा सीमेन्ट के उत्पादन में कमी आई । परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी थीं देश के विभिन्न हिस्सों में सूखा पड़ गया जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, मन्दी के फलस्वरूप भी विश्व की अर्थव्यवस्था में धीमा विकास रहा । इन सभी परिस्थतियों में, इन कमियों के कारण किसी भी देश के निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक और आवश्यक है । इस विकास दर पर विरोधी दल के मेरे मित्र सहित किसी भी व्यक्ति को चिन्तित होने अथवा निराश होने का कोई कारण नहीं है । इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए मंत्रालय द्वारा वर्ष 1980 में आवश्यक उपाय किये गये हैं । पिछले छः महीनों में हमारे यहाँ उत्पादन में वृद्धि हुई है । विद्युत की सप्लाई में वृद्धि हुई है । कोयले की सप्लाई में वृद्धि हुई है । परिवहन संबंधी कठनाई को दूर कर दिया गया है और औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है । इससे स्वाभाविक तथा जरूरी है कि देश के निर्यात व्यापार में वृद्धि होगी । भारत विश्व में मुख्य निर्यातक देश है । आर्थिक विकास के बारे में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में पाँचवे दसक से लेकर आज तक इसे अच्छा कृषि आधार तथा औद्योगिक आधार प्रदान किया गया है । कृषि के क्षेत्र में, छठे दशक में हमारे यहाँ खाद्यानों की कमी थी और हमें विदेशों से खाद्यानों का आयात करना पड़ता था । किन्तु हरित क्रांन्ति के आने से, न केवल हमारे यहाँ अतिरिक्त कृषि उत्पादन हुआ है, बल्कि हम चावल, चीनी, चीनी उत्पादक आदि सहित कृषि उत्पादों का निर्यात करने की स्थिति में हैं । उद्योग के क्षेत्र में, महान विभूति पण्डित जवाहरलाल नेहरू की औद्योगिक आधार का निर्माण करने में दूर दृष्टि थी । उन्होंने सारे देश में अनुसंधान प्रयोग-शालाओं तथा अनुसंधान संस्थान प्रारम्भ किए जो वैज्ञानिक आधार का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार थे तथा जिसने हमें एक सुदृढ़ आधार दिया । उद्योग के क्षेत्र में ,भारत ने उल्लेखनीय कदम उठाया है । हमारे देश विश्व का एक औद्योगिक राष्ट्र है । विश्व में हमारा स्थान दसवां है । हमें अन्य विकसित देशों के द्वारा यह स्थान दिया गया है । कृषि और उद्योग में मूल भूत रूप से हमारा आधारभूत ढांचा मजबूत है और हम प्रतिवर्ष आगे बढ़ रहे हैं और विश्व में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के साथ-साथ अपने उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं । किन्तु हम अपने यहाँ उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक को अपना नहीं सकते क्योंकि हमारे उत्पादन श्रम पर आधारित होना चाहिए और केवल बीच की तकनीक की आवश्कता तथा सम्भावना होगी । किन्तु विश्व मण्डी में प्रतिस्पर्धा के लिए काफी आधुनिक तकनीकी जरूरी है । अतः आज इस प्रतिस्पर्धी विश्व में जहां हमें अत्यधिक आधुनिक तथा तकनीकी दृष्टि से विकसित देशों का सामना करना हैं, भारत के लिए विश्व मण्डी में प्रतिस्पर्धा करना कोई सरल काम नहीं है, किन्तु फिर भी हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं । अब तक हमारी सफलतायें काफी उल्लेखनीय हैं और आने वाले वर्षों मे आगे बढ़ने के लिए हमें इससे बल मिला है ।

उद्योग के क्षेत्रों में हम इन्जीनियरिंग माल, इलैट्रनिक माल तथा अन्य निर्मित माल का निर्यात कर रहे हैं और हम मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं पिछले वर्ष निर्यात व्यापार में कमी आई, जिसे इस वर्ष पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा यथोचित कदम उठाए गये हैं पहला काम सरकार ने वर्ष 1980 में सत्ता के आने के बाद मुख्य उद्योगों की क्षमता

[श्री जगन्नाथ राव]

के विस्तार को नियमित करने का किया है, जिससे कि वे ज्यादा उत्पादन कर सकें। उन्होंने निर्यातोन्मुख उद्योगों को कुछ रियायतें दी हैं और उन्हें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारी व्यावहार अधिनियम से निकाल दिया है। ये उद्योग इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मुख्य उपक्रम नहीं होंगे क्योंकि ये पूर्णत: निर्यात के प्रयोजनों के लिए हैं। तेल उत्पादक देशों द्वारा उन्होंने हमारी कम्पनियों में इक्विटी शेयर में 40 प्रतिशत तक निवेश करने की भी अनुमति दी है।

निर्यात करने वाले उद्योगों को बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण किस्म की रियायतें दी गई हैं, ताकि उनका विस्तार हो सके। हम सबके लिए यह बड़े संतोष की बात है कि हमारा देश, जिसका हाल ही में विकास शुरू हुआ है और आर्थिक स्थिति सुधरनी शुरू हुई है, बढ़िया किस्म की वस्तुओं के मामले में विश्व बाजार में प्रतियोगिता करने के काबिल हो गया है। मैं इसमें शक करने की कोई गुंजाईश नहीं देखता हूं। मेरा विश्वास है कि सरकार का उपाय करने का विचार है और जो उपाय यह कर रही है, उनसे वर्ष 1981-82 में उत्पादन बढ़ेगा तथा गतवर्ष जिन वस्तुओं के निर्यात में कुछ कमी हो गई थी, उसे इस वर्ष पूरा कर दिया जाएगा। वर्ष 1980-81 में 7100 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात का अनुमान लगाया गया है, व्यापार में 400 करोड़ रुपये तक की कमी हो गई है। लेकिन यह कमी निर्यात व्यापार में निकृष्ट कार्य निष्पादन के कारण नहीं हुई है, बल्कि यह तो तेल के मूल्य में वृद्धि और विदेशों से ऐसे औद्योगिक कच्चे माल के आयात के कारण हुई हैं जो मूल्य वृद्धि से प्रभावित हैं। अत: कुछ सीमा तक इसे इस कारण हमारे यहां मुद्रास्फीति हुई है।

मूल्य-वृद्धि की बढ़ी हुई दर पर हमें उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक कच्चे माल का निर्यात करना पड़ा। इसलिए आयात सम्बन्धी व्यापार का बिल आवश्यक रूप से बढ़ाना ही था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि निर्यात संबंधी व्यापार का बिल नहीं बढ़ा। आयात संबन्धी व्यापार का जो बिल बढ़ा है, उसके बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी पूर्ति इस वर्ष हो जाएगी है। कृषि क्षेत्र में, हम पाँच-छ: लाख टन चावल का निर्यात कर रहे हैं। हम चीनी और चीनी के उत्पादों का निर्यात भी कर रहे हैं। लेकिन चीनी के उत्पादन में कमी के कारण गत वर्ष इसका निर्यात नहीं किया जा सका। इसकी वजह हमारी आय में कुछ कमी हुई। इसी प्रकार देश की स्थिति के अनुसार ही निर्यात व्यापार के स्तर का निर्धारण किया जाएगा। गत वर्ष चमड़े और चमड़े की वस्तुओं का भी निर्यात सीमित रहा। यहाँ तक है कि समुद्री उत्पादों का निर्यात भी कम हुआ। चिन्ता करने की, मैं इसमें कोई बात नहीं देखता। उद्योग के क्षेत्र में हमने कई देशों के साथ संयुक्त उद्यम शुरू किए हैं। पूंजीगत उपकरण और तकनीकी जानकारी के अन्तरण द्वारा हम समान भागीदारी में लगभग 207 संयुक्त उद्यमों में भाग ले रहे हैं। केवल कुछेक

मामलों में ही हमने पूंजी लगाई है । लगभग ये 35 अथवा इसके लगभग मामले होंगे । इस प्रकार भारत ने उद्योग के क्षेत्र में क्षमता का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है । अन्य विकासशील देश हमारी मदद, सहायता और मार्गदर्शन के इच्छुक हैं । हमने अन्य देशों में टर्न की परियोजनाएं भी शुरू की हैं । इससे यह पता चलता है कि हम दुनिया में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास के मामलों में आगे बढ़ रहे हैं ऊपर उठते जा रहे हैं । इसलिए हम औद्योगिक दृष्टि से अत्याधिक विकसित देशों से भी मुकाबला कर रहे हैं । पश्चिम जर्मनी, सोवित रूस, अमरीका, ब्रिटेन और जापान हमसे माल खरीद रहे हैं । यह बात क्या दर्शाती हैं ? जब तक कि हमारे में दक्षता और गुणवत्ता का स्तर नहीं होता, वे देश हमारा माल स्वीकार नहीं करते । व्यापार में सोवियत रूस, अमरीका, पश्चिम जर्मनी और जापान हमारे प्रमुख साझेदार हैं । हमारा 50 प्रतिशत व्यापार इन्हीं देशों के साथ होता है । गत वर्ष यह घटकर 40 प्रतिशत ही रह गया था । यह कमी इस वर्ष आसानी से पूरी हो जाएगी । गत वर्ष हमने सोवियत रूस के साथ पांच वर्ष का एक करार किया है । दिसम्बर से हमारा व्यापार बढ़ना शुरू हो गया है । यह दुगना अथवा तिगुना तक हो जाएगा । अत: अस्थायी कमियों, अस्थायी कठिनाइयों को निर्यात व्यापार में कमी का संकेत नहीं मान लिया जाना चाहिए । कृषि के क्षेत्र में भी गात वर्ष चीनी का निर्यात रोक दिया गया था । हमें आशा है कि इस वर्ष चीनी का भारी उत्पादन होगा । और हम चीनी का पुन: निर्यात करने के काबिल हो जायेंगे । यही बात समुद्री-उत्पादों, डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों और इसी प्रकार की वस्तुओं पर लागू होती है । मन्त्रालय द्वारा यह यथासम्भव प्रयास किया जा रहा है कि हर उस चीज का निर्यात किया जाए, जिसका इस देश में उत्पादन होता है, फिर चाहे वे कृषि उत्पाद हों अथवा चाहे वे औद्योगिक उत्पाद हों । अत: निर्यात व्यापार को बढ़ाने और इसमें तेजी लाने के लिए मंत्रालय के प्रयासों में किसी प्रकार की कमी नहीं है ।

इस संबंध में मुझे कुछ सुझाव देने हैं । हमारा देश कॉफी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, लेकिन यह निर्यात अब केवल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तीन राज्यों तक ही सीमित है । कॉफी की पैदावार उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में होती है । आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के पूर्वी घाटों पर विशाग जिले के अनतंगिर क्षेत्र में, जो मूल्य रूप से विजयनगर में जमीदारी से संबंध था और वी० वी० राजू जिसके पिछले जमीदार थे कॉफी उगाई जाती है । इसी प्रकार उड़ीसा में भी कॉफी की उपज होती है' समुद्र तल से 3,000 फुट की ऊँचाई जहां हवा में नमी होती है, कॉफी की अच्छी उपज के लिए अनुकूल स्थान है । इसलिए कॉफी बागानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । कोरापुट डिवीजन के जैपुर कस्बे में घरों के आंगन में भी कॉफी उगाई जाती है । अत: कॉफी बागानों के विकास के लिए इन दो राज्यों द्वारा भरसक उपाय किए जाने चाहिए । एक बार जब बीज का रोपण कर दिया जाता है, तो नमी के कारण यह स्वत: ही उग आता है ।

काजुओं के मामले में यह धारणा की यह केवल रेतीली धरती पर या समुद्र-तटीय क्षेत्र

[श्री जगन्नाथ राव]

में ही उग सकता है, खण्डित हो चुका है। पूर्वी घाटों के ढलान पर आप कितने ही काजू के पेड़ देख सकते हैं। वर्ष 1950 में काजू के ये पेड़ भूमि संरक्षण उपाय के रूप में उड़ीसा के कोरापुट जिले में लगाए गए थे। अब हजारों एकड़ भूमि में काजू के इन पेड़ों की हरियाली फैली हुई है और राज्य सरकार को काजू की बिक्री से भारी राजस्व की प्राप्ति हो रही है। अतः यह जरूरी नहीं है कि काजू उत्पादन के लिए समुद्र तटीय क्षेत्र ही अनुकूल है। मैंने रेडियो पर सुना है कि चार राज्यों के मैदानी भागों में केवल काजू की उपज के क्षेत्र को बढ़ाने हेतु 38 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाती है। मैं कहता हूं कि यह प्रयास पहाड़ी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी घाटों के और विशेष रूप से पन बिजली परियोजना में जल ग्रहण क्षेत्रों में तो काजू के पेड इसलिए भी लगये जा सकते हैं ताकि ये भूमि कटाव को रोकने में मददगार सिद्ध हों।

समुद्री उत्पादों का जिक्र करते हुए मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि समुद्री खाद्य उत्पादों, झींगा मछली और डिब्बा बन्द उद्योग का निर्यात क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। समुतटीय क्षेत्र में और विशेषरूप मे पूर्वी समुद्र-तट पर मछुओं की सहकारी समितियां गठित की जानी चाहिए। पश्चिमी समुद्र तट पर कुछ सहकारी समितियां हैं और उनमें से कुछ का काम देखने का मुझे अवसर मिला है। वे डिब्बा बन्द झींगा-मछलियों का निर्यात कर रही है। चूंकि हमारे पास ऐसा बिरला समुद्री तट उपलब्ध है, अतः हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और समुद्री और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के अपने निर्यात-व्यापार का विकास करना चाहिए।

हमारे पास निर्यात-व्यापार की भारी सम्भावनएं उपलब्ध हैं। हम विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में उपरोक्त प्रवृत्ति में सुधार होगा क्योंकि हाल में अपनाई गई सरकारी नीतियों के अच्छे परिणाम निकले हैं और मुझे विश्वास है कि वर्ष 1981-82 भारत के निर्यात व्यापार के लिए एक सहसा वृद्धि का वर्ष साबित होगा।

मैं इस मंत्रालय की अनुदानों संबंधी मांग का सहर्ष समर्थन करता हूं।

श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद राव (बापतला) : सभापति महोदय, प्रारम्भ में मैं मन्त्री महोदय को निर्यात बढ़ाने और आयात को यथा सम्भव सीमित रखने हेतु, जिससे हमारा व्यापार-संतुलन उचित स्तर पर बना हुआ है, उनके कार्य निष्पादन और उनकी योग्यता के लिए बधाई देता हूं

एक तरफ मन्दी और दूसरी तरफ स्फीति की प्रवृति के कारण विश्व में कुछ ऐसी स्थिति बन गयी है कि विकसित देश विकासशील देशों तथा कम विकसित देशों के शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। तेलों तथा अन्य आवश्यक मदों जैसे उन पदार्थों के मूल्य विश्व मन्डी में बड़ी तेजी से बढ़ रहे, जिनका हमें अनिवार्य रूप से आयात करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में यह मन्त्रालय हमें उन संकटों से उबार ने में सक्षम है, जो इस सरकार के शासन में आने से पहले पैदा किये जा चुके थे।

परम्परागत और गैर-परम्परागत मदों के निर्यात के बारे में वृद्धि-दर संबंधी निष्पादन कोई बुरा नहीं है। कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में, जो सरकार की पहुंच के बाहर है, कुछ सस्ती हो सकती है, लेकिन केवल इससे पूरे देश का निर्यात सीमित नहीं हो जाता। यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी देश भुगत रहे हैं। कुछ मदों के बारे में वृद्धि दर में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है, जिसके लिए हम मंत्रालयों के कार्य निष्पादन को सराहना चाहिए। जहाँ तक वाणिज्य मंत्रालय का संबंध है, आपको पता ही है कि यह एक सम्पर्क मंत्रालय है और वाणिज्य मंत्रालय कार्य कार्य निष्पादन अन्य मंत्रालयों, के कार्य निष्पादन तथा उन उद्योग के कार्य निष्पादन पर आश्रित हैं, जो निर्यात के लिए सामान बनाते हैं और जो उद्योग आयातित सामान का प्रयोग करते हैं। अतः महोदय, बार-बार बिजली की कटौती होने, अत्याधिक श्रमिक समस्यायें उत्पन होने, जगह-जगह सूखा पड़ने और इन सब कठिनाइयों से गत इस वर्ष देश की विद्यमान स्थिति और परिस्थितियों पर विचार करते हुए भी मन्त्रालय हमें उचित प्रकार से संकट से उबार रहा है और इसके लिए मैं मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं।

अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए हमें अपना नियति बढाते रहना है। अपने नियति को बढ़ाने के लिए अपने बाजार को बनाए रखने के साथ-साथ हमें नए बाजारों की खोज भी करनी होगी। यह एक युक्तिसंगत प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा के संसार में, हम अत्याधिक स्रोतों और तकनीकी जानकारी वाले विकसित देशों से मुकाबला करना है और यदि सरकार चाहे तो वह देश के निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें रियायतें देकर उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकती है। इस सम्बन्ध में ऐसे तरीकों द्वारा, जो निर्यातक संवर्धन तरीके कहलाते हैं,। हमारे निर्यात में वृद्धि हेतु, सतत प्रयास होना चाहिए। इस वर्ष सरकार द्वारा, बनाई गई नई नीतियों, अपनाई गई नई प्रणाली से हम गति बनाये रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ मैं मंत्रालय का ध्यान ऐसी कुछ वस्तुओं की ओर दिलाना चाहता हूं, जिनके सम्बंध के कुछ और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश है, जहां कृषि-उत्पादों का अधिक उत्पादन होता है यही सर्वोत्तम सम्पत्ति हमारे पास है—और हमें अपने आयात बिलों की पूर्ति जैसी अपनी आन्तरिक समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक कृषि उत्पादकों की सम्भावनाओं का भरपूर उपयोग करना है। आयात बिलों में हमारी मर्जी से वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि यह वृद्धि निर्यातक देशों की मर्जी से हो रही है। तेल उत्पादक देशों ने आज क्या किया है या कुछ अन्य देश कल क्या करेंगे !

[श्री पी० अंकिनीडू प्रसाद राव]

अतः इस भंवर से निकलने तथा हमारी बढ़ती हुई आयात मांग को पूरा करने के लिए अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए हम अपने निर्यात को जारी रखे रहें जो इंजीनियरिंग सामान जैसे वस्तुओं का निर्यात नहीं है जिसमें हम विश्व बाजार में प्रतियोगी नहीं बन सके हैं क्योंकि उन्नत देश अयस्क का उत्पादन कर सके हैं क्योंकि उनके पास बेहतर और तकनीकी जानकारी है जहां तक कृषि उत्पादों का सम्बन्ध है, हम निश्चित रूप से बेहतर कार्य कर सके हैं। हम इस समय उचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जबकि हमें अपने आयात बिल को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी। इस देश में उत्पादित की जाने वाली ऐसी वस्तुयें हैं जिनके द्वारा हम निर्यात बाजार में मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। हम घरेलू खपत के नाम पर कुछ कटौतियां कर रहे हैं। यह सच है कि घरेलू खपत का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रयास सप्लाई-स्थिति को ठीक बनाये रखना होना चाहिए जो हमारे निर्यात में कटौती न होकर अपितु अधिक उत्पादन करके और अधिक निर्यात करके होना चाहिए। उदाहरणार्थ चीनी जैसी वस्तु को लें। हम प्रचुर मात्रा में चीनी का उत्पादन कर सकते हैं। यदि कृषकों को उचित समर्थन मूल्य दिया जाये, यदि उचित वातावरण पैदा किया जाये और यदि अधिक उत्पादन करने के लिये उन्हें उचित प्रोत्साहन दिये जायें तो हम न केवल देश की आवश्यकतायें पूरी कर सकते हैं अपितु हम निर्यात के लिये भी अधिक मात्रा का उत्पादन कर सकते हैं।

बाजार में माल खपाना एक अत्यन्त जटिल कार्य है। परम्परागत बाजार को बनाये रखना हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिये। यदि हम एक बार परम्परागत बाजार को खो देते हैं और यदि कोई अन्य देश उस वस्तु की सप्लाई करता है तो उस माल को बाजार में दोबारा बेचना कठिन कार्य होगा। इस देश में अधिक चीनी का उत्पादन किया जा सकता है और हम कह सकते हैं कि इस वर्ष हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। इसका आशय यह है कि हमारा अधिक उत्पादन होगा और हमारी आवश्यकताओं से फालतू होगा। लेकिन मुझे आशंका है कि क्या हम दोबारा साख जमाने में समर्थ हो सकेंगे क्योंकि किसी अन्य देश ने साख जमा ली है। कोई अन्य देश इसकी सप्लाई कर रहा है क्योंकि हम इसकी निरन्तर सप्लाई करने में असफल रहे थे। अब वे हमसे इसकी सप्लाई नहीं ले रहे हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि घरेलू खपत के नाम पर हम अपने निर्यात, विशेषकर कृषि वस्तुओं के मामले में जहां हम प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, जहां देश में क्षमता है जिसके द्वारा प्रोत्साहन देकर हम इस दश में अधिक कृषि वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, कम करने का प्रयास न करें।

यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमें कम से कम उन्हें बेहतर मूल्य देकर अधिकाधिक उत्पादन करना चाहिये और विदेशी बाजार के सामान को नहीं खरीदना चाहिये।

कुछ अन्य अनिवार्य वस्तुयें हैं। खपत के नाम पर हम उन पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। क्या हम कुछ वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं क्योंकि वे मूल्य से चार गुना मूल्य लायेंगी। उदाहरणार्थ मूंगफली जैसे बीजों और अन्य वस्तुओं को लें जो वनस्पति हो तेल के लिये आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के नाम पर प्रयुक्त की जा रही हैं जो निर्यात हेतु उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन

इन पर प्रतिबन्ध लगाकर भी हम आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं कर सके हैं। लेकिन मूंगफली का निर्यात करके इससे उत्पादित किये तेल के मूल्य की तुलना में हम विदेशी मुद्रा में चार गुना मूल्य प्राप्त करते हैं। हमें इसका ध्यान रखना है। हम इस देश में मूंगफली का उत्पादन करते हैं। कच्चे रूप में इस वस्तु और किसी अन्य रूप में इस वस्तु के बीच मूल्य में अन्तर है। यदि हम निर्यात की अनुमति देते हैं तो हम इस देश में आवश्यक खपत योग्य वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। हम प्रचुर मात्रा में मूंगफली का उत्पादन कर सकते हैं। विश्व में इसकी मंडी है। हम इन्हें वहां पर बेच सकते हैं और खाद्य तेल खरीद सकते हैं जिसकी जरूरत है। घरेलू खपत के लिये कुछ वस्तुओं पर केवल प्रतिबन्ध लगाकर और परम्परागत निर्यात मंडियों को खोकर जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इसमें चार गुना मुनाफा होगा। कुछ मामलों में दो से तीन गुना विदेशी मुद्रा गंवा रहे हैं जो हम एक तिहाई अथवा एक चौथाई खर्च करके इन निर्यातों के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। हम आवश्यक आयात स्थानापन्न कर सकते हैं। ये एक अथवा दो बातें हैं जिनपर मैंने मन्त्रालय के विचारार्थ बल देना चाहा था।

इसी प्रकार आयात के बारे में भी हालांकि बहुत से आयातों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और इस समय केवल आयातों की अनुमति दी गई है तथापि इस देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिये। प्राथमिकतायें क्या हैं? हमारे पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त कोष नहीं है। हमारा निर्यात आयात के समान नहीं है। इस सन्दर्भ में हमें यह सुनिश्चित करना है कि तेल, खाद्य तेल और आधुनिकतम मशीनरी जैसी आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर, जिनकी हमें देश के औद्योगिक विकास के लिये आवश्यकता है, कौन-कौन सी वस्तुओं का आयात किया जाये। हमें अन्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना है।

इस्पात और सीमेंट के मामले को लें जिसका हम आयात कर रहे हैं और इसकी सप्लाई हम किसे कर रहे हैं। देश में इनका उत्पादन होता है और इसकी घरेलू आवश्यकताओं के बारे में सरकारी परियोजनाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बड़े उद्योगों में ही इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। ये अत्यन्त अनिवार्य है। इसके बाद गरीब व्यक्तियों और मध्य आय वग के व्यक्तियों के लिये आवास की समस्या आती है। आलीशान बंगलों के मामले में, जो बड़े पैमाने पर स्थान-स्थान पर निर्मित किये जा रहे हैं, धनी व्यक्तियों को निम्नतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस्पात और सीमेंट का हमारा उत्पादन हमारी आवश्यकताओं को मुश्किल से पूरा कर पाता है। जब तक उत्पादन में सुधार नहीं हो जाता है तब तक क्या हमें दो अथवा तीन वर्षों के लिये बड़े आलीशान बंगलों जो केवल इस्पात और सीमेंट की खपत कर रहे हैं और कुछ नहीं, का निर्माण करना बन्द कर देना चाहिये अथवा उन पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए? इस्पात और सीमेंट की पर्याप्त खपत करने के बाद इसमें केवल चार अथवा पांच व्यक्ति, इससे अधिक नहीं रह सकेंगे। थोड़े से व्यक्तियों के लिए देश में इस्पात और सीमेंट की इतनी अधिक मात्रा का खपत किया जा रहा है। यदि देश में उसका उत्पादन हो तो वह अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम आयात करके इसमें वृद्धि कर रहे हैं और उन्हें सप्लाई कर रहे हैं। हमें इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

[श्री पी० अंकिनीडू प्रसाद राव]

इसी तरीके से कुछ अन्य वस्तुयें भी हैं। देश में कुछ लोगों की सुविधा और आराम के लिए ऐसी वस्तुयें, जो किसी प्रकार से अनिवार्य नहीं हैं, आयात की जा रही हैं और उन्हें सप्लाई की गई हैं। ये ऐसी वस्तुयें हैं जो कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी सुविधा के लिये प्रयुक्त की गई हैं। एक आलीशान बंगले का निर्माण-कार्य एक आवश्यक बात नहीं है। इन वस्तुओं के आयात पर कटौती की जानी चाहिए और मैं माननीय मन्त्री महोदय से इस पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं।

जैसा हमारे एक मित्र ने कहा है कि हम बहुत से अन्य उत्पादों के मामले में कच्चे उत्पाद के रूप में इनका निर्यात कर रहे हैं। हम कच्चे उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं और अन्य देशों द्वारा उन कच्चे उत्पादों को निर्मित उत्पादों में परिवर्तित किया जा रहा है तथा इनका पुन: निर्यात किया जा रहा है और इनसे अत्यधिक मुनाफा अर्जित किया जा रहा है। क्या हम धीरे-धीरे आधारभूत संरचना के विकास करने के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं ताकि कच्चे उत्पादों का निर्यात करने की बजाय हम स्वयं ही इन्हें निर्मित उत्पादों के रूप में परिवर्तित कर सकें और इसके बाद इनका निर्यात कर सकें जिसके परिणामस्वरूप अधिक विदेशी मुद्रा की आय हो सके। विशेष रूप से हमारे देश में जहां श्रमिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, हम कच्चे उत्पादों को निर्मित उत्पादों में परिवर्तित कर सकते है और इनका निर्यात कर सकते हैं और इससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रयास करे और इसके साथ ही देश में भी रोजगार की सम्भावना में वृद्धि करें।

उदाहरणार्थ तम्बाकू के मामले को लें जो आंध्र प्रदेश का मुख्य उत्पाद है। हमारा उत्पादन अच्छा है और हमारा निर्यात अच्छा है। लेकिन किस रूप में हम इसका निर्यात कर रहे हैं ? हम तम्बाकू का अपरिष्कृत रूप में निर्यात कर रहे हैं। यदि हम देश में निर्मित तम्बाकू के रूप में इसका निर्यात करने के लिये आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास कर लें तो हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। हमारा देश श्रम प्रधान देश है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो रोजगार के अवसरों की संख्या क्या है जो हम देश में उपलब्ध करा सकते हैं और विदेशी मुद्रा की राशि क्या है जो हम अर्जित कर सकते हैं और निर्यात किए जाने वाले अनिर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू के बीच अन्तर क्या है ? यह किया जाना चाहिए।

यदि हम चाहें तो आन्तरिक खपत के लिये उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा सकते हैं और केवल निर्यात के प्रयोजनार्थ नये एककों को शुरू कर सकते हैं। हम निर्मित किये गये एककों के लिये कुछ निर्यात प्रोत्साहनों पर विचार कर सकते हैं और उन्हें गति दे सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : सभी अच्छी बातें हैं।

श्री पी० अंकिनीडू प्रसाद राव : निर्यातकर्ताओं को एक प्रकार का प्रोत्साहन देने के नाम पर हम उन्हें प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के नाम पर अपनी निर्यात आय का 10 प्रतिशत अथवा 15

प्रतिशत आयात करने की अनुमति दे रहे हैं जिनका हमसे बहुत से जानते हैं, इस देश में दुरुपयोग हुआ है। ऐसी प्रक्रिया है कि ऐसी वस्तुयें जिनके आयात की अनुमति दी गई है, अपने निर्यात की उसी श्रेणी के लिये किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है और वे किसी अन्य को लाइसेंस बेच रहे हैं जो वस्तुओं का आयात कर रहे हैं और इन्हें खुले बाजार में बेच रहे हैं। उन्हें यह रियायत देने की बजाए, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, हम कर रियायत अथवा नकद राज सहायता अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता जैसी कुछ अन्य रियायतें दे सकते हैं और अपने आयात बिल में कटौती कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, अभी कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं, मैं यहां पर नहीं था इसलिए अगर किसी बात का रिपीटीशन हो जाए तो क्षमा करें।

सभापति महोदय, जो आंकड़े इकनामिक सर्वे में दिखाए गए हैं और पिछले 2-4 दिन के अखबारों में खासकर इकनामिक टाइम्स आदि में जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आर्थिक जगत में हिन्दुस्तान उस स्थिति में जा रहा है जहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। खासकर जो 3-4 मुद्दे हैं, जिनके सम्बन्ध में अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपने काला चश्मा लगा रखा है इसलिए आपको अंधकार ही अंधकार नजर आता है।

श्री रामविलास पासवान : इनके पास जो आंकड़े हैं, उनसे ये अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आंकड़े दूंगा तब इनको भी अंधकार लगेगा।

सभापति महोदय, अभी तक हिन्दुस्तान में दो नीतियों के सम्बन्ध में चर्चा होती है—आयात और निर्यात। जब माननीय मन्त्री जी जवाब दें तो मैं जानना चाहूंगा। आयात-निर्यात की क्या पोजीशन रही है। आपके पास आर्थिक समीक्षा है, हमारे पास भी है और उसमें जो फिगर्स दिए हैं दो साल और प्रायः डेढ़ साल के उसमें आंकड़े हैं। आपने विदेश में कितना ऋण लिया है और उसकी कितनी अदायगी करते जा रहे हैं। हिन्दुस्तान द्वारा कितना विदेशी कर्जा लिया जा चुका है। कितना हमारे विदेश-व्यापार में घाटा चल रहा है। हमारा आयात अधिक हो रहा है या कम हो रहा है और निर्यात कितना कर रहे हैं। उसकी अदायगी कितनी कर रहे हैं। इन सारी चीजों पर यदि आप दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान का भविष्य अंधकारमय है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : गलत है।

श्री रामविलास पासवान : आपकी नजरों में गलत हो सकता है।

सभापति महोदय, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न किया था और मेरा प्रश्न सिर्फ जूट इंडस्ट्रीज के बारे में था। जूट का हमारा सबसे बड़ा मार्केट यू० एस० ए० है। यू० एस० ए० को 1970 में जहां हम 165.5 लाख टन कारपेट्स निर्यात करते थे वह 1978-79 में केवल 69.8 लाख टन रह गया। जहां हमारा कुल मार्किट 21.4 लाख टन का था वह घट कर 90.9 लाख टन का ही रह गया।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह आपके वक्त की बात है।

श्री रामविलास पासवान : किसी के वक्त की बात हो लेकिन आप ढाई साल के हमारे शासन काल को निकाल दें तो बाकी वर्षों में किस का राज्य रहा है ? ढाई साल के जो फिगर्ज हैं उनका भी आपके जो 1980-81 के आर्थिक समीक्षा के फिगर्ज हैं उनसे मुकाबला करें तो ढाई साल में देश को निराशा हाथ नहीं लगी। इस वास्ते वह चीज आप न कहें। देश के नक्शे को आप अपने सामने रखें और देखें कि ट्रेंड किस ओर है और उसको आप रोकें। हजार पांच सौ माइनस हो जाए या थोड़ा प्लस हो जाए तो उससे मामला बनता नहीं है।

उस दिन मैंने इकोनोमिक टाइम्ज के आंकड़े दिए थे। इकोनोमिक टाइम्स में यह निकला था :

> "कुल जूट कार्पेट्स बाजार में जूट कार्पेट्स का कुल हिस्सा 1979 में 34.7 प्रतिशत (1974 में यह 44 प्रतिशत था) से घटकर 1980 की प्रथम दो तिमाहियों में 23.4 प्रतिशत रह गया है।"

यह निराशाजनक स्थिति है।

विदेशी ऋण और विदेशी सहायता के आंकड़ों को आप लें। 1973-74 से ये आंकड़े निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। 1973-74 में जहां यह राशि 1036 करोड़ थी वहां 1974-75 में बढ़ कर 1314 करोड़ हो गई, 1975-76 में 1841 करोड़, 1976-77 में 1599 करोड़ हो गई। जब हम लोगों का राज्य था तब 1977-78 में यह राशि 1290 करोड़ ही थी। आपकी 1841 करोड़ थी 1975-76 में। 1978-79 में यह हो गई 1266 करोड़ और 1980-81 को आप देखें और 541 करोड़ जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जमा है उसको भी मिला लें तो 1266 करोड़ से बढ़कर यह 2341 करोड़ हो जाती है।

आयात को आप लें। जब आयात अधिक होना शुरू हो जाए तो अर्थ व्यवस्था का क्या हाल हो जाता है यह आप जानते ही हैं। कोई भी अर्थ शास्त्र का विद्यार्थी हो वह जानता है कि अपने घर में पहले जमा राशि के हिसाब में खर्च करना चाहिये ताकि कुछ बचाया भी जा सके। लेकिन यहां तो यह हालत है कि अधिक लो और कम दो। 1979-80 के आयात के आंकड़े

आप देखें। तब कुल 8795 करोड़ का आयात किया गया और 1980-81 में यह बढ़ कर 11300 करोड़ का हो गया। सबसे ज्यादा दुखद बात तो यह है कि ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाता है जिनका नहीं किया जाना चाहिये। इकोनोमिक सर्वे में आप देख सकते हैं कि अनाज का आयात हो रहा है, वनस्पति तेल का हो रहा है। वनस्पति तेल का 1979 में 166.2 करोड़ रुपये का आयात हुआ था जबकि 1980 में यह बढ़ कर 347.8 करोड़ हो गया। यह है उज्जवल भविष्य जिस की ओर हम जा रहे हैं। यह है हमारी अर्थ व्यवस्था के सुधरने का उदाहरण। अनाज, ऊन, रेशम, वनस्पति तेल, उर्वरक सामग्री आदि का हम आयात कर रहे हैं। पेट्रोल का तो कर ही रहे हैं। कागज का भी कर रहे हैं। आजादी के 33 वर्ष के बाद भी हम इस प्वाइंट पर पहुँचे हैं कि इन अत्यावश्यक वस्तुओं का भी हमें आयात करना पड़ रहा है। हम हमेशा आत्मनिर्भरता की, स्वावलम्बन की बात करते हैं और उस ओर बढ़ने की बात करते हैं, यह नारा भी देते हैं लेकिन आप रिपोर्ट देख लें कि किस गति से हमारा इन वस्तुओं का आयात बढ़ रहा है। जहां कहीं किसी वस्तु की कमी हो जाती है फौरन उसका आयात करना शुरू कर दिया जाता है। एक हलका सा समाचार आ जाए कि अमुक चीज की कमी हो गई है तो तुरन्त आदेश दे दिए जाते हैं कि आयात किया जाए।

1971-72 से लेकर 1978-79 तक सिर्फ तेल के आयात में हुई वृद्धि के आंकड़ों को आप देखें। केवल 12 परसेंट तेल में वृद्धि हुई है, लेकिन दाम चला गया 144 करोड़ से बढ़कर 5 हजार करोड़। यानी मात्रा में वृद्धि होती है 12 परसेंट और दाम में वृद्धि होती है 144 करोड़ से 5 हजार करोड़। ठीक है पेट्रोल के बगैर काम नहीं चल सकता है। लेकिन मैंने यही कई बार पूछा है कि क्या कभी आपने देखा है कि पेट्रोल की किस तरह से बरबादी हो रही है? जो बाजार में चक्कर लगाने में, ऐरोड्रोम में चक्कर लगाने में अनाप-शनाप पेट्रोल खर्च होता है इसको रोकिये, थोड़ी उसमें मितव्ययता सोचिये। सारी अर्थ व्यवस्था जिस ढंग से चल रही है, जैसे पेट्रोल का हम देख रहे हैं, इसी ढंग से अगर बढ़ती रहेगी तो कहां जायेगी हमारी अर्थ-व्यवस्था? ठीक है आयात जरूरी हो तो जरूर कीजिये, फैक्ट्री खोलने के लिए सामान चाहिये आयात कीजिए ताकि फैक्ट्री चलने पर हम माल निर्यात कर मुनाफा कमा सकें, या और दूसरी चीजें हैं जिनके बगैर काम नहीं चल सकता, जिन्दा नहीं रह सकते, हमारी प्रगति रुक रही हो तो निश्चित आयात कीजिये। लेकिन वैसी चीजें जिनके बगैर भी हम काम चला सकते हैं, स्वावलम्बी बने रह सकते हैं, ऐसी चीजों का आयात हमें नहीं करना चाहिये। इसलिये इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिये।

जहां हम कुछ दिन पहले लोहा और इस्पात निर्यात करते थे आज उनको आयात करने की स्थिति में पहुँच गये हैं। चीनी निर्यात करते थे अब उसको आयात करने की सोच रहे हैं। इसी तरह के खाद्यान्न का है, कोयला, सीमेंट भारी चीजें हैं। आखिर क्या कारण है कि उनको निर्यात करने की बजाय आयात करने की नौबत आ गई? मैंने उस दिन भी कहा था आप चीन, जापान को देखिये या और दूसरे मुल्क हैं, जिन चीजों में वह पहले आपके कम्पीटर नहीं थे वह आज हमसे कम्पीट कर रहे हैं। फोरेन मार्किट हमारे हाथ से जा रहा है। अगर वह कम्पीट कर

[श्री रामविलास पासवान]

सकते हैं तो हम क्यों नहीं कम्पीट कर सकते हैं ? जो समस्या आपके सामने है, वही समस्या उनके सामने भी है। फिर भी वह हमसे आगे निकल रहे हैं। इसलिए आयात की प्रगति को रोकिये।

हमारे पास इकोनामिक सर्वे नहीं है, निर्यात किस चीज में हुआ है ? खली में, मछली में, चाय में, जूट में, नारियल में, चमड़े में, हस्तशिल्प में, चांदी वगैरह में। मतलब यह है कि आपकी टेक्नोलाजी फेल कर गई है। रॉ मैटीरियल आप निर्यात कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज पर आपको गर्व है, टेक्नोलाजी में कहते हैं कि हम उसमें प्रगति कर रहे हैं, तो सर्वे में कहा गया है 13 पाईन्ट निर्यात घटा है। और जो निर्यात बढ़ा है तम्बाकू में, कपड़े में, कच्चे लोहे में, कपास, मशीन, रसायन आदि में बढ़ा है। अगर टेक्नोलाजी का प्रयोग कर रॉ मैटीरियल की जगह फिनिश्ड गुड्स निर्यात करें तो हमारी निर्यात की आमदनी काफी बढ़ सकती है।

हां, एक बात मुझे याद आ गई कि जो लोग लोकसभा में हिन्दी अनुवाद करते हैं इनको कहिये कि सही अनुवाद किया करें। आर्थिक सर्वे जो तैयार करते हैं जहां प्लस लिखना चाहिए वहां माइनस लिखते हैं और जहां माइनस लिखना चाहिए वहां प्लस लिखते हैं। तो हिन्दी और अंग्रेजी की प्रतियों में अन्तर है। जहां 13 पाईन्ट प्लस का है वहां माइनस दिखाया है और माइनस को प्लस दिखाया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हिन्दी अनुवाद सही हो, नहीं तो भ्रम हो जाता है। आर्थिक समीक्षा भी है और इकोनामिक सर्वे भी है, हिन्दी और अंग्रेजी की दोनों प्रतियां साथ में हैं इसलिए इस त्रुटि का पता चल गया। अगर आदमी सिर्फ एक रिपोर्ट पढ़कर अपना मन बनावे तो गलत आइडिया फार्म हो सकता है, इसलिए उसको ठीक करावें।

आज जो देश का निर्यात बढ़ा है वह किन चीजों का बढ़ा है, इसमें साइंस और टैक्नोलाजी की कोई देन नहीं है। इनका निर्यात रा-मैटीरियल का बढ़ा है। जिन चीजों में कंपीट करने की बात है, बड़े उद्योग-धंधों की बात है, उन सब में निर्यात घटा है।

सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन तथा जापान हमारे व्यापार के बड़े भागीदार थे। आज से 10 वर्ष पूर्व 50 परसेंट से ज्यादा हम निर्यात करते थे लेकिन यह निर्यात आज घटकर 40 परसेंट से भी कम रह गया है। अमेरिका, जिसको हम 16.8 परसेंट निर्यात करते थे, वह अब घटकर 12.6 परसेंट रह गया है। ब्रिटेन में हम 11.7 परसेंट निर्यात करते थे वह घटकर 7.4 परसेंट रह गया है।

सभापति महोदय : डाइवर्सीफिकेशन किया गया है।

श्री रामविलास पासवान : वह भी नहीं किया गया है, टोटल में भी इनका निर्यात घटा है।

भारत में विदेश व्यापार का घाटा इस प्रकार है। 1978-79 में यह 1088 करोड़ रुपये का था जो कि 1980-81 में 4,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का हो गया। दूसरे साल में ही यह घाटा 4 हजार करोड़ से ज्यादा का हो गया।

वनस्पति तेल की बात मैं करता हूं। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपये का औसतन आयात करते हैं। 1980-81 में इनकी रिपोर्ट के मुताबिक आयल-सीड्ज़ का प्रोडक्शन 102 लाख टन का अनुमान था जो विगत वर्षों की तुलना में कोई अधिक नहीं है। यह 1978-79 में 97 लाख टन का था। अब देखना यह है कि 102 लाख टन के अनुमान में से पूर्ति कितनी होती है। यह भगवान ही जानें। कछुए की गति से आगे बढ़ रहे हैं ?

हमारे व्यास जी कहते हैं कि अन्धकार नजर नहीं आता है, मैं कहता हूं कि उन्हीं को देखकर मुझे अन्धकार नजर आता है।

मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि जो निर्यात है, आप उसके कारण ढूंढें कि यह कम क्यों हुआ है ? टंडन समिति की इंटीरियम रिपोर्ट पढ़िये। 1979 में टंडन समिति का निर्माण किया गया था। उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक कृषि उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा नहीं देंगे, जो मुख्य चीजें हैं जहां से आपका बेस बनता है, आपके यहां कृषि उत्पादन होता नहीं हैं बिजली के अभाव के कारण, और इसी कारण फैक्टरियां बन्द हैं, खेत सूख रहे हैं। जब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा, निर्यात को बढ़ावा नहीं मिल सकता है। बेसिक चीज में जब आत्म-निर्भर होंगे तब निर्यात करने की पोजीशन में आप आयेंगे। आपकी आत्म-निर्भरता की पालिसी खोखली हो रही है, इसी लिए दिनोंदिन निर्यात की प्रगति कम होती जा रही है।

आज हमारे यहां डिग्निटी आफ लेबर में नहीं है, हमारे आदमी विदेशों में चले जाते हैं। वहां उसको अपनी झोली ढोने में लज्जा नहीं लगती है, अखबार बेचने में, बूट पालिश करने में लाज नहीं लगती है चाहे चीफ सैक्रेटरी का लड़का क्यों न हो। लेकिन अगर यहां कोई अखबार बेचना शुरू कर दे, जूता पालिश करना शुरू करदे तो तुरन्त उसकी गिनती छोटी जाति का आदमी में होने लगेगी। यहां डिग्निटी आफ लेबर नहीं रह गया है। जब तक हम छोटो-छोटी टैक्नोलाजी को आगे नहीं बढ़ायेंगे निर्यात नहीं बढ़ पायेगा।

वस्त्र उद्योग का आपकी रिपोर्ट में पूरा चैप्टर है। उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, यह सब मंत्री महोदय जानते हैं।

आपकी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन का बहुत पूअर परफार्मेन्स है। मैंने पिछली दफे भी कहा था कि 1979-80 में एस० टी० सी० का एक्सपोर्ट 636 करोड़ रुपये का था जो कि 1980-81 में घटकर 450 करोड़ रुपये रह गया है, यानी इसमें 40 परसेंट की गिरावट आई है। यह संस्था पिछले 25 वर्षों से कार्यरत है लेकिन इसकी कोई औद्योगिक दृष्टि है ही नहीं। आयात में इसकी वृद्धि होती है। 1979-80 में इसका आयात 884 करोड़ रुपये का था जो कि 1980-81 में 1150 करोड़ रुपये का हो गया। उसके बाद जब उसका क्रिटिसिज्म होता है कि वनस्पति तेल का वितरण ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो कहा जाता है कि यह एस० टी० सी० का काम नहीं है, उसका वितरण

[श्री रामविलास पासवान]

करवाना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। लेकिन न्यूज़प्रिंट की क्या स्थिति है ? कितने दिन बाद वह आता है, और उसकी डिले के कारण जो विस्फोटक स्थिति पैदा होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन की दृष्टि वाणिज्यिक तथा औद्योगिक दृष्टि नहीं, बल्कि ब्यूरोक्रेटिक दृष्टि है। मैंने कई बार कहा है कि इस सरकार के पास हर मर्ज़ की एक ही दवा है—हर संस्था में आई० सी० एस० या आई० ए० एस० आफिसर नियुक्त कर दो। यह देखने की आवश्यकता है कि टाप पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको बिजिनेस या मैनेजमेंट का ज्ञान है या नहीं। यह भी देखना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना खर्चा हो रहा है। इस संस्था को चलाने के लिए अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए और साथ ही मिनिस्ट्री या प्रशासन के हस्तक्षेप को बन्द करना चाहिए।

ऊर्जा और कच्चे माल के भाव में कई कारखाने बन्द हैं। मंत्री महोदय उन्हें खुलवाने की कोशिश करें। जिन मिलों को अभी तक नैशनलाइज़ नहीं किया गया है और जिनका परफार्मेंन्स अच्छा नहीं है, उन्हें नैशनलाइज किया जाये। जब तक इस बारे में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं अपनाया जाता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

जहां तक फ़िगर्ज़ का सम्बन्ध है, सरकार की रिपोर्टों और सरवेज़ में फ़िगर्ज़ दिये गये हैं। इसके अलावा रोज़ अखबारों में, इकानोमिक टाइम्स में और आर्थिक जगत के पत्र-पत्रिकाओं में फ़िगर्ज़ दिये जाते हैं। लेकिन मंत्री महोदय अपनी आयात नीति और निर्यात नीति पर पुनर्विचार करें। वह पहले देश को स्वावलम्बी बनायें और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करें—उनकी क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों को बढ़ायें। वह निर्यात पर अधिक से अधिक जोर दें और आयात कम से कम करें। जितनी लग्ज़री, आराम की चीजें हैं, ज़िजूल खर्ची है, उन पर रोक लगानी चाहिए। हमारे देश पर कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है। हिन्दुस्तान में जो बच्चे मां के पेट में हैं, वे भी विदेशों के कर्ज़दार हैं। इस स्थिति पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री महोदय वर्तमान समस्याओं का सोल्यूशन निकालने कोशिश करें, जिससे मालूम हो कि फ़ारेन काम्पीटीशन में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जो संस्थायें सफ़ेद हाथी बनी हुई हैं, उनके कार्य में सुधार होना चाहिए।

अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज़, काटेज इण्डस्ट्रीज़ और हथकरघा उद्योग का इस्तेमाल करना चाहिए। निर्यात पालिसी में सरकार ने कहा है कि हमारे लोग विदेशी मार्केट में कम्पीट कर सकें, इसके लिए क्या-क्या रियायतें दी जायेंगी। वह तो ठीक है, लेकिन मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय अपनी नीतियों पर फिर से ग़ौर करें। वह आयात को कम करें, निर्यात को बढ़ायें और देश को स्वावलम्बी बनायें। तभी हम विदेशों के साथ कम्पीट कर सकेंगे और तभी संसार में इस देश की इज्ज़त और सम्मान होगा।

श्री गंगाधर एस० कुचन (सोलापुर) : सभापति महोदय, सन् 1981-82 से लिए माननीय वाणिज्य मंत्री ने जो अनुदानों की मांगें सदन के सामने स्वीकृति के लिए रखी हैं, मैं उनका समर्थन करते हुए कुछ समस्यायें आपके द्वारा सदन के सामने रखने की कोशिश करता हूँ।

सन् 1980-81 के इस मंत्रालय के कार्यालयों की जो समीक्षा की गई है उससे यह पता चलता है कि निर्यात में जो वृद्धि हुई है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी आयात में हुई है। इससे इस वर्ष व्यापार का घाटा चार हजार करोड़ होने की सम्भावना है। यह बहुत बड़ी चिन्ताजनक बात है। इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करके आदरणीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में एक निर्यात सम्बन्धी मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया गया है। यह बहुत अच्छी बात हुई है। आयात-निर्यात बैंक की स्थापना और निर्यात करने वाले नयी वस्तुओं के उत्पादन का अनुमोदन करना तथा उत्तेजन देने का जो दृष्टिकोण सरकार ने अपनाया है उसके नतीजे अगले वर्ष अच्छे हो सकते हैं। इसके साथ ही आयातित वस्तुओं को कम करना, यह बात भी सोचनी होगी। दिसम्बर, 1980 तक 8400 करोड़ रुपये का आयात किया गया जिसमें गत साल के मुकाबले में इस वर्ष लौह धातु 37 परसेन्ट, खनिज तेल 90 प्रतिशत, खाद्य तेल 49 प्रतिशत, उर्वरक 104 प्रतिशत, मोती आदि रत्न 38 प्रतिशत और खनिज निर्मित गैर-धातु 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसको कम करने के लिए भारत में ऐसी वस्तुओं की खोज और उत्पादन में वृद्धि करने के पर्याप्त प्रयत्न करने की बहुत जरूरत है। निर्यात वस्तुओं में इस वर्ष चमड़ा, पटसन और सूती फैब्रिक्स में कुल मिलाकर 435 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह बात सोचते हुए इनके उत्पादन के लिए भरसक कोशिश की जानी चाहिए।

मैं एक हैण्डलूप वीवर होने के नाते टैक्सटाइल इण्डस्ट्री के बारे में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। इस उद्योग में जो करोड़ों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में काम करते हैं उनका सारा जीवन इससे जुड़ा हुआ है। इसको देखते हुए इस उद्योग का संवर्धन और विकास समुचित ढंग से होना चाहिए। भारत में इसकी खपत और निर्यात का उत्तम योगदान देते हुए इसकी ओर अब इस मंत्रालय का सही तौर पर ध्यान आकृष्ट हुआ है, ऐसा स्पष्ट होता है।

इसी महीने की 9 तारीख को संसद में जो नयी वस्त्र नीति माननीय वाणिज्य मंत्री, श्री प्रणब कुमार मुखर्जी ने घोषित की है और उसका जो विवरण दिया है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और उसकी पूरी तरह से सराहना करता हूँ। इनमें नं० (1) क्वालिटी के कपड़े में वृद्धि, (2) छोटे बुनकरों तथा इससे सम्बन्धित अन्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए तेजी से उपाय और विकास, (3) कमजोर वर्गों को कपड़े के वितरण के लिए की गई व्यवस्था को सुदृढ़ तथा कारगर बनाना, (4) मानव निर्मित रेशों तथा यार्न की उपलब्धता में वृद्धि कराना, (5) विश्व-बाजार में स्वीकार्य मानकों के वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए अधिशेष बनाना, (6) विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र में बेकार बड़े करघों को पुनः चालू कराना, (7) अधिक उत्पादन के लिए आधुनिकीकरण और विद्यमान क्षमता का ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाना, (8) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को उचित दामों पर यार्न उपलब्ध कराकर

[श्री गंगाधर एस० कुचन]

वितरण करने को सौंप देना, (9) हथकरघा द्वारा पालिएस्टर तथा अन्य गैर-सूती व मिश्रित वस्त्र-उत्पादन को सभी तरह से प्रोत्साहन देना, (10) कन्ट्रोल के कपड़े की योजना में हथकरघा क्षेत्र के भाग को उत्तरोत्तर उढ़ावा देना, (11) ग्रामीण क्षेत्रों में कन्ट्रोल कपड़े के वितरण पर बड़ा नियन्त्रण रखना, (12) समुचित कीमतों पर यार्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय और राज्य वस्त्र निगमों का पूरी तरह उपयोग किया जाना, (13) बहुरेशा नीति में परिवर्तन करके ठोस उपायों से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कराने को बढ़ावा देना, (14) वस्त्र मशीनरीज को आवश्यकतानुसार आयात की अनुमति दिया जाना और, (15) उचित कीमतों पर बिना किसी उतार-चढ़ाव के पर्याप्त रुई उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था कराना और रुई की प्रति हेक्टर उपज बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाना आदि सरकार की नीति प्रशंसनीय है। इससे वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों के तीव्र और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अपेक्षित व्यवस्था तथा बल मिल सकेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।

[श्री के० राजामल्लू पीठासीन हुए]

मगर इस वस्त्र नीति का प्रभाव और सफलतायें तभी स्पष्ट दिखेंगी जब इसका इंप्लीमेंटेशन सही तौर पर और पूरे विश्वास से होगा तथा अधिकारी और इस क्षेत्र के सभी लोग इस राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना से काम करेंगे।

भारत में 25 लाख हथकरघा हैं, ऐसा बहुत सालों से कहा जाता है मगर उसका सही सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी है क्योंकि भारत सरकार के यहां जो आंकड़े मौजूद है उससे महाराष्ट्र में 1.35 लाख हथकरघा हैं, ऐसा कहा जाता है। मगर हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ओर से सर्वेक्षण किया तो 77,325 कुल संख्या मिली और उनमें से सिर्फ 57,794 हथकरघे चालू हैं, ऐसा सामने आया है। इसको देखते हुए पूरे भारतवर्ष में सभी प्रान्तों में एक ही हफ्ते में इन हथकरघों की गणना की जाय ताकि सही मानों में कितने हथकरघे हैं और उनकी सही समस्यायें क्या हैं, इसका विवरण आने से सही ढंग के उपाय और उनका विकास करना सम्भव होगा। यह एक ही ऐसा व्यवसाय है कि आदमी को हाथ और पांव, दोनों को एक ही साथ काम में लाकर शक्ति से दिन में दस घन्टे तक काम करना पड़ता है। इससे इन बुनकरों को बड़ा श्रम पड़ता है। खुद, मां, पत्नी और छोटे-छोटे बच्चे, परिवार के सभी लोग एक साथ काम करके डेढ़ सौ रुपए से ढ़ाई सौ रुपए तक मजदूरी जमा करते है। यह मजदूरी अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग है। इससे इस क्षेत्र में नई पीढ़ी नहीं आना चाहती। इससे इस क्षेत्र को बहुत हानि हो रही है। इसलिए मैं राष्ट्रीय वेज बोर्ड का गठन करने का सुझाव रख रहा हूँ ताकि भारतवर्ष के सभी बुनकरों को उचित और सही मजदूरी मिल सके।

सहकारिता के सच्चे माने में जो बुनकर है उसको कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। सब्सीडी, रिबेट आदि सहूलियतें बीच के दलाल, जैसे धनी लोग ही खा जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। सब्सीडी और रिबेट का ढांचा और इसके तरीकों में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय पणन संस्थाओं को कारगर और मजबूत बनाकर अच्छे मैनेजमेंट का गठन किया जाना चाहिए तथा बुनकरो को रॉ-मेटीरियल कैश बेसिस पर लेकर पक्का माल बिक्री डिपो तक पहुँचाकर फिर कच्चा माल लेते वक्त तक के लिए जितना

धन चाहिए उतना पांच वर्ष के लिए बिना ब्याज के और उसके बाद पांच वर्ष में पूरा दर्जा वापिस लेने की योजना स्वतन्त्र रूप से होनी चाहिए और इसमें थर्ड पार्टी को बिल्कुल घुसने न देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

मान्यवर, भारतवर्ष में करीब 5 लाख पावरलूम विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में हैं, ऐसा माना जाता है। अनधिकृत बिजली करघों को नियमित करने का और उसको सुचारू रूप देकर बढ़ती हुई खपत और निर्यात की भारी संभावनाओं को देखते हुए इस पर जो कपड़ा बनता है वह ज्यादा से ज्यादा बने, ऐसी कोशिश करने का सरकार का विचार सही है। मगर इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और वर्किंग कैपिटल के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कंसेशनल रेट आफ इंटरेस्ट से उपलब्ध करने की योजना बनानी चाहिए और इन की जो समस्याएं हैं उनका सही पता लगाने के लिए एक लिए एक कमेटी का गठन जल्द से जल्द करने की जरूरत है। इन छोटे-छोटे यूनिटों, जिसकी कुल लागत 2 लाख से भी कम हो; ऐसे शोलापुर के कुछ यूनिटों में टर्किश टावेल जिसकी कीमत 16 रुपये से 25 रुपये तक है जिसे गरीब से गरीब लोग आसानी से खरीदते है, ऐसे उत्पादन पर जनता शासन के दौरान उत्पादन शुल्क लगाया गया। इससे इस इण्डस्ट्री पर बहुत बड़ा आघात पहुँच रहा है। इसको या तो उत्पादन शुल्क से पूरी छूट या साढे सात लाख रुपये तक से उत्पादित माल पर जो कुछ वस्तुओं की छूट दी हुई है वैसी ही छूट इनको ही देनी चाहिए ताकि इस इण्डस्ट्री बढ़कर भारत के सभी गरीब लोगों को टर्किस टावेल सस्ते दामों पर सप्लाई कर सके।

हमारा रेशम और टसर उत्पादन दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। इसका विकास सही तौर पर करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। इस उद्योग में लाखों ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं। इसके समुचित विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा धन जुटाने की जरूरत है और केन्द्रीय रेशम बोर्ड को और कारगर बनाना है।

इण्डस्ट्रीयल हाउसिंग स्कीम जो 1959 में केन्द्र से राज्यों को ट्रांस्फर की गई वह ज्यादा तर राज्यों में बन्द कर दी गई। इसको वापस केन्द्र में लेकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप कुछ परिवर्तन सब्सिडी आदि में कर के पुनः चालू करना बहुत जरूरी हैं और इस योजना में हैण्डलूम सेक्टर, पावरलूम सेक्टर, बीड़ी उद्योग आदि, छोटे और मध्यम उद्योगों को शामिल करके इसे व्यापक रूप दिया जाय, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

आखिर में, मैं हरदम सोचता आ रहा हूँ कि सदन में चर्चा के दौरान सभी मंत्रालयों से सदस्य कुछ अपेक्षायें रखते हैं, अच्छे सुझाव देते हैं, लेकिन इन सभी बातों का आगे क्या होता हैं ? क्या इस पर कभी गम्भीरता से विचार होता है ? यदि होता है तो उसके बारे में सदस्य को कुछ बताया जाता है या प्रश्नोत्तर के दौरान यस, नौ, डज-नाट-एराइज जैसा उत्तर मिलता है, वैसा ही क्या इन सब बातों का भी होगा ? इसके लिए में एक फोलो-आन-एक्शन कमेटी का गठन करने का सुझाव रखता हूँ।

माननीय वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री को अगला साल देश के समूचे विकास के लिए, हमारी प्रधान मंत्री आदरणीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस-सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ावा देने

[श्री गंगाधर एस० कुचन]

के लिए और बेरोजगारी कम करने के लिए सफल साबित हो, ऐसी शुभ-कामना देते हुए इस अनुदान की मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

श्री सी० डी० पटेल (सूरत) : जहां तक वाणिज्य और वस्त्र विभागों का सम्बन्ध है मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। फिर भी, प्रारंभ में मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

आयात और निर्यात संतुलन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तथापि, यदि वर्ष दर वर्ष घाटा बढ़ता है तो यह देश की कमजोर आर्थिक विकास का प्रतिविम्ब होगा। इसलिए, मैं मंत्रालय से इस बात पर जोर देता हूं कि निर्यात संवर्द्धन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

मैं ऐसे उद्योगों पर बात कर रहा हूं जिनमें निर्यात की भारी क्षमताएं हैं अर्थात जरी कृत्रिम रेशम और हीरे। जरी उद्योग मुख्यतः सूरत, जयपुर और वाराणसी में स्थित है। इस उद्योग में 46,000 लोग रोजगार में लगे हुए हैं, और इसका उत्पादन एक वर्ष में 75 करोड़ रुपए मूल्य का होता है। इस उद्योग के समक्ष बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। मैं उन परेशानियों को दूर करते के लिए समुचित कदम उठाने हेतु मंत्रालय पर जोर देता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें नकद सब्सिडी समर्थन योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस उद्योग को जहाज पर्यंत निःशुल्क निर्यात मूल्य के 10 प्रतिशत तक की ही सहायता मिल रही है। अतः मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस सहायता को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

मैं चांदी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के लिए मंत्रालय को बधाई देता हूं। यह प्रतिबन्ध जारी रहना चाहिए।

सूरत में इस उद्योग तथा अन्य उद्योगों के समक्ष एक दूसरी समस्या है वह एक विदेश-डाकघर का अभाव। क्या एक निदेश-डाकघर की आवश्यकता है और उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क विभाग के सहयोग से इसकी स्थापना की जानी जाहिए। सूरत से पार्सल भेजने में इससे सहायता मिलेगी।

अब कृत्रिम रेशम की बात ही लीजिए। सूरत इस उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र है। देश के कुल विद्युत करघों में से लगभग 40 प्रतिशत औसतन 25 लाख मीटर कपड़े का प्रतिदिन उत्पादन करते हैं। इस मात्रा में उत्पादन सूरत में किया जाता है। करघों की संख्या एक लाख से ज्यादा है—63,500 अधिकृत करघे और 45,000 अनधिकृत करघे। अतः मूल्यवार कुल उत्पादन लगभग 500 करोड़ रुपए का है। अकेले सूरत में कुल निवेश 135 करोड़ रुपए का है और कुल उत्पादन 75 करोड़ मीटर कपड़े का है और मूल्यवार यह 500 करोड़ रुपए का है।

इस उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं को अनेक बार मंत्रालय की जानकारी में लाया गया है। वहां अनेक कठिनाइयां हैं जिनको दूसरे मंत्रालयों के परामर्श से हल किया जाना चाहिए था। सर्वप्रथम, मैं कच्चे माल के अभाव और उसके ऊंचे मूल्यों की चर्चा करूंगा। बुनकरों को कच्चे माल की अर्थात रेयन और सिन्थेटिक यार्न की कमी और उनके अधिक मूल्यों की समस्या का बराबर सामना करना पड़ रहा है। कपड़े की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उनकी बुनाई करने की क्षमता बढ़ी है। सरकार को विस्कोस के विक्रय मूल्य तुरन्त निर्धारित करने चाहिए और नायलोन तथा पोलिएस्टर यार्न के विक्रय मूल्य भी तुरन्त निर्धारित किए जाने चाहिए और एक ऐसी योजना तैयार की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत सहकारी समितियां तथा अन्य बुनकर निर्धारित मूल्यों पर अपनी आवश्यकताओं के लिए स्पिनर्स को आर्डर दे सकें। दूसरी बात नायलोन फिलामेंट यार्न तथा पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर आयात शुल्क में कमी किए जाने के बारे में है। यद्यपि व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने नायलोन फिलामेंट तथा पोलिएस्टर फिलामेंट के आयात की अनुमति दे दी है, लेकिन जहां तक आयात शुल्क का सम्बन्ध है, यह बहुत अधिक है। इसलिए, शुल्क की दर की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। तीसरी कठिनाई नायलोन के आयात के बारे में है। जहां तक अव्वल दर्जे की नायलोन का सम्बन्ध है, अव्वल दर्जे की नायलोन के आयात पर प्रतिबन्ध है। इसलिए इसकी पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। चौथी कठिनाई एसीसेट फिलामेंट यार्न में सम्बन्धित है। जब सरकार ने रेयन यार्न के आयात की अनुमति दी, तो विस्कोस फिलामेंट यार्न और कुप्रामोनियम रेयन यार्न के आयात पर आयात शुल्क हटा लिया गया था। फिर भी, ऐसीटेट फिलामेंट यार्न पर मूल्यानुसार 120 प्रतिशत के आयात शुल्क से छूट नहीं दी गई थी और इस तरह यह इसके आयात पर पूरे प्रतिबंध का कार्य करती है यद्यपि सरकार चाहती है कि ओ० जी० एल० के अन्तर्गत इसका खुले रूप से आयात किया जाना चाहिए। लेकिन ऊंची दर के उस शुल्क के कारण इसका आयात नहीं किया जा सकता जो कि लगाया जा रहा है। इसके बाद विस्कोस फिलामेंट यार्न के आयात पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। रियायती दरों पर इसके आयात की अनुमति दी जा सकती है। यस अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, उन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस समय अनाधिकृत विद्युत करघों को नियमित करने की बात है मैं समझता हूं कि उनको नियमित करने के लिए प्रति लूम वर्तमान राशि 600 रुपए रखी गई है, जो कि बहुत अधिक है। पहले यह राशि 25 रुपए से 100 रुपए के बीच हुआ करती थी। अब, इसे बढ़ाकर 600 रुपए तक कर दिया गया है। मुझे पता चला है कि मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है और मान्य उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्रति करघा 600 रुपए की राशि बहुत अधिक है यह केवल 100 रुपए होनी चाहिए। इसलिए, मैं वर्तमान मन्त्रालय से इस बात पर बल देता हूं कि वह यह देखे कि इस सम्बन्ध में एक पूरी जांच की जाए। इसे घटा कर कम से कम 100 रुपए से भी कम किया जा सकता है अथवा अधिक से अधिक 100 रुपए रखा जाए। यह राशि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

जहां तक गुजरात राज्य का सम्बन्ध है, गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड, जो कि पूर्णतः राज्य के स्वामित्व का उपक्रम हैं, में नायलोन फिलामेंट यार्न के उत्पादन की परियोजना के लिए एक आशय-पत्र के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह परियोजना 20 टन प्रतिवेदन

[श्री सी० डी० पटेल]

के उत्पादन अर्थात 7,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन की है। इसे तुरन्त मंजूरी देनी चाहिए। अन्यथा कच्चे माल से सम्बन्धित कठिनाइयों की लम्बे समय तक चलते रहने की सम्भावना है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग है जिसमें सूती वस्त्र उद्योग की आई० डी० आर० इकाइयों पर लागू होने वाली भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आसान शर्तों पर ऋणों की योजना को कृत्रिम रेशम उद्योग की आई० डी० आर० इकाइयों पर लागू किया जाना चाहिए।

मेरी धारणा है कि वहां पब्लिक बोन्डेड वेयर हाउस की समस्या है। इसका सम्बन्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभाग से है, जो कि वित्त मंत्रालय का है। मैं इस मंत्रालय से इस बात के लिए जोर देता हूं कि वह इस मामले की छानबीन करे, क्योंकि जहां तक वस्त्रों का सम्बन्ध है उस पर इस मंत्रालय के अपने शुल्क हैं। जहां तक सूरत का सम्बन्ध है, हाल ही में एक योजना तैयार की गई है, सूरत में एक पब्लिक बोन्डेड वेयर हाउस स्थापित किया गया है। इस प्रकार सभी बुनकर और धागे के खरीददार एक स्थान विशेष पर अपने कच्चे माल जमा करेंगे, इसकी आशा है। वहां इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक नीति का सम्बन्ध है इसका स्वागत है। लेकिन सूरत का एक भाग उधना जो नगर निगम की सीमा में नहीं आता, उसके बारे में भी हमें विचार करना होगा। इसलिए अनेक बुनकरों और कच्चे माल के खरीददारों को परिवहन पर अनावश्यक खर्चा करना पड़ता है, अनावश्यक चुंगी शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। जब तक उधना में अन्य पब्लिक बोन्डिड वेयर हाउस की व्यवस्था न की जाए, तब तक वर्तमान प्रणाली को ही जारी रखा जाए। अतः इन पहलुओं पर विचार किया जाए।

हीरा उद्योग एक दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। मैं समझता हूं कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है, और मैं कहूंगा कि यह एक उपेक्षित उद्योग रहा है। जहां तक हीरा उद्योग का सम्बन्ध है। मैं मंत्रालय से इस बात पर जोर देता हूं कि वह इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह उद्योग गुजरात में, खासतौर पर दक्षिण गुजरात में केवल सूरत और बरसाड़ जिलों में है। लेकिन हमने इस बात की कभी परवाह नहीं की यह कितना महत्वपूर्ण उद्योग है। गत तमाम वर्षों के दौरान इसका औसतन 500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। 1968 से इसका निर्यात बढ़ा है। 1978 तक इसका निर्यात बढ़ता रहा है लेकिन 1978 के पश्चात इसके निर्यात में कमी आई है, और आश्चर्य इस बात का है कि हमने निर्यात लक्ष्य काफी अधिक निर्धारित किया है। गत वर्ष इसमें कमी हुई और सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि हमने इस वर्ष अपना निर्यात लक्ष्य 750 करोड़ रुपए रखा। मेरी समझ में नहीं आता कि वे इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करेंगे। मैं केवल पांच मिनट का समय और लूंगा।

सभापति महोदय : आप 10 मिनट पहले ही ले चुके हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, हाउस में कोरम नहीं है और इतनी इम्पोर्टेन्ट कामर्स मिनिस्ट्री पर बहस चल रही है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : शहीदों की अर्द्धशताब्दी का फंक्शन हो रहा है और यहां के बहुत से मेम्बर्स उसमें भाग लेने गए हुए हैं। यह सबको मालूम है और आपको भी मालूम है। उसके लिए सबको निमंत्रण है और अपोजिशन में तो सिर्फ चार आदमी बैठे हुए हैं, जबकि हमारी तरफ काफी सदस्य मौजूद हैं।

सभापति महोदय : गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जाए, अब गणपूर्ति है।

श्री सी० डी० पटेल : सभापति महोदय, आंकड़े प्रस्तुत करते समय मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आंकड़े बोर करते हैं। जहां तक इस उद्योग विशेष का सम्बन्ध है। वर्ष 1978-79 में हस्तशिल्प वस्तुओं की कुल निर्यात 979 करोड़ रुपए का हुआ था, और उसमें से 693 करोड़ रुपए केवल इस मद विशेष के थे। इस प्रकार इस वर्ष भी, यदि निर्यात स्तर बढ़ाया जाना है तो मेरा सुझाव है कि— इस उद्योग विशेष में कच्चा माल भारत में उपलब्ध नही है। हीरे हमारे यहां नहीं होते हैं। हमारे यहां कोई खानें नहीं हैं— सारा कच्चा माल निर्यात किया जाता है। सारा आयात होरा व्यापार निगम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है जोकि एक सिंडिकेट है। सारे विश्व में जिसका प्रभुत्व है। हमारे उद्योग का जहां तक सम्बन्ध है, हमारी जानकारी यह है कि हमारें दस्तकारों व्यापारियों में निर्यात में वृद्धि करने की जबर्दस्त क्षमता है। मै सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की गम्भीरता से जांच करें। इस व्यापार में चीन बड़े पैमाने पर शामिल हुआ है। रूस ने भी बहुत ही रुचि लेनी शुरू कर दी है। इस्राईल में— जैसा कि मैंने पहले कहा था— वहां पर तेल अवीव के एक निगम अथवा सिन्डिकेट है जो कच्चा माल खरीदता है। हमारे काम्पलैक्स में हमारे भवन में एक ऐजेन्सी है जो सामान तैयार करती है, निर्यात करती हैं। बैंकिंग और लाइसेंसिंग का कार्य करती है। इस विशिष्ट उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना होगा क्योंकि जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है यह 1971 से ही हानि उठा रहा है। अन्यथा, यदि कच्चे माल अर्थात अपरिष्कृत हीरे की नियमित सप्लाई करने के लिए कोई उचित कदम न उठाए गए तो इससे सम्पूर्ण उद्योग संकटग्रस्त हो सकता है। ऐसा लगता है कि 60 प्रतिशत से अधिक आयात डायमंड ट्रेडिंग कारपोरेशन, जिस पर बड़े शक्तिशाली पूंजीपतियों का आधिपत्य है, द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में भी, यह समझा जाता है कि व्यापार का 60 प्रतिशत भाग एक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है और हिन्दुस्तान डायमंड ट्रेडिंग कारपोरेशन जो आयात और व्यापार से सम्बन्धित है वास्तव में अक्षम है। इसलिए मैं मन्त्री जी से इस उद्योग की जांच के लिए एक समिति गठित करने का अनुरोध करता हूं अन्यथा, इस वस्तु के निर्यात के समाप्त होने के गम्भीर परिणाम हमारे सामने आयेंगे, जो लगभग 500 करोड़ बनते हैं, अधिकांश विदेशी मुद्रा में।

कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र पर आते हुए, यह योजना 1965 में तैयार की गई थी। अब 1981 है। गत वर्ष केवल 16.57 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। हमने 36 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था। योजना बनाने के बाद, हमें कई चरणों से गुजरना पड़ा और

[श्री सी० डी० पटेल]

हम केवल इसे ही प्राप्त कर सके हैं। क्यों? मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस ओर गम्भीर पूर्वक ध्यान दें। जहां तक पत्तन के विकास का सम्बन्ध है हम अपने अधिकारी तन्त्र के दृष्टिकोण के कारण अब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाये हैं। अधिकारी वर्ग का अपना दृष्टिकोण हैं— केवल काल्पनिक दृष्टिकोण ही नहीं अपितु बहुत ही अनुदार दृष्टिकोण इसके कारण ऐसा हुआ है। मैं उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि उससे एक विशिष्ट कम्पनी के हित समाप्त होंगे। फर्मिस्यूटिकल्सस के क्षेत्र में, एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने काण्डला पत्तन का उपयोग शुरू किया है। न्यूनतम अपेक्षित 20 प्रतिशत एफ० ओ० बी० कीमत है। एक भारतीय कम्पनी ने परियोजना निर्माण शुरू किया है और उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। यह बहुराष्ट्रीय कम्पनी इस क्षेत्र में आई है और यह सरकार से बहुत ही चतुराई से समझौता करती रही है और इसे 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करवा लिया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने इसे 40 प्रतिशत तक बढ़ा लिया है क्योंकि कोई भी स्वदेशी कम्पनी उससे मुकाबला नहीं कर पाएगी। अब, भारतीय कम्पनी ने 20 प्रतिशत के लिए अपना प्रतिवेदन दिया, तो उसे 30 प्रतिशत करने के लिए सरकार ने कहा। भारतीय कम्पनी ने फिर अपनी परियोजना बदली और 30 प्रतिशत के लिए अपना प्रतिवेदन दिया। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने इसे बढ़ा कर 40 प्रतिशत किया है इसलिए सरकार भारतीय कम्पनी से भी 40 प्रतिशत की मांग कर रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने 40 प्रतिशत इसलिए किया है क्योंकि वही कच्चे सामान से सप्लायर भी हैं और एक बहुत बड़ी कम्पनी है। इन पहलु की बड़ी सावधानी से जांच करने की आवश्यकता है। एक विशिष्ट क्षेत्र में एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी प्रवेश करती है और इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है कि किसी भी स्वदेशी फर्म को उस क्षेत्र में आने नहीं दिया जाएगा। पेश करने के लिए मेरे पास कई उदाहरण हैं परन्तु समय की कमी के कारण, मैं समाप्त करता हूँ। यह अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

*श्री सी० पलानीअप्पन (सलेम) : सभापति महोदय, श्रीमान, अपने दल द्रविड मुनेत्र कणगम; की ओर से वाणिज्य मन्त्रालय की 1981-82 वर्ष के लिए अनुदान मांगों का स्वागत करते हुए, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। यदि आप अप्रैल-सितम्बर, 1980 अवधि के निर्यात निष्पादन का अप्रैल-सितम्बर 1970 की अवधि से तुलना करें तो आप पाएंगे कि निर्यात में केवल 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि उसी अवधि के दौरान आयात में 49.5 प्रतिशत तक की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। फलस्वरूप इसका अनुमान है कि 1980-81 में भुगतान अधिशेष 5000 करोड़ रुपये से अधिक का होगा। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के विपरीत भुगतान संतुलन की स्थिति हमारी आन्तरिक अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर देगी। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 1965 में 1 प्रतिशत था और 1980 में यह कम होकर 0.5 प्रतिशत रह गया। इस कमी के कारणों का पता लगाने और हमारे निर्यात को बढ़ाने के उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच निकाय के गठन की आवश्यकता पर जोर दूंगा।

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमारे आयात के मूल्य में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण बढ़ोतरी हुई। यह हमारे आयात के स्वदेशी प्रतिपूरकों का पता लगाने की आवश्यकताओं पर बल देता है। वाणिज्य मन्त्रालय की गतिविधियों में आयात प्रतिस्थापन को एक केन्द्र विन्दू बनना होगा। अग्रवाल समिति ने इस सम्बन्ध में सितम्बर 1980 में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हाल ही में, हमारी प्रधान मन्त्री ने आयात प्रतिस्थापन के प्रश्न की जांच करने के लिए सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और यह सरकार द्वारा उचित दिशा में लिया गया एक बहुत ही उचित कदम है। मुझे विश्वास है कि अप्रैल में घोषित की जाने वाली आयात नीति एक क्रान्तिकारी नीति होगी जिसमें कई उत्पादों के आयात प्रतिस्थापन सुझाए होंगे।

इसके साथ-साथ हमें अपने निर्यात में भी वृद्धि करनी है। निर्यातक को एक वस्तु के निर्यात करने के लिए फार्मों के 76 सेट भरने पड़ते हैं। इससे परिणामस्वरूप असमान्य विलम्ब होता है और उसके लिए फिजूल का व्यय भी वे कई वर्षों से इस कार्य के लिए कुछ मानक फार्मों की मांग करते रहे हैं ताकि निर्यात में बाधा न हो। माननीय मन्त्री महोदय को इसकी जांच की आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

सरकार कई वस्तुओं को राजसहायता दे रही है। विदेशी देश भारतीय वस्तुओं को घृणा से देखते हैं और देश को भी राजसहायता के सहारे निर्यात को बनाए रखने के लिए बदनामी होती है। राजसहायता के बदले, जैसा कि टण्डन समिति द्वारा सुझाया गया है, करों में छूट की योजना शुरू की जानी चाहिए। यह दूसरे देशों में हमारी वस्तुओं की बिक्री में सहायक होगी।

गत वर्ष सैक्शन 35-ख को कड़ा बनाया गया था, निर्यात संवर्धन में खर्च की कई मदों को इसके अधिकार क्षेत्र से हटा दिया गया था। जिससे हमारे निर्यात संवर्धन प्रयासों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। मुझे प्रत्यक्ष कर बोर्ड में चेयरमेन का हाल का वक्तव्य पढ़ कर प्रसन्नता हुई कि निर्यात संवर्धन में किए गए व्यय की कई मदों को शामिल करने के लिए सैक्शन 35 ख का विस्तार किया जाएगा। हमारा निर्यात बढ़ाने में भी यह सहायक होगा।

हमारे यहां बहुत सी निर्यात संवर्धन परिषदें हैं जिनके अध्यक्ष विदेशी बाजारों का पता लगाने की आड़ में बार-बार विदेशों की यात्रा करते हैं। वे मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बर्बादी करते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके प्रयासों से हमारे निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में हमारे निर्यात में कमी हुई है। यदि हम यह मांग करें कि इन निर्यात संवर्धन परिषदों को बिना किसी विलम्ब के समाप्त कर दिया जाय तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। उनके कार्य ट्रेड फेयर अथारटी को सौंप दिए जाएं जो निर्यात संवर्धन के लिए अच्छा कार्य कर रही है। इसी प्रकार ट्रेड फेयर अथारटी जिसे देश में और देश से बाहर प्रदर्शनियों के आयोजन का कार्य सौंपा गया है, को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उसे और मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि यह संस्थान निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा किया जा रहा कार्य भी सम्भाल सकें।

राज्य व्यापार निगम के निष्पादन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। 1980 में राज्य व्यापार निगम की निर्यात राशि में 40 प्रतिशत की कमी हुई है। माननीय मन्त्री महोदय को

[श्री सी० पलानी अप्पन]

इस सदन में इस तीव्र कमी के कारणों को स्पष्ट करना चाहिए। हाल में, धातु और खनिज व्यापार निगम ने भी हमारे लौह अयस्क के निर्यात के एक अच्छे अवसर को खो दिया है और एक छोटा सा लैटिन अमरीका का देश अपने लौह अयस्क के लिए विदेशी बाजार को पकड़ने में सफल हुआ है। एक अन्य मामला जिसकी जांच माननीय मन्त्री महोदय द्वारा की जानी चाहिए वह यह है कि हम अमरीका को सप्लाई किए जाने के लिए कपड़े के कोटे का केवल 22 प्रतिशत उपयोग कर पाए हैं। माननीय मन्त्री महोदय को इस सदन में इस सुस्त निष्पादन के कारण बताने चाहिए। पश्चिमी बंगाल सरकार ने चाय पर कर लगाया है, जो, ऐसा समझा जाता है, चाय के निर्यात को प्रभावित करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस समस्या का किस प्रकार हल करेगी।

हम श्री लंका, सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपाइन्स, हांगकांग और अन्य दक्षिण पूर्व एशिया में देशों से व्यापार करते हैं, जहां तमिल भाषी भारतीय बड़ी संख्या में हैं। दुर्भाग्य से, इन स्थानों पर राज्य व्यापार निगम के शाखा कार्यालयों में तमिल भाषी कर्मचारी नहीं है, जो इन देशों की आवश्यकताओं का पता लगा सकें, आप इस बात से सहमत होंगे कि कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल नाडु और केरल पश्चिमी राज्यों में उत्पादित मिर्च, मछली, प्याज आदि का इन देशों को निर्यात किया जाता है। राज्य व्यापार निगम के मद्रास स्थित शाखा कार्यालय में तमिल भाषी कुशल कर्मचारी है। इन देशों में उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे इन देशों में हमारे निर्यात को बढ़ाने में सहायक हो सकें।

तमिलनाडु और केरल में 1200 से अधिक कारखाने टेपिको से स्टार्च और साबूदाना का उत्पादन कर रहे हैं। तमिलनाडु के सलेम जिले में, धर्मापुरी जिले और पेरियार जिले में इस प्रकार के कई एकक है। दुर्भाग्य से 5 या 6 एकाधिकारी व्यापारी सभी उत्पाद को खरीद लेते हैं और उसे कलकत्ता, बम्बई और गुजरात में बेचते हैं और उनकी आय 120 करोड़ रुपये ही है। वे कर चोरी आदि जैसे कई अवैध तरीकों को अपनाते हैं और सरकारी राजस्व को इसके उचित हिस्से से वंचित करते हैं। सरकार को स्टार्च और साबूदाने की खरीद के लिए एल अलग से क्रय संगठन बनाना चाहिए जो मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए एक अन्य स्रोत होगा।

जब फिलीपाइन्स, इंडोनेशिया दक्षिण कोरिया आदि जैसे छोटे देश कई सो करोड रुपये की वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं तो भारत जैसे बड़े देश के लिए निर्यात संवर्धन अभियान शुरू करने और उसमें सफलता पाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी केन्द्रीय निर्यात संवर्धन एजेन्सी होनी चाहिए जिसे हमारी वस्तुओं के लिए विदेशी बाजारों का पता लगाने और उनका उपयोग करने के लिए निश्चित निदेश दिए जाएं। कृषि विशेषज्ञों को कृषि के आधुनिकतम तरीकों को सीखने के लिए अन्य देशों में भेजा जाना चाहिए। चूंकि हम सफलतापूर्वक अपने निर्यात व्यापार को परम्परागत वस्तुओं से बढ़ा सकते हैं, जो बदले में निर्यात के उद्देश्य से अधिक कृषि उत्पादों का उत्पादन करेंगे। हाल की कपड़ा नीति हथकरघा बुनकरों की सहायक हुई है।

तमिलनाडु में हथकरघा द्वारा बुनाई 5.5 लाख बुनकरों की आजीविका है और 7.5 लाख लोग इस आजीविका पर आश्रित हैं। हथकरघा वस्त्रों के लिए एक अलग से एक निश्चित निर्यात नीति होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय वाणिज्य मन्त्री जिन्होंने कई लाख हथकरघा बुनकरों की आंखों से आंसू पोंछे है, यह भी करेंगे। अब समुद्री उत्पाद गैर सरकारी लोगों के हाथों में हैं। इन निजी उद्योगपतियों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार द्वारा समुद्री माल का निर्यात सरकारी माध्यम से किया जाना चाहिए।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व यह उल्लेख करना चाहूंगा कि काफी, काली मिर्च, इलायची तथा यहां तक कि हथकरघा कपड़े जैसी निर्यात की वस्तुओं में बढ़े पैमाने पर मिलावट की जा रहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि इन मिलावट करने वालों को कानून के हवाले करने के लिए कड़े उपाय करे जिससे कि हमारे देश का नाम बदनाम न हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : सर्वप्रथम मैं अपने सुयोग्य मन्त्री और उनके मंत्रालय को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कार्यभार सम्भालने के बाद इस बिगड़ी हुई स्थिति को सम्भालने का अथक प्रयत्न किया है और उनको सफलता भी आंशिक रूप से मिली है और मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से सरकार अपनी नीति को ढाल रही है उससे इस क्षेत्र में जो हमारी कठिनाइयां हैं वे शनैः शनैः कम होती जाएगी।

सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। भारत का उत्तर पूर्व का हिस्सा, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, यह सबसे दरिद्र और सबसे गरीब है। इस क्षेत्र के किसानों की एक मात्र मनी क्राप जूट है। 1930 में फिनले कमेटी बनी थी, 1940 में फोकस कमेटी बनी और 1980 में टास्क फोर्स बनाई गई। इस सारे अर्से के दौरान जूट उत्पादकों की जो समस्या थी वह बिषम समस्या थी और आज भी बहुत विषम है। भारत और पाकिस्तान के बटवारे के बाद जूट का इलाका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों दृष्टियों से जो भारत के पास था, पाकिस्तान को चला गया और सारी मिलें, जूट इंडस्ट्रीज हिन्दुस्तान के पास रह गई। इस विषम स्थिति का हिन्दुस्तान के काश्तकारों ने सरकार के आग्रह पर, उसकी योजना पर, तेजी से जूट के उत्पादन को बढ़ा कर मुकाबला किया और जूट मिलों को जिस रा मैटीरियल की जरूरत थी, उसको पूरा किया, जो अभाव था, उसकी पूर्ति की। लेकिन जूट उत्पादकों को कभी भी जूट का उचित मूल्य नहीं मिला। उसके बाद अनेकों कमेटियां और अनेकों जांच समितियां बनाई गई। लेकिन 1971 में जूट कारपोरेशन आफ इंडिया बनायी गयी। मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी समस्या जो सदियों की समस्या है उसकी ओवर नाइट कोई सरकार या कोई एजेन्सी हल नहीं कर सकती। लेकिन बीच में फिर व्यक्तिक्रम हुआ। आज जब मैं यह देखता हूं कि जूट के उत्पादकों की जो समस्या है उसको हल करने के लिये हमारी सरकार ने टास्कफोर्स बनाया और उसकी रिकमन्डेशन सामने आयी है, यह त्रिमुखी समस्या है। एक जूट मैनुफैक्चर की समस्या है जिसमें उद्योग से लेकर मजदूर तक, मारकेटिंग, उत्पादन का प्राइस और साथ-साथ इसका

[श्री सी० प्लानीअप्पन]

ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल । इन तीनों की योजना आज हमारी सरकार ने उपस्थित की है । एक तरफ जे० सी० आई० जो छूट परचेज करे, किसानों की उचित मूल्य दे, दूसरी तरफ 6, 6 मिलों का राष्ट्रीयकरण करके एक संस्था बनायी गई जो मैनुफैक्चर को कन्ट्रोल करे और तीसरी तरफ जो इस सदन में बहुत मांग की गई कि जूट कमिश्नर के इंस्टीट्यूशन को उठा देना चाहिये, और कभी कभी कहा गया यह जूट कमिश्नर नहीं, लूट कमिश्नर है, तो टास्क फोर्स ने रिकमेन्ड किया है जूट कमिश्नर के आफिस को रिप्लेस करना चाहिये, जूट बोर्ड बनाना चाहिये । यही इस बात का द्योतक है कि हमारा मन्त्रिमण्डल, हमारी सरकार की नीति समस्या को छूती नहीं है, लेकिन जो सदियों की समस्या हैं उसको हल करने के लिये बहुमुखी योजना बनाती है । लीप साइडेड योजना नहीं बनाती है । इसलिए मैं आशा करता हूँ चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे प्राइस का क्षेत्र हो, चाहे कन्ट्रोल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हम समाजवादी विचारधारा और समाजवादी कार्यक्रम को, नीति की, असल में लाना चाहते हैं ।

इसी संदर्भ में मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपकी परेशानी से भी अवगत हूँ, आल जूट इन्डस्ट्री को जो अन्तर्राष्ट्रीय कम्पटीशन बांगलादेश और दूसरे देशों से मुकाबला करना पड़ रहा है, उससे भी अवगत हूँ । जो सिन्थेटिक फाइबर इन्टरनेशनल मार्केट में आया है उससे जूट फाइबर का कम्पीटीशन है, और जैसे इंडिगो प्लान्टेशन इन्डिया से बाइप आउट हो गया, इन्टरनेशनल कम्पटीशन में हमारी जूट इन्डस्ट्री भी कहीं वाइप आउट न हो जाय इसलिये डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिये और जूट को केवल चट्टी और ब्योरा बनाने के लिए ही नहीं बल्कि उसके मैनुफैक्चर को डाइवर्सिफाई करने के लिये कार-पेट और अदर इन्डस्ट्री के लिये हमारी रिसर्च ब्रान्च मजबूत होनी चाहिए जो इस बात की रिसर्च करे ।

मुझे खुशी है कि टास्क फोर्स ने जो कहा कि जब जूट बाजार में आये तब प्राइस तय न हो बल्कि सोइंग सीजन पर ही तय कर दी जाय ताकि किसान को इम्पीटस जिले कि सरकार अच्छी प्राइस देने जा रही है जिससे उसका उत्पादन बढ़े । तो चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब के हितों की रक्षा करने के लिये हमारे योग्य मन्त्री और इनके मन्त्रालय के अधिकारीगण और बोर्ड सतर्क हैं ।

एक दूसरी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । यह पूंजीवाद का नियम है कि जब तक रस मिले तब तक चूस लो आप और बाद में सिट्टी बना कर फेंक दो । पूंजीवादी सौर मण्डल में सभी ग्रह लाभ के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं । किसी इंडस्ट्री से जब तक प्रोफिट मिलता है तब तक चलाओ और जब प्रोफिट नहीं मिलता है तो उसको चूस कर फेक दो । और यह तमाम हम लोग पूंजीवाद की इस लीगेसी को लेकर पैदा हुए । यही जूट टेक्सटाइल, यही काटन टेक्सटाइल, हमने 116 मिलों को नेशनलाइज किया । ये सब रस चूसी हुई मिलें, मुर्दा, रुग्ण, यह सब हमारे कन्धे पर मिलीं । इस लीगेसी को हमने लिया, कैपिटलिज्म, फ्यूमैडलिज्म और इम्पीरियलिज्म को हमने लिया ।

इसी संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जो नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लास में चल रहा था, वह नामिनल प्राफिट में आज चलने लगा है, यह बड़ी खुशी की बात है। यह हमारे मंत्रि-मंडल की एफीशियेन्सी, उसकी क्षमता और उसकी योग्यता है। लेकिन सावन के अन्धे को केवल हरा ही सूझता है। इसलिये हिन्दुस्तान में हमारी अपोजिशन को, जो हमारी प्रधान मन्त्री कहती हैं, हमारे नेता कहते हैं, उससे कुछ नहीं लेकिन यह मक्खी की तरह केवल गन्दगी पर ही बैठते हैं और गन्दगी ही बोलते हैं। यह नीति अपोजिशन की नहीं होनी चाहिये। हमारी एचीवमैंट्स को भी रखना चाहिये और फेल्योर्स को भी रखना चाहिये।

अभी सी०पी०एम० के लोग यहां नहीं हैं जो जूट टेक्सटाइल, जूट की क्राइसेस की बात करते हैं। कैसे उनके राज्य में बंगला देश से जूट को स्मगल करके हिन्दुस्तान में लाया गया? कैसे कोशिश की जाती थी जूट इंडस्ट्री को लेकर लेकिन मैं उसकी आलोचना प्रत्यालोचना में नहीं जाना चाहता।

मैं अपने हैंडलूम वीवर्स के बारे में कहना चाहता हूँ। जो आपने टेक्सटाइल पालिसी तय की है जिसका हमारे विरोधी दल के डी० एम० के० के नेता ने बोलते हुए समर्थन किया है।

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिये।

श्री नवल किशोर शर्मा: यह बहुत इम्पार्टेंट प्वाइन्ट रख रहे हैं, इन्हें एलाऊ कीजिये। इन अपोजिशन वालों को भी कुछ समझने दीजिये।

श्री कमल नाथ झा: मैं कहना चाहता हूँ कि आज हिन्दुस्तान में हमने समाजवादी नीति अपनाई है। आज हमारा जो यह पब्लिक सेक्टर है, इसका जैसा नाम वैसा काम होना चाहिये। इस पब्लिक सेक्टर के माध्यम से क्या हमारी सरकार ऐसी योजनाएं बनायेगी, बाजार में जो ऊंचे-ऊंचे दाम पर अच्छे-अच्छे कपड़े मिलते हैं, जिनके पास पैसे हैं, उसे वह खरीदते हैं, लेकिन 116 जो काटन टेक्सटाइल मिले हैं, मेरा कहना है कि उनपर रिस्पौंसेब्लिटी दीजिये। हिन्दुस्तान की गरीब जनता, मजदूर क्लास, श्रमिक क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जिनकी पर्चेजिंग पावर आज घट रही है, उनको सस्ते दाम पर अच्छा कपड़ा मुहय्या करने की रिस्पौंसेब्लिटी पब्लिक सेक्टर की इन टेक्सटाइल मिलों पर दीजिये।

श्री नवल किशोर शर्मा: इनका घाटा पूरा कराओ।

श्री कमल नाथ झा: जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनको कहा जाये कि तुम बड़े एफीशियेंट हो तो तुम इन्टरनेशनल मार्केट में जाकर कम्पीट करो और बढ़िया बेटा हो तो कमा कर लाओ भारत के लिये। इसलिये मैं समझता हूँ कि एक नेशनल टेक्सटाइल पालिसी फार दी पूअर बनाकर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से शहर से लेकर गांव तक बनाइये।

[श्री कमलनाथ झा]

सभापति महोदय, मैंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन चूंकि आपने घंटी बजा दी है मैं समाप्त कर दूंगा लेकिन इतने बड़े सवाल पर 5 मिनट में जस्टिस नहीं किया जा सकता।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो एन० टी० सी० या जूट इंडस्ट्री को आपने नेशनलाइज किया है एक कार्पोरेशन के तहत, इन तमाम कार्पोरेशन में, इन संस्थाओं में आपको एक नई वैल्यू, नया मूल्य भी स्थापित करना चाहिये और इनके संचालन में जो श्रमिक मजदूर हैं, उनका भी इसके बोर्डों में पार्टिसिपेशन होना चाहिये जो कि समाजवाद की आधार-शिला है। आपने जो मुझे समय किया, उसके लिये धन्यवाद।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : हाल ही में घोषित की गई वस्त्र नीति में हथकरघा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसके बारे में अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे। अतः मुझे दिए गए अल्प समय में, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमने हथकरघा के लिए क्या कुछ किया है, हमारे इरादे क्या हैं और हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं।

वस्त्र नीति की परिधि में पहली बार विद्युत करघे को शामिल किया गया है क्योंकि विद्युत करघा तथा हथकरघे के बीच काफी प्रतिस्पर्धा रही है, अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत करघे साथ-साथ चलते रहें, कुछ सीमा तक इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाना आवश्यक है।

छठी योजना के दौरान विद्युत करघा क्षेत्र के बारे में पांच प्रतिशत विकास की अनुमति दी गई है। किंतु यह केवल ऐसे सहकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित है जो इस समय हथकरघा उद्योग के अन्तर्गत आते हैं और उन्हें अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए यह अवसर दिया जाएगा।

छठी योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन 33,500 लाख मीटर से बढ़कर लगभग 41,000 लाख मीटर हो जाएगा और ऐसा मुख्य रूप से केवल निर्धन लोगों के लिए किया गया है क्योंकि इस कपड़े का उपयोग समाज के निर्धन वर्गों द्वारा किया जाता है। जनता कपड़े का उत्पादन 2900 लाख मीटर से बढ़कर 3,250 लाख मीटर होगा और यह कपड़ा केवल समाज के निर्धनतम वर्गों के लिए होगा। उन्हें इसके बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी।

योजनागत उपबंध में 9.47 करोड़ रु० के स्थान पर वृद्धि करके वर्ष 1981-82 में 22 करोड़ रु० रखे गए हैं जब कि छठी योजना के कुल उपबंध को बढ़ाकर 120 करोड़ रु० कर दिया गया है। इससे इस बात का पता चलता है कि हम हथकरघा उद्योग को कितना महत्व दे रहे हैं। हम उन सभी लोगों को जो हथकरघा उद्योग में रुचि रखते हैं, आश्वासन दे सकते हैं उनके हितों की रक्षा की जाएगी और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें धागे की कोई कमी अथवा किसी प्रकार की कठिनाइयां न हों।

हथकरघा उद्योग के लाभ के लिए अनेक योजनायें भी शुरू की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर्गत बैंक ऋण में भी 26.43 करोड़ के स्थान पर वर्ष 1981-82 में 78 करोड़ रु० से अधिक की वृद्धि की गई है। व्यक्तिगत बुनकर भी 9 से 11½ प्रतिशत की ब्याज की दर पर 25,000 रु० तक के ऋण ले सकेंगे। जनता कपड़े के उत्पादन के लिए 30 करोड़ रु० के अनुदान का उपबंध रखा गया है, और यह केवल समाज के कमजोर वर्गों के लिए होगा। यह तीन करोड़ रुपये की उस राशि के अतिरिक्त है जो 1981-85 में हथकरघे के कपड़े की बिक्री पर छूट के लिये है। यह छूट वर्ष में 30 दिनों के लिये दी जाती है तथा यह उस छूट के अतिरिक्त है जो बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास आदि जैसे विभिन्न बड़े-बड़े शहरों में लगाई जाने वाली हथकरघा प्रदर्शनियों के समय दी जाती है।

छठी योजना के दौरान, विशेषकर हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए, 25 कताई मिलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ताकि किसी भी क्षेत्र में धागे की कोई कमी न हो। इन मिलों की स्थापना, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में की जायेगी जहां बहुत अधिक हथकरघा बुनकर हैं और उनको बहुत दूरी से धागा न मंगाना पड़े, जैसा कि वे इस समय करते हैं,

हथकरघा क्षेत्र में ऋण से पहले तथा ऋण के बाद की सुविधाएं देने के लिये राज्य सरकारों को लगभग दो करोड़ रुपये की सहायता की जायेगी। हथकरघा क्षेत्र लाभ के लिए धागा तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 1981-82 में 4.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी। हथकरघा विकास निगमों को, उनकी विपणन क्षमता बढ़ाने के लिये 1981-82 के दौरान पूंजीगत सहायता देने के लिए 3.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और यह हथकरघा क्षेत्र के लाभ हेतु होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिये पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम को एक करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक सुविधाएं दिए जाने की मांग की जाती रही है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीए सहकारी विकास निगम के माध्यम से प्रस्तावित नई हथकरघा बुनकर सहकारी मिलों में साम्यपूंजी में भाग लेने के लिए राज्य सरकारों की सहायता की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमने हाल ही में हथकरघा क्षेत्र को प्रतिमास 14000 गांठें देने के लिए इन्डियन मिल्स ऐसोसियेशन के साथ व्यवस्था की है और ऐसा स्वैच्छिक आधार पर किया गया है। धागे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है और यह व्यवस्था वास्तव में लागू हो गई है। यही कारण है कि धागे का मूल्य पुनः कम होकर लगभग उसी स्तर पर आ गया है जो अक्तूबर, 1980 में था। निस्संदेह, इस अवधि में रुई का मूल्य 33 प्रतिशत तक बढ़ गया है परन्तु फिर भी हम धागे का मूल्य उचित स्तर पर रखना चाहते हैं ताकि मूल्य स्थिर हो और बुनकरों को यह सुविधा मिले।

हथकरघा विकास कार्यक्रम के लिए औद्योगिकीय सहायता बुनकर केन्द्रों द्वारा दिया जाता है तथा दो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा दिया जाता है जिन्हें स्थापित

[श्री खुर्शीद आलम खां]

किया गया है और इस प्रकार का एक और संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। बुनकरों के लाभ के लिए 23 बुनकर सेवा केन्द्र खोले गए हैं और इसी प्रकार 25 गहन हथकरघा परियोजनायें स्थापित की गई है। वे लगभग 1.50 लाख कर्घों को कवर करते हैं। इसी प्रकार हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए 21 निर्यात उत्पादन परियोजनायें स्थापित की गई हैं। और वे इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं। 18 हथकरघा विकास निगम और 30 अपनी समितियां भी कार्य कर रही हैं। वे हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए कार्य कर रही है। कपड़े का उत्पादन बढ़ा है। जैसा मैंने कहा है, 1980-81 के दौरान, अनुमानतः उत्पादन 33,500 लाख मीटर हैं और 1984-85 में यह 41,000 लाख मीटर होगा कपड़े के उत्पादन में यह वृद्धि लगभग 40 प्रतिशत है।

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में प्रदर्शनियां आयोजित की जा रहीं हैं और कलकत्ता में हुई हाल की प्रदर्शनी में 3½ करोड़ रुपए मूल्य के हथकरघे, कपड़े और अन्य सामान की बिक्री की गई थी जबकि बम्बई में 4 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की गई।

बिजली चलित करघों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में, कपड़ा आयुक्त को बिजली चलित करघों की समस्याओं की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिजली चलित करघों का बेरोकटोक विकास न हो, में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कपड़ा मिलों के बारे में कुछ कहा है। हमारे स्वामित्व और प्रबन्ध के अधीन 111 कपड़ा मिले है। परन्तु मैं यह अवश्य कहूँगा कि ये मिलें जिनका उत्तराधिकार हमें मिला है अपने साथ बहुत ही कठिनाइयों और समस्याएं लाई थीं। जैसा मेरे माननीय मित्र ने यहां कहा है, हम इन देनदारियों को अपने अज्ञान से और नहीं बढ़ाएंगे। हम इन्हें अधिक लाभदायक बनाने जा रहे हैं। वास्तव में वे अपना अस्तित्व खो रही थी और हमें उनका अधिग्रहण अपनी पसन्द के कारण नहीं अपितु उन दो लाख के लगभग श्रमिकों के हितों में करना पड़ा जो इन मिलों में कार्य कर रहे हैं और अब ये मिलें वास्तव में राष्ट्र की कपड़ा मिलें हैं क्योंकि ये समाज के कमजोर वर्गों द्वारा अथवा मध्यम आय वर्ग के लोगों द्वारा आयोग में लाए जाने वाले कपड़े का 97 प्रतिशत उत्पादन कर रही हैं। वे इस प्रकार के 2 प्रतिशत से अधिक कपड़े का उत्पादन नहीं कर रही हैं जिसे फाइन-फाइन अथवा सुपर फाइन कहा जा सके। इसके अतिरिक्त, श्रमिक समस्याओं का निपटान कर लिया गया है और मुझे इस महान सदन को यह बताते हुए खुशी है कि हमने दो कालोनियों की व्यवस्था की है। ऐसा पहली बार है जबकि इस संगठन ने श्रमिकों के लिए यह सुविधा प्रदान की है जिसमें एक कालोनी में लगभग 300 यूनिट तथा दूसरी कालोनी में 4 0 यूनिट हैं जो गुजरात में निर्माणाधीन है। आधुनिकीकरण योजनाओं पर काम शुरू हो गया है; वास्तव में आधुनिकीकरण योजनाओं हेतु हमने 320 करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम तैयार किया है; और मिलों की मशीनों तथा उपकरणों के आधुनिकीकरण पर 100 करोड़ रुपए तो खर्च भी किए जा चुके हैं तथा 40 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में खर्च किए

जाएंगे और शेष राशि छठी पंच वर्षीय योजना के बाकी बचे समय के दौरान खर्च की जाएगी। आधुनिकीकरण कार्यक्रम की गति धीमी होने से सम्बन्धित जिस समस्या का हम इस समय सामना कर रहे हैं, वह पुरानी के स्थान पर लगाये जाने वाली नई मशीनों और उपकरणों को प्राप्त करने में हो रही कठिनाई हैं।

इस ओर से किसी माननीय सदस्य ने कोडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के विषय में कुछ कहा था। इस सम्बन्ध में, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कोडला मुक्त व्यापार क्षेत्र का काम-काज पूरे जोर-शोर से चल रहा है। कोडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में इस समय 53 एकक काम कर रहे हैं; लगभग 20 आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है, और छः को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस क्षेत्र से और अधिक एकक सम्बद्ध होंगे।

जहां तक मुक्त व्यापार क्षेत्र को रियायतें और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का सवाल है, वित्त मंत्री महोदय अपने हाल के बजट-भाषण में यह घोषणा कर चुके हैं कि पंचवर्षीय कर-मुक्त अवकाश प्रदान किया जाएगा, क्योंकि यह बताया गया था कि अन्य कुछ उन देशों में, जहां मुक्त व्यापार क्षेत्र विद्यमान है कर-मुक्त अवकाश प्रदान किया जाता है। मुझे पक्का विश्वास है कि इस वर्ष के दौरान कोडला 25 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लेगा और हम आशा करते हैं कि वर्ष 1985 तक यह लगभग 40 करोड़ रुपये मूल्य के माल का निर्यात करने लगेगा।

इसी प्रकार रेशम-उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ कहा गया था। संक्षेप में, मैं यह बताना चाहता हूं कि रेशम-उत्पादन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड एक ऐसी प्रमुख एजेन्सी है, जो इस देश में रेशम उद्योग के हितों की देख-भाल कर रही है। यह बोर्ड न केवल उनके हितों की देखभाल करने के लिए उत्तरदायी है, अपितु यह ऐसे अनुसंधान और विकास के लिए भी उत्तरदायी है, जो इस उद्योग के लिए आवश्यक हो। इसके कार्यक्रमों और नीतियों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि अनुसंधान कार्य और अधिक कार्योन्मुख हो। बढ़िया किस्म के रेशम के विकास पर बल दिया जा रहा है, ताकि हम जापान, चीन और कोरिया जैसे अन्य देशों में उत्पादित रेशम का मुकाबला कर सकें। वर्ष 1980 से 1985 की अवधि के दौरान कच्चे रेशम के उत्पादन को 4,800 मीटरी टन से बढ़ाकर लगभग 9,000 मीटरी टन करने का विचार है। रेशम के उत्पादन में आन्ध्र-प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु का मुख्य रूप से योगदान है, जहां रेशम के उत्पादन में सुधार करने तथा रेशम और शहतूत का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त शहतूत की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी प्रयोग किए जा रहे हैं, ताकि इन राज्यों में हम और अधिक शहतूत पैदा कर सकें। कर्नाटक में 80 करोड़ रुपये की लागत की विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक रेशम उत्पादन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इससे कर्नाटक का कच्चे रेशम का उत्पादन 3,000 मीटरी टन से बढ़कर 4,000 मीटरी टन प्रति वर्ष हो जाएगा। इस योजना के लिए, रेशम बोर्ड को इसके अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा अनुसंधान और विकास सम्बन्धी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

[श्री खुर्शीद आलम खां]

इसके अतिरिक्त मैं आपको यह बताता हूं कि हस्त निर्मित गलीचा उद्योग के क्षेत्र में हमारी क्या प्रगति है ? यहां मैं यह बात कहना चाहूंगा कि इस समय विश्व में हाथ से बुनी कार्लानों के उद्योग की कुल आवश्यकता 800 करोड़ रुपए की है और हम इस कुल आवश्यकता का लगभग बारह प्रतिशत निर्यात कर रहे हैं। हमें आशा है कि 1984-85 तक दुनिया की कुल आवश्यकता 1000-1100 करोड़ रुपए के लगभग हो जाएगी और उस समय तक, हम इस तरह की योजना बना रहे हैं और इस तरीके से आधारभूत सुविधाएं बढ़ा रहे हैं कि हम दुनिया की कुल आवश्यकता का लगभग एक-तिहाई निर्यात कर सकें। यह आशा की जाती है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

श्रीमन् इन शब्दों के साथ···

सभापति महोदय : क्या आप, जो विवरण आपके पास है, उसको ध्यान में रखते हुए और ज्यादा समय लेना चाहेंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : धन्यवाद, श्रीमन।

सभापति महोदय : कल प्रातः 11 बजे पुनः सममेत होने तक लोक सभा स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 24 मार्च, 1981/ 3 चैत्र, 1903 (शक) के 11 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

आकाशदीप प्रिन्टर्स, अन्सारी रोड, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2